रमेश चन्द्र

HPDA

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के महत्वपूर्ण शासनादेशों का संकलन

(जनवरी 2002 से दिसम्बर 2002)

आवास बन्धु

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

वर्ष 2002

Scanned with OKEN Scanner

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

के

महत्वपूर्ण शासनादेशों

का संकलन

(जनवरी-2002 से दिसम्बर-2002)

Rs =165

Scanned with OKEN Scanner

प्राक्कथन

उत्तर प्रदेश में विकास की असीम सम्भाव्यताएं हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आजीविका की तलाश में जनसंख्या के पलायन के कारण शहरी क्षेत्रों में मकानों तथा मूलभूत सेवाओं पर असहनीय बोझ बढ़ रहा है। संसाधनों के अभाव में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए नए आवासों का सृजन करने में कठिनाईयाँ हैं। फलस्वरूप, अतीत की नीतियों एवं प्रयासों के बावजूद निर्धन वर्ग की आवासीय समस्या का समाधान सम्भव नही हो सका है। ऐसी स्थिति में आवास से सम्बन्धित कोई भी नीति अथवा कार्यक्रम ''सबके लिए आवास'' की अवधारणा पर आधारित होना आवश्यक है ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आर्थिक क्षमतानुसार आवास मिल सके।

स्वतन्त्रता के 55 वर्षों में निर्धन वर्ग के जिन व्यक्तियों को आवास उपलब्ध नही हो पाया है, प्रदेश में ऐसे वर्ग के परिवारों के लिए रूपए 5, 10 व 15 प्रतिदिन के भुगतान पर आश्रय योजना एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में दस हजार आश्रय उपलब्ध कराए गए। अल्प एवं लघु मध्यम आय वर्ग के परिवारों हेतु भाऊराव देवरस योजना में सात हजार भूखण्ड एवं भवन उपलब्ध कराए गए, जबकि प्रदेश स्तर पर सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में विभिन्न आय वर्गो हेतु कुल 95,000 इकाईयाँ सृजित की गई। आवंटियों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा एक बार समाधान (ओ.टी.एस.) योजना पुनः लागू की गई जिसके अधीन 26,055 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए एवं रू. 73 करोड़ की वसूली की गयी। भवन निर्माण के समय किए गए परिवर्तन/परिवर्धन को नियमित करने के लिए सरल शमन योजना लागू की गई जिसके अन्तर्गत 6,387 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए एवं शमन शुल्क के रूप में रू. 34 करोड़ की आय हुई। इसके अतिरिक्त विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा आवंटित सम्पत्तियों के निबन्धन हेतु 1734 शिविर आयोजित कर विशेष अभियान चलाए गए जिसके फलस्वरूप 86018 *सम्पत्तियों का निबन्धन* किया गया और सरकार को स्टैम्प शुल्क के रूप में रू. 158.65 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। इन योजनाओं के फलस्वरूप आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ।

नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के प्राविधान के लिए प्रदेश के प्रमुख नगरों में ''ब्लू-प्रिन्ट'' की योजना एक अनोखी मिसाल है जिसके अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों, लोक निर्माण, रेलवे तथा दूर संचार विभाग के संसाधनों की डवटेलिंग करते हुए सड़कें, ड्रेनेज, जलापूर्ति, सीवरेज, विद्युत्-आपूर्ति, पुल निर्माण, आदि सुविधाओं का समन्वित रूप से विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। ''ब्लू-प्रिन्ट'' कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में प्राधिकरण सेवित 22 बड़े नगरों में रू. 877 करोड़ लागत की 3754 परियोजनाएं चिन्हित की गई जिनमें से 1915 परियोजनाएं पूर्ण की गई। वर्ष 1991-2001 में प्रदेश की नगरीय जनसंख्या में हुई एक करोड़ वृद्धि के दृष्टिगत नगरों के संतुलित एवं सुनियोजित विकास को प्राथमिकता दी गई जिसके फलस्वरूप शासन द्वारा 14 महायोजनाएं स्वीकृत एवं लागू की गई जबकि 09 नगरों की प्रारूप महायोजनाएं तैयार की गई। साथ ही प्रदेश के प्रमुख नगरों के समेकित विकास हेतु विशेषज्ञ कन्सलटेण्ट्स के माध्यम से ''विज़न स्टेटमेन्ट'' तैयार कराने का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन तथा सुदृढ़ीकरण हेतु भी प्रस्ताव शामिल होंगे। इस दिशा में आवास एवं विकास परिषद द्वारा पहल करते हुए विज़न स्टेटमेन्ट तैयार किया गया जिसके अधीन कार्य योजनाएं बनाकर क्रियान्वित की जा रही हैं।

Scanned with OKEN Scanner

नगरीय क्षेत्रों में सामूहिक तथा बहुमंजिले भवनों में अपार्टमेन्ट्स के स्वामित्व, भूमि एवं भवन तथा कामन एरियाज़ एवं फैसेलिटीज में अपार्टमेन्ट स्वामी के अविभाज्य अधिकारों के संरक्षण व ऐसे कामन एरियाज़ एवं फैसेलिटीज़ का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अध्यादेश, 2003 प्रख्यापित किया गया। अध्यादेश में प्रमोटर तथा अपार्टमेन्ट स्वामियों के दायित्वों, अधिकारों एवं बाध्यताओं को निर्धारित किया गया है तथा प्रमोटर की निरंकुशता पर नियन्त्रण रखने एवं नागरिकों के हितों की सुरक्षा हेतु आवश्यक प्राविधान किए गए हैं। इस अध्यादेश के जारी होने के फलस्वरूप प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आवासीय समस्या के सामाधान के साथ-साथ शहरों के सुनियोजित विकास में सहयोग मिलेगा।

प्रदेश सरकार द्वारा निजी पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने व शासकीय अभिकरणों की "सुविधाप्रदायक" भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु आवास बन्धु को निजी क्षेत्र की समस्याओं के निदान हेतु एक प्रभावी मंच के रूप में कार्यशील बनाया जा रहा है। आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण एवं भूमि विकास में किसानों तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नीति बनाई जा रही है। इस प्रकार आवास एव शहरी नियोजन के सेक्टर में प्रदेश सरकार द्वारा सभी नीतिगत व्यवस्थाएं की गई हैं जो निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हो रही हैं।

प्रदेश सरकार नगरीय समस्याओं के समाधान के प्रति पूर्णतः जागरूक है और इस दिशा में सजग है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए नागरिक सुविधाओं की नयी व्यवस्थाएं कैसे की जाय, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया जाय उसका रख-रखाव कैसे किया जाय तथा जो विकास एवं निर्माण अनधिकृत रूप से हो चुका है, में विकास की किरण कैसे पहुँचाई जाय। सरकार द्वारा इन सभी समस्याओं के निदान के लिए नीतिगत व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार हमारे शहर तभी सुन्दर होंगे जब समाज के अन्तिम व्यक्ति को आवास, रोजगार, सेवाओं तथा एक अच्छे पर्यावरण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

प्रस्तुत संकलन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के वर्ष 2002 के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं नीतिगत सुधारों से सम्बन्धित शासनादेश शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि यह संकलन आवास सेक्टर से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं नीतिगत सुधारों की जानकारी सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं, आवास निर्माण से जुड़े निजी निर्माताओं, सहकारी आवास समितियों, वास्तुविदों तथा सामान्य जनता को उपलब्ध कराने में उपयोगी सिद्ध होगा।

अगस्त 2003

लालजी टण्डन,
मन्त्री
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

Scanned with OKEN Scanner

विषय-सूची

क्रम.सं.	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक	पृष्ठ सं.
1.	**सम्पत्ति प्रबन्धन**			**1–52**
1.1	उ.प्र आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षण।	2905/37-2-91-94 एच.बी./91	25 नवम्बर, 1991	1
1.2	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षण।	यू.ओ.123/9-आ-2/2002	23 दिसम्बर, 2002	2
1.3	कैम्प लगाकर लम्बित पड़े अनिबन्धित प्रलेखों की रजिस्ट्री कराने के सम्बन्ध में।	1497/शि.का.लख./2002	22 जुलाई, 2002	3
1.4	संविदा के आधार पर होने वाले कार्यों हेतु आवश्यक स्टाम्प शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में।	117/शि.का.लख./2002	09 अगस्त, 2002	6
1.5	स्टाम्प एवं निबन्धन सम्बन्धी उत्तरदायित्व एवं विभिन्न प्रकार के विलेखों पर स्टाम्प की प्रभार्यता सम्बन्धी मार्गदर्शिका।	119/शि.का.लख./2002	14 अगस्त, 2002	8
1.6	आवास एवं विकास परिषद एवं प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्तियों को कब्जा दिये जाने से पूर्व स्टाम्प शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	2757/9-आ-1-02-57डीए/02	06 जुलाई, 2002	18
1.7	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्तियों को कब्जा दिये जाने से पूर्व स्टाम्प शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	3058/9-आ-1-02-57डीए/02	20 जुलाई, 2002	19
1.8	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्तियों को कब्जा दिये जाने से पूर्व स्टाम्प शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	4396/9-आ-1-02-57डीए/02	24 सितम्बर, 2002	21
1.9	यथाविधि स्टाम्पित तथा पंजीकृत लेख पत्र के आधार पर ही दाखिल खारिज की कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।	एच. 1780/शि.का.लख./2002	26 अगस्त, 2002	23
1.10	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की गई योजनाओं की विज्ञप्ति के प्रकाशन को प्रतिबन्धित किए जाने के सम्बन्ध में।	1577/9-आ-2-2001	26 मई, 2001	24
1.11	समझौते के आधार पर भूमि का अर्जन।	5018/9-आ-3-2001-11वि./93	09 जनवरी, 2002	25
1.12	समझौते के आधार पर भूमि का अर्जन।	1718/1-13-2001-20(भू.क्र.) 2001-श.-13	29 सितम्बर, 2001	26
1.13	भू-अर्जन के फलस्वरूप प्रतिकर/डिक्रीटल की बकाया धनराशि का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।	4171/9-आ-3-2002-53वि./92टी.सी.(2)	27 नवम्बर, 2002	29

Scanned with OKEN Scanner

विषय-सूची

क्रम.सं.	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक	पृष्ठ सं.
1.	**सम्पत्ति प्रबन्धन**			**1–52**
1.1	उ.प्र आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षण।	2905/37-2-91-94 एच.बी./91	25 नवम्बर, 1991	1
1.2	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षण।	यू.ओ.123/9-आ-2/2002	23 दिसम्बर, 2002	2
1.3	कैम्प लगाकर लम्बित पड़े अनिबन्धित प्रलेखों की रजिस्ट्री कराने के सम्बन्ध में।	1497/शि.का.लख./2002	22 जुलाई, 2002	3
1.4	संविदा के आधार पर होने वाले कार्यों हेतु आवश्यक स्टाम्प शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में।	117/शि.का.लख./2002	09 अगस्त, 2002	6
1.5	स्टाम्प एवं निबन्धन सम्बन्धी उत्तरदायित्व एवं विभिन्न प्रकार के विलेखों पर स्टाम्प की प्रभार्यता सम्बन्धी मार्गदर्शिका।	119/शि.का.लख./2002	14 अगस्त, 2002	8
1.6	आवास एवं विकास परिषद एवं प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्तियों को कब्जा दिये जाने से पूर्व स्टाम्प शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	2757/9-आ-1-02-57डीए/02	06 जुलाई, 2002	18
1.7	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्तियों को कब्जा दिये जाने से पूर्व स्टाम्प शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	3058/9-आ-1-02-57डीए/02	20 जुलाई, 2002	19
1.8	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्तियों को कब्जा दिये जाने से पूर्व स्टाम्प शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	4396/9-आ-1-02-57डीए/02	24 सितम्बर, 2002	21
1.9	यथाविधि स्टाम्पित तथा पंजीकृत लेख पत्र के आधार पर ही दाखिल खारिज की कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।	एच. 1780/शि.का.लख./2002	26 अगस्त, 2002	23
1.10	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की गई योजनाओं की विज्ञप्ति के प्रकाशन को प्रतिबन्धित किए जाने के सम्बन्ध में।	1577/9-आ-2-2001	26 मई, 2001	24
1.11	समझौते के आधार पर भूमि का अर्जन।	5018/9-आ-3-2001-11वि./93	09 जनवरी, 2002	25
1.12	समझौते के आधार पर भूमि का अर्जन।	1718/1-13-2001-20(भू.क्र.) 2001-श.-13	29 सितम्बर, 2001	26
1.13	भू-अर्जन के फलस्वरूप प्रतिकर/डिक्रीटल की बकाया धनराशि का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।	4171/9-आ-3-2002-53वि./92टी.सी.(2)	27 नवम्बर, 2002	29

Scanned with OKEN Scanner

1.14 उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत की गयी ऐसी सम्पत्तियों (भूमि एवं भवन) जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, के सर्वेक्षण एवं उनके उपयोग/निस्तारण के सम्बन्ध में नीति-निर्धारण।	5659/9-आ-1-समीक्षा बैठक-कार्यवृत्त/2002/407 (आ.ब.)	10 दिसम्बर, 2002	30
1.15 वन-टाइम सेटलमेन्ट योजना-ओ.टी.एस -2002- योजना का संचालन।	3201/9-आ-1-2002-1वि./2000	12 अगस्त, 2002	31
1.16 व्यवसायिक सम्पत्तियों, नीलामी के आधार पर आवंटित आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु "वन टाइम सेटलमेन्ट योजना" ओ.टी.एस.-2002 योजना का संचालन।	4620/9-आ-1-02-1वि./2000	30 अक्टूबर, 2002	35
1.17. वन टाइम सेटलमेन्ट योजना-ओ.टी.एस.-2002 योजना में दिनांक 31.01.03 तक वृद्धि किए जाने विषयक।	5844/9-आ-1-2002-1 विविध/2000	30 दिसम्बर, 2002	42
1.18 प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् द्वारा सृजित सम्पत्तियों के आवंटन हेतु असफल आवेदकों की पंजीकृत धनराशि वापस किए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।	4776/9-आ-1-2002	11 अक्टूबर, 2002	43
1.19 निबन्धित सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन हेतु नीति।	4128/9-आ-3-2002-20एल.ए./92 (आ.ब.)	22 अक्टूबर, 2002	45
1.20 उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।	5635/9-आ-1-2002	07 दिसम्बर, 2002	48
1.21 लीज पर आवंटित भूखण्डों पर भवन निर्माण के सम्बन्ध में।	5068/9-आ-1-भूखण्ड (आ.ब.)/2001	14 फरवरी, 2001	49
1.22 आश्रय एवं भाऊराव देवरस योजना के लक्ष्यों का निर्धारण।	1740/9-आ-2-आश्रय-भाऊ.देवरस योजना/2002(आ.ब.-2)	02 जुलाई, 2002	51
2. नजूल भूमि प्रबन्धन			53–67
2.1 वित्तीय वर्ष 2002-2003 हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु संलग्न कार्य योजना के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।	1009/9-आ-4-2002-108 एन/2001	29 मई, 2002	53
2.2 पट्टीगत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड हेतु आंकलित धनराशि का डिमाण्ड नोट जारी होने के 90 दिन के अन्दर धनराशि जमा करने पर 20 प्रतिशत छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	2257/9-आ-4-2002-417 एन/ 2002	17 अक्टूबर, 2002	56
2.3 नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश में संशोधन/सरलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	2873/9-आ-4-2002-152 एन/ 2000 टी.सी.	10 दिसम्बर, 2002	57
2.4 नजूल भूमि के फ्री-होल्ड से प्राप्त आय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2002-2003 हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में।	4021/9-आ-4-2002-108 एन/	20 दिसम्बर, 2002	60

Scanned with OKEN Scanner

2.5	नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन।	4029/9-आ-4-2002-529-एन/2002	31 दिसम्बर, 2002	66
3.	**महायोजनाएं**			**68—88**
3.1	विनियमित क्षेत्र-सीतापुर की सीतापुर महायोजना-2001 की स्वीकृति।	2018/9-आ-3-2002-10महा/97	14 जून, 2002	68
3.2	मिर्जापुर-विन्ध्याचल महायोजना-2011 पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।	4457(1)/9-आ-3-2001-08 महा./2002	15 जून, 2002	69
3.3	विनियमित क्षेत्र-प्रतापगढ़ की प्रतापगढ़ महायोजना-2011 की स्वीकृति।	2135/9-आ-3-2002-12 महा./99	27 जून, 2002	70
3.4	मथुरा-वृन्दावन महायोजना (वर्ष 2001) (भाग-क) पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।	2487/9-आ-3-2002-3 महा./2002	12 जुलाई, 2002	71
3.5	शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित 'रिहन्द नगर परिक्षेत्रीय योजना-2011' पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।	2077(1)/9-आ-3-2002-7 महा./2002	31 जुलाई, 2002	72
3.6	फतेहपुर सीकरी महायोजना-2021 पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।	3042/9-आ-3-2002-3 महा./2001	23 अगस्त, 2002	73
3.7	शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित "शक्तिनगर परिक्षेत्रीय योजना-2011" पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति	2075(1)/9-आ-3-2002-8 महा./2002	17 अगस्त, 2002	74
3.8	शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित "चोपन-ओबरा-डाला परिक्षेत्रीय योजना 2011" पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।	1956(1)/9-आ-3-2002-04 महा./2002	02 सितम्बर, 2002	75
3.9	शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित "रेनकूट-पिपरी परिक्षेत्रीय योजना 2011" पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।	2078/9-आ-3-2002-6 महा./2002	02 सितम्बर, 2002	76
3.10	शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित "अनपरा परिक्षेत्रीय योजना 2011" पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।	2076(3)/9-आ-3-2002-5 महा./2002	04 अक्टूबर, 2002	77
3.11	विनियमित क्षेत्र-मुबारकपुर (जिला आजमगढ़) की घोषणा की अधिसूचना।	3286/9-आ-3-2002-9 आर.ए.-92	27 सितम्बर, 2002	78
3.12	परगना मजिट्रेट सदर, जिला आजमगढ़ को नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र-मुबारकपुर (जिला आजमगढ़) घोषित करने की अधिसूचना।	3286(2)/9-आ-3-2002-9 आर.ए./92	27 सितम्बर, 2002	81

Scanned with OKEN Scanner

3.13	विनियमित क्षेत्र-औरैया (जिला औरैया) की घोषणा की अधिसूचना।	2989/9-आ-3-2002-1 आर.ए.-98	28 सितम्बर, 2002	82
3.14	नियंत्रक प्राधिकारी औरैया की घोषणा की अधिसूचना।	2989(1)/9-आ-3-2002-1 आर.ए.-98	28 सितम्बर, 2002	84
3.15	रूग्ण औद्योगिक इकाईयों को पुर्नवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	4501/9-आ-3-2001-74 एल.यू.सी./2001	24 अक्टूबर, 2001	86
3.16	विनियमित क्षेत्रों हेतु तैयार किये गये महायोजना प्रारूप पर जन सामान्य से आमंत्रित आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।	1217/9-आ-3-2002-20 विविध/2002	18 जून, 2002	87
3.17	प्राधिकरण द्वारा परिक्षेत्रीय विकास योजना "जोनल डेवलपमेन्ट प्लान" तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	3970/9-आ-3-20-55 विविध/2002	02 नवम्बर, 2002	88
4.	**जोनिंग रेगुलेशन्स**			89–119
4.1	अलीगढ़ महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	379/9-आ-3-72-वि./94	18 मई, 2002	89
4.2	मथुरा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	379 (1)/9-आ-3-72-वि./94	18 मई, 2002	91
4.3	मुरादाबाद महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	379 (11)/9-आ-3-72-वि./94	18 मई, 2002	93
4.4	आगरा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	1653/9-आ-3-72-वि./94	19 जून, 2002	95
4.5	वाराणसी महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	1888/9-आ-3-72-वि./94	19 जून, 2002	96
4.6	हापुड़-पिलखुवा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	1927/9-आ-3-72-वि./94	19 जून, 2002	97
4.7	गोरखपुर महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	2193/9-आ-3-72-वि./94	19 जून, 2002	98
4.8	उन्नाव-शुक्लागंज महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	3290/9-आ-3-72-वि./94	27 अगस्त, 2002	100
4.9	मेरठ महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	3294/9-आ-3-72-वि./94	27 अगस्त, 2002	102
4.10	गाजियाबाद महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	3295/9-आ-3-72-वि./94	27 अगस्त, 2002	104

Scanned with OKEN Scanner

4.11	मुजफ्फरनगर महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	3291/9-आ-3-72-वि./94	27 अगस्त, 2002	106
4.12	आगरा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	3292/9-आ-3-72-वि./94	27 अगस्त, 2002	108
4.13	बुलन्दशहर-खुर्जा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	3293/9-आ-3-72-वि./94	27 अगस्त, 2002	110
4.14	नगरों की महायोजनाओं के आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	3701/9-आ-3-72-वि./94 (आ.ब.)	24 सितम्बर, 2002	112
4.15	रायबरेली महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	3702/9-आ-3-72-वि./94	24 सितम्बर, 2002	114
4.16	हापुड़-पिलखुवा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	4046/9-आ-3-72-वि./94	17 अक्टूबर, 2002	116
4.17	इलाहाबाद महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	1534/9-आ-3-2003-72वि./94	05 अप्रैल, 2003	118
4.18	विनियमित क्षेत्रों की महायोजनाओं के अन्तर्गत संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	4047/9-आ-3-2002-72-वि./94	23 अक्टूबर, 2002	119
5.	**भवन निर्माण एवं विकास उपविधि**			**120—160**
5.1	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के लागू होने से पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान्स के अन्तर्गत आंशिक संशोधन हेतु दिशा-निर्देश।	894/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.)	28 फरवरी, 2002	120
5.2	अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में आवश्यक परिष्कार।	939/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.)	05 मार्च, 2002	122
5.3	रायबरेली विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	1008/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.)	16 मार्च, 2002	125
5.4	फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	1009/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.)	16 मार्च, 2002	126
5.5	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	1010/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.)	16 मार्च, 2002	127
5.6	आगरा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	1011/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.)	16 मार्च, 2002	129
5.7	कानपुर विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।	1919/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.)	20 मई, 2002	130

Scanned with OKEN Scanner

5.8	लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में प्रस्तावित परिष्कारों/संशोधनों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	3366/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.)	09 अगस्त, 2002	131
5.9	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कारों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	3367/9-आ-1-29-विविध/98 (आ.ब.)	09 अगस्त, 2002	132
5.10	भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के विनियमन के सम्बन्ध में।	एम. 155/9-आ-3-2001/19 विविध/2001	26 फरवरी, 2002	133
5.11	भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के विनियमन के सम्बन्ध में।	3001/9-आ-3-2001/19 विविध/2001 (आ.ब.)	29 अगस्त, 2002	136
5.12	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वैशाली योजना के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों हेतु 2.5 एफ.ए.आर. अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।	1831/9-आ-3-2001 (आ.ब.) 29 विविध/2001	15 मई, 2002	139
5.13	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से कन्वीनिएन्स स्टोर्स की स्थापना हेतु मानक निर्धारण।	375/9-आ-3-2002-73-एल.यू.सी./2001	02 फरवरी, 2002	141
5.14	एयरफोर्स, एयरफील्ड तथा उसके इन्स्टालेशन के चतुर्दिक वाहय सीमा से 900 मी. की दूरी तक किसी प्रकार के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में।	पा.स.-4/9-आ-3-2002-5 विविध/2002	26 फरवरी, 2002	144
5.15	स्थानीय निकायों के कार्यालय भवनों में 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग' परियोजना लागू करने के सम्बन्ध में।	3887/440/9-आ-1-रेन वा. हार्वे. एवं ग्राउण्ड वा. रिचा./2002 (आ.ब.)	02 सितम्बर, 2002	145
5.16	औद्योगिक आस्थानों/औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के भवन मानचित्र का स्वतः अनुमोदन निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में।	3139/9-आ-3-2002-141 काम्प/2002	12 नवम्बर, 2002	146
5.17	'बारात घर'/'उत्सव भवन' के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण।	5451/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.)	28 नवम्बर, 2002	148
5.18	मथुरा महायोजना में वृन्दावन-छटीकरा मार्ग पर 'आश्रम, मठ एवं धार्मिक स्थल' पर वास्तुकला नियन्त्रण हेतु प्राधिकरण को संस्तुति देने हेतु, आर्किटेक्ट्स की समिति के गठन के सम्बन्ध में।	1614/9-आ-3-2 एल.यू.सी./99 टी.सी.	18 मई, 2002	150
5.19	मथुरा महायोजना में वृन्दावन छटीकरा मार्ग पर आश्रम, मठ एवं धार्मिक स्थल के वास्तुकलात्मक नियन्त्रण के लिए प्राधिकरण को संस्तुति देने हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।	4777(1)/9-आ-3-2002-02 एल.यू.सी./99	18 दिसम्बर, 2002	151
5.20	सेलुलर मोबाईल टावर के निर्माण के शमन के सम्बन्ध में।	6316/9-आ-3-99-100वि./97	10 दिसम्बर, 1999	153
5.21	सेलुलर मोबाईल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विकास क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवन	63/9-आ-3-2000-100वि./97	27 फरवरी, 2002	154

अथवा भूमि या भवनों के वर्ग में कतिपय शर्तों पर छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।			
5.22 सेलुलर मोबाईल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विकास क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवन अथवा भूमि या भवनों के वर्ग को धारा-14/15 का तद्विषयक नियमों/विनियमों/उपविधियों निर्देशों में कतिपय शर्तों पर छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।	540/9-आ-3-2002-240 काम्प/2001	08 फरवरी, 2002	156
5.23 सेलुलर मोबाईल संविसेज के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विकास क्षेत्रों में कतिपय शर्तों के अधीन टावर निर्माण हेतु धारा-14/15 व उसके अधीन बनाये गये नियम-विनियम में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	537/9-आ-3-2002-240 काम्प/2001	08 फरवरी, 2002	157
5.24 नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाईल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किया जाना।	539/9-आ-3- 2002-240 काम्प/2001	08 फरवरी, 2002	158
5.25 नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाईल फोन के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।	2896/9-आ-3-2002-240 काम्प/2001	27 जुलाई, 2002	159
5.26 सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना।	3262/9-आ-3-2002-100 विविध/97	27 अगस्त, 2002	160
6. अनाधिकृत निर्माण शमन			**161—192**
6.1 स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत क्रय-योग्य एफ.ए.आर. के शमन हेतु नीति निर्धारण।	1171/9-आ-1-2002-120 विविध/98 (आ.ब.)	22 मार्च, 2002	161
6.2 स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत पूर्ण भू-उपयोग परिवर्तन के कार्नर के भूखण्डों में साइड सैट-बैक के सम्बन्ध में।	2285/9-आ-1-97 डी.ए./81 (आ.ब.)	11 जून, 2002	163
6.3 भवन उपविधि-2002 के परिपेक्ष में शमन उपविधि को संशोधित किये जाने हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में।	2525/9-आ-1-29 विविध / 98 (आ.ब.)	22 जून, 2002	165
6.4 अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण हेतु सरल शमन योजना, 2002 लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	3478/9-आ-1-2000-97 डी.ए./2002 (आ.ब.)	14 अगस्त, 2002	166
6.5 सरल शमन योजना, 2002 के कतिपय प्राविधानों में संशोधन के सम्बन्ध में।	679/9-आ-1-2002-97 डी.ए./2002 (आ.ब.)	21 अगस्त, 2002	189
6.6 सरल शमन योजना, 2002 के अन्तर्गत शमन शुल्क की दरों के पुनरीक्षण एवं योजना की अवधि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।	4982/9-आ-1-2000-97 डी.ए./2002 (आ.ब.)	31 अक्टूबर, 2002	191

Scanned with OKEN Scanner

7. शुल्क/फीस निर्धारण

193–208

7.1	महायोजनान्तर्गत विद्यमान भू-उपयोगों हेतु सर्किल रेट निर्धारित न होने की स्थिति में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना के सम्बन्ध में।	473/9-आ-3-26-एल.यू.सी./91	04 फरवरी, 2002	193
7.2	स्कूल/शिक्षण संस्थाओं से भूखण्ड के क्षेत्रफल के बजाय निर्मित क्षेत्र के आधार पर विकास शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में।	538/9-आ-3-2002-240 काम्प/ 2001	08 फरवरी, 2002	197
7.3	मानचित्र बनाये जाने की फीस की दरों का पुनरीक्षण।	1656/9-आ-3-2002-145 टी.वी.पी./65	24 जून, 2002	198
7.4	विभिन्न समाचार पत्रों में आवास विकास परिषद, विभिन्न विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों की दरों का निर्धारण किए जाने के सम्बन्ध में।	2533/9-आ-2-2002	03 सितम्बर, 2002	200
7.5	सार्वजनिक संस्थानों के भवन मानचित्रों की स्वीकृति में शुल्कों में रियायत दिये जाने के सम्बन्ध में।	3399/9-आ-3-2002-27 काम्प/97	19 अक्टूबर, 2002	202
7.6	भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर ली जाने वाली अम्बार फीस की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।	4416/9-आ-3-98-33 काम्प/98	08 नवम्बर, 2002	204
7.7	भवन निर्माण मानचित्र पर लिए जाने वाले अम्बार फीस की दरों का निर्धारण।	2120/9-आ-3-2002-33 काम्प/ 98 टी.सी.	28 नवम्बर, 2002	206
7.8	सरकारी कर्मचारियों पर अनिर्माण शुल्क आरोपित न किये जाने के सम्बन्ध में।	4605/9-आ-5-93-54डीए/91	04 सितम्बर, 1993	207

8. विकास/निर्माण योजनाएं

209–214

8.1	अवस्थापना सुविधाओं के ब्लू-प्रिन्ट कार्यान्वयन, समीक्षा तथा सांमजस्य हेतु नगर स्तरीय समितियों में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।	2293/9-आ-1-ब्लू-प्रिन्ट/ 2002/आ.ब.	11 जून, 2002	209
8.2	मा. मंत्री, आवास एवं नगर विकास विभाग द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के ब्लू-प्रिन्ट 2002-03 के कार्यों की प्रगति समीक्षा का कार्यक्रम।	3997/9-आ-1-ब्लू-प्रिन्ट-मंत्री जी/ 2002 (आ.ब.)	05 सितम्बर, 2002	210
8.3	आई.डी.एस.एम.टी. योजना के क्रियान्वयन हेतु समीक्षा व्यवस्था विषयक।	2333/9-आ-1-आई.डी.एस.एम.टी./ 2002 (आ.ब.)	17 जून, 2002	211
8.4	संगठित विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन।	2772/9-आ-1-21 आई.डी.एस. एम.टी./2002	04 सितम्बर, 2002	213

Scanned with OKEN Scanner

9. वित्तीय प्रबन्धन			215—235
9.1 प्रदेश में स्थापित निगमों, उपक्रमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की स्वायत्तशासी संस्थाओं, निधियों, सस्थानों द्वारा सरप्लस फण्डस के विनियोजन के सम्बन्ध में।	बी-1-019/दस- 2002-91/2001	14 जनवरी, 2002	215
9.2 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय व्यय पर अनुमोदन।	462/9-आ-2-2001/14 एच.बी. (2001)	26 फरवरी, 2002	216
9.3 इन्फ्रास्ट्रक्चर खाते की धनराशि को व्यय करने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष के सम्बन्ध में।	2292/9-आ-1-इन्फ्रस्ट्रक्चर / 2002/आ.ब.	11 जून, 2002	218
9.4 प्राधिकरण द्वारा एस्क्रो-एकाउन्ट खोलने के सम्बन्ध में।	2695/9-आ-1-एस्क्रो-एकाउन्ट/ 2002 (आ.ब.)	2 जुलाई, 2002	219
9.5 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों के आयकर दाताओं की श्रेणी में आने से सम्बन्धित।	4390/9-आ-1-आयकर/2002	24 सितम्बर, 2002	220
9.6 प्राधिकरणों के लिए वित्त प्रबन्धन परामर्शदाता के क्रिया कलापों में संशोधन।	563/आ.ब.-2/विकास-प्रबन्धन परामर्शदाता/2001	08 अक्टूबर, 2001	234
9.7 मैनेजमेन्ट आडिटर्स द्वारा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्/विकास प्राधिकरण तथा आवास बन्धु को भेजी जाने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट।	6069/आ.ब.-3/समन्वय-मैनेजमेन्ट आडिट/2001	08 अक्टूबर, 2001	235

10. सिस्टम सुधार			236—249
10.1 बोर्ड बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में। (उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्)	680/9-आ-2-(आ.ब.) बोर्ड बैठक/2001	01 मार्च 2001	236
10.2 बोर्ड बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में। (विकास प्राधिकरण)	1106/9-आ-1-(आ.ब.) बोर्ड बैठक/2001	01 मार्च, 2001	238
10.3 बोर्ड बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में। (विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण)	1107/9-आ-1-(आ.ब.) बोर्ड बैठक/2001	01 मार्च, 2001	240
10.4 आवास विभाग के विभिन्न कार्यो में गति एवं गुणवत्ता बनाये रखने हेतु टाप मैनेजमेन्ट ग्रुप (टी.एम.जी.) के गठन के सम्बन्ध में।	2090/9-आ-1-2002/वि./02	01 जून, 2002	242
10.5 नगरीय सेक्टर में विकास कार्यों की रणनीति बनाने हेतु एक्शन ग्रुप फार अर्बन स्ट्रेटजी (ए.जी़.यू.एस.टी.)के सम्बन्ध में।	890/9-2/2002	11 जुलाई, 2002	243
10.6 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।	2033/9-आ-3-2002-28 एन.एन./2002	26 जून, 2002	244
10.7 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियों के सम्बन्ध में।	4657/9-आ-3/2002	23 नवम्बर, 2002	246
10.8 प्रदेश के बाहर विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए किए जाने वाले दौरों के सम्बन्ध में विभागीय सचिव को सूचित किया जाना एवं दौरे के उपरान्त सम्बन्धित शासकीय प्रकरणों के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत किया जाना।	20 एम.एस./9-आ-2-2002	26 जून, 2002	247

Scanned with OKEN Scanner

10.9	विकास प्राधिकरणों की बैठक में भाग लेने तथा वहाँ की समस्याओं का शासन स्तर पर अनुश्रवण करने हेतु नोडल अधिकारियों की व्यवस्था के सम्बन्ध में।	2597/9-आ-1-2002-70 विविध/96	01 जुलाई, 2002	249
11.	**कार्मिक प्रबन्धन**			250–266
11.1	उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (रोजगार अवकाश) नियमावली, 2003 की अधिसूचना।	13/10/2002-का-1-2003	04 जनवरी, 2003	250
11.2	महायोजना एवं यातायात/परिवहन योजनाओं में समयबद्ध तरीके से संशोधित/रिवाइज किये जाने हेतु अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने के सम्बन्ध में।	245/9-आ-5-2002-4 विविधा/2002	04 फरवरी, 2002	256
11.3	उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ अंकित करने के सम्बन्ध में।	299/9-आ-5-2002-17 ई/99	08 मार्च, 2002	257
11.4	आवास विभाग में कार्यरत अधिकारियों के कार्य आवंटन सम्बन्धी आदेशों में संशोधन के सम्बन्ध में।	399(अधि.)/9-आ-6-2002	18 जून, 2002	264
11.5	आवास विभाग के केन्द्रीयित सेवा के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति वर्ष-2002	1294/9-आ-5-स्था./2002	26 जून, 2002	265
12.	**विविध**			267–283
12.1	टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता।	ए-1173/दस-2001-10(55) /2000	27 अप्रैल, 2002	267
12.2	सम्भावित बाढ़/जल भराव से सुरक्षा हेतु पूर्व तैयारियां एवं तत्सम्बन्धी कार्य योजना।	2065/9-आ-1-02-59-बैठक/98	27 मई, 2002	269
12.3	उ.प्र. में 'आपरेशन ग्रीन' को सफल बनाए जाने के सम्बन्ध में।	2309/9-आ-3-2002-23वि./99	25 जून, 2002	271
12.4	पर्यावरण सुधार एवं वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।	संख्या 1741/9-आ-2-पर्यावरण सुधार-वृक्षारोपण/2002(आ.ब.-2)	2 जुलाई, 2002	272
12.5	आवास विभाग के तीन प्राथमिकता बिन्दु।	1735/9-आ-2-प्राथमिकता बिन्दु/2002 (आ.ब.-2)	02 जुलाई, 2002	274
12.6	नई पत्रावलियां खोलने का निर्णय अधिकारी स्तर पर लिया जाना।	1549/43-2-2002-14/2(16)/02	15 जुलाई, 2002	277
12.7	बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रांगण में समान्य जन की सुविधा एवं स्मारक के रख-रखाव के सम्बन्ध में।	3915/9-आ-1-2002	02 सितम्बर, 2002	278
12.8	उत्तर प्रदेश सचिवालय के इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ते के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में	1501/10-5-2002-21(वि.-1)/85	05 अक्टूबर, 2002	279
12.9	आवास विभाग का नाम परिवर्तन।	718/9-आ-6- (अधि.)/2002	12 नवम्बर, 2002	281
12.10	विकास प्राधिकरण तथा आवास एवं विकास परिषद् के कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं का सत्यापन एवं मिलान।	5275/9-आ-1-2002-समीक्षा बैठक/407 (आ.ब.)	23 नवम्बर, 2003	283

Scanned with OKEN Scanner

सम्पत्ति प्रबन्धन

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2905/37-2-91-94एच0बी0/91

प्रेषक,

नीता चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-2 लखनऊः दिनाँक-25 नवम्बर, 1991

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3840/11-5-86-18मिस/78, दिनांक 4 जून, 1986 एवं शासनादेश संख्या-3090/11-5-18मिस/78, दिनांक-7 जुलाई, 1989 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 4 जून, 1986 में निम्न प्रकार से परिवर्तन किये जाते है :-

(1) आरक्षण की मद संख्या-5 में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, स्थानीय निकायों के कर्मचारी के लिये उपलब्ध 5 प्रतिशत आरक्षण के स्थान पर 2 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है।

(2) भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को 3 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाए।

कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 4 जून, 1986 को उक्त सीमा तक तात्कालिक प्रभाव से संशोधित समझा जाए।

भवदीय,
नीता चौधरी
विशेष सचिव।

संख्या :- 2905(1)/37-2-91-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग।
2. सचिव, सैनिक कल्याण विभाग।
3. मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-1
4. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

Scanned with OKEN Scanner

संख्या UO 123/9 आ 2 /2002

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गाँधी मार्ग,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक-23 दिसम्बर, 2002

विषय : उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 3840/11-5-86-18 मिस/78 दिनांक 4 जून 1986 एवं शासनादेश संख्या 2905/37-1-2-91 एच/91 दिनांक 25 नवम्बर, 1991 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 1991 में निम्न प्रकार से परिवर्तन किये जाते हैं:-

2- आरक्षण के मद-1 में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित 2 प्रतिशत आरक्षण में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 एवं आवास बन्धु उ0प्र0 के कार्मिक भी सम्मिलित होंगे।

3- उक्त आरक्षण का लाभ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के केवल उन्हीं नियमित कार्मिकों को मिल सकेगा जिन्होंने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो।

4- आवास बन्धु के केवल वहीं कार्मिक उक्त आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे जिन्होंने आवास बन्धु में कम से कम 2 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ा कर ली हो।

कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 1991 को उक्त सीमा तक तात्कालिक प्रभाव से संशोधित माना जाय।

भवदीय,
जे0एस0 मिश्र
सचिव।

संख्या :- UO 123 (1)/9-आ-2-2002-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, उ.प्र.।
2. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुभाग-1 एवं 2

आज्ञा से,
अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या : 1497 / शि0का0लख0 / 2002

प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक : 22.7.2001

विषय : कैम्प लगाकर लम्बित पड़े अनिबन्धित प्रलेखों की रजिस्ट्री कराने के संबंध में।

महोदय,

मुख्य सचिव महोदय ने वाराणसी, गोरखपुर एवं मेरठ की जोनल बैठकों में विभिन्न संस्थाओं जैसे विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, औद्योगिक विकास परिषद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नगर निगम, नगरपालिकाओं एवं मण्डी परिषद आदि में भारी संख्या में लम्बित पड़े अनिबन्धित प्रलेखों पर अप्रसन्नता व्यक्त की है और समस्त संबंधित को इस आशय के कठोर निर्देश दिये गये हैं कि आगामी माहों में विशेष कैम्प का आयोजन कर शत-प्रतिशत अनिबन्धित प्रलेखों की रजिस्ट्रियाँ कराई जायं। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एक ओर जहाँ अनिबन्धित प्रलेखों से नियमों का उल्लखंन होता है और राजस्व आय में घाटा होता है वहीं दूसरी ओर जनसाधारण को भारी परेशानी होती है और राजस्व आय में घाटा होता है वहीं दूसरी ओर जनसाधारण को भारी परेशानी होती है इसलिए यह आवश्यक है कि उक्त उद्देश्यों की पूर्ति एक अभियान के रूप में की जाय ताकि राजस्व की वृद्धि हो और जनसाधारण को भी राहत मिल सके।

2- प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, औद्योगिक विकास परिषद, नगर निकायों, मंडी परिषद आदि में भारी संख्या में अनिबन्धित प्रलेख पड़े हुए हैं। इनमें अच्छी खासी संख्या ऐसे प्रकरणों की है जिनमें आवण्टी पूरा पैसा जमा भी कर चुका है फिर भी उसकी सम्पत्ति की रजिस्ट्री नहीं हुई है। ऐसे प्रकरणों में बिना किसी विलम्ब के शत-प्रतिशत रजिस्ट्री करने में किसी प्रकार की कोई बाधा भी नहीं है। दूसरी कोटि में ऐसे प्रकरण आते हैं जिनमें हायर परचेज के माध्यम से सम्पत्ति आवंटित की गयी है और यह संज्ञान में आया है कि अधिकांश मामलों में किश्त जमा करने की अवधियाँ काफी पूर्व ही समाप्त हो गयी हैं। ऐसे मामलों में आवण्टी पर मूल अथवा ब्याज का बकाया लम्बित होना बताया जा रहा है। इन प्रकरणों की संख्या भी काफी अधिक है। इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु उक्त संस्थाओं को वन टाइम सेटलमेंट जैसी व्यवस्था अपनानी होगी ताकि आवण्टी की धन अदायगी के प्रकरण सुलझने के साथ रजिस्ट्री भी हो जाय।

3. आवास सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र संख्या : 2757/9-आ-1-02-57 डीए/02 दिनांक 6.7.02 द्वारा इस आशय के स्पष्ट निर्देश समस्त विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों को दिये है कि जब तक विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्तियों के विलेख निष्पादित न हो जाय तब तक भूमि/भवन का कब्जा आवण्टी को न दिया जाय। अग्रेतर यह भी निर्देश दिया गया है कि वर्ष 1998 से पूर्व विक्रय की गयी सम्पत्तियों के कब्जे बिना पंजीकृत विलेख निष्पादित कराये ही दिये गये है, उनके पंजीयन हेतु समयबद्ध रूप से कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही

Scanned with OKEN Scanner

की जाय। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों से भी अपेक्षा है कि वे अपने स्तर से प्रभावी आदेश जारी कर उपरोक्तानुसार अनिबन्धित प्रलेखों की रजिस्ट्रियाँ कराने के निर्देश सभी संबंधित को दें।

4. उक्तानुसार कैम्प लगाये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये जा रहे हैं।

- यथासंभव ये कैम्प शनिवार या रविवार को आयोजित किया जाय। इन दिवसों में रजिस्ट्री हेतु विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।
- जिलाधिकारी के दिशा-निर्देशन में कैम्प का आयोजन होगा।
- कैम्प स्थल की समुचित व्यवस्था (जैसे स्थल, कनात, टेबल,कुर्सी, बिजली-पानी, कर्मी आदि) प्रलेख निष्पादित करने वाली संस्थाओं द्वारा की जायेगी।
- स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के जनपदीय उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा कैम्प स्थल पर उपनिबन्धक, सहायकों, स्टाम्प वेन्डरों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी व वे सम्बन्धित संस्था के साथ समन्वय कर कैम्प का सफल आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
- लेखपत्र निष्पादित करने वाले विभागों व निबन्धन विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण कैम्प की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से स्थल पर उपस्थित रहेंगे।
- जिलाधिकारी द्वारा कैम्प में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
- इन कैम्पों के आयोजन का वृहद प्रचार-प्रचार किया जाएगा और लेखपत्र निष्पादित करने वाले विभाग कैम्प से पूर्व रजिस्ट्री सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं जैसे लेखपत्र तैयार कराना आदि कार्यवाही युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर पूर्ण कर लेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक कैम्प में कम से कम 100 रजिस्ट्री अवश्य हों ताकि इसका अच्छा संदेश जाये।
- जिलाधिकारी अपने जनपद में सम्बन्धित विभागों से विचार-विमर्श कर कैम्प आयोजन का एक कैलेन्डर बना लेंगे जो संस्थावार होंगे व शत-प्रतिशत रजिस्ट्री कराने के उद्देश्य के दृष्टिगत अनवरत् रूप से चलाए जाएंगे।

तत्क्रम में यह अनुरोध है कि आप अपने जनपद में समस्त सम्बन्धित विभागों/अधिकारियों के साथ समन्वय कर युद्ध स्तर पर विशेष अभियान की रूप-रेखा व रणनीति बनाते हुए प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को समय-समय पर शिविर कार्यालय के निम्न पते/फैक्स नम्बर पर सूचित करने का कष्ट करें ताकि प्रगति की जानकारी शासन व मुख्य सचिव महोदय को उपलब्ध करायी जा सके।

कार्यालय पता

शिविर कार्यालय, महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0
विश्वास मार्केट, विश्वास खण्ड-3, गोमतीनगर
लखनऊ।
फैक्स नम्बर :-0522-308696, 308713

भवदीय
प्रभास कुमार झा
महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प
उत्तर-प्रदेश, शिविर-लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

संख्याः 1497(1-17)/शि0का0लख0/2002

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, कर एवं निबन्ध्यान, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तर-प्रदेश शासन लखनऊ।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर मा0 मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा / ग्रेटर नोएडा।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कानपुर।
10. आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
11. निदेशक, मण्डी परिषद, लखनऊ।
12. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश।
15. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर-प्रदेश।
16. अपर महानिरीक्षक निबन्धन (प्रशासन/प0 क्षेत्र) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
17. मुख्यालय/शिविर कार्यालय लखनऊ की गार्ड फाइल पर चस्पा करने हेतु।

प्रभास कुमार झा
महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प।
उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या : 117 / शि0का0लख0 / 200

प्रेषक,

आयुक्त स्टाम्प एवं महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश शिविर लखनऊ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
कानपुर विकास प्राधिकरण।
कानपुर।

दिनांक : 09.08.20

विषय : संविदा के आधार पर होने वाले कार्यों हेतु आवश्यक स्टाम्प शुल्क लिये जाने के संबंध में

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या: 1808/लेखा/का.वि.प्रा./2001-02 दिनांक 27.03.2002 का संदर्भ लें, जिसके द्वा मा0 उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा रिट पिटीशन संख्या 10209/2002 में पारित आदेश दिनांक 13.03.20 का उल्लेख किया गया है। इस आदेश में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के शेडयूल-1-बी के आर्टिकल 57 के तहत स्टाम्प शुल्क लेने के निर्देश दिये गये हैं। इस आदेश में उक्त निर्णय को उद्धरित करते हुए यह कहा गया है कि प्राधिकरण में होने वाले कार्यो की संविदा हेतु केवल 100 रुपये के स्टाम्प ही लिये जायेंगे।

इस प्रकरण पर दिनांक 04.08.2002 को प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर-प्रदेश शासन की अध्यक्षता में कानपुर में आहूत बैठक में विचार-विमर्श हुआ जिसमें विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग जिलाधिकारी आदि उपस्थित थे। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि विकास प्राधिकरण कानपुर को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क सम्बन्धी प्रकरण पर आदेश करने का अधिकार नहीं है। अतः उक्त आदेश अवैधानिक है। सम्बन्धित प्रकरण को कलेक्टर स्टाम्प को संदर्भित किया जाना चाहिए था जिनके स्तर से स्टाम्प शुल्क अवधारण की अधिकारिता है।

इस सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा-6 भी दृष्टव्य है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट शेडयूल 1-ए, या 1-बी0 के कई आर्टिकल से आच्छादित है तो ऐसी स्थिति में अधिकतम दर वाले आर्टिकल के प्राविधान ही लागू होंगे।

ए0आई0आ0 1978 इलाहाबाद पृष्ठ 443 स्पेशल बेंच द्वारा मेसर्स रामचन्द्र शुगर मिल्स बनाम, उत्तर-प्रदेश सरकार में यह अवधारित किया गया है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (iv) में मार्गेज डीड परिभाषित किया गया है और जो मार्गेज डीड उक्त परिभाषा से आच्छादित है उन पर शेडयूल 1 बी का आर्टिकल 40 लागू होगा।

Scanned with OKEN Scanner

The deed in question, therefore, in our opinion, will fall within the definition of mortgage-deed contained in S2(17) of the Stamp Act; and as it is nobody's case that the possession of the properly has been transferred, cl (b) of Art, 40 of Sch. 1-B shall be applicable.

जहाँ तक रिट सं0 10209/2002 में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2002 का प्रश्न है वह अन्य मामलों में नजीर नहीं बन सकता।

उपर्युक्त के आधार पर अनुरोध है कि ऊपर वर्णित अपने आदेश को वापस लेने का कष्ट करें और नियमानुसार कार्यो के संविदा पर स्टाम्प शुल्क लेने का कष्ट करें।

भवदीय
प्रभास कुमार झा
महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प
उत्तर-प्रदेश, शिविर-लखनऊ।

संख्या: 117(1-2) / शि0का0लख0 / 2002

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभारी सचिव, शुक्लागंज उन्नाव विकास प्राधिकरण उन्नाव।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

(प्रभास कुमार झा)
महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प।
उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या : 119/शि0का0लख0/2002

प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
एवं स्टाम्प आयुक्त, उ0प्र0,
शिविर लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),**
   उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,**
   एवं उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प,
   उत्तर प्रदेश।
5. **समस्त उप निबन्धक,**
   उत्तर प्रदेश।

दिनांक : 14-08-2002

विषय : स्टाम्प एवं निबन्धन सम्बन्धी उत्तरदायित्व एवं विभिन्न प्रकार के विलेखों पर स्टाम्प की प्रभार्यता सम्बन्धी मार्गदर्शिका।

महोदय,

विगत माहों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्व वसूली से संबंधित आयोजित बैठकों से यह प्रकाश में आया कि जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण स्टाम्प व निबन्धन संबंधी वर्तमान में प्रभावी अद्यतन विधियों/नियमों/शासनादेशों से भलीभाँति भिज्ञ नहीं हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में भारी मात्रा में करापवंचन हो रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त प्राविधानों का कड़ाई व सख्ती से अनुपालन करने व करवाने हेतु अपेक्षित प्रशासनिक क्षमता व इच्छा शक्ति का अभाव भी देखा गया। जनपद व मण्डल स्तर पर होने वाली टास्क फोर्स बैठकों को भी रूटीन व सतही पाया गया।

इन कुप्रवित्तयों के कारण जनपदों व प्रदेश में विधि-व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकी है और इसका सीधा फायदा कर की चोरी करने वाले तत्वों को हो रहा है। इससे सहज में अपराध बढ़ता है और विभागों में कदाचार बढ़ता है। दूसरी ओर जनपद/प्रदेश के राजस्व के 'पोटेंशियल' के सापेक्ष राजस्व वसूली काफी कम होती है जिससे प्रदेश के विकास व अर्थोपाय स्थिति पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अत: इस सम्बन्ध में जन सामान्य, विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा निष्पादित विलेखों पर स्टाम्प प्रभार्यता व विभागीय अधिकारियों के दायित्वों के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शिका नीचे दी जा रही है। इसका अध्ययन, प्रचार-प्रसार व प्रभावी अनुपालन अपेक्षित है।

Scanned with OKEN Scanner

1- **"लोक आफिसर"**

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2001, (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-38 सन् 2001) द्वारा 20 मई 2002 से प्रवृत्त अधिसूचना द्वारा जोड़ी गयी धारा-2-22 (क) में लोक-आफिसर परिभाषित किया गया है। इसके अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा-2(17) में यथापरिभाषित लोक-आफिसर के अतिरिक्त उ0प्र0 के कानूनी निकाय, प्राधिकरण व उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-5 के खण्ड (ट) में यथापरिभाषित कोई "वित्त पोषक बैंक" या "केन्द्रीय बैंक" के कार्यकलापों के संबंध में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी को भी लोक आफिसर माना गया है।

परिणाम-स्वरूप केन्द्र व प्रदेश के समस्त विभागों/निकायों/प्राधिकरणें/अदालतों/संस्थाओं/उपक्रमों/बैंकों के आफिसरों आदि का कर्तव्य हो गया है कि वे स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 व 35 के अधीन वर्णित संविधिक कारवाई सुनिश्चित करें। प्रमुख रूप से ऐसे आफिसरों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाले विलेखों के आधार पर कार्यवाही करनी होती है तथा इस कार्यवाही हेतु ऐसे विलेखों को समुचित रूप से स्टाम्पित होने को देखने का दायित्व उनके ऊपर आ गया है। लोक-आफिसरों को स्टाम्प अधिनियम के वर्तमान में प्रभावी प्राविधानों, स्टाम्प ड्यूटी की दर, स्टाम्पों का वैध व सही होना आदि की जाँच व इनके अपने कार्यालय में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है। समुचित रूप से स्टाम्प के मुद्राकिंत न पाये जाने पर ऐसे विलेखों पर लोक अधिकारी धारा-33 व 38 के प्राविधानों का कठोर व प्रभावी अनुपालन सु निश्चित करेंगे। इसका परिणाम यह है कि समस्त लोक-आफिसर अपने कृत्यों के निष्पादन में उपरोक्त प्राविधानों के अनुपालन हेतु बाध्य है। यदि लोक आफिसर के खिलाफ उक्त दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, पक्षकारों के साथ संलिप्तता आदि का आरोप पाया गया तो ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक या अन्य प्रकार की कार्यवाही हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कार्य अनुबंध, ठेका, पट्टा, लीज अथवा नामान्तरण आदि विलोखों का निष्पादन हो, उसके यथाविधि स्टाम्प की पक्षकारों से अनिवार्य अदायगी सुनिश्चित की जायेगी। यदि पक्षकार कम स्टाम्प देता है तो तत्काल विलेख को अवरूद्ध/जब्त कर कलेक्टर को स्टाम्प वाद दायर करने हेतु भेजा जायेगा। साथ ही, सही व वास्तविक स्टाम्प लगे हैं या नहीं, स्टाम्प का श्रोत वैध है या नहीं, प्रथमदृष्टया संदिग्ध है या नहीं, इसकी भी सघन जाँच लोक-आफिसर द्वारा अपने कार्यालय/दायित्व के अन्तर्गत सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त प्राविधानों से जनपद/संस्थाओं आदि के समस्त लोक-आफिसरों को अवगत करा दें। इस हेतु उन्हें उपरिवर्णित एक्ट के प्राविधानों की जानकारी देकर उनकी प्राप्ति ले लें। जनपद के स्टाम्प कलेक्टर की हैसियत से उन्हें पूरी तरह भिज्ञ बनायें, वर्क-शाप/बैठक कर लें ताकि भविष्य में कोई विभाग/अधिकारीगण अपने उत्तरदायित्वों से बच न सकें। उन्हें पूर्व वर्ष के मामलों में भी जहाँ अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई है, अभियान चलाकर पूर्ण करने को निदेशित करें। साथ ही, स्टाम्प कलेक्टर के दायित्वों का निर्वहन करते हुए दफ्तरों, कार्यालयों, बैंकों आदि की जाँच करवाते रहें ताकि किसी स्तर पर एक्ट के प्राविधानों का उल्लंघन न हो। इस प्रकरण में जिन लोक-आफिसरों के विरूद्ध कार्रवाई की जानी आवश्यक हो, उसे भीर प्रस्तावित करें।

2. निकायों / प्राधिकरणों / उपक्रमों / परिषदों द्वारा विकसित परिसम्पत्तियों / विकास कार्यों के सम्बन्ध में।

विभिन्न विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर परिषदों/आवास विकास परिषद/औद्योगिक विकास निगमों, मंडी परिषद/जिला पंचायतों आदि द्वारा अपनी-अपनी सम्पत्तियों के विकास हेतु निजी व्यक्तियों, बिल्डरों आदि के साथ अनुबन्ध किया जाता है। ऐसे कथित अनुबन्धों, कांट्रेक्टरों ममोरेण्डा आफ अण्डरस्टैंडिंग आदि पर स्टाम्प एक्ट के शेड्यूल 1-बी के आर्टिकल 5 की दरों पर स्टाम्प ड्यूटी ली जायेगी। यदि पूर्व में ऐसे विलेखों पर स्टाम्प शुल्क नहीं लिये गये हों तो तत्काल स्टाम्पवाद दायर हो और यथोचित शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाय। इसी प्रकार उक्त संस्थाओं द्वारा अपने विकसित प्लाटों, मकानों, फ्लैटों, दुकानों को कैश डाउन/सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम/हायर परचेज टीनैसी एग्रीमेन्ट आदि के आधार पर आवंटियों को सम्पत्ति का कब्जा/स्वामित्व दिया जाता है। ऐसे अन्तरणों पर

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के शेड्यूल 1-बी के आर्टिकल 23 (क) के अधीन स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। इस सम्बन्ध में यह द्रष्टव्य है कि उक्त व्यवस्था यू0पी0 एक्ट नं0 22/98 से प्रभावी हुई। इसके पूर्व के हजारों ऐसे अन्तरण हैं, जिनपर पूरी स्टाम्प शुल्क देयता के बावजूद विलेखों की विधिवत रजिस्ट्री अब तक नहीं हुई है। इस संबंध में आवास विभाग के शासनादेश संख्या-2757/9-आ0-1-02-57 डीए/02 दिनांक 6.7.2002 व शासनादेश संख्या 3058/9-आ-1-02-57 डीए/02 दिनांक 20.07.2002 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को कठोर निर्देश दिये गये है कि वर्ष 98 के पूर्व की ऐसी समस्त सम्पत्तियाँ जिनके कब्जे बिना पंजीकृत विलेख निष्पादित कराये दे दिये गये हैं, उनके पंजीयन हेतु समयबद्ध कार्यवाही की जाय। वर्ष 98 के उपरान्त बिना रजिस्ट्री कराये आवंटी को कब्जा न देने के भी निर्देश दिये गये हैं। साथ ही, यह भी निर्देशित किया गया है कि आवंटियों द्वारा अन्तिम किश्त की अदायगी के उपरान्त 30 दिन के भीतर विलेख पंजीकृत कराये जायें। जिन भूखण्डों/भवनों का आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है और अन्तिम किश्त का भुगतान नहीं हुआ है, उनमें तुरन्त नियमानुसार अवशेष धनराशि जमा कराकर निबन्धन की कार्यवाही की जाय। महानिरीक्षक निबन्धन के पत्र संख्या 1497/शि0का0लख0/2002 दिनांक 22.7.2002 द्वारा इस अनुक्रम में नियमित 'कैम्प' लगाकर रजिस्ट्री करने के निर्देश दिये गये है। महानिरीक्षक निबन्धन के पत्रांक 1587/शि0का0लख0/2002 दिनांक 30.07.2002 द्वारा **'स्ववित्त पोषित योजनाओं'** में भूमि व भवन दोनों के मूल्य पर लेखपत्र निष्पादित कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त व्यवस्थाएं निजी बिल्डरों द्वारा विकसित सम्पत्तियों पर भी लागू होगी।

3. निजी बिल्डरों/सहकारी आवास समितियों के प्लाटों/भवनों/दुकानों का निबन्धन

यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्राइवेट बिल्डर्स, कोआपरेटिव आवास सोसायटी आदि भूमि क्रय कर उस पर बहुखंडीय भवनों, दुकानों आदि का निर्माण कर विक्रय करते हैं और बिना रजिस्ट्री कराये कब्जा हस्तांतरित कर देते हैं। कहीं-कहीं ऐसे प्रकरणों में केवल भूमि के आनुपातिक भाग का निबन्धन कराया जाता है और लेखपत्र में यह लिखा जाता है कि फ्लैट/दुकान बनाने का इकरानामा करके निर्माण कराया गया है और निर्माण पर स्ववित्त पोषित प्रणाली के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क नहीं अदा किया जाता। किन्हीं प्रकरणों में पूरा निर्माण ही छिपा लिया जाता है। इस सम्बन्ध में उपरवर्णित परिपत्र संख्या 1587/शि0का0लख0/2002 दिनांक 30.7.2002 में वर्णित शासनादेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में भूमि/भवन/दुकान के मूल्य पर स्टाम्प शुल्क देय होगा। साथ ही, उक्त परिपत्र में पूर्व के रजिस्ट्रीकृत मामलों में भी शतप्रतिशत कमी स्टाम्प का वाद दायर करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही, उक्त कृत्य स्टाम्प एक्ट की धारा 27 के प्राविधानों के विपरीत होने के कारण धारा 64 एवं 64-बी में दण्डनीय है, जिसका प्रयोग उपरोक्त मामलों में किया जाय।

(ख) निजी बिल्डरों द्वारा भी भारी संख्या में 98 के पूर्व व उपरान्त बिना रजिस्ट्री कराये मकानों/दुकानों के कब्जें दे दिये गये हैं। इनमें भी सघन छानबीन कर पूरी स्टाम्प देयता सुनिश्चित की जाय और 'कैम्प' लगाकर रजिस्ट्री की जाय।

(ग) यह भी देखने में आया है कि बिल्डरों द्वारा भूमि को क्रय करने सम्बन्धी विलेखों का निष्पादन नहीं कराया जाता, वरन् मुखतारनामे के द्वारा उक्त भूमि प्राप्त करते हैं या प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से अपने पक्ष में इन्हें एम0ओ0यू0/कांट्रैक्ट आदि पर लेकर कब्जा ले लेते हैं। इस प्रकार के समस्त विलेखों पर शेड्यूल 1-बी के यथाविधि आर्टिकल 5, 23 (क), 35 के अन्तर्गत पूर्ण स्टाम्प शुल्क देय है, अतः शत प्रतिशत मामलों में ऐसे मामलों में पूर्ण स्टाम्प शुल्क लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(घ) स्टाम्प अधिनियम की धारा 73-क के अधीन कलेक्टर को निरीक्षण करने व अभिलेख प्राप्त करने का अधिकार है जिसका इन प्रकरणों में प्रभावी उपयोग किया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

4. (क) मुख्तारनामें विलेख का स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता

स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(21) के अन्तर्गत मुख्तारनामा की परिभाषा के अनुसार मुख्तारनामें में ऐसा कोई विलेख शामिल है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति को निष्पादनकर्ता की ओर से या उसके नाम से कार्य करने का अधिकार दिया जाय। मुख्तारनामे के विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की देयता स्टाम्प शुल्क की देयता स्टाम्प अधिनियम के शेड्यूल 1-बी के आर्टिकल 48 के अन्तर्गत वर्णित है। इसके अनुसार पाँच से अधिक व्यक्तियों को अधिकृत करने पर रूपया 100/- का स्टाम्प शुल्क व जब प्रतिफल के उपलक्ष्य में यह अधिकार दिया जाय और मुख्तार को कोई अचल सम्पत्ति विक्रय करने हेतु अधिकृत किया जाय तो इस पर प्रतिफल की धनराशि पर स्टाम्प शुल्क देय होता है। यदि मुख्तार को अचल सम्पत्ति विक्रय करने का अखंडनीय अधिकार दिया जाय तो विषय वस्तु के बाजारी मूल्य पर स्टाम्प शुल्क देय होगा।

यह संज्ञान में आया है कि मुख्तारनामे की आड़ में सहकारी आवास समितियाँ, प्रापर्टी डीलर आदि भूमि का हस्तांतरण प्राप्त करते है और प्रतिफल के एवज भूमि का कब्जा ले लेते हैं परन्तु मुख्तारनामे के लेखपत्र में प्रतिफल की धनराशि को कोई उल्लेख नहीं करते। इस प्रकार वे भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघ करते है। वास्तव में इस प्रकार के विलेख द्वारा भूमि का अंतरण होता है और उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भारी अपंवचन होता है। इस प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना आवश्यक है क्योंकि प्रतिफल दिये जाने के उपरान्त भी विधिक रूप से सम्पत्ति पर स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता।

इस परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये जाते है कि निबन्धन अधिकारी/ए0आई0जी0/डी0आई0जी0/ए0डी0एम0(एफ एण्ड आर)/डी09एम0 यह सुनिश्चित करें कि यदि मुख्तारनामे के द्वारा प्रथम श्रेणी रक्त संबंध के अतिरिक्त किसी अन्य को मुख्तार बनाया जाता है तो उसमें कब्जा/प्रतिफल आदि से संबंधित मामलों की छानबीन सुनिश्चित करें और जिन प्रकरणों में कब्जा/प्रतिफल हस्तांतरण हुआ है, उनमें स्टाम्प एक्ट की धारा 27/64/64 बी के तहत नोटिस देकर कार्यवाही की जाय।

शासनादेश संख्या क0नि0-5-5515/11-2000-500(118)/200 दिनांक 30.9.2000 में यह कहा गया है कि एक मुख्तार आम द्वारा दूसरे व्यक्ति के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित कर पंजीकरण हेतु विलेख प्रस्तुत किया जाता है। जिससे अवैध अन्तरण बढ़ते है और कर चोरी होती है। उक्त शासनादेश द्वारा इस प्रकार के एटार्नी से एटार्नी को स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रकार के लेखपत्रों के पंजीकरण को निषिद्ध किया गया है। इस आदेश का भी कठोरतापूर्वक अनुपालन आवश्यक है।

(ख) कई विलेखों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क की चोरी

यह संज्ञान में आया है कि स्टाम्प शुल्क की चोरी के उद्देश्य से इकरारनामा, मुख्तारनामा व वसीयत जैसे विलेखों का प्रयोग कर सम्पत्ति पर पूरा कब्जा/उपभोग स्वामी की तरह किया जाता है, और वास्तविक प्रतिफल/कब्जा को छुपाया जाता है। ऐसे प्रकरणों की शत प्रतिशत छानबीन की जाय और यथावश्यकता उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होने पर स्टाम्प एक्ट की धारा 27/64/64 बी के तहत कार्यवाही की जाय।

5. <u>लोक निर्माण विभाग/सिंचाई स्थानीय निकायों/जिला पंचायती/कार्यदायी संस्थाओं के ठेकों/कार्य अनुबन्ध पर स्टाम्प प्रभार्यता</u>

लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/स्थानीय निकायों व अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विकास कार्य आदि के लिये दिये जाने वाले ठेकों पर प्रतिभूति धनराशि के अनुबन्ध पत्रों पर शेड्यूल 1-बी आर्टिकल 40 के तहत यथोचित स्टाम्प अदा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। इसके लिये इन विभागों से विगत पाँच वर्षो में जो निविदाओं के अनुबन्ध हुये है, उनकी सूचनाएँ मंगाकर अनुबन्ध पत्रों पर अदा की गयी स्टाम्प ड्यूटी का परीक्षण कर लिया जाय तथा आगामी निविदाओं के अनुबन्ध में यथोचित स्टाम्प की अदायगी सुनिश्चित की जाय इस प्रसंग में शासनादेश

Scanned with OKEN Scanner

क0स0वि0-5-714/11-99 दिनांक 12.4.99 तथा कनि0-5-3283/11-2001-500(60)/2001 दिनांक 18.9.2001 का पालन सुनिश्चित कराया जाय। इन शासनादेशों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कार्य निविदा के अनुबन्ध में प्रतिभूमि धनराशि नकद जमा करने पर अनुच्छेद-40 (क) के अधीन 125 रुपये प्रति हजार की दर से, फिक्स डिपाजिट रिसीट, एनएससी, किसान विकास पत्र आदि के रूप में प्रतिभूति दिये जाने की दशा में अनुच्छेद 57 के अनुसार 100 रूपये, तथा बैंक से कार्य सम्पादित होने की गारन्टी दिलाये जाने वाले विलेख पर अनुच्छेद 12-क के अधीन 5 रूपये प्रति हजार जो 10000 रूपसे से अधिक न होगी देय है। इन प्राविधानों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

इस सम्बन्ध में यह भी दृष्टव्य है कि कई स्तरों से मा0 उच्च न्यायालय के किन्हीं निर्णयों के क्रम में यह जिज्ञासा आयी है कि मार्गेज विलेखों पर आर्टिकल 40 अथवा आर्टिकल 57 में वर्णित कौन सी दरें लगेंगी। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत यदि कोई विलेख शेड्यूल के एक से अधिक अनुच्छेदों से आच्छादित है तो अधिकतम दर वाला अनुच्छेद प्रभावी होगा। अतः तद्नुसार मार्गेज-डीड पर आर्टिकल 40 की दरें प्रभावी होंगी।

6- <u>(क) किरायेनामे पर स्टाम्प प्रभार्यता</u>

नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायतों द्वारा अपनी जिन सम्पत्तियों को किराये पर उठाया गया है उनके विलेखों की रजिस्ट्री विधिवत करायी गयी है या नहीं, इस बारे में प्रत्येक स्थानीय निकाय से गत पाँच वर्षों की सूचना मँगायी जाय।

यह संज्ञान में आया है कि मण्डी समितियों, जिला पंचायतों, नगर पालिका/परिषद आदि द्वारा अपनी सम्पत्तियों के किरायेनामे की रजिस्ट्री नहीं करायी जाती है। इस सम्बन्ध में इन संस्थाओं से विवरण माँगें जाये। यदि इस कार्य को नहीं किया गया है तो आगामी समय में इसे पूरा कराया जाय। इन किरायेनामों पर शेड्यूल 1-बी की आर्टिकल 35 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय है। इनकी कठोरता पूर्वक वसूली अपेक्षित है।

(ख) अध्यादेश संख्या 18 दिनांकित 29.12.2000 जो दिनांक 8.1.2001 से प्रभावी हुआ, द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 35 के द्वितीय परन्तुक को समाप्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप अब 1 साल से ऊपर व 5 साल से कम के किरायेनामों पर संशोधित अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

7. **बैंको सम्बन्धी स्टाम्प प्रभार्यता**

यह जानकारी की जाय कि किस बैंक की किस शाखा में 'डिपोजिट ऑफ टाइटिल डीड' तथा 'बैंक गारन्टी' के विलेख कितनी संख्या में करवाये जाते हैं तथा कौन-कौन सी शाखायें 'कैश क्रेडिट लिमिट' जैसी सुविधाओं के अनुबन्ध कर रही है। इन विलेखों में विधिक जानकारी न होने के कारण भी स्टाम्प अपवंचन की सम्भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। इस कार्य में अग्रणी बैंक प्रबन्धक की सेवायें ली जानी चाहिए। 'डिपोजिट आफ टाइटिल डीड' तथा 'बैंक गारन्टी' पर क्रमशः रूपया 5 प्रति हजार अधिकतम रूपया 10,000 की दर से स्टाम्प शुल्क देय होता है। 'कैश क्रेडिट लिमिट' के लिय डिपोजिट आफ टाइटिल डीड से भिन्न यदि 'साधारण रहननामा' लिखा जाता है तो ऐसे विलेख पर शेड्यूल 1-बी के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क आर्टिकल 40 के अनुसार प्रभार्य होता है। इस सम्बन्ध में गत पाँच वर्षो की सूचना माँग कर यह ज्ञात किया जाये कि कौन सी बैंक की कौन सी शाखा में इस प्रकार के डाक्यूमेन्ट कितनी संख्या में निष्पादित किये गये हैं। तद्नुसार इनमें पूर्ण स्टाम्प शुल्क की अदायगी सुनिश्चित करायी जाय। कई विभागों द्वारा अपनी योजनाओं में ऋण/वित्तीय सहायता के अनुबन्ध कराये जाते हैं। सामान्य अनुबन्धों हेतु आर्टिकल 5 (सी) के अधीन रूपये 100 का स्टाम्प शुल्क देय है। सम्पत्ति के रेहननामा पर आर्टिकल 40 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय होगा।

8. **शपथ पत्र**

एक्ट संख्या 22 सन् 1998 द्वारा सभी प्रकार के शपथपत्रों पर रूपये 10 का स्टाम्प शुल्क देय किया गया है। इससे पूर्व न्यायालयों के समक्ष न्यायिक कार्यवाही के अन्तर्गत दिये जाने वाले शपथ पत्र पर दो रूपये का स्टाम्प प्रभार्य था जो दिनांक 1.9.98 से अब सभी प्रकार के शपथ पत्रों पर केवल 10 रूपये किया गया है। अतः यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि सभी शपथ आयुक्त एवं नोटरी केवल तभी शपथ पत्र को अभिप्रमाणित करें जब वह दस रूपये के स्टाम्प शुल्क पेपर पर लिखा गया हो और सभी न्यायालयों, चाहे वे राजस्व न्यायालय हो या सिविल, में उन्हीं शपथ पत्रों को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाये जो दस रूपये के स्टाम्प पेपर्स पर लिखे व निष्पादित किये गये हों। इस आशय का एक निर्देश समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के मध्य वितरित करवा दिया जाय।

9. **खनन पट्टे**

खनन के पट्टों का निबन्धन करवाना सुनिश्चित कराया जाय। ऐसे विलेखों पर जितनी धनराशि पर मिट्टी/बालू/माइनर निरल खनन का ठेका दिया गया है उसको नजराना मानकर शेड्यूल 1-बी के आर्टिकल 35 बी के तहत रूपये 80 प्रति हजार की दर से स्टाम्प शुल्क देय होगा।

10. **ईंट भट्ठों के पट्टे**

ईंट भट्ठो के लिये मिट्टी के खनन के लिये जो अनुबन्ध किये जाते हैं और ईंट भट्ठे के लाइसैंस उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 1973 के अन्तर्गत दिये जाते हैं उसमें यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि भट्ठा मालिक द्वारा मिट्टी के खनन के लिये अनुबन्ध रजिस्ट्रीकृत कराया गया है और उस पर यथोचित स्टाम्प शुल्क दिया गया है। एसे विलेखों पर मिट्टी को खोदने के अधिकार का बैनामा या पट्टा लिखा जाता है जिस पर दिये गये मूल्य पर आर्टिकल 35-बी के अन्तर्गत 80 रूपये प्रति हजार की दर से स्टाम्प शुल्क देय होता है।

11. **मछली पालन के पट्टे**

विभिन्न ग्राम समाज के प्रबन्धन में तालाबों के, नदी क्षेत्र में मछली पालन हेतु पट्टे दिये जाते हैं जिसका निबन्धन नहीं करवाया जाता है। यदि पट्टा एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये है तो उसका भी निबन्धन आवश्यक है। इसे हेतु मत्स्य विभाग के अधिकारियों तथा उप जिलाधिकारी से जानकारी प्राप्त करके यह सुनिश्चित किया जाय कि मछली निकालने के ठेके की धनराशि पर 80 रूपये प्रति हजार की दर से स्टाम्प शुल्क अदा हो।

12. **नोटरीज के कार्यों की जाँच-पड़ताल**

नोटरीज के द्वारा किसी भी विलेख के प्रमाणीकरण का कार्य तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदा न कर दिया गया हो क्योंकि स्टाम्प एक्ट की धारा 35 निषेधात्मक है जिसमें विलेख के प्रमाणीकरण की भी तब तक मनाही है जबतक कि वह विलेख यथा स्टाम्पित न हो। नोटरीज के कार्यो का परीक्षण एस0डी0एम0/सहायक/उप महानिरीक्षक निबन्धन आदि से नियमित रूप से करवाया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि नोटरीज अचल सम्पत्ति के अन्तरण सम्बन्धी विलेखों का अभिप्रमाणीकरण करके आम जनता को गुमराह करने वाले दलालों का सहयोग तो नहीं कर रहे हैं। यदि किसी नोटरी के द्वारा गैर यथास्टाम्पित विलेख के अभिप्रमाणीकरण की कार्यवाही संज्ञान में आये तो तत्काल उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए न्याय विभाग व अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

13. **आयुध के लाइसेंस**

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसूची 1 (ख) के अनुच्छेद 38 क के अनुसार नवीन आयुध लाइसेंसों पर

Scanned with OKEN Scanner

भी स्टाम्प शुल्क देय है। इन प्राविधानों का भी कठोरता पूर्वक अनुपालन कराया जाय।

14. (क) वित्तीय संस्थाओं संबंधी प्रभार्यता

यू0पी0एफ0सी0 एवं पिकअप द्वारा जिन सम्पत्तियों को अपने ऋण की अदायगी न होने पर 'जो जैसा जहाँ है' के आधार पर बेचा जाता है, उनमें भूमि/भवन के अतिरिक्त सम्पत्ति की मशीनरी की मालियत पर स्टाम्प की अदायगी को सुनिश्चित किया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा निष्पादित बैनामों में बहुधा मशीनरी का उल्लेख नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी डन्कन इन्डस्ट्रीज के मामले में यह स्थापित किया जा चुका है कि जब प्लान्ट एवं मशीनरी किसी फैक्ट्री में लगी हुयी हो और वह फैक्ट्री 'जो जैसा जहाँ है' के आधार पर बेची जा रही है, तब ऐसी प्लान्ट एवं मशीनरी अचल सम्पत्ति की परिभाषा से आच्छादित होगी तथा विक्रय में उसके बाजारी मूल्य का आकलन करके स्टाम्प शुल्क भी देना होगा। अत: यदि ऐसा विलेख रजिस्ट्रेशन के लिये प्रस्तुत हो तो उप निबन्धन के स्तर से उस पर पहले प्लान्ट एवं मशीनरी का उल्लेख करने व उसके मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने का निर्देश पक्षकार को अवश्य दिया जाय और यदि पक्षकार उसका पालन नहीं करें तो ऐसे विलेख को रजिस्ट्री से पूर्व मूल्य निर्धारित के लिये अवश्य सन्दर्भित कर दिया जाय।

(ख) प्लान्ट एण्ड मशीनरी

जो भी मशीनरी या वस्तु भूमि पर स्थापित है, उसको अचल सम्पत्ति माना जायेगा। इस का सही मूल्यांकन विषय विशेषज्ञों स कराया जाय ताकि कर-चोरी नहो सके। कोल्ड स्टोरेज, मिल, फैक्टरी आदि इस श्रेणी में आते हैं।

15. रेवेन्यू रसीद

सभी विभागों को निर्देश जीरि हों कि वेतन वितरण में एक रूपये का रेवेन्यू स्टाम्प अवश्य लगवाया जाय। इसी प्रकार स्टाम्प एक्ट की धारा 2 (23) व शेड्यूल 1 आर्टिकल 53 में वर्णित रूपये 500 के मूल्य से अधिक की रसीदों पर एक रूपये का स्टाम्प लगवाना सुनिश्चित कराया जाय। इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय क्योंकि निजी/व्यापारिक/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की रसीदों पर भी एक रूपये का स्टाम्प देय होगा। इस हेतु रूपया एक के रेवेन्यू स्टाम्प की व्यापक सुलभता भी सुनिश्चित की जाय। बिजली विभाग/नगर निगम/व्यापार कर आदि के उपभोक्ताओं से भी रेवेन्यू टिकट लिये जायें।

16. भारतीय जीवन बीमा निगम/सामान्य बीमा निगम की स्टाम्प प्रभार्यता

यह तथ्य संज्ञान में आया है कि बीमा कम्पनियों/कार्यालयों द्वारा बीमा संबंधी स्टाम्प कोषागार से प्राप्त न कर अवैध श्रोतों से प्राप्त कर पॉलिसियों में प्रयोग किये जा रहे है जिससे शासन को भारी राजस्व क्षति हो रही है।

दृष्टव्य है कि स्टाम्प एक्ट के शेड्यूल-1 के आर्टिकल 44 (डी) के अन्तर्गत बीमा की पालिसियों पर स्टाम्प प्रभार्यता नियत है। इस सम्बन्ध में बीमा कम्पनियों के विगत पाँच वर्षो के अभिलेखों का परीक्षण कराया जाय व उपलब्ध स्टाम्पों की जाँच करायें कि वे जाली/फर्जी तो नहीं है, तथा यह भी ज्ञात करें कि गत पाँच वर्षों में इन संस्थाओं ने कहा व किस एजेन्सी से स्टाम्प प्राप्त किये। तत्क्रम में संदिग्ध स्टाम्प पाये जाने पर नासिक सिक्योरिटी प्रेस भेजकर जाँच करायें साथ ही, स्टाम्प के श्रोतों के संबंध में स्थिति संदिग्ध होने पर प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लायें। वर्तमान में बीमा कम्पनियों द्वारा कोषागार से ही स्टाम्प खरीदना सुनिश्चित किया जाय।

17. स्टाम्प वेण्डरों की जाँच

स्टाम्प वेण्डरों की नियमित, निरन्तर सघन जाँच अनिवार्य है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी है। इनके द्वारा स्थल पर बोर्ड/लाइसेन्स नम्बर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किय जायं। स्टाकों की नियमित जाँच हो। रजिस्टर का प्रत्येक 15 दिन पर निरीक्षण किया जाये और देखा जाय कि स्टाम्प किस प्रयोजन हेतु विक्रय किये जा रहे

Scanned with OKEN Scanner

और क्रय करने वालों के हस्ताक्षर अंकित है या नहीं। स्टाम्प वेंडर द्वारा अवैध रूप से स्टाम्पों की बिक्री तो नहीं की जा रही है, इसकी जाँच स्टाक/रजिस्टर सत्यापन से की जाय।

18. स्टाम्प पत्रों की ट्रेजरी से आपूर्ति व फर्जी स्टाम्पों की सघन जाँच

यह अनुमान है कि प्रदेश के बाहर व स्थानीय आपराधिक तत्व जाली/फर्जी स्टाम्प के चलन में लिप्त हैं। ऐसे गिरोहों की धर पकड़ की जाय। विशेष रूप से ऐसे गिरोह कोर्ट स्टाम्पों, इन्श्योरेन्स स्टाम्पों/ठेकों के स्टाम्पों आदि में सक्रिय हैं। इन कार्यालयों की सघन/नियमित जाँच पड़ताल की जाय। संदिग्ध स्टाम्पों को तुरन्त नासिक जाँच हेतु भेजा जाय। इस संबंध में समय-समय पर शासन व इस स्तर से आदेश जारी हुए हैं। वास्तविक स्टाम्पों की पहचान हेतु भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय के नवीनतम पहचान चिन्ह इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 118/693(पी)/2002-03 (55-56 दिनांक 9.8.2002 द्वारा जारी किये गये हैं। इनका जनसामान्य के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय। इसी प्रकार ट्रेजरी से पर्याप्त स्टाम्प का स्टाक रखने, तत्काल जनता को निर्गत करने व रूपये 1000 व अधिक के स्टाम्प पर ट्रेजरी आफिसर की मुहर, अन्य जनपदों से आये स्टाम्प की जाँच की व्यवस्था कठोर रूप से सुनिश्चित की जाय।

19. रेट लिस्ट

इस संबंध में समय-समय पर शासन/इस स्तर से निर्देश जारी हुए हैं। जनपदों में 1.4.2002/1.8.2002 से नयी रेट लिस्ट प्रभावी है। इसे 'नो प्राफिट नो लास' पर पुस्तिका के रूप में मुद्रित कराकर सर्व सम्बन्धित/जन सामान्य को वितरित कराया जाय। यह ध्यान रखा जाय कि रेट लिस्ट में समय-समय पर यथा आवश्यक संशोधन हो ताकि उनमें प्रदर्शित दर बाजार मूल्य के समतुल्य हो। इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जाय कि उप निबन्धक/सहायक/उप महानिदीक्षक/एस0डी0एम0/ए0डी0एम0 आदि 'उद्धरणों', व्यापक क्षेत्रीय सर्वे नियमित रूप से कर यथावश्यक संशोधन हेतु अपनी तथ्यात्मक आख्या डी0एम0 को उपलब्ध करायें व उक्त आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम एक माह के भीतर जन सामान्य की आपत्ति सुनकर, सकारण संशोधन जारी किया जाय।

20. दस्तावेजों का निबन्धन

उप निबन्धक का यह अनिवार्य दायित्व होगा कि वे प्रस्तुत दस्तावेजों/प्रपत्रों का अत्यनत सावधानीपूर्वक परीक्षण करेंगे तथा जहाँ पूर्ण व सही तथ्य अंकित न हो उन्हें अंकित करवायें और तद्नुसार सही स्टाम्प शुल्क लेते हुए निबन्धन करेंगे। विशेष रूप से नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के आसपास विकसित/विकासशील क्षेत्रों जहाँ वास्तव में कृषि भूमि का कृषि से इतर उपयोग हेतु हस्तांतरण हो रहा है या वर्तमान में पोटेंशियल बन गया है और रेटलिस्ट में प्रतिफलित नहीं है, ऐसे मामलों के विलेखों की सारगर्भित व स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले समस्त तथ्यों के पूर्ण व सही अंकन करवाने के उपरान्त वास्तविक उपयोग पर देय स्टाम्प शुल्क पर पंजीकरण किया जाय। पंजीकरण के उपरान्त ऐसे प्रकरणों की अनिवार्य रूप से उप निबन्धक अपने क्षेत्राधिकार में चेकिंग सुनिश्चित करेंगे। ऐसे प्रकरणों की आख्या सहायक/उप महानिरीक्षक निबन्धन/ए0डी0एम0 (एफएण्डआर) को अनिवार्य रूप से दी जाय। सहायक/उप महानिरीक्षक निबन्धन/ए0डी0एम0 इसकी पुनः स्थलीय जाँच करेंगे व तद्नुसार स्टाम्पवाद दायरा/रेट लिस्ट में संशोधन की कार्यवाही की जाय। इसी प्रकार व्यावसायिक को आवासीय दर्शाने के संबंध में भी उपरोक्तानुसार कार्यवही की जाय। बाद में ऐसे प्रकरणों में यदि अवमूल्यन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो इकसे लिए सम्बन्धित उप निबन्धक/सहायक/उप महानिरीक्षक निबन्धन उत्तरदायी होंगे।

यह व्यवस्था आम नागरिकों की चेतना का अंग बन चुकी है कि प्रस्तुत दस्तावेजों की निबन्धनोपरान्त उसी दिन वापसी की जायेगी और स्टाम्प शुल्क कलेक्टर द्वारा निर्धारित रेट पर देय होगा।उप निबन्धक, उक्त आधारभूत व्यवस्थाओं का अपवाद रहित, त्रुटि रहित व विलम्ब रहित पालन करते हुए यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्टाम्प शुल्क का निर्धारण वास्तविक तथ्यों व प्रयोजन पर हो। इसके प्रभावी अनुपालन से विभाग की बेहतर छवि बनेगी और

Scanned with OKEN Scanner

कर चोरों/करापंवचन को निर्मूल भी किया जा सकेगा।

21. स्टाम्पवादों का समयबद्ध निस्तारण

केन्द्रीय मिसिलबन्द का सुचारू प्रबन्धन व अनुश्रवण इस पूरी प्रक्रिया का एक महम्वपूर्ण अवयव है। स्टाम्पवाद एक 'समरी ट्रायल' है। यह पक्षकारों की उपस्थिति में स्थल के निरीक्षण पर, विशेपकर बड़े मामलों में, परिस्थिति तथ्यों के आधार पर 2 माह के भीतर निर्णीत व अग्रेतर 1 माह के अन्दर वसूल हो। अधिकांश मामले जनपद स्तर पर निर्णीत हों। गुण-दोष पर फैसले हों। 'लोक अदालतें' लगाकर वादों का निस्तारण हो। निगरानियां, रिटें आदि का दिन-प्रतिदिन अनुव्ण हो। यह सुनिश्चित हो कि कर चोरों को स्टाम्पवादों में कोई रियायत न मिले। गरीबों, आम जनों का शोषण न हो। कुल मिलाकर वादों का न्यायोचित निस्तारण, जन सामान्य का वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति विश्वास पैदा करेगा। यह कार्य पीठासीन अधिकारियों के चरित्र का आईना है।

22. विकास शुल्क

जिन क्षेत्रों में विकास शुल्क देय है, उन क्षेत्रों के लेखपत्रों में स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 20 रुपये प्रति हजार की दर से विकास शुल्क भी देय होगा।

23. जन सामान्य के दायित्व

जन सामान्य को रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अन्तर्गत वर्णित प्रलेखों के अनिवार्य पंजीयन स्टाम्प एक्ट की धारा 27 के अन्तर्गत विलेखों में पूर्ण व सही तथ्य देने की विधिक बाध्यता और धारा 64/64-ग के अन्तर्गत दण्डात्मक प्राविधानों से अवगत कराने हेतु संवेदनशील बनायें।

निबन्धन व स्टाम्प शुल्क विभाग का मुख्य दायित्व विलेखों का नियमानुसार पंजीयन है, जिससे जन सामान्य के स्वत्वाकिधार की रक्षा होती है। यह ध्यान रखा जाय कि अधिकाँश जन कानून की व्यवस्था का पालन करते हैं।/करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें समय-समय पर पर्याप्त जानकारी मुहैया कराना आवश्यक है। कुछेक मुट्ठी भर तत्वों के कारण करापवंचन की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस हेतु प्रभावी प्रशासनिक/निरोधात्मक कार्यवाही के अलावा विभागों/बैंकों/कार्यदायी संस्थाओं/निकायों/कोर्ट के अधिकारियों/बार एसोसियेशन/डीड-राइटरों/नोटरियों/स्टाम्प वेंडरों आदि की बैठक आयोजित कर उन्हें उपरोक्त प्राविधानों से अवगत करायें और उनका सहयोग लें। बिना जनसामान्य का व्यापक सहयोग व विश्वास अर्जित किये, यह कार्य अधूरा रहेगा। यह भी ध्यान में रखा जाय कि प्रदेश के नान प्लान (वेतन आदि) व प्लान (विकास कार्य) हेतु स्टाम्प व निबन्धन एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है, अतः प्रदेश में इसके पोटेंशियल व क्षमता का शत प्रतिशत दोहन होना अनिवार्य है। यदि हम इस कार्य में जन सामान्य/नागरिकों/संस्थाओं का अपेक्षित सहयोग/विश्वास अर्जित कर पाये तो निश्चय ही यह विभाग प्रदेश के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभायेगा।

कृपया इस परिपत्र की प्रतियाँ व्यापक रूप से सर्व संबंधित में वितरित कराते हुए प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय

प्रभास कुमार झा

महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प

उत्तर-प्रदेश, शिविर-लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या: 119(1-20)/शि0का0लख0/2002 दिनांक 14.08.2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ।
3. समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबंध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0।
7. निदेशक, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।3
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोरूडा/ग्रेटर नोयडा।
12. निदेशक, मण्डी, उत्तर प्रदेश।
13. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत/मेयर, नगर निगम।
15. समस्त उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम।
16. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/जिला पंचायत।
17. समस्त सामान्य प्रबन्धक/जोनल/क्षेत्रीय प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक तथा समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक।
18. समस्त अध्यक्ष, बार एसोशियेशन, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक।
20. सामान्य प्रबन्धक, जीवन बीमा निगम/सामान्य बीमा निगम।

(प्रभास कुमार झा)
महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प
उत्तर-प्रदेश, शिविर-लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जे०एस०मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,

आवास अनुभाग-1

लखनऊः दिनाँक-6 जुलाई, 20

विषय : आवास एवं विकास परिषद एवं प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली अ सम्पत्तियों को कब्जा दिये जाने से पूर्व स्टाम्प शुल्क लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या: क0सं0वि0-5-2210(1)/11- दिनांक 30 मई, 1998 एवं शासनादेश संख्या क0सं0-वि0-5-5206/11-98, दिनांक 29 दिसम्बर, 1998 के प में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जब तक विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्तियों के पंजीकृत वि निष्पादित न हो जायें तब तक भूमि/भवन का कब्जा आवंटी को न दिया जाय। उक्त के अतिरिक्त यह भी नि किया जाता है कि वर्ष 1998 के पूर्व में विक्रय की गयी जिन सम्पत्तियों के कब्जे बिना पंजीकृत विलेख निष्प कराये दे दिये गये हैं, उनके पंजीयन हेतु समयबद्धरूप से कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही की जाय। यह सुनिश्चित कि जाये कि परिषद/विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों का कब्जा परिवर्तन के लिये रजि की अनिवार्यता के नियम का उल्लघंन नहीं हो रहा है।

2. उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में शिथि पाये जाने पर संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसके विरूद्ध कार्यवाही भी की जाये।

भवदीय,
जे0एस0मिश्र
सचिव।

संख्या 2757(1)9-आ-1-02 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, कर एवं संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
ए.के.एस.राठौर
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-3058/9-आ-1-02-57डीए/02

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनाँक-20 जुलाई, 2002

विषय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्तियों को कब्जा दिये जाने से पूर्व स्टाम्प शुल्क लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2757/9-आ-1-02-57डीए/02, दिनांक-06 जुलाई, 02 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन आवंटियों द्वारा भवन/भूमि के सापेक्ष पूर्ण धनराशि जमा कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, ऐसे आवंटियों के विक्रय विलेख निष्पादित कराने की कार्यवाही अभियान चलाकर दिनांक 25.07.02 से 25.08.02 तक अवश्य पूर्ण करा ली जाय।

2. उक्त के अतिरिक्त आवंटियों द्वारा अन्तिम किश्त की अदायगी के उपरान्त 30 दिन के अन्दर विक्रय विलेख निष्पादन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सम्पन्न करा ली जाय।

3. जिन आवंटियों द्वारा भवन/भूखण्डों का कब्जा ले लिया गया है और अन्तिम किश्त का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है उनसे तुरन्त नियमानुसार अवशेष धनराशि जमा कराकर निबन्धन की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाय।

4. उक्त व्यवस्था निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र दोनों में समान रूप से लागू होगी।

भवदीय,
जे0एस0मिश्र
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-3058/9-आ-1-02-57डीए/02

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊः दिनाँक-20 जुलाई, 2002

विषय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्तियों को कब्जा दिये जाने से पूर्व स्टाम्प शुल्क लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2757/9-आ-1-02-57डीए/02, दिनांक-06 जुलाई, 02 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन आवंटियों द्वारा भवन/भूमि के सापेक्ष पूर्ण धनराशि जमा कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, ऐसे आवंटियों के विक्रय विलेख निष्पादित कराने की कार्यवाही अभियान चलाकर दिनांक 25.07.02 से 25.08.02 तक अवश्य पूर्ण करा ली जाय।

2. उक्त के अतिरिक्त आवंटियों द्वारा अन्तिम किश्त की अदायगी के उपरान्त 30 दिन के अन्दर विक्रय विलेख निष्पादन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सम्पन्न करा ली जाय।

3. जिन आवंटियों द्वारा भवन/भूखण्डों का कब्जा ले लिया गया है और अन्तिम किश्त का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है उनसे तुरन्त नियमानुसार अवशेष धनराशि जमा कराकर निबन्धन की कार्यवाही सम्पन्न करा ली जाय।

4. उक्त व्यवस्था निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र दोनों में समान रूप से लागू होगी।

भवदीय,
जे0एस0मिश्र
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 3058(1)9-आ-1-02 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स... सब-रजिस्ट्रार, निबन्धन को उक्त अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करें। ... अतिरिक्त अपने स्तर से प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या 3058(2)9-आ-1-02 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिरीक्षक, पंजीयन, उत्तर प्रदेश।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-4396/9-आ-1-02-57डीए/02

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक-24 सितम्बर, 2002

विषय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली अंचल सम्पत्तियों का कब्जा दिये जाने से पूर्व स्टाम्प शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3058/9-आ-1-02-57डीए/2002, दिनांक-20 जुलाई, 2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषद/प्राधिकरणों द्वारा सृजित सम्पत्तियों के विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्राधिकरणों एवं परिषद द्वारा लगाये गये विशेष कैम्पों की लोकप्रियता एवं जनता के रूझान को दृष्टिकोण रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विक्रय विलेख निष्पादित कराने की समय सीमा दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 तक बढ़ा दी जाय।

कृपया तद्नुसार अभियान चलाकर विशेष कैम्प के माध्यम से अवशेष सम्पत्तियों के विक्रय विलेख निष्पादित कराये जायें।

उक्त के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समय-समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जे0एस0मिश्र
सचिव ।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या :- 4396(1)/9-आ-1-02-तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से सब-रजिस्ट्रार निबन्धन को उक्त अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करें। उक्त के अतिरिक्त अपने स्तर से प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या :- 4396(2)/9-आ-1-02-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उ०प्र० शासन।
2. महानिरीक्षक, पंजीयन, उत्तर प्रदेश।
3. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रभास कुमार झा
आई०ए०एस०
महानिरीक्षक निबंधन
एवं आयुक्त स्टाम्प

विश्वास मार्केट, विश्वासखण्ड–3
गोमतीनगर, लखनऊ (शिविर कार्यालय)
फोन : का०–308697 (0522)
फैक्स : 308696, 308713 (0522)
संख्या एच. 80 / शि०का०लख० / 2002
दिनांक : 26.08.2002

प्रिय महोदय,

माननीय मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की दिनांक 11.8.2002 को कानपुर में आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक में यह बिन्दु प्रकाश में आया है कि नोटरियों द्वारा सत्यापित किये गये दस्तावेजों के आधार पर नगर पालिकाओं में दाखिल खारिज हो जाता है। यह भी निर्देश दिये गये है कि जब तक पंजीकृत प्रलेख नगर पालिका अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न हो तब तक किसी अन्य अधिकारी के सत्यापन के आधार पर दाखिल खारिज की कार्यवाही न होने दी जाए।

इस प्रकार के प्रकरणों में विधिक स्थिति स्पष्ट की जा रही है। स्थानीय निकायों के समस्त मुख्य नगर अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य नगर अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, लोक अधिकारी की श्रेणी में आते है। इन सभी अधिकारियों का दायित्व है कि स्टाम्प अधिनियम की धारा-33 में वर्णित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करें अर्थात दाखिल खारिज हेतु प्रस्तुत लेखपत्र यथाविधि स्टाम्पित होने पर ही उनके आधार पर दाखिल खारिज हेतु प्रस्तुत लेखपत्र यथाविधि स्टाम्पित होने पर ही उनके आधार पर दाखिल खारिज की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि लेखपत्र यथाविधि स्टाम्पित नहीं है तो धारा 33 स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त लोक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें वह लेखपत्र अवरूद्ध प्रदत्त लोक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें वह लेखपत्र अवरूद्ध करके अपने कब्जे में लेकर कभी स्टाम्प की वसूली हेतु कलेक्टर को प्रेषित कर देना चाहिए।

ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी एक्ट की धारा 54 के अनुसार अचल सम्पत्ति का विक्रय द्वारा अन्तरण और ऐसा करने का इकरार केवल रजिस्टर्ड लेखपत्र द्वारा ही हो सकता है। इसी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार अचल सम्पत्ति का दान केवल रजिस्ट्रीकृत लेखपत्र द्वारा किया जा सकता है। नोटरी द्वारा सत्यापित लेखपत्र पंजीकृत नहीं होता है अतः उसके आधार पर दाखिल करना विधि विरूद्ध है जो किसी भी दशा में मान्य नहीं हो सकता है।

अतः कृपया सभी सम्बन्धियों को निर्देशों देने का कष्ट करें कि यथाविधि सटाम्पित तथा पंजीकृत लेखपत्र के आधार पर ही दाखिल खारिज की कार्यवाही सम्पादित करें।

प्रभास कुमार झा

श्री अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर-प्रदेश शासन।

संख्या : 1780(A)/शि0का0लख0/2002 दिनांक 26.8.2002
प्रिय महोदय,

उक्त की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रभास कुमार झा

श्री ललित श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
कर एवं निबन्धन,
उत्तर-प्रदेश शासन,

संख्या: 1780(1-4)/शि0का0लख0/2002 दिनांक 26-08-2002

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

प्रभास कुमार झा

Scanned with OKEN Scanner

संख्या : 1577/9-आ-2-2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
104-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

दिनांक : 14-08-2002

आवास अनुभाग-2

विषय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की नई योजनाओं की विज्ञप्ति के प्रकाशन को प्रतिबन्धित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम-1894 में महत्वपूर्ण संशोधन हो जाने के उपरान्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के लिए जो व्यवस्थायें की गयी हैं उसमें काफी विसंगतियां उत्पन्न हो गयी हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की विधिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय समस्यायें शासन के समक्ष आ रही है एवं इस विषय में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावेदन भी शासन में प्राप्त हो रहे हैं। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम के भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी प्राविधानों को भूमि अध्याप्ति अधिनियम-1894 (यथासंशोधित) के अनुरूप ही संशोधित एवं परिवर्धित किया जाना आवश्यक एवं अपरिहणार्य हो गया है। अतः उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 में भूमि अधिग्रहण संबंधी व्यवस्थाओं को भूमि अव्याप्ति अधिनियम-1894 (यथासंशोधित) के अनुरूप जब तक अपेक्षित संशोधन नही हो जाता है, तब तक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के अन्तर्गत किसी भी नई योजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की जाय। यह निर्देश उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-92 (2) के अन्तर्गत दिए जा रहे हैं।

2. कृपया उपरोक्त शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण संबंधी व्यवस्थाओं को भूमि अध्याप्ति अधिनियम-1894 (यथासंशोधित) के अनुरूप संशोधन का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार अपेक्षित संशोधन की कार्यवाही तत्परता से की जा सके।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-5018/9-आ-3-2001-11वि0/93

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

आवास अनुभाग-3 — लखनऊः दिनांक-09 जनवरी, 2002

विषय : समझौते के आधार पर भूमि का अर्जन।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-1718/1-13-2001-20(94)/2001-रा-13 दिनांक 29-9-2001 की प्रतिलिपि संलग्न कर भेजते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश दिनांक 29-9-2001 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलगनक : यथोक्त।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या :- 5018(1)/9-आ-3-2001-तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति संलग्नक सहित निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी आवास संघ, लखनऊ।
2. श्री एन0आर0 वर्मा, अपर निदेशक, आवास बन्धु।
3. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-1718/1-13-2001-20(24)/2001 रा-13

प्रेषक,

हरीश चन्द्र,
प्रमुख सचिव, राजस्व
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **औद्योगिक विकास आयुक्त,**
उ0प्र0 शासन।
2. **प्रमुख सचिव, आवास विभाग,**
उ0प्र0 शासन।
3. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-13 लखनऊ: दिनाँक-29 सितम्बर, 2001

विषय : समझौते के आधार पर भूमि का अर्जन।

महोदय,

विगत वर्षों में शासन के समक्ष किसानों द्वारा निरन्तर इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि नौएडा, ग्रेटर नोएडा, विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद हेतु बड़े पैमाने पर भूमि का अनिवार्य अर्जन होने के परिणामस्वरूप किसानों/प्रभावित व्यक्तियों को उनकी भूमि का समुचित प्रतिकर बाजारू मूल्य के सही आँकलन न किये जाने के कारण नहीं मिल पा रहा था। परिणामस्वरूप क्लेटर, भूमि अर्जन के अभिनिर्णय से हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा अनुमन्यों की गयी प्रतिकर की दरों को विभिन्न न्यायालयों में चुनौती देकर एवं प्रदर्शन करके भूमि अर्जन को कार्यवाही अवरूद्ध किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों से प्रयास किये जाते रहे हैं। इससे भूमि अर्जन की कार्यवाही में विलम्ब होने के कारण शासन की विभिन्न विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन अवरूद्ध हो गया था तथा परियोजना लागत भी बढ़ जाती थी।

उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1, सन् 1894) की धारा-II की उपधारा (2) के साथ पठित धारा-55 के अधीन उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रति की अवधारणा और अभिनिर्णय की घोषणा) नियमावली, 1997 अधिसूचना संख्या-2382/97-2-4(1)/92-24-रा0-13, दिनांक 16-9-1997 इस प्रयोजन से प्रख्यापित की गई कि अर्जन निकाय अथवा सरकारी विभाग जिसके लिए भूमि का अर्जन किया जा रहा है, कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर अर्जन के अधीन भूमि के निबंधन और शर्तों और दरों को भू-स्वामियों के साथ निर्धारित कर सकते हैं और कलेक्टर के साथ उपस्थित हो सकते हैं और एक आवेदन पत्र जिसमें इस प्रकार निर्धारित किये गये निबंधन और शर्तों और प्रतिकर के अवधारण के लिए तत्परता और रजामंदी को भी और करार के अनुसरण में अभिनिर्णय की घोषणा को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कलेक्टर यदि उसमें सन्तुष्ट हो जायें तो अर्जन के अधीन भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों को अभिनिर्णय में सम्मिलित किये जाने वाले विषयों पर अपनी तत्परता और रजामंदी लिखित रूप में करार के निष्पादन को अभिव्यक्त करने के लिए नोटिस देने के उपरान्त

Scanned with OKEN Scanner

अन्य निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण होने की स्थिति में तदनुसार समझौता अभिनिर्णय घोषित कर देगा ताकि भूमि के अर्जन से संबंधित पक्ष संतुष्ट हो सकेंगे और भूमि अर्जन की कार्यवाही में इस अवरूद्ध की सम्भावना न रहे।

उपरोक्त करार नियमावली, 1997 के प्रवृत्त होने के पश्चात भी शासन स्तर पर निरन्तर इस आशय की शिकायतें प्राप्त होती रहती है कि समझौते में हितबद्ध व्यक्तियों की कोई निश्चित मार्ग निर्देशिका के अभाव में समुचित प्रतिकर नहीं मिल पा रहा है और इस बात की भी संभावना रहती है कि वास्तविक बाजारू मूल्य से कहीं अधिक प्रतिकर अनुमन्य कराया जा सकता है। इसी प्रयोजन से राजस्व विभाग द्वारा शासनादेश सं0 2644/1-13-2000-6-2-(1)/99-रा0-13, दिनांक 24-1-2001 के अन्तर्गत अर्जन निकाय/विभाग तथा हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य समझौते के आधार पर करार नियमावली, 1997 के अन्तर्गत अभिनिर्णय से पूर्व उपरोक्त शासनादेश दिनांक 2-9-1994 की व्यवस्था की भाँति सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन अनिवार्य करने के निमित्त निर्देश जारी भी किए गये है।

शासन के आवास विभाग द्वारा भी समझौते के आधार पर भूमि अर्जन के सम्बन्ध में आवास विभाग-3 के शासनादेश संख्या-जू0ओ0113-9-3-93-II/93, दिनांक 19.08.93 के अन्तर्गत भूमि के मूल्य के अवधारणा हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति जिला स्तर पर गठित की गई है:-

1. जिलाधिकारी — अध्यक्ष
2. सचिव, विकास प्राधिकरण, अथवा आवास आयुक्त के प्रतिनिधि — सदस्य
3. सम्बंधित उपजिलाधिकारी — सदस्य

उपरोक्त शासनादेश कें अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति पर मण्डलायुक्त की सहमति के साथ तदनुसार अभिनिर्णय घोषित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

इसी प्रकार सिंचाई विभाग के शासनादेश 3935/, दिनांक 21.06.99 के समझौते के आधार पर भूमि अर्जन के सम्बंध में जनपद स्तर पर भूमि के मूल्य की दर निर्धारित करने हेतु निम्नवत् समिति गठित की गई है:-

1. सम्बंधित जिलाधिकारी — अध्यक्ष
2. सम्बंधित खण्ड के अधि0अभि0 — सदस्य
3. सम्बंधित अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) — सदस्य

उपरोक्त के विदित ही है कि शासन के विभिन्न विभागों के स्तर पर आपसी समझौते के आधार पर प्रतिकर अनुमन्य कराये जाने तथा उसमें संभावित अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु प्रयास किये गये है, परन्तु विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में एकरूपता लाने के निमित्त शासन स्तर पर निर्णय लेते हुए करार नियमावली के अन्तर्गत समझौते के आधार पर प्रतिकर निर्धारण/अभिनिर्णय के सम्बन्ध में निर्देश निम्नवत दिये जाते हैं:-

(1) विभिन्न अर्जन निकाय/विभागों हेतु आपसी समझौते के आधार पर भूमि के बाजारू मूल्य के आधार पर प्रतिकर की दर निर्धारित करने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति का गठन किया जाता है:-

(अ) जिलाधिकारी — अध्यक्ष
(ब) अर्जन निकाय/विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधि — सदस्य/संयोजक
(स) अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राज0/) — सदस्य
जिला रजिस्ट्रार — सदस्य
(द) सम्बंधित सब रजिस्ट्रार — सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

2. उपरोक्त समिति निर्धारित प्रतिकर की दरों का स्पष्ट औचित्य देते हुए एवं चयनित प्रतिनिधि बैनामें का उल्लेख करते हुए अपनी संस्तुति सम्बंधित मण्डलायुक्त को अनुमोदन हेतु प्रेशित करेगी जिनके पूर्वानुमोदन के पश्चात भूमि अर्जन को करार नियमावली, 1997 के अन्तर्गत विधिवत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

3. आपसी समझौते के आधार पर प्रतिकर निर्धारित करने हेतु स्थानीय स्तर पर सक्षम अधिकारियों के उपरोक्त समिति तथा उसकी संस्तुतियों का सम्बन्धित मण्डलायुक्त के स्तर पर परीक्षाणोपरान्त अनुमोदन किये जाने हेतु उपरोक्त व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए आशा की जाती है कि प्रभावित व्यक्ति/किसानों को अपनी भूमि का समुचित बाजारू मूल्य अनुमन्य हो सकेगा। अस्तु यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार अनिवार्य भूमि अर्जन के मामले में भी प्रतिकर का निर्धारण किया जाये और विभिन्न दूरस्थ जनपदों से राजस्व परिषद को आधे-अधूरे प्रस्तावों के प्रेषण से होने वाले अप्रत्याशित विलम्ब से बचने हेतु उपरोक्त व्यवस्था ही लागू की जाये ताकि जनपद स्तर पर अभिनिर्णय घोषित किये जाने में विलम्ब न हो।

इस शासनादेश के जारी होने के तिथि से राजस्व विभाग तथा अन्य प्रशासकीय विभाग से सम्बंधित शासनादेश तद्नुसार उक्त सीमा तक संशोधित एवं अतिक्रमित माने जायेंगे। शेष अन्य व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी।

कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
हरीश चन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, (भू0अ0), भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विशेष/उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ह0
हरीश चन्द्र
प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-4171/9-आ-3-2002-53वि0/92टीसी(2)

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 — लखनऊः दिनाँक-27 नवम्बर, 2002

विषय : भू-अर्जन के फलस्वरूप प्रतिकर/डिक्रीटल की बकाया धनराशि का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-745/9-आ-3-2002-53 विविध/97टी0सी0 (2), दिनांक 26.02.2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद की सूचनानुसार विकास प्राधिकरणों पर अर्जित भूमि का प्रतिकर धनराशि रू0 9889.45 लाख डिक्रीटल रू. 3883.95 लाख कुल 33073.40 लाख तथा आवास एवं विकास परिषद पर प्रतिकर धनराशि रू0 10770.17 लाख डिक्रीटल धनराशि रू0 1781.83 लाख कुल धनराशि रू0 12552.90 लाख बकाया है। अतः सहमत होंगे कि इससे जहाँ भू-स्वामियों को अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, वहीं प्राधिकरण/शासन की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. अतएव आपसे अनुरोध है कि प्रतिकर/डिक्रीटल की बकाया धनराशि का नियमानुसार मिलान करने के उपरान्त समयबद्ध रूप से भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. कृपया बकाया प्रतिकर/डिक्रीटल की सूचना निर्धारित प्रारूपों पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित रूप से माहवार शासन को उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास अनुभाग-2
2. आवास बन्धु, जनपथ, लखनऊ।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक-10 दिसम्बर, 2002

विषय : उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत की गयी ऐसी सम्पत्तियों (भूमि एवं भवन) जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, के सर्वेक्षण एवं उनके उपयोग/निस्तारण के सम्बन्ध में नीति-निर्धारण।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह आया है कि कई विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं हेतु जो भूमि एवं निर्मित सम्पत्तियां अधिग्रहीत की गई है, उनमें से अनेक सम्पत्तियों में वर्तमान में अनाधिकृत कब्जा/अध्यासन है जिसके फलस्वरूप ऐसी सम्पत्तियों का उपयोग अथवा निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकृति की समस्त परिसम्पत्तियों का योजनावार विस्तृत सर्वेक्षण कराकर उनका पूर्ण विवरण दिनांक 20.12.2002 की प्रस्तावित समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया जाए, ताकि ऐसी सम्पत्तियों के उपयोग/निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श करके उपयुक्त नीति/नियम बनाए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सके।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या 5659(1)9-आ-1-2002-समीक्षा बैठक/407 (आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. विशेष सचिव (स), आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 को, उनके अर्द्ध शा.प.स. 3741(1)/9-आ-3-2002-60ए/96 दिनांक 20 नवम्बर, 2002 के सन्दर्भ में।
3. अधिशापी निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-3201/9-आ-1-02-1वि/2000

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
आवास विभाग।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक-12 अगस्त, 2002

विषय : ''वन-टाइम सेटलमेन्ट योजना''-ओ.टी.एस.-2002-योजना का संचालन।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के डिफाल्टर आवंटियों, क्रेताओं व ऋण गृहीताओं के प्रकरणों के समाधान हेतु शासन द्वारा वर्ष 2000 एवं तत्पश्चात वर्ष 2001 में वितथ समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गयी थी। शासन के संज्ञान में आया है कि अभी भी बड़ी संख्या में आवंटी भुगतान में डिफाल्टर है जिसके कारण प्राधिकरणों/परिषद के बकाये की वसूली अवरूद्ध है। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त डिफाल्टर आवंटियों के प्रकरणों को विनियमित करने हेतु एक और अवसर प्रदान करते हुये ओटीएस के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए यह योजना निम्नवत् लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है--

1. **योजना किस श्रेणी के आवंटियों पर लागू होगी :**

(1) सभी आवासीय तथा ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों, भवनों के आवंटियों पर।

(2) आवासीय सह-व्यवसायिक सम्पत्तियों पर।

(3) निर्धारित दरों पर आवंटियों व्यवसायिक सम्पत्तियों पर।

(4) यह योजना नीलामी के आधार पर आवंटित आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों पर लागू नहीं होगी।

2. **सिद्धान्त :**

(1) ओटीएस योजनान्तर्गत सभी डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज, जो सम्पत्ति के आवंटन के समय किश्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा, लिया जायेगा।

(2) आवंटियों से किसी भी प्रकार का दण्ड ब्याज नहीं लिया जायेगा। डिफाल्ट की अवधि का ब्याज ऊपरिलिखित सिद्धान्त (1) अनुसार लिया जायेगा।

(3) आवंटी द्वारा किये गये भुगतान सर्वप्रथम डिफाल्ट की अवधि के ब्याज, ओटीएस आधार पर आँगणित ब्याज तदोपरान्त बकाया मूल धनराशि के सापेक्ष समायोजित किये जायेंगे।

3. **योजना की अवधि :**

(1) यह योजना दिनांक 16.08.02 से 15.09.02 तक सामान्य प्रोसेसिंग शुल्क सहित लागू होगी।

(2) योजना दिनांक 16.09.2002 से 15.10.2002 तक विलम्ब प्रोसेसिंग शुल्क सहित प्रवृत्त रहेगी।

4. (1) विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा डिफाल्टर्स आवंटियों की सूची योजना लागू करने की तिथि से पूर्व तैयार करवा ली जायेगी तथा सूची का प्रकाशन न्यूनतम 2 राज्य स्तरीय लोकप्रिय समाचार पत्रों में करवाया जायेगा।

(2) योजना लागू करने के 5 दिनों के अन्दर ही सभी डिफाल्टर्स को एक नोटिस दी जायेगी जिसके माध्यम

Scanned with OKEN Scanner

से उन्हें बकाया धनराशि की जानकारी देते हुये सूचित किया जायेगा कि वे दिनांक 16.08.02 से 15.09.02 तक लागू ओटीएस योजना के अन्तर्गत प्रस्तर-5(1) में उल्लिखित सामान्य प्रोसेसिंग शुल्क सहित आवेदन पत्र जमा करके अपने प्रकरणों का निस्तारण करवा लें, ऐसा न करने की स्थिति में उनका आवंटन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस बात का उल्लेख विशेष रूप से किया जायेगा कि यदि किसी डिफाल्टर से निर्धारित अवधि में संदर्भित योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र दे दिया है तो उसके केस में उक्त नोटिस स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

(3) निर्धारित अवधि के उपरान्त प्रस्तर-5(2) में उल्लिखित विलम्ब शुल्क सहित दिनांक 16.09.2002 से 15.10.2002 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। जिसके लिये आवेदक को विलम्ब के कारणों को उल्लेख करते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. (1) दिनांक 16.08.02 से 15.09.02 तक आवेदन पत्र के साथ निम्नवत् सामान्य प्रोसेसिंग शुल्क ली जायेगी।

सामान्य प्रोसेसिंग शुल्क की दरें निम्नवत् होगी :-

क्रमांक	सम्पत्ति का प्रकार	धनराशि (रू0 में)
1.	ई.डब्लू.एस.	100.00
2.	एल.आई.जी.	200.00
3.	एम.आई.जी.,एच.आई.जी.आवासीय भवन एवं भूखण्ड	300.00
4.	आवासीय सह व्यवसायिक सम्पत्तियाँ	400.00
5.	निर्धारित दरों पर आवंटित व्यवसायिक सम्पत्तियाँ	500.00

2. विलम्ब प्रोसेसिंग शुल्क की दरें निम्नवत् होगी :-

क्रमांक	सम्पत्ति का प्रकार	धनराशि (रू0 में)
1.	ई.डब्लू.एस.	200.00
2.	एल.आई.जी.	400.00
3.	एम.आई.जी.,एच.आई.जी.आवासीय भवन एवं भूखण्ड	600.00
4.	आवासीय सह व्यवसायिक सम्पत्तियाँ	800.00
5.	निर्धारित दरों पर आवंटित व्यवसायिक सम्पत्तियाँ	1000.00

नोट : प्रोसेसिंग शुल्क तथा विलम्ब प्रोसेसिंग शुल्क बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद के रूप में देय होगा जो न तो वापस किया जायेगा और न ही बकाये में समायोजित होगा।

2. आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रकरण का निस्तारण अवश्य कर दिया जाय।

3. समस्त प्राधिकरणों/परिषद कार्यालयों में समाधान के लिये उपाध्यक्षों/आवास आयुक्त द्वारा अधिकारी नामित किये जायेंगे, जो उनके समक्ष प्रस्तुत मामलों के निस्तारण और आवंटी द्वारा पहले से जमा की गयी धनराशि के विवरण के सत्यापन हेतु उत्तरदायी होंगे। निर्धारित अवधि में संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके द्वारा उक्त विवरण के आधार ही पर आवंटी को बकाया धनराशि की गणना कर अन्तिम डिमान्ड नोट उसी दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा। आवंटी से समस्त बकाये की 1/2 धनराशि को अधिकतम 15 दिन में जमा करने का अवसर दिया जायेगा। इसी अवधि में अधिकारी विभागीय अभिलेखों से आवेदक की जमा धनराशि आदि का सत्यापन कर लेंगे और यदि कोई अन्तर हुआ तो उसका समाधान करते हुए वास्तविक बकाया धनराशि का अन्तिम माँगपत्र आवंटी को उक्त निर्धारित तिथि को जारी करेंगे। इस माँग पत्र में पूर्व में जमा 1/2 धनराशि का समायोजन करते हुये शेष शुद्ध बकाया धनराशि को अधिकतम 15 दिन में एकमुश्त जमा किया जायेगा।

(4) यदि सूचना देने के 15 दिन के अन्दर सम्पूर्ण देय धनराशि अथवा उसकी 1/2 धनराशि द्वारा जमा नहीं की

Scanned with OKEN Scanner

जाती है अथवा इसके 15 दिन बाद शेष ½ धनराशि जमा नहीं की जाती है तो यह समाधान योजना उस आवंटी पर लागू नहीं होगी और पूर्व व्यवस्था के अनुसार उससे वसूली/आवंटन निरस्तीकरण/बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

(5) समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि एक पक्ष की समयसीमा में प्रत्येक आवेदक की बकाया धनराशि की सत्यापित गणना उसे प्राप्त करा दी जाय और बकाया मामलों का विवरण कारणों सहित उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाय, ताकि ऐसे मामलों का समाधान उनके स्तर से किया जा सके।

(6) प्राधिकरणों द्वारा, बैंकों के साथ समन्वय कर, ऋण की सुविधा भी प्राधिकरण प्रांगण में ही उपलब्ध करायी जायेगी।

6. ओटीएस अंतर्गत प्रकरण का निस्तारण हो जाने के उपरान्त सम्पत्ति की रजिस्ट्री की कार्यवाही तत्काल कर दी जायेगी। सब रजिस्ट्रार की अनवरत् उपलब्धता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा करायी जायेगी।

7. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के लिए शिविर लगाए जाए। प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों का योजनावार ब्यौरा कम्प्यूटर पर रखा जाए।

8. इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों में, रेडियो तथा केबिल/टेलीविजन पर किया जाय। इसके अतिरिक्त मुख्य स्थानों तथा विभिन्न कालोनियों में भी होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार किया जाय, इसमें योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया जायेगा।

9. योजना की सफलता हेतु उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त स्वयं साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। शासन स्तर पर विकास प्राधिकरणों/परिषद की बैठक में इस योजना का भी अनुश्रवण किया जायेगा।

10. इस योजनावधि में प्राप्त आवेदनों, एक पक्ष में सत्यापित विवरणें आदि के विषय में सूचना संलग्न प्रारूप पर शासन को भेजी जायेगी।

11. ओ.टी.एस. योजना के लिए आवेदन का प्रारूप, कैल्कुलेशन मेमो तथा योजना की पाक्षिक प्रगति शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप संलग्न हैं।

12. प्राधिकरण तथा उ.प्र. आवास एवं परिषद को गणना हेतु साफ्टवेयर शासन द्वारा ओ.टी.एस. योजना प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या-3201(1)/9-आ-1-02, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा.आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, उ.प्र. आवास बन्धु।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी प्राधिकरणों में आवश्यकतानुसार सब रजिस्ट्रार की इस अवधि में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के स्पष्ट निर्देश दिये जाने हेतु।
5. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
7. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री।
8. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्राधिकरण / परिषद..............................

डिफाल्ट के एक बार समाधान (OTS-2002) योजना हेतु आवश्यक सूचना

1. Name ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2. Property No. : ____________________ 3. Name of Scheme : ____________________

4. Category of Property : ☐☐☐

5. कुल मूल्य जिस पर किश्तो की गणना की गई है रू० : ____________________

OTS Amount Paid On/By Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐

6. Rate of Interest : ☐☐ ☐☐

Instalment Details किश्तों का विवरण

7. यदि सभी किश्तें समान हैं :

Instalment Amount : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐

Periodicity : मासिक / त्रैमासिक / छःमाही / वार्षिक Number of Instalment : ☐☐☐

First Instalment Due Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

8. यदि किश्तों की धनराशि भिन्न है अथवा देयता का समय मासिक / त्रैमासिक आदि नहीं है

Instalment Amount : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Instalment Amount : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Instalment Amount : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

Instalment Amount : ☐☐☐☐☐☐ . ☐☐ Date : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

PAYMENT DETAILS भुगतान विवरण

	भुगतान धनराशि		भुगतान तिथियाँ
Instalment Amount :	☐☐☐☐☐☐ . ☐☐	Date :	☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
Instalment Amount :	☐☐☐☐☐☐ . ☐☐	Date :	☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
Instalment Amount :	☐☐☐☐☐☐ . ☐☐	Date :	☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
Instalment Amount :	☐☐☐☐☐☐ . ☐☐	Date :	☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
Instalment Amount :	☐☐☐☐☐☐ . ☐☐	Date :	☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

सलग्नक :

(i) आवंटन पत्र की प्रतिलिपि

(ii) भुगतान की रसीदों की प्रतिलिपियाँ। संख्या................

हस्ताक्षर ____________________

नाम ____________________

पत्राचार हेतु पता ____________________

भरने हेतु निर्देश :

1. मूल्य का विवरण यदि परिवर्तित हुआ हो तो संशोधित विवरण अनुसार ही दें।
2. यदि सभी किश्तें एक समान हैं तथा उनकी देयता त्रैमासिक/मासिक/छःमाही/वार्षिक हैं तो क्रमांक 7 में भरें। यदि किश्तों की धनराशि अलग-अलग है अथवा देयता का समय मासिक/त्रैमासिक आदि अनुसार नहीं है या किश्तों की धनराशि अलग अलग है, तो क्रमांक-8 भरें।
3. यह योजना केवल मूल्य के बारे में है। अन्य देयताएं, यदि कोई हों, पर यह लागू नहीं है। उसका भुगतान सामान्य रूप में अलग से करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-4620/9-आ-1-02-1 वि0/2000

प्रेषक,

बी.एस.मिश्र,
सचिव,
आवास विभाग।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनाँक-30 अक्टूबर, 2002

विषय : व्यसायिक सम्पत्तियों, नीलामी के आधार पर आवंटित आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु "वन-टाइम सेटलमेन्ट योजना"-ओ.टी.एस-2002 योजना का संचालन।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के डिफाल्टर आवंटियों, क्रेताओं व ऋण गृहीताओं के प्रकरणों के समाधान हेतु शासन द्वारा वर्ष 2000 एवं तत्पश्चात् वर्ष 2001 एवं वर्ष 2002 में वित्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गयी थी। इन योजनाओं में अनाच्छादित व्यवसायिक सम्पत्तियों, नीलामी के आधार पर आवंटित आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों के संबंध में प्राधिकरणों द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि अभी भी बड़ी संख्या में सम्पत्तियों के आवंटी भुगतान में डिफाल्टर है जिसके कारण प्राधिकरणों/परिषद के बकाये की वसूली अवरुद्ध है। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इन सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों के प्रकरणों को विनियमित करने हेतु एक अवसर प्रदान करते हुये निम्नवत् लागू किये जाने का निर्णय लिया है:-

1. **योजना किस श्रेणी के आवंटियों पर लागू होगी :**

(1) समस्त व्यवसायिक सम्पत्तियों पर।

(2) नीलामी के आधार आवंटित व्यवसायिक एवं आवासीय सम्पत्तियों पर।

2. **सिद्धान्त :**

(1) ओटीएस योजनान्तर्गत सभी डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज, जो सम्पत्ति के आवंटन के समय किश्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा, लिया जायेगा।

(2) आवंटियों से किसी प्रकार का दण्ड ब्याज नहीं लिया जायेगा। डिफाल्ट की अवधि का ब्याज उपरलिखित सिद्धान्त (1) के अनुसार लिया जायेगा।

(3) आवंटी द्वारा किये गये भुगतान सर्वप्रथम डिफाल्ट की अवधि के ब्याज, ओटीएस आधार पर आँगणित ब्याज तदोपरान्त बकाया मूल धनराशि के सापेक्ष समायोजित किये जायेंगे।

3. **योजना की अवधि :**

(1) यह योजना दिनांक 01.11.02 से 30.11.02 तक सामान्य प्रोसेसिंग शुल्क सहित लागू होगी।

(2) योजना दिनांक 01.12.02 से 31.12.02 तक विलम्ब प्रोसेसिंग शुल्क सहित प्रवृत्त रहेगी।

4. (1) विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा डिफाल्टर्स आवंटियों की सूची

Scanned with OKEN Scanner

योजना लागू करने की तिथि से पूर्व तैयार करवा ली जायेगी तथा सूची का प्रकाशन न्यूनतम 2 राज्य स्तरीय लोकप्रिय समाचार पत्रों में करवाया जायेगा।

(2) योजना लागू करने के 5 दिनों के अन्दर ही सभी डिफाल्टर्स को एक नोटिस दी जायेगी जिसके माध्यम से उन्हें बकाया धनराशि की जानकारी देते हुए सूचित किया जायेगा कि वे दिनांक 01.11.02 से 30.11.02 तक लागू ओटीएस योजना के अन्तर्गत प्रस्तर- 5 (1) में उल्लिखित सामान्य प्रोसेसिंग शुल्क सहित आवेदन पत्र जमा करवा कर अपने प्रकरणों का निस्तारण करवा लें, ऐसा न करने की स्थिति में उनका आवंटन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस बात का उल्लेख विशेष रूप से किया जायेगा कि यदि किसी डिफाल्टर से निर्धारित अवधि में संदर्भित योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र दे दिया है तो उसके केस में उक्त नोटिस स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

(3) निर्धारित अवधि के उपरानत प्रस्तर-5 (2)में उल्लिखित विलम्ब शुल्क सहित दिनांक 01.12.02 से 31.12.02 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे, जिसके लिये आवेदक को विलम्ब के कारणों को उल्लेख करते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. (1) दिनांक 01.11.02 से 30.11.02 तक आवेदन पत्र के साथ निम्नवत् सामान्य प्रोसेसिंग शुल्क ली जायेगी :-

(1) सामान्य प्रोसेसिंग शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी :-

क्रमांक	सम्पत्ति का प्रकार	धनराशि (रु. में)
1.	नीलामी के आधार पर आवंटित आवासी सम्पत्ति	300.00
2.	व्यवसायिक सम्पत्ति, नीलामी के आधार पर आवंटित व्यवसायिक सम्पत्ति	500.00

(2) विलम्ब प्रोसेसिंग शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी :-

क्रमांक	सम्पत्ति का प्रकार	धनराशि (रु. में)
1.	नीलामी के आधार पर आवंटित आवासीय सम्पत्ति	600.00
2.	व्यवसायिक सम्पत्ति, नीलामी के आधार पर आवंटित व्यवसायिक सम्पत्ति	1000.00

नोट :- प्रोसेसिंग शुल्क तथा विलम्ब प्रोसेसिंग शुल्क बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद के रूप में देय होगा जो न तो वापस किया जायेगा और न ही बकाये में समायोजित होगा।

(2) आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रकरण का निस्तारण अवश्य कर दिया जाय।

(3) समस्त प्राधिकरणों/परिषद कार्यालयों में समाधान के लिये उपाध्यक्षों/आवास आयुक्त द्वारा अधिकारी नामित किये जायेंगे, जो उनके समक्ष प्रस्तुत मामलों के निस्तारण और आवंटी द्वारा पहले से जमा की गयी धनराशि के विवरण के सत्यापन हेतु उत्तरदायी होंगे। निर्धारित अवधि में संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके द्वारा उक्त विवरण के आधार ही पर आवंटी को बकाया धनराशि की गणना कर अनन्तिम डिमान्ड नोट उसी दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा। आवंटी से

Scanned with OKEN Scanner

समस्त बकाये की 1/2 धनराशि को अधिकतम 15 दिन में जमा करने का अवसर दिया जायेगा। इसी अवधि में अधिकारी विभागीय अभिलेखों से आवेदन की जमा धनराशि आदि का सत्यापन कर लेगें और यदि कोई अन्तर हुआ तो उसका समाधान करते हुये वास्तविक बकाया धनराशि का अन्तिम माँगपत्र आवंटी को उक्त निर्धारित तिथि को जारी करेंगे। इस माँग पत्र में पूर्व में जमा उक्त निर्धारित तिथि को जारी करते हुये शेष शुद्ध बकाया धनराशि को अधिकतम 15 दिन में एकमुश्त जमा किया जायेगा।

(4) यदि सूचना देने के 15 दिन के अन्दर सम्पूर्ण देय धनराशि अथवा उसकी 1/2 धनराशि आवंटी द्वारा जमा नही की जाती है अथवा उसके 15 दिन बाद शेष 1/2 धनराशि जमा नहीं की जाती है तो यह समाधान योजना उस आवंटी पर लागू नहीं होगी और पूर्व व्यवस्था के अनुसार उससे वसूली/आवंटन निरस्तीकरण/बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

(5) समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि एक पक्ष की समय सीमा में प्रत्येक आवेदक की बकाया धनराशि की सत्यापित गणना उसे प्राप्त करा दी जाय और बकाया मामलों का विवरण कारणों सहित उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाय, ताकि ऐसे मामलों का समाधान उनके स्तर से किया जा सके।

(6) प्राधिकरणों द्वारा, बैंकों के साथ समन्वय कर, ऋण की सुविधा भी प्राधिकरण प्रागंण में ही उपलब्ध करायी जायेगी।

6. ओटीएस अंतर्गत प्रकरण का निस्तारण हो जाने के उपरान्त सम्पत्ति की रजिस्ट्री की कार्यवाही तत्काल कर दी जायेगी। सब रजिस्ट्रार की अनवरत् उपलब्धता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा करायी जायेगी।

7. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के लिए शिविर लगाए जाए। प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों का योजनावार ब्यौरा कम्प्यूटर पर रखा जाए।

8. इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों में रेडियो तथा केबिल/टेलीविजन पर किया जाय। इसके अतिरिक्त मुख्य स्थानों तथा विभिन्न कालोनियों में भी होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार किया जाय, इसमें योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया जायेगा।

9. योजना की सफलता हेतु उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त स्वयं साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। शासन स्तर पर विकास प्राधिकरणों/परिषद की बैठक में इस योजना का भी अनुश्रवण किया जायेगा।

10. इस योजनावधि में प्राप्त आवेदनों, एक पक्ष में सत्यापित विवरणों आदि के विषय में सूचना पूर्व में लागू ओ.टी.एस. योजना हेतु निर्धारित प्रारूप पर शासन को भेजी जायेगी।

11. ओ.टी.एस. योजना के लिए आवेदन का प्रारूप तथा योजना की पाक्षिक प्रगति शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रारूप पूर्ववत रहेंगे।

12. प्राधिकरण तथा उ.प्र. आवास एवं परिषद को गणना हेतु साफ्टवेयर शासन द्वारा पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-4620 (1)9-आ-1-02, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, उ.प्र. आवास बन्धु।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी प्राधिकरणों में आवश्यकतानुसार सब रजिस्ट्रार की इस अवधि में उपलब्धता सुनिश्चित कराने का स्पष्ट निर्देश दिये जाने हेतु।
5. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
7. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
8. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

वितथ समाधान योजना–2002
समय सारिणी एवं क्रियान्वयन की रणनीति

क्र.स.	कार्य बिन्दू	समय सारिणी दिनांक	क्रियान्वयन की रणनीति
1.	शासनादेश/आवेदन पत्र का मुद्रण मुद्रण	14.08.02 तक	शासनादेश एवं आवेदन पत्र का मुद्रण उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् तथा प्राधिकरणों के स्तर पर कराया जाए। इसका मूल्य रू. 5.00 रखा जाए।
2.	जनता को शासनादेश एवं आवेदन पत्रों की उपलब्धता	16.08.02 से	विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में विशेष काउण्टर स्थापित कर शासनादेश एवं आवेदन पत्र की बिक्री की जाए।
3.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद एवं प्राधिकरणों द्वारा टीमों का गठन	20.08.02 तक	नगर को जोन्स, क्षेत्र, कालोनियों में बाँटकर उन्हें एक अधिकारी के अंतर्गत रखा जाए जो योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।
4.	ओ.टी.एस. योजना का अवतरण	16.08.02 से	समस्त विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद में एक समान प्रवृत्त होगी।
5.	योजना का प्रचार-प्रसार	14.08.02 से 14.10.02 तक	• आवास बन्धु : प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से। • प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद: समाचार पत्रों, हैण्ड बिल, केबल टी.वी., स्पीकरयुक्त मोबाइल गाड़ी के माध्यम से।
6.	कैम्प्स का आयोजन	20.08.02 से 15.10.02	क्षेत्रवार कैम्प लगाए जाएँ इनका प्रचार किया जाए। समस्त औपचारिकताएं कैम्प में पूर्ण करने की सुविधा दी जाए।
7.	ओ.टी.एस. योजना का समापन • सामान्य शुल्क सहित • विलम्ब शुल्क सहित	15.10.02 15.09.02 15.10.02	समस्त विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद मे एक समान लागू की जाए।
8.	डिफाल्टर आवंटियों के आवंटन निरस्तीकरण हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ	16.10.02 से 15.11.02	आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद स्तर पर डिफाल्टर आवंटियों के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की जाए।
9.	शासन स्तर/आवास बन्धु स्तर पर अनुश्रवण	22.08.02 से 15.12.02 तक	आवास बन्धु एवं शासन के विशेष सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी।
10.	सचिव, आवास स्तर पर अनुश्रण	31.08.02 से 15.12.02	सचिव, आवास द्वारा पाक्षिक समीक्षा की जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

PROVISIONAL

DEMAND NOTE MEMO FOR O.T.S.-2002

No. HDB4 **Name : Ms. Radhika Prasad**

Mailing Address : C/o Ram Advani. Mayfair Bldg.,
Hazratganj, Lucknow

Cheme : Vaishali Yojna **Property No. : R-206**

Category : Fla **Rate of Interest : 17.00** **Lump Sum Amount Rs.** 0.00

कुल मूल्य जिस पर किश्तों की गणना की गई है रु० : 385200.00

OTS Amount if Paid On/By :

February 15, 2002	**Rs. : 127191.00**
March 2, 2002	**Rs. : 127191.00**

	Instalment Date	Outstanding on date	Instalment Due	Total Due	Amount Paid Date	Amount Paid Amount	Balance Due	Interest till next date	Balance c/f to next date Instalment Amount	Balance c/f to next date Interest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	04-01-95	0.00	17841.00	17841.00	//	0.00	17841.00	756.00	17841.00	756.00
2.	07-01-95	17841.00	17841.00	35682.00	//	0.00	35682.00	1529.00	35682.00	2285.00
3.	10-01-95	35682.00	17841.00	53523.00	//	0.00	53523.00	2293.00	53523.00	4578.00
4.	01-01-96	53523.00	17841.00	71364.00	//	0.00	71364.00	3025.00	71364.00	7603.00
5.	04-01-96	71364.00	17841.00	89205.00	//	0.00	89205.00	3781.00	89205.00	11384.00
6.	07-01-96	89205.00	17841.00	107046.00	//	0.00	107046.00	4587.00	107046.00	15971.00
7.	10-01-96	107046.00	17841.00	124887.00	//	0.00	124887.00	5351.00	124887.00	21322.00
8.	01-01-97	124887.00	17841.00	142728.00	//	0.00	142728.00	5983.00	142728.00	27305.00
9.	04-01-97	142728.00	17841.00	160569.00	//	0.00	160569.00	6805.00	160569.00	34119.00
10.	07-01-97	160569.00	17841.00	178410.00	//	0.00	178410.00	7645.00	178400.00	41755.00
11.	10-01-97	178410.00	17841.00	196251.00	//	0.00	196251.00	8409.00	196251.00	50164.00
12.	01-04-98	196251.00	17841.00	214092.00	//	0.00	214092.00	8974.00	214092.00	59138.00
13.	04-04-98	214092.00	17841.00	231933.00	//	0.00	231933.00	9830.00	231933.00	68968.00
14.	07-01-99	231933.00	17841.00	249774.00	//	0.00	249774.00	10703.00	249774.00	79671.00
15.	10-01-99	249774.00	17841.00	267615.00	//	0.00	267615.00	11467.00	267615.00	91138.00
16.	01-01-99	267615.00	17841.00	285456.00	//	0.00	285456.00	11966.00	285456.00	10314.00
17.	04-01-99	285456.00	17841.00	303297.00	//	0.00	303297.00	12855.00	303297.00	115959.00
18.	07-01-99	302297.00	17841.00	321138.00	//	0.00	321138.00	13761.00	321138.00	129720.00
19.	10-01-95	321138.00	17841.00	338979.00	//	0.00	338979.00	14525.00	338979.00	144245.00
20.	01-01-95	338979.00	17841.00	356820.00	//	0.00	356820.00	15123.00	356820.00	159326.00
21.	04-01-95	356820.00	17841.00	374661.00	//	0.00	374661.00	15879.00	374661.00	175247.00
22.	07-01-95	374661.00	17841.00	392502.00	//	0.00	392502.00	3108.00	392502.00	178355.00
23.	10-01-95	392502.00	0.00	392502.00	07/18/00	55000.00	392502.00	13711.00	392502.00	137066.00
24.	01-01-95	392502.00	17841.00	410343.00	//	0.00	410343.00	17583.00	410343.00	154649.00
25.	04-01-95	410343.00	17841.00	428184.00	//	0.00	428184.00	17949.00	428184.00	172598.00

उपरोक्त गणना आवेदक द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है, इसलिए अंतरिम है। औपचारिक आवेदन किये जाने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा किश्त व किये गये भुगतान आवेदन की अन्य शर्तों आदि का सत्यापन किया जायेगा। यदि देयताएं में कोई अन्तर होगा तो प्राधिकरण/परिषद द्वारा अवगत कराया जायेगा, कि किश्तें भविष्य में देय थीं, जिन्हें ओ०टी०एम० के साथ ही भुगतान किया जाना है। इन्हें उल्लिखित ब्याज दर से डिस्काउंट किया जा रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

ओ०टी०एस० योजना का पाक्षिक (Fortnightly) प्रगति विवरण प्रपत्र

दिनांक 1/15.......2002 की स्थिति

प्राधिकरण का नाम :

(रू० लाख में)

अन्तिम (Tentative) ओ०टी०एस० मेमो निर्गत किये गये		अन्तिम (Final) ओ०टी०एस० मेमो निर्गत किये गये		ओ०टी०एस० के अन्तर्गत जमा धनराशि		ओ०टी०एस० अन्तर्गत पूर्ण मामले	
पक्ष में	कार्मिक	पक्ष में	कार्मिक	पक्ष में	कार्मिक	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8

(सम्बन्धित अधिकारी का हस्ताक्षर/मुहर)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-5844/9-आ-1-2002-1विविध/2[illegible]

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
आवास विभाग।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनाँक-30 दिसम्बर, 20[illegible]

विषय : वन टाइम सेटलमेन्ट योजना-ओ.टी.एस.-2002 योजना में दिनांक-31.01.03 तक वृद्धि किये [illegible] विषयक।

महोदय,

प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के डिफाल्टर आवंटियों क्रेताओं एवं ऋण गृहीताओं [illegible] प्रकरणों के समाधान हेतु शासनादेश संख्या 3201/9-आ-1-02 दिनांक 12.08.02 द्वारा ओ.टी.एस. योजना लागू की [illegible] थी। उक्त शासनादेश की समय-सीमा में दिनांक 28.09.02 को दिनांक 30.11.02 तक की वृद्धि की गयी थी।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त उक्त ओटीएस यो[illegible] को समय सीमा दिनांक 31.01.03 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। योजनान्तर्गत दिनांक 01.01.03 से 31.01.03 [illegible] विलम्ब प्रोसेसिंग शुल्क सहित आवेदन किये जा सकेंगे।

3. कृपया पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 12.08.02 की शर्तों के अधीन दिनांक 01.01.03 से दिनांक 31.01.[illegible] तक ओ.टी.एस. की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या-5844 (1)/9-आ-1-02, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री ।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी प्राधिकरणों में आवश्यकतानुसार सब-रजिस्टार की उपलब्धता इस अवधि उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
6. प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव।
7. आवास बन्धु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक-11 अक्टूबर, 2002

विषय : प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणें, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सृजित सम्पत्तियों के आवंटन में असफल आवेदकों की पंजीकृत धनराशि वापस किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सृजित सम्पत्तियों के निस्तारण न होने के कारण एवं उनके निस्तारण हेतु सम्यक विचारोपरांत शासनादेश संख्या-4912/9-आ-1-99/32 हडको/97 टी.सी., दिनांक-4-11-1999 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गये थे जिनमें अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त प्रस्तर-1 (ख) में यह व्यवस्था थी कि विलम्बतम एक वर्ष में लाटरी द्वारा सफल आवेदकों का चयन कर लिया जाना चाहिए तथा असफल आवेदकों को उनके बैंक खाते के विवरण सहित एकाउण्ट-पेई चेक/ड्राफ्ट स्वत: भेज दिया जाना चाहिए तथा इसके लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त व्यवस्था पर सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में संपत्तियों के आवंटन में पारदर्शिता लाए जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के आवंटन हेतु लाटरी में असफल आवेदकों को उनकी पंजीकृत धनराशि, एकाउण्ट-पेई चेक/ड्राफ्ट या अन्य प्रचलित व्यवस्थाओं के अनुसार लाटरी की तिथि से 15 दिन के अन्दर वापस कर दी जाय। 15 दिन के अन्दर पंजीकृत धनराशि संबंधित असफल आवेदक को न भेजे जाने की दशा में, पंजीकृत धनराशि पर देय ब्याज की कटौती उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से की जायेगी इस विलम्ब हेतु सम्बन्धित कार्मिक/अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

3. इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया है कि असफल आवेदकों को नई योजना के लिए नए सिरे से आवे करना होगा तथा पुराने पंजीकरण का नवीनीकरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा भविष्य में योजना की पंजीकरण पुस्तिका में इस का उल्लेख अवश्य किया जाय कि उस योजना में भवनों/भूखण्डों की कितनी उपलब्धता है।

5. उक्त शासनादेश दिनांक 4.11.1999 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

6. कृपया उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।
3. आवास सचिव शाखा के विशेष सचिव/उपसचिव/अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **प्रबन्ध निदेशक,**
उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-22 अक्टूबर, 2002

विषय : निबन्धित सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन हेतु नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धित सहकारी आवास समितियों की भूमि को विकसित अथवा अविकसित क्षेत्र के रूप में समायोजन किए से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3718/9-आ-3-2000-20एल.ए./92 टी.सी.(आ.ब.) दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत शासनादेश के अन्तर्गत निर्धारित नीति के सम्बन्ध में आवास एवं विकास परिषद तथा कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा निम्न तथ्य शासन के संज्ञान में लाए गए हैं:-

(i) विद्यमान नीति के अनुसा समिति की अर्जित भूमि का 60 प्रतिशत क्षेत्रफल विकसित रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, जो अधिक है। क्योंकि विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में महायोजना प्राविधानों/नियोजन मानकों के अनुसार ट्रंक सेवाओं व सामुदायिक सुविधाओं हेतु भी भूमि आरक्षित करना अनिवार्य होता है जिससे विक्रय योग्य क्षेत्रफल कम हो जाता है तथा जिसकी प्रतिपूर्ति अन्ततोगत्वा प्राधिकरण/ परिषद को ही करनी पड़ती है, जबकि इसे समिति द्वारा भी समानुपातिक रूप से वहन किया जाना चाहिए।

(ii) ग्रुप हाउसिंग हेतु भूमि का समायोजन निहित होने की दशा में उसके लिए भी विकसित रूप में देय भूमि का प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए।

(iii) शासनादेश के अनुसार समायोजन हेतु 10 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क एवं बैटरमेन्ट चार्जेज लिए जाने की व्यवस्था है। परन्तु जहाँ विकास शुल्क लिया जाना हो, वहाँ "बैटरमेन्ट चार्ज" की देयता नहीं बनती है. अत: इस विसंगति का समाधान किया जाना चाहिए।

(iv) समायोजन हेतु प्रस्तावित वाह्य रूप से विकसित भूमि का समयबद्ध नियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु समुचित शर्ते एवं प्रतिबन्ध निर्धारित किए जाने चाहिए।

(V) शासनादेश में "विकसित" तथा "अविकसित" भूमि का तात्पर्य स्पष्ट नहीं है, जिसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

2. उपर्युक्त विन्दुओं के दृष्टिगत निबन्धित सहाकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन से सम्बन्धित

Scanned with OKEN Scanner

शासनादेश संख्या 3718/9-आ-3-2000-20एल.ए./92 टी.सी. (आ.ब.) दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जो सहकारी आवास समितियाँ निम्न पात्रता शर्तें पूर्ण करती हों, उनकी भूमि का समायोजन विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिशद तथा सहकारी आवास संघ की योजनाओं में कर दिया जाए:-

2.1 सहकारी आवास समिति ने भूमि अर्जन की धारा-4 की विज्ञप्ति के दिनाक से कम से कम 18 माह पूर्व पंजीकृत बैनामे द्वारा भूमि क्रय की तो अथवा सदस्यों को भूमि की रजिस्ट्री कर रखी हो। यदि कुछ भूमि भाग 74 ... विज्ञप्ति के दिनांक से 18 माह पूर्व में क्रय की हो और कुछ भूमि बाद में क्रय की हो तो प्रस्तावित सुविधा ... 18 माह पूर्व में क्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में ही प्राप्त होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्रय ... का तात्पर्य भूमि के बैनामे से है न कि "एग्रीमेन्ट टू सेल" से अर्थात सुविधा केवल इस भूमि के सम्बन्ध में ... जिसका पंजीकृत बैनामा होगा,

2.2 समिति की भूमि एक ही स्थान पर हो। यदि समिति की भूमि एक ही स्थान पर अथवा लगभग एक ही स्थान पर न हो, तो समायोजन करते समय भूमि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर ली जाए,

2.3 समिति को उसकी अर्जित भूमि का निम्न अनुपात में विकसित क्षेत्र के रूप में भूमि उपलब्ध कराई जाए:

(क) भूखण्डीय विकास हेतु : अर्जित भूमि 10 एकड़ तक होने पर 50 प्रतिशत तथा 10 एकड़ से अधिक होने पर 45 प्रतिशत,

(ख) ग्रुप हाउसिंग हेतु : उपर्युक्त (क) के अनुसार देय विकसित भूमि का 66 प्रतिशत।

2.4. समायोजन हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में समिति को प्रतिकर तथा अन्य सम्बन्धित धनराशि देय नहीं होगी यदि भुगतान किया गया था तो ब्याज सहित वापस प्राप्त किया जाएगा। समिति से ऐसी भूमि का मूल्य नहीं लिया जाएगा परन्तु विकास कार्यों हेतु वर्तमान दर से विकास शुल्क लिया जाएगा। समिति को चूँकि प्राधिकरण/परिषद द्वारा समायोजन की सुविधा दी जा रही है, अतः विकास शुल्क के अतिरिक्त विकसित आवासीय भूमि की वर्तमान विक्रय दर का 10 प्रतिशत (यदि उक्त दर नहीं है तो वर्तमान सर्किल रेट का 10 प्रतिशत) समायोजन शुल्क भी लिया जाएगा।

2.5 समिति को उपलब्ध कराई गई भूमि में भूखण्डों के आकार का निर्धारण एवं आवंटन सहकारी समिति द्वारा ... किया जाए परन्तु इसमें निबन्धक, सहकारी आवास समितियों के प्रतिनिधि को सम्मिलित रखा जाए जिससे शासन के तत्सम्बन्धी निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके।

2.6 प्रश्नगत सहकारी आवास समिति का धारा-4 की विज्ञप्ति की तिथि को तथा वर्तमान में भी पंजीकरण वैध होना चाहिए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जो सहकारी आवास समितियाँ उपलिखित पात्रता व शर्तों को पूर्ण करती हों, के आवेदन पर भूमि का वाह्य रूप से विकसित किन्तु आन्तरिक रूप से अविकसित क्षेत्र के रूप में समायोजन करते समय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ विचार किया जाए:-

3.1. भूमि का समायोजन यथासम्भव विद्यमान स्थिति पर ही काम्पेक्ट रूप में किया जाए। समायोजित भूमि यथासम्भव नियमित (Regular) आकार में उपलब्ध कराई जाएगी ताकि प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/आवास संघ की योजना की ट्रंक अवस्थापनाओं का नेटवर्क विकृत न हो।

3.2 समायाजित की जाने वाली भूमि में से विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/आवास संघ द्वारा ट्रंक विकास कार्यो यथा जोनल मार्ग, नेबरहुड पार्क/ग्रीन बेल्ट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, वाटर-वर्क्स, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, कूड़ा निस्तारण, नाला, आदि के प्राविधान हेतु 20 प्रतिशत भूमि की कटौती की जाएगी जिसके लिए समिति को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। परन्तु यदि समिति की भूमि एक ही स्थान पर अथवा लगभग एक ही स्थान पर न हो तो समायोजन करने से पूर्व 5 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पर 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए शुद्ध देय अविकसित भूमि का आकलन किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

3.3 प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/आवास संघ द्वारा समायोजन उपरान्त देय भूमि के क्षेत्रफल पर वाह्य विकास शुल्क वसूल किया जाएगा। वाह्य विकास शुल्क प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की वास्तविक दर के आधार पर लिया जाएगा तथा ड्रेनेज व मल-निस्तारण, आदि सेवाओं हेतु निस्तारण स्थल तक होने वाला व्यय समिति द्वारा समानुपातिक रूप से वहन किया जाएगा। यदि समायोजित की जा रही भूमि से सम्बन्धित कोई वाह्य विकास कार्य समिति द्वारा स्वयं कराया जाता है, तो उस कार्य से सम्बन्धित वाह्य विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा।

3.4 समायोजित की गई भूमि का आन्तरिक ले-आउट प्लान विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा इस पर अनिवार्य रूप से यथास्थिति विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/आवास संघ का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। भूमि का आन्तरिक ले-आउट प्लान विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/आवास संघ की योजना के सम्पूर्ण (Over all) ले-आउट प्लान मे भी एकीकृत करना होगा तथा आन्तरिक विकास कार्य इन अभिकरणों द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों व समय-सारिणी के अनुसार सुनिश्चित करने अनिवार्य होंगे।

4. विकसित भूमि का तात्पर्य आन्तरिक एवं वाह्य रूप से विकसित भूमि से है जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार आन्तरिक एवं वाह्य अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़कें, ड्रेनेज, जलापूर्ति, मल निस्तारण, विद्युत-आपूर्ति, पार्क एवं खुले स्थल, लैण्ड स्केपिंग तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्राविधान कर सम्पूर्ण भूमि का अलग-अलग भूखण्डों में सब-डिविजन किया गया हो। जबकि अविकसित भूमि का तात्पर्य वाह्य रूप से विकसित ऐसी 'बल्क' भूमि से है जिसमें वाह्य अवस्थापना सुविधाओं (यथा मास्टर प्लान/जोनल प्लान रोड, जल निकासी हेतु मुख्य नाले, ट्रंक सीवर व सीवरेज निस्तारण, वाटर वर्क्स, वाटर राइजिंग मेन, विद्युत-आपूर्ति हेतु 33 के.वी.ए. सब-स्टेशन एवं हाईटेन्शन लाइन, क्षेत्रीय पार्क तथा जन-सुविधाएं यथा पुलिस स्टेशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टेलीफोन एक्सचेन्ज, सामुदायिक केन्द्र, आदि का प्राविधान हो, परन्तु जिसका अलग-अलग भूखण्डों में सब-डिवीजन नहीं हुआ है तथा आन्तरिक अवस्थापना सुविधाओं) का प्राविधान नहीं किया गया है।

5. कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या 4128(1)9-आ-3-2000-20एल.ए./92 (आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा.आवास मंत्री/राज्य मंत्री आवास के अवलोकनार्थ।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. अपर निदेशक, नियोजन, उ0प्र0 आवास बन्धु।
6. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनाँक-07 दिसम्बर, 2

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

विषय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के पंजीकरण के संबंध

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित लिया गया है:-

(1) विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-17सी के अंतर्गत विधिक गय कर कैंम्प लगाकर रजिस्ट्री की कार्यवाही करायेंगे। महानिरीक्षक, रजिस्ट्रेशन द्वारा शासन को अवगत क गया है कि रजिस्ट्री अब शनिवार को भी होगी, अत: इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाय अधिकाधिक लोगों को जानकारी हो सके।

(2) पूर्व में हस्तान्तरित सम्पत्तियों की रजिस्ट्री दिनांक 31.03.03 तक पुरानी दरों पर कराने हेतु प्रचार- कराया जाय अन्यथा दिनांक 31.03.03 के पश्चात नये सर्किल रेट के आधार पर कार्यवाही की जा

2. कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अविलम्ब अवगत का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या :- 5635 (1)/9-आ-1-02-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. आवास बन्धु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमिताभ त्रिपाठी
अनुसचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊः दिनाँक-14 फरवरी, 2001

विषय : लीज पर आवंटित भूखण्डों पर भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश-संख्या 6795/11-5-80नि0/86 दिनांक 23.10.1986 में किए गए प्राविधानों के अनुसार विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद द्वारा लीज पर आवंटित भूखण्डों पर भवन निर्माण हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की गई है:-

1. रजिस्ट्रेशन की तिथि से 5 वर्ष का समय भवन निर्माण करने के लिए अनुमन्य होगा,
2. 5 वर्ष का अतिरिक्त समय भूखण्ड के मूल्य पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सरचार्ज लेकर बढ़ाया जा सकता है,
3. भूखण्ड का मूल्य तत्समय प्रचलित बाजार दर पर निर्धारित किया जायेगा।
4. 10 वर्ष तक कोई निर्माण न किये जाने की दशा में भूखण्ड की लीज निरस्त कर दी जायेगी।

उक्त शासनादेश में निर्माण को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

(i) छोटे एकल आवासीय भूखण्ड पर एक कमरा, रसोई घर बाथरूम, तथा शौचालय, यदि निर्मित कर दिया गया हो तो उसे पूर्ण निर्माण माना जायेगा।

(ii) बड़े एकल आवासीय भूखण्ड पर यदि दो कमरे, रसोई घर बाथरूम, तथा शौचालय, यदि निर्मित कर दिया गया हो तो उसे पूर्ण निर्माण माना जायेगा।

उक्त शासनादेश में बड़े भूखण्ड, जिन्हें ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत तथा व्यवसायिक निर्माण हेतु लीज पर दिया गया हो, के सम्बन्ध में निर्माण को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः इस श्रेणी के भूखण्डों के सम्बन्ध में सम्यक्

Scanned with OKEN Scanner

विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्माण को निम्नानुसार परिभाषित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

भवन की श्रेणी	किये गये निर्माण की स्थिति
1. ग्रुप हाउसिंग	अनुमन्य तल क्षेत्र का 25 प्रतिशत
2. संस्थागत	अनुमन्य तल क्षेत्र का 25 प्रतिशत
3. व्यवसायिक	अनुमन्य तल क्षेत्र का 50 प्रतिशत

यदि उक्त सीमा तक निर्माण कर लिया जाता है तो सम्बन्धित भूखण्ड को अधिनियम की धारा-18 उपधारा-4 के प्राविधानों से छूट दी जायेगी।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या 5068(1)/9-आ-1-भूखण्ड (आ0ब0)/2001 तद्दिनांक 14/2/2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आवास विभाग के समस्त अनुभागों को।
2. अपर निदेशक नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1740/9 आ 2 आश्रय भाऊ, देवरस योजना/2002 (आ.ब. 2)

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **प्रबन्ध निदेशक,**
उ.प्र. आवास संघ,
लखनऊ।

आवास अनुभाग 2 लखनऊ: दिनाँक-02 जुलाई, 2002

विषय : आश्रय एवं भाऊराव देवरस योजना के लक्ष्यों का निर्धारण।

महोदय,

आप अवगत है कि नगरीय क्षेत्र में समाज के सबसे कमजोर वर्ग एवं निम्न मध्यम आय वर्ग तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को उनकी क्रय-क्षमता के अनुसार आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2002-03 में आश्रय योजना के अन्तर्गत 40 हजार भवन तथा भाऊराव देवरस योजना के अन्तर्गत 20 हजार भवन तथा अन्य श्रेणी के 20 हजार भवन अर्थात् कुल 80 हजार भवनों के निर्माण के लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किए गऐ है, जिनकी अभिकरणवार फांट इस पत्र के साथ संलग्न है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया स्वयं अपने स्तर पर विशेष रुचि लेकर अपने अभिकरण के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित कराएं तथा इनकी प्रगति रिपोर्ट पूर्व में निर्धारित प्रपत्रों (एम.पी.आर. 8 एवं 8 ए) पर प्रत्येक माह मासिक रिपोर्ट के साथ भेजने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या-1740(1)/9-आ-2-आश्रय-भाऊ.देवरस योजना/2002 (आ.ब.-2) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव आवास, उ0प्र0 शासन के अवलोकनार्थ
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

श्रेणी व क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	वर्ष 2002-03 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य (संख्या में)			कुल योग
		आश्रय योजना	भाऊराव देवरस	अन्य	
एस0एस0-1	गाजियाबाद	5000	1500	1500	8000
एस0एस0-2	आ.वि.परिषद	10000	5000	5000	20000
एस0एस0-3	कानपुर	5000	3000	3000	11000
एस0एस0-4	लखनऊ	5000	3500	3500	12000
	योग (श्रेणी-ए0एस0)	25000	13000	13000	51000
ए-1	आगरा	25000	1500	1500	5500
ए-2	इलाहाबाद	2500	1500	1500	5500
ए-3	मेरठ	2500	1000	1000	4500
ए-4	मुरादाबाद	2500	1000	1000	4500
	योग (श्रेणी-ए)	10000	5000	5000	20000
बी-1	अलीगढ़	500	250	250	1000
बी-2	बरेली	500	500	500	1500
बी-3	गोरखपुर	500	250	250	1000
बी-4	मथुरा-वृन्दावन	500	250	250	1000
बी-5	वाराणसी	1000	500	500	2000
	योग (श्रेणी-बी)	3000	1750	1750	6500
सी-1	बाँदा	50	25	25	1000
सी-2	बुलन्दशहर	50	25	25	1500
सी-3	फैजाबाद	50	25	25	80000
सी-4	फिरोजाबाद	50	25	25	80000
सी-5	हापुड़-पिलखुआ	50	25	25	80000
सी-6	झाँसी	50	25	25	80000
सी-7	मुजफ्फरनगर	50	25	25	80000
सी-8	रायबरेली	50	25	25	80000
सी-9	सहारनपुर	50	25	25	80000
सी-10	उन्नाव	50	25	25	80000
	योग (श्रेणी-सी)	500	250	250	1000
	आवास संघ	1500	0	0	1500
	महायोग	40000	20000	20000	80000

Scanned with OKEN Scanner

नजूल भूमि प्रबन्धन

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या-1009/9-आ-4-/2002-108 एन/2001

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ: दिनाँक-29 मई, 2002

विषय : वित्तीय वर्ष 2002-2003 हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु संलग्न कार्य योजना के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-964/9-आ-4-2002-180 एन/2001, दिनांक 21 मई, 2002 के क्रम में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड के सम्बन्ध में सन्दर्भित शासनादेश द्वारा जनपदवार वार्षिक, त्रैमासिक एवं मासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रत्येक जनपद में अपर जिलाधिकारी (वि/रा0) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नजूल भूमि फ्रीहोल्ड के सम्बन्ध में गत वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों एवं कार्यो की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि जनपद स्तर पर रिक्त नजूल भूमि एवं अवैध कब्जे की नजूल भूमि के निस्तारण 'हेतु समयबद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है। प्रश्नगत मामलों में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2002-2003 में प्रत्येक जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति किये जाने हेतु निर्धारित अवधि के अन्दर समयबद्ध कार्य किये जाने के उद्देश्य से कार्य योजना तैयार की गयी है जिसकी प्रति संलग्न है।

2- अतः कृपया नजूल भूमि फ्रीहोल्ड के प्रकरण में संलग्न कार्य योजना के अनुसार रिक्त नजूल भूमि की नीलामी, अवैध कब्जे के विनियमितीकरण आदि के सम्बन्ध में निर्धारित समय के अन्तर्गत सर्वेक्षण, नीलामी/निविदा, अवैध कब्जों के विनियमितीकरण एवं बेदखली आदि के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
जे0एस0 मिश्र
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या :- 1009 (1)/9-आ-4-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि वे अपने मण्डल हेतु निर्धारित वार्षिक, त्रैमासिक एवं मासिक लक्ष्य को समयान्तर्गत प्राप्त करने हेतु संलग्न कार्ययोजना के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने हेतु जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या :- 1009 (2)/9-आ-4-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

आवास विभाग, उ०प्र० शासन

नजूल भूमि की बिक्री (फ्रीहोल्ड) से आय के लिए वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना

जिलाधिकारी द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने वाले बिन्दु एवं कार्य योजना

(अ) डिमाण्ड नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी निर्धारित अवधि में फ्री होल्ड राशि जमा न करने वाले आवेदकों के विरूद्ध कार्यवाही (शासनादेश संख्या 1370/9-आ-4-2000-214 एन/2000, दिनांक 21-5-2000 के अनुसार)

कार्य	अवधि
1. ब्याज सहित धनराशि जमा करने हेतु नोटिस	10 जून, 2002 से 25 जून, 2002 तक
2. नोटिस की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर 25 प्रतिशत स्वमूल्यांकन की धनराशि जब्त किये जाने की कार्यवाही।	26 जून से 15 जुलाई, 2002 तक
3. पट्टा अवधि समाप्त होने वाले प्रकरणों में बेदखली की कार्यवाही।	16 जुलाई, 2002 से 16 सितम्बर, 2002 तक।

(ब) रिक्त नजूल भूमि पर अवैध कब्जेदारों का विनियमितीकरण

(शासनादेश सं: 2268/9-आ-4-98-704 एन/97 दि० 01.12.1999 के प्रस्तर-7 के अनुसार)।

कार्य	अवधि
1. ब्याज सहित धनराशि जमा करने हेतु नोटिस	10 जून, 2002 से 25 जून, 2002 तक
2. पात्र अवैध कब्जेदारों का विनियमितीकरण	28 जून, 2002 से 15 जुलाई, 2002 तक
3. आवेदन हेतु अवधि निर्धारित करते हुए नोटिस	30 जून, 2002 तक
4. विनियमितीकरण कार्यवाही	1 जुलाई, 2000 से 30 जुलाई, 2002 तक
5. आवेदन न करने पर बेदखली की कार्यवाही हेतु वाद योजित करना।	30 जुलाई, 2002 तक

(स) रिक्त नजूल भूमि का नीलामी/निविदा द्वारा निस्तारण

(शासनादेश संख्या 2093/9-आ-4-293 एन, 30 दिनांक 3-10-1994 के प्रस्तर-4 के अनुसार)

कार्य	अवधि
1. रिक्त भूमि का सर्वेक्षण/चिन्हांकन	10 जून, 2002 से 25 जून, 2002 तक
2. नीलामी हेतु सूचना का प्रकाशन/प्रचार-प्रसार की कार्यवाही	26 जून, 2002 से 10 जुलाई, 2002 तक
3. नीलामी कार्यवाही को अन्तिम रूप देना	10 अगस्त, 2002 तक

(द) रिक्त नजूल भूमि पर पात्रता की श्रेणी में न आने वाले अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध कार्यवाही

कार्य	अवधि
1. शासन की ऐसी रिक्त नजूल भूमि जिसे शासनादेश दिनांक 1-12-98 के प्राविधान के अन्तर्गत विनियमित किया जाना सम्भव नही है, के मामलों में विकास प्राधिकरण वाले नगरों में उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एवं डवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 26 (ग) के अधीन प्राधिकरणों के माध्यम से प्राथमिकता पर कार्यवाही।	10 जुलाई, 2002 से 15 जुलाई, 2002 तक
2. जहाँ अरबन प्लानिंग एक्ट के प्राविधान लागू नहीं है वहां समाचार पत्रों के माध्यम से भूमि रिक्त कराने हेतु समाचार पत्रों के सम्बन्ध में विज्ञापन प्रकाशित करायी जाय।	10 जुलाई, 2002 से 15 जुलाई, 2002 तक
3. उक्त प्रकार से प्राप्त रिक्त नजूल भूमि को नीलमी/निविदा द्वारा निस्तारण किया जाय।	15 जुलाई, 2002 से 15 अगस्त, 2002 तक

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2257/9-आ-4-/2002-417-एन/200

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

लखनऊ: दिनाँक-17 अक्टूबर, 200

आवास अनुभाग-4

विषय : पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड हेतु आंकलित धनराशि का डिमाण्ड नोट जारी होने के 90 दिन के अन्दर धनराशि जमा करने पर 20 प्रतिशत छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 03 अक्टूबर, 1994 ३ पस्तर-1(क) म सवपथम यह व्यवस्था को गयी थी कि एस आवदक जा शासनादश जारी हान की तिथि स 3 मा क भीतर फ्रीहोल्ड हत आवदन करग उन्ह फ्रीहोल्ड हत आकलित धनराशि का मागपत्र जारी हान क 90 दिन ३ अन्दर एकमुश्त जमा करने पर आंकलित धनराशि के 20 प्रतिशत की धनराशि की छूट दी जायेगी। इस सम्ब में यह अवगत कराना है कि यद्यपि फ्रीहोल्ड आवेदकों को उक्त 20 प्रतिशत की छूट समय-समय पर निर्ग शासनादेशों द्वारा अनुमन्य की जाती रही है और वर्तमान फ्रीहोल्ड नीति के अन्तर्गत भी शासनादेश दिनां 15.2.1999 क माध्यम स उक्त 20 प्रतिशत की छूट नियमानुसार पदान किय जान क निदश दिय जा चुक ह त शासनादेश दिनांक 20 जनवरी, 2004 के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अनाधिकृत अध्यासियों ३ विनिमितीकरण/फ्रीहोल्ड के प्रकरणों में 20 प्रतिशत की छूट दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

2. परन्तु प्रश्नगत छूट दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 03 अक्टूबर, 1994 द्वारा 3 माह की ३ समय सीमा निर्दिष्ट की गयी है तथा फ्रीहोल्ड मार्गदर्शिका के पृष्ठ-14 पर क्रमांक-4 की जिज्ञासा-समाधान में ३ आशय का उल्लख ह कि यह व्यवस्था दिनाक-31 जनवरी, 1999 तक आवदकताआ का पाप्त हागी, स उत्पन्न भ्राम स्थिति के सन्दर्भ में कतिपय जनपदों द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश की अपेक्षा की गयी है। अत: एतदद्वारा यह स्प किया जाता है कि वर्तमान फ्रीहोल्ड नीति के अन्तर्गत डिमाण्ड नोट निर्गत होने की तिथि से 90 दिन के फ्रीहो क लिए आकलित सम्पूण धनराशि जमा किय जान पर 20 पतिशत छूट अनमन्य ह आर फ्रीहाल्ड क पकरणों यह सुविधा दी जाती रहेगी, जब तक इसे अग्रेतर आदेशों द्वारा समाप्त न कर दिया जाय। अत: शासनादेश दिनां 03 अक्टबर, 1994 तथा फ्रीहाल्ड मागदशिका क पष्ठ-14 क्रमाक-4 क जिज्ञासा-समाधान म पश्नगत छूट क निर्मि निर्दिष्ट की गयी समय सीमा को निरस्त समझा जाये।

भवदीय,
जे0एस0 मिश्र
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनाँक-10 दिसम्बर, 2002

विषय : नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश में संशोधन/सरलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सबंध में शासन द्वारा प्रथम बार शासनादेश संख्या-1562/9-आ-4-92-293एन/90, दिनांक 23 मई, 1992 द्वारा फ्रीहोल्ड की नीति लागू की गयी थी जिसमे कतिपय सशोधन एव परिवतन करते हुये शासनादेश संख्या:3632/9-आ-4/92-293 एन/90, दिनांक 2 दिसम्बर, 1992, शासनादेश संख्या 2093/9-आ-4-293एन/90, दिनांक 3 अक्टूबर, 1994, शासनादेश सख्या:-3082/9-आ-4-95-628एन/95, दिनाक 1 जनवरी, 1996, शासनादेश सख्या-82/9-आ-4-96-629एन/95, दिनांक 17 फरवरी, 1996, शासनादेश संख्या-148/9-आ-4-97-260एन/97, दिनांक 28 फरवरी 1997, शासनादेश संख्या-2029/9-आ-4-97-260एन/97 दिनांक 26 सितम्बर, 1997 एवं शासनादेश संख्या:2268/9-आ-4-98-704 एन/97, दिनाक 1 दिसम्बर, 1998 जारी किये गये थे। उपरोक्त शासनादेश मे की गयी व्यवस्थाओ की गहन समीक्षा एवं सम्यक विचारापरान्त शासन द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निम्न सशोधन एवं व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. पट्टागत नजूल भूमि अथवा समाप्त पट्टे की नजूल भूमि को पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में अब फ्री-होल्ड की कार्यवाही वर्तमान सर्किल रेट के आवासीय मामलों में 40 प्रतिशत तथा अनावासीय मामलो मे 60 प्रतिशत प्राप्त कर महायोजना मे निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार फ्री-होल्ड किया जायगा। पट्टागत भूमि के समस्त मामलों ने पूर्व की भांति डिमाण्ड नोटिस के सापेक्ष देय समस्त धनराशि 90 दिन के अन्दर जमा करने की दशा में 20 प्रतिशत का छूट अनुमन्य किया जाएगा। इसी प्रकार पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी का पूर्व की भांति 14 छमाही किश्तो मे ब्याज सहित धनराशि जमा करने की सुविधा अनुमन्य होगी तथा किश्तो की धनरराशि समय पर भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट अन्तिम किश्त मे समायोजित की जायगी।

2. नजूल भूमि गड्डायुक्त होने/एप्रोच मार्ग न होने अन्यथा अन्य कारणों से नीलामी न हो सकने की स्थिति में रिक्त नजूल भूमि यदि किसी कारणवश नीलाम न हो पाने की दशा में विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/स्थानीय निकाय के पक्ष में वर्तमान सर्किल रेट का निम्नवत् दर प्राप्त कर आवंटित की जायेगी :-

Scanned with OKEN Scanner

	अविकसित	विकसित
आवासीय	25 प्रतिशत	40 प्रतिशत
अनावासीय	25 प्रतिशत	40 प्रतिशत

उक्त सभी मामलों में भूमि का आवंटन शासन के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

3. शासनादेश संख्या:-1300/9-आ-4-96-629एन/95 (टी0सी0), दिनांक 29 अगस्त, 1996, एवं शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704 एन/97, दिनांक 01 दिसम्बर, 1998 के प्रस्तर-4 में पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में फ्री-होल्ड की सुविधा अनुमन्य की गयी थी। नामित व्यक्ति के पक्ष में फ्री-होल्ड की उक्त व्यवस्था को समाप्त करते हुये अब यह प्राविधान किया गया है कि फ्री-होल्ड की सुविधा अब केवल मूल पट्टाधारक अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी के अतिरिक्त ऐसे क्रेता जिन्होंने पंजीकृत विलेख के माध्यम से स्टाम्प शुल्क देकर भूमि प्राप्त किया है, को ही वर्तमान सर्किल रेट के आवासीय मामलों में 40 प्रतिशत तथा व्यवसायिक मामलों में 60 प्रतिशत प्राप्त कर फ्री-होल्ड की सुविधा अनुमन्य होगी।

4. नजूल भूमि पर अनाधिकृत रूप से विकसित गरीब व्यक्तियों के आवासीय कब्जों को विनियमित किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या 3082/9-आ-4-95-628एन/95, दिनांक 1 जनवरी, 1996 द्वारा रियायती दर पर पट्टा स्वीकृत किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति की आय सीमा रूपया 1250/- मासिक निर्धारित करते हुए दिनांक 30-11-1991 के सर्किल रेट पर आंकलित नजराने की धनराशि 10 छमाही किश्तों में लिये जाने का प्राविधान किया गया है। गरीब व्यक्तियों के अवैध आवासीय कब्जे की भूमि को विनियमित किये जाने हेतु प्रति व्यक्ति रू0 1250/- (रु0 बारह सौ पचास) की जो आय सीमा रू0 1700/- प्रतिमाह या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित न्यूनतम आय वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्तियों के अवैध कब्जे का विनियमितीकरण दिनांक 1-1-1996 के सर्किल रेट पर किया जायेगा। ऐसे मामलों में किश्तों की सुविधा शासनादेश दिनांक 1-1-96 के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

5. शासनादेश संख्या 2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 के प्रस्तर-7 में दिनांक 1-1-1992 के पूर्व के अवैध कब्जों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में दरे निर्धारित की गयी है। प्रश्नगत मामलों में नीति का सरलीकरण करते हुए अब दिनांक 1-12-1998 तक के अवैध कब्जों को वर्तमान सर्किल रेट के 100 प्रतिशत की दर पर फ्री-होल्ड किया जायेगा तथा दिनांक 1-12-1998 के पूर्व के अवैध कब्जे के प्रमाण स्परूप भूखण्ड से सम्बन्धित टेलीफोन बिल, विद्युत बिल हाउस टैक्स की रसीद मतदाता सूची, राशन कार्ड के अतिरिक्त बैंक के खाते में दिया गया पता भी अभिलेखीय साक्ष्य माना जायेगा।

6. सार्वजनिक संस्थाओं की ऐसी पूर्व पट्टागत भूमि के मामले में जिसमें प्रीमियम प्राप्त नहीं किया गया है तथा ऐसी संस्थाओं द्वारा चैरिअेबिल से भिन्न प्रयोजन हेतु पट्टागत भूमि का उपयोग किया जा रहा है या चेरिटेबिल कार्य नहीं किया जा रहा है अथवा जहां पटटे की शर्तो का उल्लंघन कर आंशिक अथवा सम्पूर्ण भूमि का भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है, तीन माह की समय सीमा निर्दिष्ट करते हुये आवासीय भू-उपयोग होने की दशा में प्रचलित सर्किल रेट का 60 प्रतिशत तथा अनावासीय भू-उपयोग होने की दशा में 80 प्रतिशत की दर प्राप्त कर फ्री-होल्ड किया जायेगा।

7. स्थानीय निकाय द्वारा बिना शासन की अनुमति के नजूल भूमि पर निर्माण कराकर किराये पर उठायी गयी सम्पत्तियों को फ्री-होल्ड कराने का प्रथम अधिकारी स्थानीय निकाय को दिया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह के अन्दर तक संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं फ्रीहोल्ड नहीं कराया जाता है तो दुकानदारों/किरायेदारों के पक्ष में पट्टाधारक की भांति वर्तमान सर्किल रेट के यथा स्थिति आवासीय मामलों में 40 प्रतिशत तथा अनावासीय मामलों में 60 प्रतिशत प्राप्त कर फ्री-होल्ड की कार्यवाही कर दी जाए। इस हेतु स्थानीय निकाय की अनापत्ति की आवश्यकता नहीं होगी। यदि स्थानीय निकाय स्वयं प्रश्नगत भूखण्ड/भवन को फ्री-होल्ड कराने के इच्छुक है तो उन्हें स्वंमूल्यांकन के रूप में 25 प्रतिशत के स्थान पर मात्र

Scanned with OKEN Scanner

10 प्रतिशत स्वंमूल्यांकन की धनराशि जमा कराकर आवेदन करना होगा तथा किश्तों में धनराशि जमा करने की दशा में बिना ब्याज के 10 छमाही किश्तों की सुविधा अनुमन्य होगी।

8. सार्वजनिक अथवा शासकीय उपयोग हेतु पूर्व पट्टागत नजल भूमि को आरक्षित किये जाने के संबंध में यह व्यवस्था की गयी है कि समाप्त पट्टे की नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने की वर्तमान व्यवस्था तभी प्रभावी होगी जबकि ऐसी भूमि की आवश्यकता शासकीय उपयोग के लिये न होगी। उक्त प्रकार के मामलों में शासन का अनुमोदन आवश्यक होगा।

9. नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक जारी शासनादेश में तालाब, पोखर के रूप में स्थित नजूल भूमि के संबंध में कोई नीति निर्धारित नहीं है। प्रश्नगत मामलें में यह व्यवस्था की गयी है कि तालाब/पोखर की ऐसी नजूल भूमि जिसका उपयोग जलनिकासी/सार्वजनिक उपयोग के लिये किया जाता है, उन मामलों में विकास प्राधिकरण अथवा संबंधित नगरीय निकाय द्वारा तालाब/पोखर का वर्तमान स्वरूप बनाये रखते हुये स्वयं के संसाधनों से सौन्दर्यीकरण करके इससे प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग इसके रख-रखाव एवं विकास कार्यों में किया जायेगा।

10. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नगरीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा विस्थापितों के पूनर्वासन योजना के अन्तर्गत उक्त निकायों को आवासीय प्रयोजन के लिये वर्तमान सर्किल रेट का 20 प्रतिशत तथा व्यवसायिक, प्रयोजन हेतु 25 प्रतिशत प्राप्त कर फ्री-होल्ड भूमि उपलब्ध करायी जायेंगी।

11. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-8/1153/दल-2002 दिनांक 10.12.2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

जे0एस0 मिश्र

सचिव।

संख्या :- 2873(1)/9-आ-4-2002-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

वी0 एन0 अग्रवाल

विशेष सचिव।

संख्या :- 2873 (1)/9-आ-4-2002-तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-6
4. गोपन अनुभाग 1 को उनके पत्र संख्या:- 4/2/22/2002 सी एक्स (1) कदनौ 7-12-2002 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

वी0 एन0 अग्रवाल

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-4021/9-आ-4-2002-108एन/200

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनाँक-20 दिसम्बर, 200

विषय : नजूल भूमि के फ्री-होल्ड से प्राप्त आय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2002-2003 हेतु निर्धारि लक्ष्य एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में।

महोदय,

नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण तथा राज्य के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि किये जाने हेतु शासनादेश सं 964/9-आ 4-2002-108एन/2001, दिनांक 21 मई, 2002 द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 हेतु वार्षिक, त्रैमासिक मासवार लक्ष्य निर्धारित कर प्रेषित किये गये थे। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भू के प्रबन्ध एवं निस्तारण के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 2873/97आ-4-2002-152एन/20 टी0सी0, दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 द्वारा नयी संशोधित नीति जारी की गयी है।

2. उक्त संशोधित नीति इस दृष्टिकोण से बनायी गयी है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित नजूल भू शीघ्रातिशीघ्र फ्री-होल्ड करके, रिक्त भूमि की नीलामी करके तथा अवैध कब्जे की भूमि संशोधित नीति के अनु विनियमित कर अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये। इस प्रकार संशोधित नीति दिनांक 10.12.2002 का मुख्य उद्दे यह है कि अगले वित्तीय वर्ष 2003-2004 तक समस्त नजूल भूमि का निस्तारण कर दिया जाये ताकि नजूल भू की बिक्री एवं फ्री-होल्ड का प्रकरण सदैव के लिये समाप्त हो जाये एव शासन को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति हो जाये। आप अवगत है कि नजूल भूमि के फ्री-होल्ड की नीति वर्ष 1992 से लागू है। अतः प्रशासनि दृष्टिकोण से फ्री-होल्ड की नीति अब अधिक समय तक चालू रखना उचित नहीं है।

3. शासन को उक्त मंशा को दृष्टिगत रखते हुये आपके जनपद में स्थित पट्टागत नजूल भूमि का लक्ष्य अ द्वारा उपलब्ध कराये गये भूमि के विवरण/सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें चालू प एवं समाप्त पट्टे की भूमि का औसत मूल्य रूपये 500/- प्रति वर्ग मीटर तथा रिक्त नजूल भूमि का मूल्य 1,000/- प्रति वर्ग मीटर मानकर भूमि का मूल्यांकन किया गया है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्य योज भी तैयार की गयी है, निर्धारित लक्ष्य का जनपदवार फांट संलग्नक-1 के रूप में एवं कार्य बिन्दुओं को संलग्नक-2 के रूप में प्रेषित की जा रही है।

4. अतः कृपया संलग्न संशोधित जनपदवार लक्ष्य को समयान्तर्गत प्राप्त करने हेतु पट्टे की/समाप्त पट्टे की नजू भूमि फ्री-होल्ड करने एवं रिक्त नजूल भूमि नीलामी/निविदा द्वारा निस्तारित करने तथा अवैध कब्जे की नजूल भू

Scanned with OKEN Scanner

को सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 10.12.2002 के प्राविधान के अनुसार विनियमित करने हेतु संलग्नक-2 में दर्शाये गये कार्य बिन्दु के अनुसार तत्काल अग्रेतर कार्यवाही करते हुये इस वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये संशोधित लक्ष्य तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रभावी रणनीति बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5. प्रश्नगत मामले में मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-2003 का संशोधित लक्ष्य तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसे जनपद में स्थित नजूल भूमि को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित किया गया है। अत: उक्त निर्धारित लक्ष्य को संशोधित अथवा कम करने हेतु किसी भी स्तर से तथा किसी प्रकार का भी पत्राचार न किया जाये तथा उपरोक्त लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,
जे0एस0 मिश्र,
सचिव।

संख्या :- 4021(1)/9-आ-4-2002-तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्तों को इस आशय से प्रेपित की जा रही है कि शासन द्वारा जारी नई संशोधित नीति शासनादेश संख्या 2873/9-आ-4-2002-152एन/2000 टी0सी0, दिनांक 10-12-2002 को लागू कराते हुये इस वित्तीय वर्ष 2002-2003 के संशोधित लक्ष्य तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2003-2004 हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संलग्नक 2 के कार्य बिन्दु में उल्लिखित समय सीमा के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुये अपनी समीक्षा रिर्पोट शासन को अनुवर्तीय सप्ताह में निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
वी0 एन0 अग्रवाल
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

नजूल भूमि का जनपदवार वित्तीय वर्ष 2002-2003 का संशोधित वार्षिक लक्ष्य तथा 2003-2004 का वार्षिक लक्ष्य

(संलग्नक-1)

क्र. सं.	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2002-03 का संशोधित लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2003-04 का वार्षिक लक्ष्य
1	2	3	4
झाँसी मण्डल			
1.	झाँसी	1000.00	4535.00
2.	ललितपुर	357.50	1072.50
3.	जालौन	120.00	120.00
	मण्डल योग	*1477.50*	*5727.50*
इलाहाबाद मण्डल			
4.	इलाहाबाद	9117.50	27352.50
5.	फतेहपुर	500.00	2330.00
6.	प्रतापगढ़	308.75	926.25
7.	कौशाम्बी**	0.00	0.00
	मण्डल योग	*9926.25*	*3256.25*
कानपुर मण्डल			
8.	कानपुर देहात	0.00	0.00
9.	कानपुर नगर	2000.00	2000.00
10.	इटावा	60.00	60.00
11.	फर्रुखाबाद	20.00	20.00
12.	औरैया	12.00	12.00
13.	कन्नौज**	0.00	0.00
	मण्डल योग	*2092.00*	*2092.00*
मिर्जापुर मण्डल			
14.	मिर्जापुर	165.00	495.00
15.	सोनभद्र	90.00	90.00
16.	संत रविदासनगर**	0.00	0.00
	मण्डल योग	*255.00*	*585.00*
वाराणसी मण्डल			
17.	वाराणसी	601.25	1803.75
18.	गाजीपुर	57.00	172.50
19.	जौनपुर	152.50	457.50
20.	चन्दौली**	0.00	00.00
	मण्डल योग	*811.25*	*2433.75*
चित्रकूट मण्डल			
21.	चित्रकूट	15.00	45.00
22.	बाँदा	942.00	2827.00
23.	हमीरपुर	177.50	532.00
24.	महोबा	22.50	67.50
	मण्डल योग	*1157.50*	*3472.50*

नोट : **उक्त जनपदों में नजूल भूमि उपलब्ध नहीं है।

नजूल भूमि का जनपदवार वित्तीय वर्ष 2002-2003 का संशोधित वार्षिक लक्ष्य तथा 2003-2004 का वार्षिक लक्ष्य

क्र. सं.	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2002-03 का संशोधित लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2003-04 का वार्षिक लक्ष्य
1	2	3	4
लखनऊ मण्डल			
1.	लखनऊ	4295.00	12885.00
2.	हरदोई	56.25	168.75
3.	खीरी	530.00	1590.00
4.	रायबरेली	150.00	150.00
5.	सीतापुर	130.00	130.00
6.	उन्नाव	22.50	67.50
	मण्डल योग	*5183.75*	*14991.50*
फैजाबाद मण्डल			
31.	फैजाबाद	500.00	500.00
32.	अम्बेडकरनगर	136.25	408.75
33.	बाराबंकी	526.25	1578.75
34.	सुल्तानपुर	1117.50	3352.50
	मण्डल योग	*2280.00*	*5840.00*
देवी पाटन मण्डल			
35.	गोण्डा	4075.00	12225.00
36.	बहराइच	40.00	40.00
37.	बलरामपुर**	0.00	0.00
38.	श्रावस्ती**	0.00	0.00
	मण्डल योग	*4115.00*	*12265.00*
गोरखपुर मण्डल			
39.	गोरखपुर	4398.00	13196.25
40.	देवरिया	120.00	360.00
41.	कुशीनगर	298.75	896.25
42.	महाराजगंज**	0.00	90.00
	मण्डल योग	*4817.50*	*14452.90*
बस्ती मण्डल			
43.	बस्ती	285.00	855.00
44.	सिद्धार्थनगर**	0.00	0.00
45.	संत कबीरनगर**	0.00	0.00
	मण्डल योग	*285.00*	*855.00*
आजमगढ़ मण्डल			
46.	आजमगढ़	50.00	50.00
47.	बलिया	141.25	423.75
48.	मऊ	20.00	20.00
	मण्डल योग	*191.25*	*473.75*

नोट : **उक्त जनपदों में नजूल भूमि उपलब्ध नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

नजूल भूमि का जनपदवार वित्तीय वर्ष 2002-2003 का संशोधित वार्षिक लक्ष्य तथा 2003-2004 का वार्षिक लक्ष्य

क्र. सं.	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2002-03 का संशोधित लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2003-04 का वार्षिक लक्ष्य
1	2	3	4
मेरठ मण्डल			
49.	मेरठ	180.00	180.00
50.	बुलन्दशहर	536.25	1608.75
51.	गौतमबुद्धनगर	298.75	896.25
52.	गाजियाबाद**	0.00	0.00
53.	बागपत**	0.00	0.00
	मण्डल योग	*1015.00*	*2685.00*
मुरादाबाद मण्डल			
54.	मुरादाबाद	400.00	1080.00
55.	रामपुर	535.00	1605.00
56.	बिजनौर	32.50	97.50
57.	ज्योतिबाफुलेनगर**	0.00	0.00
	मण्डल योग	*967.50*	*2782.50*
आगरा मण्डल			
58.	आगरा	1142.50	3427.50
59.	अलीगढ़	100.00	100.00
60.	एटा	20.00	20.00
61.	मैनपुरी	10.00	10.00
62.	फिरोजाबाद	40.00	40.00
63.	मथुरा	20.00	20.00
64.	हाथरस	10.00	10.00
	मण्डल योग	*1332.50*	*3617.50*
बरेली मण्डल			
65.	बरेली	185.00	555.00
66.	बदायूँ	24.00	24.00
67.	पीलीभीत	58.75	176.25
68.	शाहजहाँपुर	208.75	626.25
	मण्डल योग	*476.50*	*1381.50*
सहारनपुर मण्डल			
69.	सहारनपुर	200.00	200.00
70.	मुजफ्फरनगर	50.00	20.00
	मण्डल योग	*250.00*	*220.00*
	महायोग	*36633.50*	*77131.00*

नोट : **उक्त जनपदों में नजूल भूमि उपलब्ध नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

आवास विभाग, उ0प्र0 शासन

नजूल भूमि की बिक्री (फ्रीहोल्ड) से आय के लिए वित्तीय वर्ष 2002-2003 के शेष चार माह यथा माह दिसम्बर, 2002 से मार्च, 2003 लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य बिन्दु

जिलाधिकारी द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने वाले कार्य बिन्दु

(अ) डिमाण्ड नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी निर्धारित अवधि में फ्री-होल्ड राशि जमा न करने वाले आवेदकों के विरूद्ध कार्यवाही (शासनादेश संख्या 1370/9-आ-4-2000-214 एन/2000, दिनांक 21-5-2000 के अनुसार)

कार्य	अवधि
1. ब्याज सहित धनराशि जमा करने हेतु नोटिस	01 जनवरी, 2003 से 15 जनवरी, 2003
2. नोटिस की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर 25 प्रतिशत स्वमूल्यांकन की धनराशि जब्त किये जाने की कार्यवाही	15 जनवरी, 2003 से 15 फरवरी, 2003
3. पट्टा अवधि समाप्त होने वाले प्रकरणों में बेदखली की कार्यवाही।	26 दिसम्बर, 2002 से 30 जनवरी, 2003

(ब) रिक्त नजूल भूमि पर अवैध कब्जेदारों का विनियमितीकरण

(शासनादेश संख्या 2873/9-आ-4-2002-152एन/2000 टीसी दिनांक 10.12.2002 के प्रस्तर-5 के अनुसार)

कार्य	अवधि
1. पात्र अवैध कब्जेदारों का विनियमितीकरण	26 दिसम्बर, 2002 से 15 जनवरी, 2003
2. आवेदन हेतु अवधि निर्धारित करते हुए नोटिस	01 जनवरी, 2003 से 15 जनवरी, 2003
3. विनियमितीकरण कार्यवाही	05 जनवरी, 2003 से 15 मार्च, 2003
4. आवेदन न करने पर बेदखली की कार्यवाही हेतु वाद योजित करना	30 जनवरी, 2003 से 15 मार्च, 2003

(स) रिक्त नजूल भूमि का नीलामी/निविदा द्वारा निस्तारण

(शासनादेश संख्या 2093/9-आ-4-293एन/90 दिनांक 3.10.1994 के प्रस्तर-4 के अनुसार)

कार्य	अवधि
1. नीलामी हेतु सूचना का प्रकाशन/प्रचार-प्रसार की कार्यवाही	26 दिसम्बर, 2002 से 30 जनवरी, 2003
2. नीलामी कार्यवारी को अन्तिम रूप देना	01 फरवरी, 2003 से 28 फरवरी, 2003

(द) रिक्त नजूल भूमि पर पात्रता की श्रेणी में न आने वले अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

कार्य	अवधि
1. शासन की ऐसी रिक्त नजूल भूमि जिसे शासनदेश दिनांक 10.12.02 के प्राविधान के अन्तर्गत विनियमित किया जाना सम्भव नहीं है, के मामलों में विकास प्राधिकरण वाले नगरों में उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एवं डवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 26 (ग) के अधीन प्राधिकरणों के माध्यम से प्राथमिकता पर कार्यवाही।	26 दिसम्बर, 2002 से 15 मार्च, 2003
2. जहाँ अरबन प्लानिंग एक्ट के प्राविधान लागू नहीं है वहाँ समाचार पत्रों के माध्यम से भूमि रिक्त कराने हेतु समाचार पत्रों के सम्बन्ध में विज्ञापन प्रकाशित करायी जाय।	26 दिसम्बर, 2002 से 25 जनवरी, 2003
3. उक्त प्रकार से प्राप्त रिक्त नजूल भूमि को नीलामी/निविदा द्वारा निस्तारण किया जाय	25 जनवरी, 2003 से 15 मार्च, 2003

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-4029/9-आ-4-2002-529 एन/200

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

लखनऊ: दिनाँक-31 दिसम्बर, 200

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4

विषय : नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के संबंध में जारी शासनादेश दिनांक 10 दिसम्बर, 200 के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2873/9-आ-4-2002-152एन/2000 टी0सी0, दिनांक 10 दिसम्बर, 200 जा के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत मामले में कतिपय जनपदों द्वारा उक्त शासनादेश जा होने के पूर्व के मामले में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर मार्ग दर्शन की अपेक्षा की गयी है :-

(1) दिनांक 10.12.2002 के पूर्व लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण वर्ष, 1994 के सर्किल रेट के आध पर किया जायेगा अथवा वर्तमान सर्किल रेट पर फ्री-होल्ड किया जायेगा।

(2) दिनांक 10.12.2002 के पूर्व नामित व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदनों को नयी नीति की व्यवस्था अन्तर्गत निरस्त कर दिया जाय अथवा नहीं?

2. उक्त सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश संख्या 2873/9-आ-4-2002-152एन/2000, टी0 दिनांक 10-12-2002 द्वारा प्रतिपादित नीति तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है। अत: दिनांक 10.12.2002 से में जिन आवेदकों ने स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करते हुये चालान की प्रति के साथ प्रार्थना प्रस्तुत कर दिया था, तथा फ्री-होल्ड की पात्रता सम्बन्धी समस्त निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कर दी थी उन प्रक में तत्कालीन नीति अनुसार दरें व शर्त लागू होंगी। ऐसे मामलों में शासनादेश दिनांक 10.12.2002 लागू नहीं हो

3. इसी प्रकार वर्तमान में शासनादेश दिनांक 10.12.2002 के प्रस्तर-3 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता कि नामित श्रेणी में फ्री-होल्ड किये जाने की व्यवस्था को शासनादेश दिनांक 10.12.2002 द्वारा ही समाप्त कि गया है। अत: पूर्व नीति के तहत नामित श्रेणी में जिन आवेदकों द्वारा फ्री-होल्ड के लिए आवेदन किया गया तथा स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी गयी थी उनके सन्दर्भ में वर्तमान नीति अर्थात शासनाद

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 10.12.2002 लागू नहीं होगा।

4. नजूल फ्री-होल्ड विषयक मामले में जहाँ तक फ्री-होल्ड हेतु सर्किल रेट का प्रश्न है यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश संख्या 2961/9-आ-4-99-350एन/99टी0सी0 दिनांक 3 दिसम्बर, 1999 द्वारा पूर्व में यह निर्देशित किया गया था कि दिनांक 30.06.1999 तक 25 प्रतिशत धनराशि जमा करते हुये चालान की प्रति के साथ आवेदन दिये जाने पर फ्री-होल्ड की कार्यवाही 30.11.1991 के सर्किल रेट पर की जायेगी तथा दिनांक 30.6.1999 के उपरान्त दिनांक 1.4.1994 के सर्किल रेट के आधार पर फ्री-होल्ड किया जायेगा। चूँकि शासनादेश दिनांक 10.12.2002 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अत: दिनांक 10.12.2002 के पूर्व में दिये गये आवेदनों पर फ्री-होल्ड की कार्यवाही दिनांक 1.4.1994 के सर्किल रेट के आधार पर ही की जायेगी न कि वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर।

5. उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश संख्या 3731/9-आ-4-2000-17जी/99, दिनांक 4 जनवरी, 2000 द्वारा स्थानीय निकाय के किरायेदारों के पक्ष में फ्री-होल्ड की कार्यवाही के निमित्त जो प्रतिबन्ध एवं स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्राप्त करने की व्यवस्था लागू की गयी थी उसे नीति सम्मत न होने की कारण एतत् द्वारा निरस्त किया जाता है।

अत: कृपया फ्री-होल्ड के मामलों में उक्त निर्देशानुसार अग्रतर कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि राजस्व प्राप्ति यथा लक्ष्य सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,
जे0स0मिश्र
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

3

महायोजनाएं

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,**
विनियमित क्षेत्र-सीतापुर,
सीतापुर।

आवास अनुभाग-3 लखनऊः दिनाँक : 14 जून, 2002

विषय : विनियमित क्षेत्र-सीतापुर की सीतापुर महायोजना-2021 की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्र संख्या-2733/व0नि0(2)/सीतापुर म0यो0/दिनांक 21.2.2002 एवं पत्र संख्या-318/व0नि0(4) सीतापुर म0यो0/2002-03, दिनांक 20.5.2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के निदेश 1960 के निदेश संख्या-10(क)(7) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा सीतापुर महायोजना 2021 पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। स्वीकृत/अनुमोदित महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।

2. कृपया सीतापुर महायोजना पर शासन की स्वीकृति की सूचना किन्हीं दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाये जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. महोजना समाचार पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी। प्रकाशित समाचार पत्र की कतरन (कटिंग) शासन को कृपया प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।
(महायोजना की हस्ताक्षरित प्रति)

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या : 2018/9-आ-3-2002-10महा/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति के साथ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ, को उनके उक्त पत्रों दिनांक 21.2.2002 एवं 20.5.2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर/अध्यक्ष,
मिर्जापुर-विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण, मिर्जापुर।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक : 15 जून, 20

विषय : मिर्जापुर-विन्ध्याचल महायोजना-2011 पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के संख्या-1560/वनि(2)/मिर्जा0-विन्ध्या0म0यो0/2001-02, दिनांक 01 अक्टूबर, 2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि मिर्जापुर-विन्ध्याचल महायोजना-2011 'उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 19 की धारा-10(4) के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में अधिसूच संख्या-4457/9-आ-3-2001-08महा0 2001, दिनांक 15 जून, 2002 की प्रति, महायोजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र स्वीकृति/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया मिर्जापुर-विन्ध्याचल महायोजना-2011 शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना हिन्दी दो प्रमु स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहाँ सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एंव कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का क करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।
(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या : 4457(1)/9-आ-3-2001-08महा0/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्र नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, को उनके उक्त पत्र दिनांक 01 अक्टूबर, 2001 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2135/9-आ-3-2002-12महा/99

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,
विनियमित क्षेत्र-प्रतापगढ़,
प्रतापगढ़।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक : 27 जून, 2002

विषय : विनियमित क्षेत्र-प्रतापगढ़ की प्रतापगढ़ महायोजना-2011 की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, के पत्र संख्या-1897 व0नि0(4)(प्रतापगढ़)-वि0क्षे0-2001-02, दिनांक व 8-11-2001 एवं पत्र संख्या-64/व0नि0(4) प्रतापगढ़ वि0 क्षे0/2002-03, दिनांक 01 जून, 2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के निदेश 1960 के निदेश संख्या-10(क)(7) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा प्रतापगढ़ महायोजना-2011 पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। स्वीकृत/अनुमोदित महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।

2. कृपया प्रतापगढ़ महायोजना पर शासन की स्वीकृति की सूचना किन्हीं दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाये जहाँ सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

2. महायोजना समाचार पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी। प्रकाशित समाचार पत्र की कतरन (कटिंग) शासन को कृपया प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।
(महायोजना की हस्ताक्षरित प्रति)

संजीव कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 2135/9-आ-3-2001-12महा/99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति के साथ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ, को उनके उक्त पत्रों दिनांक 8.11.2001 एवं 01.6.2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2487/9-आ-3-2002-3महा/2002

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

लखनऊ: दिनाँक : 12 जुलाई, 2002

आवास अनुभाग-3

विषय : मथुरा-वृन्दावन महायोजना (वर्ष 2021) (भाग-क) पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ, के पत्र संख्या-425/वनि(1)/महायोजना/मथुरा-वृन्दावन/02-03, दिनांक 30 मई, 2002 एवं आपके पत्रांक-657/नियोजन/म0वृ0वि0प्रा0/2002-2003 दिनांक 09 जुलाई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मथुरा-वृन्दावन महायोजना-2021 (भाग-क) 'उत्तर प्रदेश (नगर नियोजन एवं विकास) अधिनियम, 1973 की धारा-10 के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। महायोजना प्रतिवेदन तथा मानचित्र की स्वीकृति/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया मथुरा-वृन्दावन महायोजना-2021 (भाग-क) शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना किन्हीं दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्व निरीक्षण किया जा सकता है।

3. महायोजना समाचार पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी। प्रकाशित समाचार पत्र की कतरन (कटिंग) शासन को कृपया प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 2487/9-आ-3-2002-3महा/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति के साथ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, को उनके उनके पत्र संख्या-760/वनि (1)महायोजना-मथुरा-वृन्दावन/02-03 दिनांक 29 जून, 2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।
(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2077(1)/9-आ-3-2002-7महा/2002

प्रेषक,

संजीव कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष
शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
सोनभद्र।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक : 31 जुलाई, 2002

विषय : शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित ''रिहन्द नगर परिक्षेत्रीय योजना-2011'' पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, के पत्र संख्या-273/वनि(2)/शक्तिनगर वि0क्षे0वि0प्रा0/2002/03, दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिहन्द नगर परिक्षेत्रीय योजना-2011 ''उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 की धारा-10(4) के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या-2077/9-आ-3-2002-7महा/2002, दिनांक 31 जुलाई, 2002 की प्रति, महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र की स्वीकृत/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया रिहन्द नगर परिक्षेत्रीय योजना-2011 शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना हिन्दी के दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा परिक्षेत्रीय योजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।
(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

संख्या : 2077(1)/9-आ-3-2002-7महा/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत परिक्षेत्रीय योजना की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, को उनके उक्त पत्र दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : महायोजना की स्वीकृति प्रति।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

लखनऊ: दिनाँक : 23 अगस्त, 2002

आवास अनुभाग-3

विषय : फतेहपुर सीकरी महायोजना-2021 पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-117/जी0डी0/सीएजी0/2002, दिनांक 27 जुलाई, 2002 एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ, के पत्र संख्या-1180/वनि0(1)/म0पो0/फते0सीकीरी/02-03, दिनांक 5 अगस्त, 2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फतेहपुर सीकरी महायोजना-2021 "उत्तर प्रदेश (नगर नियोजन एवं विकास) अधिनियम, 1973 की धारा-10 के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। महायोजना प्रतिवेदन तथा मानचित्र की स्वीकृत/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया फतेहपुर सीकरी महायोजना-2021 शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना किन्हीं दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाये जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा महायोजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. महायोजना समाचार पत्रों में स्वीकृति की विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी। कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं कटिंग भी शासनको प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।
(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

भवदीय,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 3042(1)/9-आ-3-2002-3महा/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत महायोजना की एक हस्ताक्षरित प्रति के साथ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, नगर एवं ग्राम, नियोजन विभाग, लखनऊ को उनके उक्त पत्र दिनांक 5 अगस्त 2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।
(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2075(1)/9-आ-3-2002-8महा/2002

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष
शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
सोनभद्र।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक : 17 अगस्त, 2002

विषय : शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित ''शक्तिनगर परिक्षेत्रीय योजना-2011'' पर शासन पर अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्रम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, के पत्र संख्या-273/वनि(2)/शक्तिनगर वि0क्षे0वि0प्रा0/2002-03, दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''शक्तिनगर परिक्षेत्रीय योजना-2011'' उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 की धारा-10(4) के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या-2075/9-आ-3-2002-8महा/2002, दिनांक 31 अगस्त, 2002 की प्रति, महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र की स्वीकृत/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया शक्तिनगर परिक्षेत्रीय योजना-2011 शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा परिक्षेत्रीय योजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं पेपर कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।
(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

भवदीय,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 1956(1)/9-आ-3-2002-04महा/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत परिक्षेत्रीय योजना की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, को उनके उक्त पत्र दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : महायोजना की स्वीकृति प्रति।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-1956(1)/9-आ-3-2002-04महा/2002

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष
शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
सोनभद्र।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक : 02 सितम्बर, 2002

विषय : शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित ''चोपन-ओबरा-डाला परिक्षेत्रीय योजना-2011'' पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, के पत्र संख्या-273/वनि(2)/शक्तिनगर वि0क्षे0वि0प्रा0/2002-03, दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''चोपन-ओबरा-डाला परिक्षेत्रीय योजना-2011'' उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 की धारा-10(4) के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या-1956/9-आ-3-2002-4महा/2002, दिनांक 02 सितम्बर, 2002 की प्रति, महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र की स्वीकृत/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया चोपन-ओबरा-डाला परिक्षेत्रीय योजना-2011 शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना हिन्दी के दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा परिक्षेत्रीय योजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।
(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

भवदीय,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 2075(1)/9-आ-3-2002-08महा/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत परिक्षेत्रीय योजना की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, को उनके उक्त पत्र दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : महायोजना की स्वीकृत प्रति।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2078/9-आ-3-2002-06महा/2002

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अध्यक्ष**
शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
सोनभद्र।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक : 02 सितम्बर, 2002

विषय : शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित ''रेनूकूट पिपरी परिक्षेत्रीय योजना-2011'' पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, के पत्र संख्या-273/वनि(2)/शक्तिनगर वि0क्षे0वि0प्रा0/2002-03, दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''रेनूकूट-पिपरी परिक्षेत्रीय योजना-2011'' उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 की धारा-10(4) के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या-2078/9-आ-3-2002-6महा/2002, दिनांक 02 सितम्बर, 2002 की प्रति, महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र की स्वीकृत/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया रेनूकूट-पिपरी परिक्षेत्रीय योजना-2011 शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना हिन्दी के दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहाँ पर सर्वसाधारण द्वारा परिक्षेत्रीय योजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं पेपर कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।
(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

भवदीय,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 2078(1)2/9-आ-3-2002-07महा/2002, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत परिक्षेत्रीय योजना की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, को उनके उक्त पत्र दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : महायोजना की स्वीकृति प्रति।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 2076(3)/9 आ 3 2002 05महा/20

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष
शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
सोनभद्र।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक : 04 अक्टूबर, 20

विषय : शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत स्थित ''अनपरा परिक्षेत्रीय योजना-2011'' पर शासन का अनुमोदन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, के संख्या-273/वनि(2)/शक्तिनगर वि0क्षे0वि0प्रा0/2002-03, दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का नि हुआ है कि ''अनपरा परिक्षेत्रीय योजना-2011'' उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 धारा-10(4) के अन्तर्गत शासन द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या-207 9-आ-3-2002-5महा/2002, दिनांक 04 अक्टूबर, 2002 की प्रति, महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना प्रतिवेदन एवं मान की स्वीकृत/हस्ताक्षरित एक प्रति संलग्न है।

2. कृपया 'अनपरा परिक्षेत्रीय योजना-2011' शासन द्वारा अनुमोदित किये जाने की सूचना दो प्रमुख स्था समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सूचना में वह स्थान भी इंगित किया जाय जहाँ पर सर्वसाधा द्वारा परिक्षेत्रीय योजना का सुगमतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है।

3. कृपया समाचार पत्रों में स्वीकृति के प्रकाशन की सूचना एवं पेपर कटिंग भी शासन को प्रेषित करने का क करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।
(महायोजना की अनुमोदित प्रति)

भवदीय,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 2076(4)/9-आ-3-2002-5महा/2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि स्वीकृत महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित मुख्य नगर एव ग्राम नियोज नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके उक्त पत्र दिनांक 16 मई, 2002 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

संलग्नक : स्वीकृत महायोजना की प्रति ।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या 273(क)

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन.पी. 890

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0 41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2002

अश्विन 5, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-3

संख्या 3286/9-आ-3-2002-9 आर०ए०-92

लखनऊ 27 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

प0आ0-667

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि उत्तर प्रदेश (निर्माणकार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) के अधीन भूमि के अव्यवस्थित वितरण; भवनों के अनियोजित निर्माण और निम्न स्तर के उप निवेशों की बढ़त को रोकने और उपयुक्त योजना के अनुसार उक्त क्षेत्र के विकास और विस्तार की वृद्धि से जिला आजमगढ़ के निम्नलिखित क्षेत्र का विनियमन अपेक्षित है।

अतएव अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित करते हैं :-

विनियमित क्षेत्र-मुबारकपुर, जिला-आजमगढ़

(अ) मुबारकपुर नगरपालिका परिषद क्षेत्र, जिला-आजमगढ़

(ब) अमिलो सेन्सस टाउन क्षेत्र, जिला आजमगढ़।

Scanned with OKEN Scanner

(स) तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामीण क्षेत्र :

1. दयाल पट्टी
2. डिलिया
3. पाही जमीन पट्टी
4. फिरोजाबाद
5. डिह
6. कौड़िया
7. बरडीहा उर्फ गढ़ेरूआ
8. दरियाबाद
9. अतरडीहा
10. प्यारेपुर
11. चकलेब अहमदपुर उर्फ चकिया
12. टंडिया खान
13. नूरपुर सराय हाजी
14. आदमपुर
15. झासेपुर
16. देवली खालसा
17. देवली आइमा
18. अमुड़ी
19. चक मोलन
20. चकता
21. दामोदरपुर
22. गजहडा
23. सराय फिरोज
24. चिउरही
25. चक सिकठी
26. सिकठशाह मुहम्मदपुर
27. मदारपुर
28. सलारपुर
29. चांड़ी
30. सराय मुबारक
31. मुस्ताकाबाद खास
32. रसूलपुर
33. मलिकसुदनी
34. उदयभानपुर
35. खौरा
36. वामनपुर
37. बसरतपुर
38. बड़ा गांव

आज्ञा से,
जे.एम. मिश्र
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3286/IX-A-3—2002-R.A.-92, dated September 27, 2002 :

No. 3286/1X-A-3—2002-9R.A.-92
Dated Lucknow, September, 27, 2002

Whereas the State Government is of opinion that the following area in distric of Azamgarh require to be regulated under the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operation) Act, 1958: (U.P. Act no. XXXI of 1958) with a view of the prevention of bad laying out of land, haphazard evection of buildings and grow of sub-standard colonies and with a view of the development and expansion of the said area according the proper planning.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the said Act th Governor is pleased to declare the following area to be regulated area :-

REGULATED AREA-MUBARAKPUR, DISTRICT AZAMGARH

A. Area falling within the limits of Municipal Board, Mubarakpur, district Azamgarh.

B. Area falling within the Limits of Amilo Cencus Town, district Azamgarh.

Scanned with OKEN Scanner

C. Area falling within the limits of the following villages of Tehsil—Sadar, district Azamgarh :-

1. Dayal Patti
2. Dillia
3. Pahi Zamin Patti
4. Firozabad
5. Diha
6. Kauria
7. Bardiha *Urf* Gareruoa
8. Daryabad
9. Atardiha
10. Piyarepur
11. Chak Leb Ahmadpur *Urf* Chakia
12. Tandiwa Khan
13. Nurpur Saraihazi
14. Adampur
15. Jhasepur
16. Deoli Khalsa
17. Deoli Aima
18. Amuri
19. Chak Molana
20. Chak Taj
21. Demoderpur
22. Gajhra
23. Sarai Firoz
24. Ghiurahi
25. Chak Sikthi
26. Sikthi Shah Mohammadpur
27. Madarpur
28. Salarpur
29. Chandi
30. Sarai Mubarak
31. Mustakabad Khas
32. Rasulpur
33. Malik Sudni
34. Udaibhanpur
35. Khaura
36. Wamanpura
37. Basaratpur
38. Baragaon

By order,
J.S. MISHRA
Sachiv.

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-3
संख्या-3286(2)/9-आ-3-2002-9 आर०ए०/92
लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-34 सन 1958) की धारा-2 के खण्ड (छ) के उपबन्धों के अनुसरण के राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन होने के दिनांक से परगना मजिस्ट्रेट, सदर, जिला-आजमगढ़ को सरकारी अधिसूचना संख्या-3286/9-आ-3-2002-9 आर०ए०/92 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के अधीन इस रूप में घोषित विनियमित क्षेत्र-मुबारकपुर (जिला-आजमगढ़) के सम्बन्ध में नियत प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,
जे०एस०मिश्र
सचिव।

संख्या-3286(2)/9-आ-3-2002-9 आर०ए०/92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट-4 खण्ड "ख" में प्रकाशित करायें तथा 50 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को एवं नीचे अंकित अधिकारियों को 10-10 प्रतियाँ भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-3286(2)/9-आ-3-2002-9 आर०ए०/92 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, आज़मगढ़।
2. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मुबारकपुर, आजमगढ़।
3. अध्यक्ष, जिला परिषद, आजमगढ़।
4. अध्यक्ष, नगर पंचायत, अमिलो, आजमगढ़।
5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़।
6. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, आजमगढ़।
7. सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, आजमगढ़।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग, लखनऊ।
9. परगना मजिस्ट्रेट, सदर, जिला-आजमगढ़

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या-273(क)

रजि० नं० एल. डब्लू./एन.पी. 890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 28 सितम्बर, 2002

अश्विन 5, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-3

संख्या 2989/9-आ-3-2002-1 आर०ए०-98

लखनऊ 28 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

प0आ0-675

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) के अधीन भूमि के अव्यवस्थित वितरण; भवनों के अनियोजित निर्माण और निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़त को रोकने और उपयुक्त योजना के अनुसार उक्त क्षेत्र के विकास और विस्तार की वृद्धि से जिला औरैया के निम्नलिखित क्षेत्र का विनियमन अपेक्षित है।

अतएव अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित करते है :-

विनियमित क्षेत्र-औरैया, जिला-औरैया

(अ) नगर पालिका परिषद्, औरैया के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र।

(ब) तहसील औरैया, जनपद औरैया के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामीण क्षेत्र :-

1.	पढ़ीन	2.	फरीदपुर	3.	आल्हेपुर
4.	भरतपुर	5.	निरोत्तमपुर	6.	ककोर
7.	दूधियाखेड़ा	8.	नरायणपुर	9.	राहतपुर
10.	भरसैन	11.	सूरान	12.	जैतापुर

Scanned with OKEN Scanner

13.	धौरैरा	14.	भैरोपुर	15.	नन्दनपुर
16.	भीखमपुर	17.	जरहौलिया	18.	कस्बा खानपुर
19.	पैगम्बरपुर	20.	द्वारिकापुर औरैया	21.	भगवन्तपुर
22.	खरका	23.	आनेपुर	24.	समरतपुर
25.	आराजी मुजब्ता	26.	शानपुर इमामअली	27.	औरैया
28.	बरम्हपुर	29.	मधुपुर	30.	रौतियापुर
31.	पिरहूली				

आज्ञा से,
जे0एस0मिश्र
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2989/IX-A-3—2002-1 R.A.-98, dated September 28, 2002 :

No. 2989/1X-A-3—2002-1R.A.-98
Dated Lucknow, September, 28, 2002

Whereas the State Government is of opinion that the following area in the district of Auraiya requires to be regulated under the Uttar radesh (Regulation of Building operations) Act, 1958 (U.P. Act no. XXXIV of 1958) with a view of the prevention of bad laying out of land, haphazard evection of building and growth of sub-standard Colonies and with a view of the development and expansion of the said area accoording to the proper planning.

Now, Therefore, in exercise of the powersa under sub-section (1) of section 3 of the said Act the Governor is pleased to declare the folloing area to be regulated area :—

Regulated area-Auraiya, District Auriya

A. Area falling with in the limits of Municipal Board Auariya.

B. Area falling within the limits of the following villages of Tahsil Auraiya, District Auraiya :-

1.	Padheen	2.	Fareedpur
3.	Mallhepur	4.	Bharatpur
5.	Nirottampur	6.	Kakor
7.	Dudhiya Khera	8.	Narayanpur
9.	Rahatpur	10.	Bharsain
11.	Suran	12.	Jaitapur
13.	Dhauraira	14.	Bhairopur
15.	Nandanpur	16.	Bheekhampur
17.	Jarhauliya	18.	Kasba Khanpur
19.	Paigamberpur	20.	Dawarikapur Auriaya
21.	Bhagwantpur	22.	Kharka
23.	Aanepur	24.	Samaratpur
25.	Arazi Munjabta	26.	Shanpur Imam Ali
27.	Auriaya	28.	Barmahupur
29.	Madhupur	30.	Rautiyapur
31.	Pirhulee		

By order,
J.S. MISHRA
Sachiv.

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या 273(क-3)

रजि० नं० एल. डब्लू./एन.पी. 890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 28 सितम्बर, 2002

अश्विन 5, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-3

संख्या 2989(1)/9-आ-3-2002-1 आर०ए०-98

लखनऊ 28 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

प0आ0-673

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) की धारा-4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या 2989/9-आ-3-2002-1 आर0ए0/98 दिनांक 28 सितम्बर, 2002 के अधीन इस रूप में घोषित विनियमित क्षेत्र औरैया, जनपद औरैया के लिए निम्नलिखित नियंत्रक प्राधिकारी का गठन करते है, जो उक्त अधिनियम के अधीन अभ्यर्पित कृत्यों का सम्पादन करेगा।

नियंत्रक प्राधिकारी–औरैया

1. जिला मजिस्ट्रट, औरैया	अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, जिला पंचायत, औरैया	सदस्य
3. अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, औरैया	सदस्य
4. सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, कानपुर	सदस्य
5. अधिशासी अभियन्ता, लोकनिर्माण विभाग, इटावा/औरैया	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

6	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, जलनिगम, इटावा/औरैया	सदस्य
7	अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, इटावा/औरैया	सदस्य

आज्ञा से,
जे0एस0मिश्र
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2989 (1)/IX-A-3—2002-1 R.A.-98, dated September 28, 2002

No. 2989(1)/IX-A-3—2002-1R.A.-98
Dated Lucknow, September, 28, 2002

In exercise of the power under saction 4 of the Uttar Pradesh (Regulation of Building operations) Act, 1958 (U.P. Act no. XXXIV of 1958) the Governor is pleased to constitute as under Controlling Aiithority for the Auraiya Regulated Area, district Auraiya declared as such under Government notification no. 2989/IX-A-3 R.A.-98, dated September 28, 2002 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette for the discharge of functions assigned it under the said Act.

CONTROLLING AUTHORITY

1.	District Magistrate, Auraiya	–	Chairman
2.	Chairman, Zila Panchayat, Auraiya	–	Member
3.	Chairman, Nagarpalika Parishad, Auraiya	–	Member
4.	Associate Planner, Sambhagiya Niyojan Khand, Town & Country Planning Department, Uttar Pradesh, Kanpur	–	Member
5.	Executive Engineer, P.W.D., Etawah/Auraiya	–	Member
6.	Executive Engineer,,U.P. Jal Nigam, Nirman Khand, Etawah/Auraiya	–	Member
7.	Executive Engineer, U.P. Electricity Board, Etawah/Auriya	–	Member

By order,
J.S. MISHRA
Sachiv.

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

विशेष सचिव,
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
उत्तर प्रदेश शासन।

आवास अनुभाग-3 लखनऊः दिनाँक-24 अक्टूबर, 2001

विषय : रूग्ण औद्योगिक इकाईयों को पुर्नवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के अर्द्धशा0 पत्रांक यू0ओ051/77-4-2001, दिनांक 29 सितम्बर, 2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रूग्ण इकाईयों की सरप्लस भूमि का भू-उपयोग उक्त क्षेत्र के लिये प्रस्तावित आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग के रूप में प्रयोग किये जाने संबंधी औद्योगिक विकास विभाग के नीति विषयक शासनादेश संख्या यू0ओ0 51/87-4-2001, दिनांक 31 मार्च, 2001 को आवास विभाग द्वारा भी अंगीकार कर लिया गया है। भू-उपयोग प्रयोग परिवर्तन की यह सुविधा उन्हीं शर्तों एवं व्यवस्थाओं के अनुसार होगी जो औद्योगिक विकास विभाग के अधीन प्राधिकरणों आदि के संबंध में लागू हैं।

2. उपरोक्त सुविधा प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी, यथा उद्योग बन्धु, को प्रस्तुत किया जायेगा, तथा नोडल अधिकारी यह परीक्षण करने के उपरान्त कि प्रश्नगत रूग्ण इकाई के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव में निर्धारित सभी शर्तें पूर्ण हो रही हैं, वे स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव संबंधित विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे।

3. औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राधिकरण भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव सर्वोच्च प्राथमिकता पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही हेतु शासन को उपलब्ध करायेगा। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या :- 4501(1)/9-आ-3-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ।
4. उद्योग बन्धु, उ0प्र0।
5. आवास बन्धु, उ0प्र0।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-3
संख्या-1217/9-आ-3-2002-20 विविधि/2002
लखनऊ: दिनांक: 18जून, 2002

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में स्थित विनियमित क्षेत्रों हेतु तैयार किये गये महायोजना प्रारूप पर जन सामान्य से आमंत्रित की गयी आपत्तियों एवं सुझाव पर विचार कर निस्तारण करने हेतु उ0प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश,1960 की धारा-10ए(4) में दी गयी व्यवस्था के अंतर्गत एतद् द्वारा निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	सम्बंधित सहयुक्त नियोजक सम्भागीय नियोजन खण्ड	सदस्य
3.	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
4.	अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम (यदि हो)	सदस्य
5.	सम्बंधित विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी	सदस्य

जे0एस0 मिश्र
सचिव।

संख्या-1217/9-आ-3-2002-20 विविध/02,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 7-बन्दरियाबाग, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1421/बिजनौर/महा0यो0/2001-02, दिनांक 23.3.2002 के संदर्भ में।

(2) प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त नियत प्रधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(4) अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) जिलाधिकारी, बिजनौर को उनके पत्र संख्या-14/नि0प्रा0/वि0क्षे0/बिजनौर/2002,दिनांक 21मई, 2001 के संदर्भ में।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-3970/9-आ-3-2002-55 विविध/2002

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष

समस्त विकास प्राधिकरण,

उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-02 नवम्बर, 2002

विषय : प्राधिकरण द्वारा परिक्षेत्रीय विकास योजना ''जोनल डेवलपमेन्ट प्लान'' तैयार किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा सम्बंधित नगरों की महायोजना तैयार किये जाने के पश्चात उक्त क्षेत्र की परिक्षेत्रीय विकास योजना (जोनल डेवलपमेंट प्लान) तैयार किये जाने में रुचि नहीं ली जा रही है। यह स्थिति उचित नहीं है। आप अवगत हैं कि ''उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973'' की धारा-9 (1) में यह प्राविधान है कि ''प्राधिकरण महायोजना तैयार करने के साथ-साथ या तत्पश्चात यथाशक्य उन परिक्षेत्रों से जिनमें विकास क्षेत्र विभाजित किया जा सकता है प्रत्येक परिक्षेत्र के लिए एक परिक्षेत्रिय विकास योजना तैयार करने के लिए अग्रसर होगा। स्पष्ट है कि सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा उक्त अधिनियम में दी गयी व्यवस्थानुसार जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने का उत्तरदायित्व है जिसका अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने से नियोजन से सम्बंधित अनेक समस्यायें उत्पन्न हो सकती है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-9 में दी गयी व्यवस्थानुसार महायोजना तैयार करने के साथ-साथ परिक्षेत्रीय विकास योजनायें (जोनल डेवलपमेन्ट प्लान) भी तैयार कराने का कष्ट करें और यह भी सुनिश्चित करें कि महायोजना में प्रदर्शित विभिन्न परिक्षेत्र की प्राथमिकता निश्चित करते हुए 'परिक्षेत्रीय योजना' तैयार की जाये।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या :- 3970(1)/9-आ-3-2002-55विविध/2002तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त/अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

4

जोनिंग रेगुलेशन्स

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-379/9-आ-3-72 विविध/94

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
अलीगढ़।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-18 मई, 2002

विषय : अलीगढ़ महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 329/नियोजन/2002-03 दिनांक 14 मई, 2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 10.5.2002 को सम्पन्न हुई बैठक के प्रस्ताव संख्या-3 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 ''प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण सम्बन्धी त्रुटि रह गई थी, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। अत: अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :-

(i) *आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

(ii) *क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

(iii) *क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :-*

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आवादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को अलीगढ़ महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियम की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

Scanned with OKEN Scanner

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 379(1)9-आ-3-72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण अलीगढ़।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-379(1)/9-आ-3-72 विविध/94

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनाँक-18 मई, 2002

विषय : मथुरा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 115/नियोजन/म.वृ.वि.प्रा./2002-03 दिनांक 16.4.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण बोर्ड की 47वीं बैठक दिनांक 3.4.2002 में मद संख्या-1/47 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 ''प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण सम्बन्धी त्रुटि रह गई थी, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। अत: मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :-

(i) *आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

(ii) *क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

(iii) *क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :-*

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को मथुरा-वृन्दावन महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर

Scanned with OKEN Scanner

दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियम की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : (1)9-आ-3-72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण मथुरा-वृन्दावन ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 379(II)/9 आ 3-72 विविध/94

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,

मुरादाबाद।

आवास अनुभाग 3 लखनऊ: दिनाँक 18 मई, 2002

विषय : मुरादाबाद महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 13/मु.वि.प्रा./अभि.(बैठक) 02 दिनांक 11.4.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9 आ 3-72 वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की 74वीं बैठक दिनांक 4.4.2002 में मद संख्या-75/5 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 ''प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण सम्बन्धी त्रुटि रह गई थी, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। अत: मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :-

(i) *आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

(ii) *क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

(iii) *क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक 6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :-*

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को मुरादाबाद महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियम की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स

Scanned with OKEN Scanner

के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या : (1)9-आ-3-72वि0/94 तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण मुरादाबाद ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-1653(1)/9-आ-3-72 विविध/94

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-19 जून, 2002

विषय : आगरा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 96/जी.डी./सी.ए.पी./2002 दिनांक 25.1.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ शासनादेश संख्या 2898/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 30.6.2001 जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स विकास प्राधिकरण की नियमित बोर्ड बैठक दिनांक 29.12.2001 में मद संख्या-4 के अन्तर्गत यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2898/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 30 जून 2001 के अधीन जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कतिपय विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत संशोधन किया गया था और संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को इस आशय से प्रेषित किए गए थे कि जिन प्राधिकरणों ने पूर्व में जारी आदर्श जोनिंग रेगुलशन्स को अंगीकृत कर लिया है, उनके द्वारा संशोधित प्रारूप को पुन: अंगीकृत करने की कार्यवाही की जाए। इसी आशय से संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की प्रति समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों/सचिवों को विकास प्राधिकरणों के कार्य-कलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 29.1.2002 में उपलब्ध कराई गई थी।

3. अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा जारी संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को आवश्यक परिष्कारों सहित विकास प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कराने के उपरान्त यथाशीघ्र शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या : 1653(1)/9-आ-3-72वि0/94 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित :-

1. अध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-1888/9-आ-3-72 विविध/94

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-19 जून, 2002

विषय : वाराणसी महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 209/वि.प्रा./न.नि./2001-2002 दिनांक 18.9.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ शासनादेश संख्या 2898/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 30.6.2001 जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 7.8.2001 में मद संख्या-7 के अन्तर्गत यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2898/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 30 जून 2001 के अधीन जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कतिपय विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत संशोधन किया गया था और संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को इस आशय से प्रेषित किए गए थे कि जिन प्राधिकरणों ने पूर्व में जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत कर लिया है, उनके द्वारा संशोधित प्रारूप को पुनः अंगीकृत करने की कार्यवाही की जाए। इसी आशय से संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की प्रति समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों/सचिवों को विकास प्राधिकरणों के कार्य-कलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 29.1.2002 में उपलब्ध कराई गई थी।

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा जारी संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को आवश्यक परिष्कारों सहित विकास प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कराने के उपरान्त यथाशीघ्र शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या : 1888 (1)/9-आ-3-72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या: 1927-/9-आ-3-72 विविध/94

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण,
हापुड़ पिलखुवा।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-19 जून, 2002

विषय : हापुड़-पिलखुवा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 155/सचिव/प्रशा./एच.पी.डी.ए./2001 दिनांक 20.9.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ शासनादेश संख्या 2898/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 30.6.2001 जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स परिचालन के माध्यम से विकास प्राधिकरण बोर्ड मे अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2898/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 30 जून 2001 के अधीन जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कतिपय विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत संशोधन किया गया था और संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को इस आशय से प्रेषित किए गए थे कि जिन प्राधिकरणों ने पूर्व में जारी आदर्श जोनिंग रेगुलशन्स को अंगीकृत कर लिया है, उनके द्वारा संशोधित प्रारूप को पुनः अंगीकृत करने की कार्यवाही की जाए। इसी आशय से संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की प्रति समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों/सचिवों को विकास प्राधिकरणों के कार्य-कलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 29.1.2002 में उपलब्ध कराई गई थी।

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा जारी संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को आवश्यक परिष्कारों सहित विकास प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कराने के उपरान्त यथाशीघ्र शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या : 1927(1)/9-आ-3-72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष

गोरखपुर विकास प्राधिकरण,

गोरखपुर

लखनऊ: दिनाँक-19

आवास अनुभाग-3

विषय : गोरखपुर महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्ब

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 12/181-एस.टी.-सचिव/2001-2002 दिनांक 28.5.2002 का सन्दर्भ का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 16.5.2002 को सम्पन्न हुई के मद संख्या-75.07 पर सर्वसम्मति से अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण सम्बन्धी त्रुटि रह गई थी, जिसका किया जाना आवश्यक है। अतः गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशो अनुमोदित किया जाता है :-

(i) *आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

(ii) *क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में स दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

(iii) *क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के वाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें स टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए*

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, वृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अ सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को गोरखपुर महायोजना जोनिंग समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियम की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

Scanned with OKEN Scanner

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 2193(1)9-आ-3-72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण गोरखपुर ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
विकास प्राधिकरण,
उन्नाव-शुक्लागंज।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनाँक-27 अगस्त, 2002

विषय : उन्नाव-शुक्लागंज महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 57/कैम्प/वि.प्रा./2002-2003 दिनांक 16.7.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण बोर्ड की 27वीं बैठक दनांक 15.4.2002 में प्र॰ संख्या-27.04 में यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 "प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण सम्बन्धी त्रुटि रह गई थी, जिसका निराकरण किया जाना आवश्यक है। अत: उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :-

(i) *आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए।*

(ii) *क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

(iii) *क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :*

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के वर्ष 2000-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को दे

Scanned with OKEN Scanner

हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियम की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या : 3290(1)9-आ-3-72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-3294/9-आ-3-72 विविध/94

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनाँक-27 अगस्त, 2002

विषय : मेरठ महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 32/नियोजन-3./2002 दिनांक 8.5.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 25.1.2002 को आयोजित बैठक में कतिपय संशोधनों सहित अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है।

(i) मेरठ महायोजना के प्रस्तावित भू-उपयोग जोन्स की श्रेणियों के दृष्टिगत कालम-4 ए के रूप में "आवासीय कार्यशाला" भू-उपयोग जोन शामिल किया जाए जिसमें विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता संलग्न मैट्रिक्स के अनुसार रखी जाए,

(ii) लघु उद्योग तथा वृहद् उद्योग भू-उपयोग जोन्स में फुटकर दुकानों, वाणिज्यिक/व्यापारिक कार्यालय एवं नवीन टाउनशिप/योजना के भाग के रूप में अनुमन्यता हेतु शर्त-26 जोड़ी जाए तथा शो-रूम हेतु अधिकतम भू-आच्छादन 10 प्रतिशत अनुमन्य किए जाने हेतु शर्त-19 (ए) जोड़ी जाए,

(iii) कृषि भू-उपयोग जोन्स में पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर ही अनुमन्यता हेतु शर्त-8 (ए) जोड़ी जाए तथा उच्च माध्यमिक, इण्टर कालेज/महाविद्यालय हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत भू-आच्छादन एवं 0.2 एफ.ए.आर. की अनुमन्यता हेतु शर्त-27 जोड़ी जाए,

(iv) विभिन्न भू-उपयोगों में समूह आवास, होटल, सेवा/कुटीर उद्योग, गैस गोदाम, टेलीफोन एक्सचेन्ज, अस्पताल, बारातघर/बैंकटहाल, टेलीफोन/रेडियो व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र, पशुबधशाला आदि क्रियाओं की अनुमन्यता हेतु संलग्न मैट्रिक्स के अनुसार प्राविधार किए जाएं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 "प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण/प्रिंटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है:-

Scanned with OKEN Scanner

(i) आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए।

(ii) क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,

(iii) क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया को विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :-

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण आवास विभाग के वर्ष 2002-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत जोनिंग रेगुलेशन्स के संशोधित मैट्रिक्स की एक प्रति आपके उपयोगार्थ संलग्न है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नए जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (6 पृष्ठ)

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या : 3294(1)9-आ-3-72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-3295/9-आ-3-72 विविध/94

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद ।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-27 अगस्त, 2002

विषय : गाजियाबाद महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पत्र संख्या 332/नियो.अनु./2002 दिनांक 10.7.2002 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 17.6.2002 को आयोजित बैठक में कतिपय संशोधनों विशेष रूप से शासन की औद्योगिक एवं फिल्म नीति के परिप्रेक्ष्य में अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड बना निम्न संशोधनों सहित अंगीकृत प्रस्ताव पर शासन का अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

(i) "बृहद् उद्योग" भू-उपयोग जोन में पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज एवं उच्च तकनीकी एवं मैनेजमेन्ट संस्थान, सिनेमा तथा मल्टीप्लेक्स विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य होगा,

(ii) "सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं" भू-उपयोग में पशुबधशाला शहरीकरण क्षेत्र (Urbanaisable) के बाहर सशर्त अनुमन्य होगा,

(iii) आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुलग्नक-(ए) के अनुसार अनुमन्य दैनिक उपयोग की दुकानों हेतु प्रभाव शुल्क देय होगा।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 "प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण/प्रिटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है:-

(i) *आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

(ii) *क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

Scanned with OKEN Scanner

(iii) क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :-

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण आवास विभाग के वर्ष 2002-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत जोनिंग रेगुलेशन्स के संशोधित मैट्रिक्स की एक प्रति आपके उपयोगार्थ संलग्न है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नए जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (6 पृष्ठ)

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव

संख्या : 3295(1)9-आ-3-72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
विकास प्राधिकरण,
मुजफ्फरनगर ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनाँक-27 अगस्त, 2002

विषय : मुजफ्फरनगर महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 516/एम.डी.ए./2002 दिनांक 20.6.2002 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा परिचालन के माध्यम से यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 ''प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण/प्रिंटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है, अत: मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :-

(i) *आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

(ii) *क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को **निषिद्ध** दर्शाया जाए,*

(iii) *क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :-*

*निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में **विशेष अनुमति** से तथा शुद्ध आवासीय में **निषिद्ध** दर्शाया जाए।*

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के वर्ष 2000-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव

Scanned with OKEN Scanner

में नए जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (6 पृष्ठ)

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या : 3291(1)9-आ-3-72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, ।
2. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-3292/9-आ-3-72 वि/94

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

आगरा विकास प्राधिकरण,

आगरा ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक-27 अगस्त, 2002

विषय : आगरा महायोजनान्तर्गत संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 119/सी.ए.पी./2002 दिनांक 27.7.2002 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 26.6.2002 को सम्पन्न हुई बैठक के मद संख्या-6 पर सर्वसम्मति से अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 ''प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता प्राविधानों में टंकण/प्रिटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है, अत: आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :-

(i) *आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

(ii) *क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को **निषिद्ध** दर्शाया जाए,*

(iii) *क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :-*

*निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आवादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में **विशेष अनुमति** से तथा शुद्ध आवासीय में **निषिद्ध** दर्शाया जाए।*

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के वर्ष 2000-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव

Scanned with OKEN Scanner

से नए जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (6 पृष्ठ)

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या : 3292(1)9-आ-3-72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-3293/9-आ-3-72 विविध/94

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

विकास प्राधिकरण,

बुलन्दशहर-खुर्जा।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनाँक-27 अगस्त, 2002

विषय : बुलन्दशहर-खुर्जा महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1436/वि.प्रा./एस.टी./2002 दिनांक 20.6.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण बोर्ड की 25वीं बोर्ड दिनांक 3.5.2002 को मद संख्या-25/11 के अन्तर्गत नए भू-उपयोग जोन्स के साथ सर्वसम्मति से यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 "प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता प्राविधानों में टंकण/प्रिंटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है, अतः बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :-

(i) *आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

(ii) *क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को* ***निषिद्ध*** *दर्शाया जाए,*

(iii) *क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :-*

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में ***विशेष अनुमति*** *से तथा शुद्ध आवासीय में* ***निषिद्ध*** *दर्शाया जाए।*

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के वर्ष 2000-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना

Scanned with OKEN Scanner

स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नए जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (6 पृष्ठ)

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या : 3293(1)9-आ-3-72वि0/94 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण, ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-3701/9-आ-3-72 विविध/94(आ.व.)

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, वाराणसी, बाँदा, फैजाबाद,
फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, हापुड़-पिलखुआ, झाँसी तथा सहारनपुर।

आवास अनुभाग-3 — लखनऊ: दिनाँक-24 सितम्बर, 2002

विषय : नगरों की महायोजनाओं के अन्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के कार्य-कलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 28.8.2002 के कार्यवृत्त का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके मद संख्या-19 के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गई है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स का प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनांक 20.9.2002 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जाए ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा जारी संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 ''प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण/प्रिंटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है,

(i) *आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन में (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को* ***निषिद्ध*** *दर्शाया जाए,*

(ii) *क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को* ***निषिद्ध*** *दर्शाया जाए,*

(iii) *क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :-*

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में ***विशेष अनुमति*** *से तथा शुद्ध आवासीय में* ***निषिद्ध*** *दर्शाया जाए।*

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के वर्ष 2000-01 के शासनादेशों के संकलन

Scanned with OKEN Scanner

में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अविलम्ब विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में अंगीकृत कराने के उपरान्त शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या : 3701(1)9-आ-3-72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, वाराणसी, बांदा, फैजाबाद, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, हापुड़-पिलखुआ, झांसी तथा सहारनपुर, विकास प्राधिकरण, ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-3702/9-आ-3-72 विनिय/94

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

विकास प्राधिकरण,

रायबरेली।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-24 सितम्बर, 2002

विषय : रायबरेली महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 279 अभि/रा.वि.प्रा./2002-03/2002 दिनांक 31.8.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन का प्रस्ताव रायबरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड की 45वीं बैठक दिनांक 19.3.2002 में मद संख्या-5 में यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 "प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता में टंकण/प्रिंटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है, अतः रायबरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :-

(i) *आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन के (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को **निषिद्ध** दर्शाया जाए,*

(ii) *क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को **निषिद्ध** दर्शाया जाए,*

(iii) *क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :-*

*निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में **विशेष अनुमति** से तथा शुद्ध आवासीय में **निषिद्ध** दर्शाया जाए।*

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग के वर्ष 2000-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना

Scanned with OKEN Scanner

स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : 3702(1)9-आ-3-72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, रायबरेली विकास प्राधिकरण, ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-4046/9-आ-3-72 विवि०/

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण,

हापुड़।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-17 अक्टूबर, 200

विषय : हापुड़-पिलखुआ महायोजनान्तर्गत संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 292 दिनांक 30.8.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या 379/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 25.1.2002 द्वारा किए गए संशोधन प्रस्ताव हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 06.8.2002 को आयोजित बैठक में शासन की औद्योगिक एवं फिल्म नीति के परिप्रेक्ष्य में विशेषकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण बोर्ड में नि संशोधनों सहित अंगीकृत प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-

(i) ''वृहद् उद्योग'' भू-उपयोग जोन में पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज एवं उच्च तकनीकी एवं मैनेजमेन्ट संस्थान, सिनेमा तथा मल्टीप्लेक्स विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य होगा,

(ii) ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं'' भू-उपयोग में पशुबधशाला शहरीकरण क्षेत्र (Urbanaisable) से बाहर सशर्त अनुमन्य होगा,

(iii) आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुलग्नक-(ए) के अनुसार अनुमन्य दैनिक उपयोग की दुकानों हेतु प्रभाव शुल्क देय होगा।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 ''प्रमुख भू-उपयोग जोन में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता प्राविधानों में टंकण/प्रिंटिंग सम्बन्धी निम्न त्रुटियां रह गई थी, जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है:-

(i) *आवासीय क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत क्रमांक-1.1 पर एकल आवास को कृषि भू-उपयोग जोन में (कालम-14) में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

(ii) *क्रमांक-1.2 पर समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग) को कृषि भू-उपयोग जोन के कालम-14 में सशर्त अनुमन्य दर्शाया गया है, को निषिद्ध दर्शाया जाए,*

Scanned with OKEN Scanner

(iii) *क्रमांक-6 पर सार्वजनिक उपयोगिताएं के अन्तर्गत क्रमांक-6.6 के बाद 6.7 जोड़ा जाए जिसमें सेल्युलर/मोबाइल टावर क्रिया की विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किए जाएं :-*

निर्मित क्षेत्र, मिश्रित आवासीय, व्यवसायिक, लघु उद्योग, बृहद् उद्योग, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, ग्रामीण आबादी, तथा कृषि भू-उपयोग जोन्स में उक्त क्रिया को अनुमन्य दर्शाया जाए और पार्क व हरित पट्टी में विशेष अनुमति से तथा शुद्ध आवासीय में निषिद्ध दर्शाया जाए।

3. उपर्युक्त त्रुटियों/विसंगतियों का निराकरण आवास विभाग के वर्ष 2002-01 के शासनादेशों के संकलन में शामिल आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कर दिया गया है जिसकी प्रति आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से नए जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (6 पृष्ठ)

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या : (1)9-आ-3-72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, हापुड़-पिलखुआ ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या : 1534/9-आ-3-2003-72 विविध/94

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक : 5 अप्रैल, 2003

विषय : इलाहाबाद महायोजनान्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-408/सचिव/मु.न.नि/वि.प्रा./2002 दिनांक 06.01.2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में शासनादेश संख्या-379/9-आ-3-72 वि./ 94 दिनांक 25.1.2002 तथा शासनादेश संख्या-3701/9-आ-3-72 वि./94 दिनांक 24.09.2002 के अधीन किए गये संशोधनों का प्रस्ताव इलाहाबद विकास प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 24.8.2002 को आयोजित बैठक में मद संख्या-7, संकल्प संख्या-1253 के अन्तर्गत सर्वसम्मति से अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। कृपया संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

3. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या-1534(1)/9-आ-3-2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
दिवाकर त्रिपाठी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-4047/9-आ-3-2002-72 विविध/94

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/नियन्त्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3 लखनऊः दिनाँक-23 अक्टूबर, 2002

विषय : विनियमित क्षेत्रों की महायोजनाओं के अन्तर्गत संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2898/9-आ-3-72-वि/94 दिनांक 30.6.2001 तथा इसके अनुक्रम में शासनादेश संख्या-379/9-आ-3-72वि/94 दिनांक 25.1.2002 (प्रतिलिपियाँ सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की एक प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इसे नियन्त्रक प्राधिकारी सभा में आवश्यक परिष्कारों सहित अंगीकृत करने के उपरान्त एक माह के अन्दर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें। जिन विनियमित क्षेत्रों ने पूर्व में जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत कर लिया है, द्वारा भी संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स को पुनः अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए। यदि नियन्त्रक प्राधिकारी सभा की बैठक के आयोजन में विलम्ब हो, तो इसे परिचालन द्वारा अंगीकृत किए जाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाए।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या : 4042(1)9-आ-3-02-72वि0/94 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

5

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-894/9-आ-1-29 विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

3. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **नियत प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक-28 फरवरी, 2002

विषय : **भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के लागू होने से पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान्स के अन्तर्गत आंशिक संशोधन हेतु दिशा-निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट डेवलपमेन्ट काउन्सिल द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि पुरानी भवन उपविधि तथा नई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के प्राविधानों में अन्तर होने के कारण ऐसे टाउनशिप जिनमें मुख्य विकास कार्य पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार पूर्ण कर लिए गए हैं, परन्तु किन्हीं कारणोंवश ले-आउट प्लान में आंशिक संशोधन किया जाना आवश्यक है, की पुनरीक्षित स्वीकृति में विकास प्राधिकरण स्तर पर यह संशय बना है कि संशोधन नई अथवा पुरानी भवन उपविधि से आच्छादित होंगे। काउन्सिल का तर्क है कि जो ले-आउट प्लान पुरानी भवन उपविधि के अनुसार स्वीकृत किए गए थे, में प्रस्तावित आंशिक संशोधनों की स्वीकृति भी पुरानी भवन उपविधि के अनुसार ही प्रदान की जानी चाहिए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे टाउनशिप जहाँ पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार मुख्य अवस्थापनाओं यथा, सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, स्ट्रीट-लाइटिंग, पार्क एवं खुले स्थल, लैण्डस्केपिंग, सामुदायिक सुविधाओं, आदि का विकास किया जा चुका है और विकास एवं निर्माण कार्य कम्पलीशन के चरण में हों, के ले-आउट प्लान्स में प्रस्तावित आंशिक संशोधनों का सम्बन्धित टाउनशिप के सम्पूर्ण नियोजन (Overall Planning) से मेल होना आवश्यक है। नियोजन के दृष्टिकोण से ऐसे आंशिक संशोधन उन्हीं विनियमों के अधीन किए जाने औचित्यपूर्ण हैं जिनके अधीन टाउनशिप का मूल-ले-आउट प्लान स्वीकृत किया गया था ताकि नियोजन का स्वरूप विकृत न होने पाए। अतः शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भवन निम्रण एवं विकास उपविधि, 2000 लागू होने के पूर्व स्वीकृत टाउनशिप के ले-आउट प्लान्स में आंशिक संशोधन भी निम्न शर्तों एवं

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिबन्धों के साथ उन्हीं विनियमों के अधीन स्वीकृत किया जाएगा जिनमें मूल ले-आउट प्लान स्वीकृत हुआ हो :

(i) प्रस्तावित आंशिक संशोधन स्वीकृत टाउनशिप के कुल क्षेत्रफल के अधिकतम 25 प्रतिशत तक,

(ii) टाउनशिप के ले-आउट प्लान में विभिन्न अवस्थापनाओं, पार्क एवं खुले क्षेत्रों तथा सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित/प्राविधानित क्षेत्रफल में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, न ही इनसे सम्बन्धित किसी प्रस्ताव को समाप्त किया जाएगा,

(iii) स्वीकृत ले-आउट प्लान की सीमा के बाहर यदि अतिरिक्त भूमि अर्जित की गई हो/की जाती है, तो उसका ले-आउट प्लान नई भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार ही स्वीकृत किया जाएगा परन्तु उसके अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों एवं अवस्थापना सुविधाओं, आदि का एकीकरण (Integration) टाउनशिप के मूल ले-आउट प्लान से किया जा सकता है। इस हेतु यदि आवश्यक हो तो मार्जिनल विचलन (Adjustment) अनुमन्य किया जा सकेगा। साथ ही अतिरिक्त भूमि पर पार्क एवं खुले क्षेत्रों तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं, आदि का प्राविधान भी नई भवन उपविधि के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

3. कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्कालिक प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 894 (1)9-आ-1-29विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लिमिटेड।
5. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, 350, सेक्टर-28, नोएडा।
7. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
टी0पी0पाठक
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-939/9-आ-1-29 विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक,

टी. पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण,
फैजाबाद।

आवास अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक-5 मार्च, 2002

विषय : अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 1250/एस.सी./दिनांक 28.01.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/98 के अधीन किए गए संशोधनों पर कतिपय सुझाव शासन के पुनर्विचार हेतु प्रेषित किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तुत सुझावों को निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया जाता है :-

(i) बिन्दु संख्या-8 : विद्यमान प्रस्तर 3.1.2.2(X) को 3.1.2.2 (XI) किया जाए ।

(ii) बिन्दु संख्या-11 : टंकण सम्बन्धी त्रुटि के कारण शासनादेश में प्रस्तर 3.1.2.2 (II) का उल्लेख है जिसे प्रस्तर-3.1.2.2 (III) से प्रतिस्थापित किया जाए और विद्यमान क्रमांकों (IX) एवं (X) को क्रमशः (XI) एवं (XI) किया जाए।

(iii) बिन्दु संख्या-14 : विद्यमान प्रस्तर (II) से (ट) तक के क्रमांकों की क्रम संख्या को बढ़ाकर (III) से (ट) तक किया जाए।

(iv) बिन्दु संख्या-20 : टंकण सम्बन्धी त्रुटि के कारण शासनादेश में प्रस्तर 3.3.5 (IV) को उल्लेख है जिसे प्रस्तर 3.3.6 (IV) से प्रतिस्थापित किया जाए।

(v) बिन्दु संख्या-21 : भवन उपविधि के प्रस्तर 3.3.6 में भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के प्राविधान पहले से ही शामिल हैं। अतः इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को हुई भ्रान्ति के निराकरण हेतु विद्यमान वाक्यांश ''भवन उपविधि के प्रस्तर 3.3.6 के क्रमांक (I) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए'' के स्थान पर निम्न वाक्यांश रखा जाए :-

''भवन उपविधि के प्रस्तर 3.3.6 के क्रमांक (I) पर निम्न प्राविधान बढ़ाया जाए और विद्यमान क्रमांकों की क्रम संख्या तदानुसार आगे बढ़ा ली जाए''।

Scanned with OKEN Scanner

(vi) बिन्दु संख्या-30 : इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है, अतः यथावत रखा जाए ।

(vii) बिन्दु संख्या-35 : कोल्ड स्टोरेज का अध्याय संलग्न है।

3. कृपया उपरोक्त संशोधनों को समायोजित करते हुये भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकरण के उपरान्त शासन के अनुमोदन हेतु अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
टी. पी. पाठक
विशेष सचिव।

संख्या : 939(1)9-आ-1-29विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण।
2. अध्यक्ष, अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) के निर्माण हेतु अपेक्षाएं

10.1 अनुमन्यता : कोल्ड स्टोरेज का निर्माण महायोजना में प्रस्तावित कृषि हरित पट्टी, औद्योगिक, स्टोरेज एवं वेयर हाऊसिंग भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य होगा।

10.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल : भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा जिसका फ्रन्टेज कम से कम 25.0 मीटर चौड़ा होगा तथा जो न्यूनतम 12.0 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होगा।

10.3 वाउण्ड्रीवाल की मुख्य मार्ग से दूरी : कोल्ड स्टोरेज की वाउण्ड्रीवाल राष्ट्रीय मार्ग/प्रान्तीय राजमार्ग की मध्य रेखा से 45 मी0 तथा जनपदीयमार्ग/महायोजना मार्ग के मध्य से 22.5 मीटर की दूरी पर होगी।

10.4 सेट बैक, भू-आच्छादन एवं भवन की ऊँचाई :

क्रम.	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व0मी0)	सेट-बैक (मीटर)				भू-आच्छादन	ऊँचाई
		अग्रभाग	पृष्ठभाग	पार्श्व-1	पार्श्व-2	(%)	मी0
1.	1,000 से 2,000 तक	9.0	4.5	4.5	4.5	30	12.0
2.	2,001 से 5,000 तक	12.0	4.5	4.5	4.5	30	15.0
3.	5,001 से 10,000 तक	16.0	9.0	6.0	6.0	35	15.0
4.	10,001 से 30,000 तक	18.0	9.0	7.5	7.5	35	16.5
5.	30,000 से अधिक	21.0	15.0	15.0	15.0	35	18.0

टिप्पणी :

मशीनरूम, जनरेटर रूम, चौकीदार के कमरे हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त (अधिकतम 250 वर्ग मी0) भू-आच्छादन अनुमन्य होगा।

10.5 पार्किंग एवं निकास की अपेक्षाएं : माल की लोडिंग-अनलोडिंग हेतु कोल्ड स्टोरेज की भण्डारण क्षमता के प्रत्येक 550 घन मीटर या उसके अंश पर एक ट्रक पार्किंग स्थल का प्राविधान किया जाएगा जिसका आकार 3.5X7.5 मीटर होगा। सेटबैक के अन्तर्गत पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी।

10.6 अन्य अपेक्षाएं : (क) कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु उद्यान विभाग का अनुज्ञा पत्र के साथ-साथ निम्न विभागों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करने होंगे :-

(I) अग्निशमन विभाग,

(II) लोकनिर्माण विभाग,

(III) स्थानीय एयरपोर्ट अथारिटी (यदि भूखण्ड 'फनल जोन' के अन्दर स्थित है)

(ख) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र जिला उद्यान अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारी एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी के संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त जारी किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-1010/9-आ-1-29 विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक,

टी. पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनाँक-16 मार्च, 2002

विषय : इलाहाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 127/मु.न.नि./वि.प्रा./2001 दिनांक 6.10.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किए गए परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक दिनांक 12.9.2001 में कतिपय संशोधनों के साथ अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव में शामिल कतिपय संशोधन तकनीकी दृष्टि से युक्तिसंगत नहीं हैं, अत: प्रस्तुत प्रस्ताव को निम्न परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है :-

(i) **परिष्कार संख्या-5** : प्रश्नगत बिन्दु पर अन्य विकास प्राधिकरणों से भी पुनर्विचार हेतु सुझाव प्राप्त हुए थे जिनके दृष्टिगत शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15.9.2001 (प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न) द्वारा ले-आउट प्लान में पार्क एवं खुले क्षेत्र का प्राविधान जनसंख्या घनत्व के स्थान पर ले-आउट के कुल क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को भी अनुपालन हेतु प्रेषित की गई थी। वर्णित स्थिति में प्राधिकरण द्वारा संस्तुत संशोधन की आवश्यकता नहीं रह गई है।

(ii) **परिष्कार संख्या-12** : नेशनल बिल्डिंग कोड तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अनुसार भवन की अधिकतम ऊँचाई संलग्न सड़क एवं आस-पास के औसत भूतल से नापे जाने का प्राविधान है। यही मानक प्रदेश में अन्य विकास प्राधिकरणों द्वारा भी अंगीकृत किया गया है। अत: भूकम्परोधी व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्णत: भूमिगत बेसमेन्ट को भवन की ऊँचाई में शामिल किया जाना तकनीकी दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है। वर्णित स्थिति में प्राधिकरण द्वारा किया गया प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है।

(iii) **परिष्कार संख्या-17** : पूर्व/प्रभावी भवन उपविधि में मल्टीप्लेक्स से सम्बन्धित अध्याय-12 सम्मिलित नहीं था, अत: इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा किया गया प्रस्ताव स्वीकार्य है।

(iv) **परिष्कार संख्या-20** : भवन उपविधि का प्रस्तर संख्या 3.3.6 (iv) जो ग्रुप हाउसिंग के घनत्व विषयक है, टंकण सम्बन्धी त्रुटि के कारण उसके स्थान पर 3.3.5(iv) का उल्लेख है, अत: प्राधिकरण द्वारा किया गया प्रस्ताव स्वीकार्य है।

Scanned with OKEN Scanner

(v) **परिष्कार संख्या-23** : शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29विविध/98 दिनांक 8 जून, 2001 के परिष्कार संख्या-23 के अधीन एकल आवासीय भवन हेतु अधिकतम तीन मंजिल/12.5 मीटर ऊँचाई निर्धारित की गई है जिसे इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकतम तीन मंजिल/12 मीटर से प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जो स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि उक्त प्राविधान प्रदेश के अन्य सभी विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपनी-अपनी भवन उपविधि में समायोजित किया जा चुका है। अतः एकरूपता की दृष्टि से यह प्राविधान इलाहाबाद विकास प्राधिकरण भवन उपविधि में भी बनाए रखना औचित्यपूर्ण है।

(vi) **परिष्कार संख्या-27** : शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29विविध/98 दिनांक 8 जून, 2001 के अधीन प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार निर्मित क्षेत्र में यातायात की सघनता, मिश्रित भू-उपयोग की प्रधानता तथा अवस्थापना सुविधाओं पर विद्यमान एवं भविष्य में सम्भावित दबाव की आशंका के दृष्टि प्रभार सहित इकाईयाँ अनुमन्य नहीं की गई हैं। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त इकाइयों की अनुमन्यता सर्किल रेट की वर्तमान सामान्य आवासीय दर का केवल 10 प्रतिशत शुल्क पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त सम्बन्धित कालोनी के वर्तमान लागत पर आगणित (यथास्थिति 40 अथवा 50 प्रतिशत) विकास शुल्क लेकर अनुज्ञा प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। अतः प्राधिकरण द्वारा किया गया प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है।

(vii) **परिष्कार संख्या-35** : प्रश्नगत परिष्कार कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु मानकों से सम्बन्धित है जिसे प्राधिकरण द्वारा अपनी भवन उपविधि में अध्याय-13 के रूप में जोड़ने का प्रस्ताव है, जो स्वीकार्य है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29विविध/98(आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001 (प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न) द्वारा भी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में कतिपय परिष्कार किए गए थे जिसकी प्रतिलिपि उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को भी अनुपालन हेतु पृष्ठांकित की गई थी। कृपया उपरोक्त संशोधनों को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
टी. पी. पाठक
विशेष सचिव।

संख्या : 1010/9-आ-1-29विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1011/9 आ 1-29 विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक

टी. पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
आगरा।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 16 मार्च 2002

विषय : आगरा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या 95/जी.टी./सीएसी/2002 दिनांक 25.1.2002 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किए गए परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 29.12.2001 में यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर 2001 के अधीन जारी किये गये परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है। उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई थी जो पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को आगरा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (चार पृष्ठ)

भवदीय,
टी. पी. पाठक
विशेष सचिव।

संख्या : 1011/9-आ-1-29विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
टी०पी० पाठक
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1919/9-आ-1-29 विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक,

टी. पी. पाठक
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
कानपुर

आवास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक-20 मई, 2002

विषय : कानपुर विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या स.डी./11/सीएपी/का.वि.प्रा./2002 दिनांक 17.4.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किए गए परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 89वीं बैठक दिनांक 5.2.2002 में यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कानपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव को निम्न शासनादेशों के अधीन जारी किए गए परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है:-

(i) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001

(ii) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

3. उपरोक्त दोनों शासनादेशों की प्रतिलिपियाँ उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण को भी प्रेषित/पृष्ठांकित की गई थी जो पुनः इस पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैं।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधनों को कानपुर विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

5. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
टी. पी. पाठक
विशेष सचिव।

संलग्नक :उपरोक्तानुसार (चार पृष्ठ)

संख्या : 1919(1)9-आ-1-29विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 3366/9 आ 1 29 विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक,

जे. एस. मिश्र
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 9 अगस्त 2002

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में प्रस्तावित परिष्कारों/संशोधनों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 562/अ.अ./भवन दिनांक 24.7.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में निम्न शासनादेशों के अधीन किए गए परिष्कारों/संशोधनों का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 19.6.2002 को हुई बैठक में यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है :-

(i) शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001

(ii) शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 25 सितम्बर, 2001

(iii) शासनादेश संख्या 928/9-आ-1-29विविध/98 (टी.सी.) दिनांक 01 मार्च, 2002

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। कृपया उपर्युक्त संशोधनों को लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए। कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

3. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 के अधीन 36 परिष्कार/संशोधन प्रस्तावित किए गए थे जिनके अंगीकरण का प्रस्ताव अभी शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। अत: उक्त शासनादेश में निर्दिष्ट संशोधनों का भी प्रस्ताव (शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर, 2001, दिनांक 25 सितम्बर, 2001 तथा दिनांक 01 मार्च, 2002 में किए गए परिष्कारों/संशोधनों को छोड़कर) प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कराने के उपरान्त शासन के अनुमोदन हेतु तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
जे. एस. मिश्र
सचिव।

संख्या : 3366(1)9-आ-1-29विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जे. एस. मिश्र
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण,
मथुरा-वृन्दावन।

आवास अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक-9 अगस्त, 2002

विषय : मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कारों को लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 464/म.वृ.वि.प्रा./2002-2003 दिनांक 11.6.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29विविध/98 दिनांक 08 जून, 2001 द्वारा किए गए परिष्कार/संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 46वीं बैठक दिनांक 15.10.2001 के मद संख्या 2/46 तथा शासनादेश संख्या 4784/9-आ-1-29विविध/98 दिनांक 15.9.2001 व शासनादेश संख्या 4930/9-आ-1-29 विविध/98(आ.ब.) दिनांक 25.9.2001 द्वारा किए गए परिष्कार/संशोधन प्राधिकरण बोर्ड की 47वीं बैठक दिनांक 3.4.2002 के मद संख्या 9/47(1) में यथावत् अंगीकृत कर शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किए गए है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाा है। कृपया उपर्युक्त संशोधनों को मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करते हुए इसकी जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी कर दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

3. कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जे. एस. मिश्र
सचिव।

संख्या : 3367(1)9-आ-1-29विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

2. अध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

3. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-26 फरवरी, 2002

विषय : भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के विनियमन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2897/9-आ-3-3001/19विविध/2001 दिनांक 9 जुलाई, 2001 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें इस बिन्दु पर ध्यानाकर्षण किया गया था कि वर्तमान आवासीय कालोनियों में जहाँ एक व दो मंजिल की इमारतों के आधार पर विकास किया गया है, वहाँ बहुमंजिली इमारतें तैयार होकर खड़ी हो जाती है जिसके कारण अगल-बगल के भवनों की प्राइवेसी भंग होती है तथा प्राकृतिक प्रकाश एवं संवातन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही ऐसी कालोनियों में भूखण्डीय विकास के अनुरूप प्राविधानित अवस्थापना सुविधाएं यथा सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, सामुदायिक सुविधाओं तथा पार्क एवं खुले क्षेत्रों के मानक ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिले निर्माण के अनुरूप न होने के कारण अवसथापनाएं बढ़े हुए दबाव को सहन नहीं कर पाती है फलस्वरूप रिहायशी वातावरण की गुणवत्ता में गिरावट आती है। अत: उक्त प्रवृत्ति पर नियन्त्रण लगाए जाने के उद्देश्य से भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत बहुमंजिले निर्माण की अनुज्ञा हेतु शर्ते एवं प्रतिवन्ध निर्धारित किए गए थे।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उक्त शासनादेश में विकास शुल्क की देयता व "लो-राईज" एवं "हाई राईज" क्षेत्रों की परिभाषा के सम्बन्ध में कतिपय भ्रान्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट होना आवश्यक है कि उक्त शासनादेश क्या ऐसी पूर्व स्वीकृत योजनाओं पर भी लागू होगा जिनके मानचित्र आंशिक संशोधनों सहित पुर्नअनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए हों।

3. उपरोक्त भ्रान्तियों के समाधान हेतु शासन द्वारा विचारोपरान्त उपरिलिखित शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए महायोजना के अन्तर्गत नए विकसित होने वाले/तथा विद्यमान विकसित क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिले निर्माण की अनुज्ञा के लिए पुनरीक्षित शर्ते एवं प्रतिबन्ध निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैं :-

Scanned with OKEN Scanner

(क) नए क्षेत्र

नए क्षेत्रों में महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान के अन्तर्गत निम्न घनत्व तथा उच्च घनत्व के अनुरूप क्रमशः ''लो-राईज़'' एवं ''हाई राईज़'' क्षेत्र को पहले से ही चिन्हित कर लिया जाए। ''लो-राईज़'' क्षेत्रों में भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर होगी जो भवन उपविधि में एकल आवासीय भवनों हेतु निर्धारित है। जबकि ''हाई राईज़'' (12.5 मीटर से अधिक) क्षेत्रों में अधिकतम ऊँचाई भू-आच्छादन, एफ.ए.आर., सड़क की चौड़ाई, लाईट एण्ड वेन्टीलेशन प्लेन तथा भवन की ऊँचाई के सम्बन्ध में लागू अन्य प्रतिबन्धों यथा एयरपोर्ट फनेल एरिया, हेरिटेज़ जोन, आदि से नियन्त्रित होगी। उच्च घनत्व/''हाई राईज़'' क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई, अवस्थापना सुविधाओं, सामुदायिक सुविधाओं तथा पार्क एवं खुले स्थलों का प्राविधान उसी घनत्व के अनुरूप पहले से ही सुनिश्चित किया जाएगा।

(ख) विद्यमान विकसित क्षेत्र :

(i) विद्यमान विकसित क्षेत्र/कालोनियों में एकल आवास के अन्तर्गत एक अथवा एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर प्रस्तावित किया गया ग्रुप हाउसिंग निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। इस हेतु प्राधिकरण द्वारा ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए जाएं जहाँ पर ''हाई-राईज'' की आवासीय योजनाएँ अनुमन्य की जाएंगी। विद्यमान विकसित योजनाओं में 'हाई-राईज'' भवनों का निर्माण न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर सड़क की दोगुनी गहराई तक अनुमन्य होगा अर्थात् 18 मीटर चौड़ी सड़क पर 36 मीटर गहराई के भू-भाग पर ही बहुमंजिले आवासीय भवनों का निर्माण अनुमन्य होगा। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में संशोधन के रूप में सम्मिलित किया जाए तथा अन्य क्षेत्रों में बहुमंजिले (हाई-राईज) आवासीय भवन प्रतिबन्धित किए जाएं। ऐसे चिन्हित ''हाई-राईज'' क्षेत्रों में महायोजनानुसार उच्च घनत्व अनुमन्य होगा।।

(ii) विद्यमान विकसित क्षेत्रों में 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित ऐसे आवासीय भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल एक एकड़ अथवा अधिक है, पर भवन उपविधियों के अनुसार ग्रुप हाउसिंग का निर्माण अनुमन्य होगा। ऐसे भूखण्डों को ''हाई राईज'' निर्माण हेतु चिन्हित कर महायोजना/जोनल प्लान अथवा ले-आउट प्लान में संशोधन के रूप में शामिल किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(iii) विद्यमान विकसित क्षेत्रों में भूखण्डीय आवास के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु चिन्हित किए जाने वाले क्षेत्र जो महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में संशोधन के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे, में वहुमंजिला निर्माण अनुमन्य किए जाने के फलस्वरूप जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा जिससे अवस्थापना सुविधाओं पर दबाव बढ़ेगा, अतः मानचित्र स्वीकृति के समय वर्तमान वाह्य एवं आन्तरिक विकास का 50 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में लिया जाएगा, परन्तु जहाँ सुदृढ़ीकरण शुल्क लिया जाए वहाँ पर विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा।

4. उपर्युक्त प्रस्तर-3(ख) में उल्लिखित प्राविधान केवल नए स्वीकृत होने वाले मानचित्रों पर लागू होंगे, पूर्व स्वीकृत अथवा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर लागू नहीं होंगे।

5. नए क्षेत्रों में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिले निर्माण जो किसी योजना का भाग हैं और जहाँ विकास शुल्क भूमि के मूल्य में अलग से लिया जा चुका हो, वहाँ पुनः विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। परन्तु प्रस्तावित स्थल यदि किसी योजना का भाग नहीं है, तो सड़क एवं ड्रेनेज के लिए वर्तमान लागत पर आगणित वाह्य विकास शुल्क लिया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. "लो-राईज" का तात्पर्य भूखण्डीय विकास (12.5 मीटर ऊँचाई तक) से है, जबकि "हाई-राईज" का तात्पर्य 12.5 मीटर से अधिक ऊँचे ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिले निर्माण से है।

7. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार नए क्षेत्र एवं विद्यमान विकसित क्षेत्रों में प्रस्तावित "लो-राईज" एवं "हाई-राईज" क्षेत्रों का चिन्हीकरण छः माह के अन्दर कर लिया जाए तथा उनका समावेश योजना के ले-आउट प्लान अथवा महायोजना/जोनल प्लान में निर्धारित व्यवस्थानुसार कराना सुनिश्चित कर लें।

8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उपरोक्त कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह कर आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक में अवगत कराएंगे।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

प्रमुख सचिव।

संख्या : M-155 (1)/9-आ-3-01/19वि0/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको, उत्तर प्रदेश।ण
6. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
7. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3 लखनऊः दिनाँक-29 अगस्त, 2002

विषय : भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के विनियमन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित आवासीय योजनाए सामान्यतः भूखण्डीय विकास (अधिकतम तीन मंजिल भवनों) हेतु अभिकल्पित हैं और उसी के अनुरूप उनमें अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़कें, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत्-आपूर्ति, पार्क एवं खुले क्षेत्र तथा सामुदायिक सुविधाओं, आदि का प्राविधान किया गया है। परन्तु ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत अविवेकपूर्ण ढंग से बढ़ रहे बहुमंजिले निर्माण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप जहां एक ओर महायोजना घनत्व का उल्लंघन हो रहा है वहीं दूसरी ओर विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं पर दबाव भी बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त बहुमंजिले निर्माण के कारण अगल-बगल स्थित एकल भवनों की प्राइवेसी भंग होती है और प्राकृतिक प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था बाधित होती है जिससे रिहायशी पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास होता के है, अतः भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत बहुमंजिले निर्माण के विनियमन हेतु शासनादेश संख्या एम 155/9-आ-3-2001/19विविध/2001 दिनांक 26 फरवरी, 2002 द्वारा कतिपय शर्तें एवं प्रतिबन्ध निर्धारित किए गए थे और यह अपेक्षा की गई थी कि विद्यमान विकसित क्षेत्रों में ''लो राईज'' एवं ''हाई-राईज'' क्षेत्रों का चिन्हीकरण छः माह के अन्दर कर लिया जाए तथा उन्हें महायोजना/जोनल प्लान में संशोधन के रूप में शामिल किया जाए।

2. इस सम्बन्ध में कतिपय विकास प्राधिकरणों तथा निजी क्षेत्र के निर्माताओं द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उक्त शासनादेश में निहित मंशा के अनुसार ''लो राईज'' एवं ''हाई राईज'' क्षेत्रों का चिन्हीकरण व्यवहारिक नहीं है जिसके कारण निजी क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग एवं अन्य बहुमंजिले निर्माण की स्वीकृति सम्बन्धी

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही अवरूद्ध हो गई है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिलिखित शासनादेश को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ग्रुप हाउसिंग एवं अन्य बहुमंजिले निर्माण के विनियमन हेतु निम्नलिखित पुनरीक्षित शर्तें एवं प्रतिबन्ध निर्धारित किए जाते हैं :-

2.1 वर्तमान में ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर निर्धारित है जो बहुत कम है। इसके कारण भूखण्ड हेतु अनुमन्य भू-आच्छादन के उपरान्त अधिकांश भूमि अग्निशमन सुरक्षा के लिए भवन के चारो ओर वांछित सैट-बैक के अन्तर्गत चली जाती है और भवन में पार्किंग व्यवस्था तथा बच्चों के खेलने के लिए पार्क एवं खुले क्षेत्र का समुचित प्राविधान सम्भव नहीं हो पाता है। अतः ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर होगा।

2.2 ''निर्मित क्षेत्र'' तथा वर्तमान विकसित कालोनियों/क्षेत्रों के अन्तर्गत 2000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के एकल भूखण्डों पर अधिकतम 12.5 मीटर ऊँचाई का निर्माण अनुमन्य होगा, 2000 वर्ग मीटर एवं अधिक परन्तु 4000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड जो न्यूनतम 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित हों, पर अधिकतम 15 मीटर ऊँचाई (4 मंजिल तक) के ग्रुप हाउसिंग/अन्य भवनों का निर्माण अनुमन्य होगा तथा 4000 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के ऐसे भूखण्ड जो 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित हों, पर 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के ग्रुप हाउसिंग/अन्य बहुमंजिले निर्माण की अनुमति इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के आधार पर देय होगी। परन्तु भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत एक से अधिक भूखण्डों को मिलाकर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य बहुमंजिला निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। ग्रुप हाउसिंग/अन्य बहुमंजिले निर्माण की अनुमति देने से पूर्व विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित निर्माण हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं यथा सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति तथा पार्क एवं खुले क्षेत्र, आदि मानकों के अनुसार उपलब्ध हैं तथा उस क्षेत्र के ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से एकीकृत (integrated) हैं। इस प्रकार वर्तमान विकसित कालोनियों/क्षेत्रों के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य बहुमंजिले निर्माण की अनुमति इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के आधार पर विशिष्ट परिस्थितियों में देय होगी।

2.3 वर्तमान विकसित कालोनियों/क्षेत्रों में भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत उपर्युक्त प्रस्तर-2.2 के अनुसार यदि ग्रुप हाउसिंग/अन्य बहुमंजिला निर्माण अनुमन्य किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा जिससे विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं पर दबाव बढ़ेगा, अतः ऐसे भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय वर्तमान वाह्य एवं आन्तरिक विकास व्यय का 50 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में लिया जाएगा। परन्तु जिन क्षेत्रों में विद्यमान नीति के अनुसार सुदृढ़ीकरण शुल्क लिया जाएं वहाँ पर विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिला निर्माण विकास प्राधिकरण अथवा आवास एवं विकास परिषद की किसी योजना का भाग है और जहाँ विकास शुल्क भूमि के मूल्य में अलग से लिया जा चुका हो, वहाँ पुनः विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि प्रस्तावित स्थल किसी योजना का भाग नहीं है, तो सड़क एवं ड्रेनेज के लिए वर्तमान लागत पर आगणित वाह्य विकास शुल्क लिया जाएगा।

2.4 नए विकसित होने वाले क्षेत्रों में जोनल प्लान/ले-आउट प्लान बनाते समय ''लो राईज'' एवं ''हाई-राईज'' क्षेत्र पहले से ही निर्धारित कर लिए जाएं। ''लो-राईज'' क्षेत्रों में भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर एवं ''हाई-राईज'' क्षेत्रों में 15 मीटर से अधिक (भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार) होगी तथा अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़कें, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, पार्क एवं खुले स्थल, सामुदायिक

Scanned with OKEN Scanner

सुविधाओं, आदि का अभिकल्पन एवं विकास अनुमन्य एफ.ए.आर. एवं घनत्व के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा।

2.5 महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में ग्रुप हाउसिंग अथवा अन्य प्रकृति के बहुमंजिले निर्माण हेतु यदि स्थल निर्दिष्ट हों, तो वहाँ भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार निर्माण अनुमन्य होगा।

3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्राविधान केवल नए स्वीकृत होने वाले मानचित्रों पर लागू होंगे, पूर्व स्वीकृत अथवा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर लागू नहीं होंगे।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि नगरों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वास्तुकलात्मक अभिकल्पन की धरोहर के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों/स्काईलाइन, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से निषिद्ध क्षेत्र, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र तथा प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से संरक्षण योग्य क्षेत्रों में "हाई-राइज" निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। अतः अपने-अपने नगरों में ऐसे स्थलों/क्षेत्रों को सड़क/रेलवे लाइन/नदी एवं नाले अथवा अन्य भौतिक आकृतियों से सीमांकित करते हुए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित कराकर शासन के अनुमोदन हेतु एक माह के अन्दर प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि भवन उपविधि में तदनुसार आवश्यक प्राविधान सुनिश्चित किए जा सकें।

भवदीय,

जे. एस. मिश्र

सचिव।

संख्या : 3001 (1)/9-आ-3-01/19 विविध /2001(आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, यू.पी. रेडको, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, उ.प्र. आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, 350, सेक्टर-28, नोएडा।
6. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

संजीव कुमार

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-15 मई, 2002

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वैशाली योजना के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों हेतु 2.5 एफ.ए.आर. अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 218/नियो/2000 दिनांक 12 जुलाई, 2000 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्राधिकरण की वैशाली योजनान्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों को पूर्व अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार 2.5 एफ.ए.आर. अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया गया है। शासन के समक्ष इसी विषय पर गाजियाबाद के कतिपय निजी निर्माताओं द्वारा भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें यह तर्क दिया गया है कि वैशाली योजना में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में 2.5 एफ.ए.आर. के साथ भूखण्ड विक्रय किए गए थे जिनके स्थान पर 1.5 एफ.ए.आर. दिया जाना न केवल भेदमूलक (Discriminatory) है, बल्कि भूमि के बढ़े हुए बाजार मूल्य के दृष्टिगत ग्रुप हाउसिंग निर्माण की वायबिलिटी में बाधक है। अत: उन्होंने अनुरोध किया है कि ग्रुप हाउसिंग के अवशेष भूखण्डों हेतु भी 2.5 एफ.ए.आर. अनुमन्य किया जाए।

2. इस सम्बन्ध में प्राधिकरण निजी निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के दृष्टिगत शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वैशाली योजना के अनुमोदित ले-आउट प्लान के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग हेतु नियोजित ऐसे भूखण्ड जिन्हें वर्तमान में 1.5 एफ.ए.आर. अनुमन्य है, को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन 2.5 एफ.ए.आर. दिया जाना औचित्यपूर्ण है :-

(i) ग्रुप हाउसिंग के जो भूखण्ड प्राधिकरण द्वारा आवंटित/नीलाम किए गए हैं और जिन्हें विक्रय की शर्तों के अनुसार 2.5 एफ.ए.आर. देने की विधिक बाध्यता (contractual obligation) है, को शासनादेश सं० 2028/9-आ-3-1996-2आ.नी./89 दि. 9 मई, 1996 के जारी होने के पूर्व अनुमन्य 2.5 एफ.ए.आर. की सुविधा प्रदान की जाए,

(i) ग्रुप टाइसिंग के आवंटित/अनावंटित ऐसे भूखण्ड जिन्हें वर्तमान में 1.5 एफ. ए.आर अनुमन्य है और विक्रय की शर्तों के अनुसार 2.5 एफ.ए.आर. देने की विधिक बाध्यता नहीं है, के लिए अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर 33 प्रतिशत क्रय-योग्य एफ.ए.आर. के स्थान पर अधिकतम 66 प्रतिशत क्रय-योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य किया जाए ताकि कुल एफ.ए.आर. 2.5 के अन्तर्गत रहे। परन्तु 66 प्रतिशत की सीमा तक क्रय योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य किए जाने से पूर्व प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अवस्थापना सुविधाओं विशेष

Scanned with OKEN Scanner

रूप से ड्रेनेज, जलापूर्ति, सीवरेज, आदि की उपलब्धता के सम्बन्ध में विशिष्टियों का प्रमाणीकरण एक स्वतन्त्र संस्था (यथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद) कराया जाना आवश्यक होगा। यदि संस्था द्वारा यह संस्तुति की जाती है कि अवस्थापना सुविधाओं को विशिष्टियों का अभिकल्पन एवं विकास 2.5 एफ.ए.आर. के सापेक्ष है, तो प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने की दशा में 66 प्रतिशत क्रय-योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य किया जा सकता है।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

प्रमुख सचिव।

संख्या : 1831 (1)/9-आ-3-01/(आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, नियोजन, उ.प्र. आवास बन्धु।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. औद्योगिक विकास आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
4. नियन्त्रक प्राधिकारी,
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनाँक : 02 फरवरी, 2002

आवास अनुभाग-3

विषय : प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से कन्वीनिएन्स स्टोर्स की स्थापना हेतु मानक निर्धारण।

महोदय,

आवासीय योजना में निवासियों की सुविधा हेतु रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवासीय योजना की सफलता की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इनकी नियमित व्यवस्था न होने से जहाँ अवैध निर्माणों को बढ़ावा मिलता है, वहीं नागरिकों को असुविधा होती है। इस हेतु आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत सुनियोजित रूप से कन्वीनिएन्स स्टोर्स की श्रृंखलाएं स्थापित होने से न केवल विपणन अवस्थापना विकास होगा बल्कि रोजगार सृजन तथा नगरों के सर्वांगीण आर्थिक विकास में भी सहयोग मिलेगा।

2. अतः प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से कन्वीनिएन्स स्टोर्स की स्थापना हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्माण अनुज्ञा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है:-

2.1 अनुमन्य स्थल :

सामान्य कन्वीनिएन्स स्टोर के निर्माण की अनुमति सम्बन्धित नगर की महायोजना में निर्धारित "व्यवसायिक" तथा "निर्मित क्षेत्र" में देय होगी, जबकि आवासीय क्षेत्र में एक सीमित आकार/फुटकर दुकान के रूप में कन्वीनिएन्स स्टोर का निर्माण अनुमन्य होगा। यदि महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में "शुद्ध आवासीय" तथा "मिश्रित आवासीय" क्षेत्र पृथक-पृथक चिन्हित हों, तो कन्वीनिएन्स स्टोर का निर्माण केवल "मिश्रित आवासीय" क्षेत्र में ही अनुमन्य होगा, "शुद्ध आवासीय" में नहीं।

Scanned with OKEN Scanner

2.2 निर्माण अनुज्ञा हेतु मानक तथा अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

'व्यवसायिक' भू-उपयोग व 'निर्मित क्षेत्र' में सम्बन्धित नगर की भवन उपविधि में निहित प्राविधानों/मानकों के अनुसार निर्माण अनुमन्य होगा, जबकि 'आवासीय' भू-उपयोग में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा:-

(i) **भूखण्ड का क्षेत्रफल :** भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर एवं न्यूनतम फ्रन्टेज 12 मीटर होगा, जो न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित होगा। उक्त सड़क कम से कम एक ओर 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर मिलनी चाहिए।

(ii) **भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर :** आवासीय क्षेत्र में कन्वीनिएन्स स्टोर हेतु भू-आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ.ए.आर. 1.2 अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रभावी शासनादेशों/भवन उपविधि के अनुसार निर्धारित सीमा तक क्रय-योग्य एफ.ए.आर. भी अनुमन्य होगा।

(iii) **भवन की ऊँचाई :** 24 मीटर तक चौड़ी सड़क पर भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर तथा इससे अधिक चौड़ी सड़क पर अधिकतम 15 मीटर अनुमन्य होगी।

(iv) **सैट-बैक :** कन्वीनिएन्स स्टोर हेतु न्यूनतम फ्रन्ट सैट-बैक 6 मीटर होगा, जबकि अन्य सैट-बैक उस भूखण्ड के लिए सम्बन्धित आवासीय कालोनी के ले-आउट प्लान में निर्धारित सैट-बैक के अनुसार रहेंगे ताकि अगल-बगल व पीछे के भवनों में प्रकाश एवं संवातन की समस्या तथा गोपनीयता (प्राइवेसी) भंग न हो।

(v) **पार्किंग :** वाहनों की पार्किंग हेतु भवन उपविधि-2000 के अनुसार प्रति 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर 1.25 'समान कार स्थल' जिसका क्षेत्रफल 13.75 वर्ग मीटर होगा, की व्यवस्था भूखण्ड के अन्दर करनी होगी। 'ड्राइव-वे' तथा वाहनों के मुड़ने हेतु अतिरिक्त स्थान का प्राविधान करना होगा। पार्किंग व्यवस्था हेतु बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा। बेसमेन्ट को अन्य उपयोग में लाए जाने पर उसकी गणना एफ.ए.आर.में की जाएगी तथा समस्त प्रकार अनुमन्य एफ. ए.आर. को सीमा से अधिक होने पर अवैध निर्माण अनुसार कार्यवाही होगी।

(vi) **अन्य अपेक्षाएं :** भवन निर्माण सम्बन्धी अन्य अपेक्षाएं सम्बन्धित प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र में प्रभावी भवन उपविधि में निहित प्राविधानों के अनुसार होंगी।

2.3 भू-उपयोग परिवर्तन/प्रभाव शुल्क:

आवासीय क्षेत्र में 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु प्रभावी शासनादेशों के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य होगा और नियमानुसार परिवर्तन शुल्क देय होगा। परन्तु ऐसे प्रकरणों जहाँ जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर आवासीय क्षेत्र में कन्वीनिएन्स स्टोर की अनुमति प्रदान की जाए, वहाँ प्रभाव शुल्क (Impact Fee) देय होगा। प्रभाव शुल्क की राशि भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3712/9-आ-3-2001-26 एल.यू.सी./91 दिनांक 21.8.2001 में ''आवासीय'' से ''व्यवसायिक'' भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत होगा। भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क/प्रभाव शुल्क की दरों में दो वर्ष तक कोई कमी नहीं की जाएगी। यदि इन शुल्कों की दरों में कोई कमी इस अवधि में की जाती है तो उसका लाभ इन उद्यमियों को भी उपलब्ध होगा जिन्होंने अब निर्धारित की जा रही दरों पर भुगतान किया होगा।

2.4 स्टैण्डर्ड भवन मानचित्र की स्वीकृति :

चयनित स्थल पर महायोजना एवं जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार कन्वीनिएन्स स्टोर का निर्माण अनुमन्य होने की दशा में 'काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट्स' में पंजीकृत वास्तुविद् के माध्यम से तैयार कराए गए कन्वीनिएन्स स्टोर की श्रृंखला के मानक भवन मानचित्र को भवन उपविधियों के आधार पर आवास बन्धु में परीक्षण कराने के उपरान्त तकनीकी दृष्टि से स्वीकृति योग्य पाए जाने पर सैद्धान्तिक सहमति आवास

Scanned with OKEN Scanner

बन्धु द्वारा प्रदान की जाएगी। उसके आधार पर स्थान विशेष के निर्धारित भू-उपयोग की अनुमन्यता के ब्योरे के साथ तथा निर्धारित शुल्क जमा करने पर मानचित्र सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। मानचित्र स्वीकृति के समय प्राधिकरण केवल भू-उपयोग, उन शर्तों, जिनके अधीन आवास बन्धु ने सैद्धान्तिक सहमति दी हो, के अनुपालन एंव शुल्क के बारे में अपने को संतुष्ट कर लेगा। इस सुविधा के लिए न्यूनतम 20 स्टोर की श्रृंखला बनानी होगी, प्रति स्टोर रू0 2500/- (रूपए दो हजार पाँच सौ मात्र) की फीस (न्यूनतम रू0 50,000/-) आवास बन्धु को दये होगी एवं प्राधिकरण की फीस अलग से देय होगी। आवास बन्धु के माध्यम की व्यवस्था स्वैच्छिक होगी अर्थात् आवेदक चाहे तो सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत सीधे प्राधिकरण के समक्ष मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन कर सकता है। सम्बन्धित प्राधिकरण/औद्योगिक क्षेत्र/विहित प्राधिकारी कार्यालय में मानचित्र निर्धारित शुल्कों सहित जमा करने पर स्वत: स्वीकृत माना जाएगा। आवास बन्धु द्वारा परीक्षण कर सैद्धान्तिक सहमति अधिकतम 20 दिन में उपलब्ध कराई जाएगी एवं उसके आधार पर प्राधिकरण में निर्धारित शुल्क, आदि के साथ जमा करने पर अधिकतम बीस दिन में परीक्षण कर स्वीकृति उपलब्ध कराई जाएगी।

3. उपर्युक्त व्यवस्था नगरी विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों के साथ ही औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी लागू करने हेतु शासनादेश औद्योगिक विभाग द्वारा जी किया जायेगा।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 375(1)/9-आ-3-2002-73-एल.यू.सी./2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक : 26 फरवरी, 2002

विषय : **एयरफोर्स, एयरफील्ड तथा उसके इन्स्ट्रालेशन के चतुर्दिक वाह्य सीमा से 900 मी0 की दूरी तक किसी प्रकार के निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-एयर हेडक्वार्टर/36051/आर0ईएसटीडी/पीओएल/डब्लूपीफोरसी(1)99/एफ/01/डी(एयर-11), दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 की प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दु-4 (स्थल-ए) का तत्काल अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। एतदर्थ एयरफोर्स स्टेशनों एवं इकाइयों द्वारा गठित की जाने वाली समिति में अपने सदस्य नामित करते हुए उक्त के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र दिनांक 01 दिसम्बर, 2001 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 3887/440/9 आ 1 रेन वा. हार्वे. एवं ग्राउन्ड वा. रिचा./2002 [illegible]

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव, आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ: दिनांक : 02 सितम्बर, [illegible]

आवास अनुभाग 1

विषय : स्थानीय निकायों के कार्यालय भवनों में 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग' परियोजना लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भू-जल के लगातार गिरते हुए स्तर तथा संरक्षण में आ रही भारी कमी को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में निर्मित तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय, अर्द्ध शासकीय अथवा संस्थागत एवं निजी भवनों में **'रूफ टाप हार्वेस्टिंग एवं ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग'** की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाए। इसके अतिरिक्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुराने तालाब, झील एवं जलाशय कम हो गए हैं अथवा समाप्त हो गए हैं उन्हें पुनर्जीवित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में वर्षा जल संचित करके भू-जल का संरक्षण किया जा सके। परन्तु इस दिशा में अभी तक कोई महत्वपूर्ण प्रयास किसी स्तर पर नहीं किए गए हैं।

भू-जल संरक्षण की आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक होगा कि 'रेन वाटर **हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग'** से सम्बन्धित कार्य एक अभियान के रूप में प्रारम्भ किए जाएं जिसमें सभी सम्बन्धित विभागों का पूर्ण योगदान आवश्यक होगा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिनस्थ सभी स्थानीय निकायों तथा अन्य सम्बन्धित विभागों को अपने-अपने कार्यालय भवनों में **'रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग'** से सम्बन्धित कार्य एक अभियान के रूप में प्रारम्भ किए जाएं जिसमें सभी सम्बन्धित विभागों का पूर्ण योगदान आवश्यक होगा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिनस्थ सभी स्थानीय निकायों तथा अन्य सम्बन्धित विभागों को अपने-अपने कार्यालय भवनों में **'रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग'** परियोजना लागू करने तथा नगरीय क्षेत्र में उपलब्ध पुराने तालाबों, झीलों एवं जलाशयों को पुनर्जीवित करने हेतु कृपया [illegible] से सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव आवास।

संख्या : 3887(1)440/9 आ 1 रेन वा. हार्वे. एवं ग्राउन्ड वा.रिचा./2002 (आ.ब.) तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्तों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग देते हुए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग' परियोजना का क्रियान्वयन एवं पुराने तालाबों, झीलों एवं जलाशयों के संरक्षण तथा पुनर्जीवन हेतु सभी सम्बन्धित विभागों को कृपया अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव आवास।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-3139/9-आ-3-2002-141 काम्प/2002

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उद्योग बन्धु
12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक : 12 नवम्बर, 2002

विषय : औद्योगिक आस्थानों/औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के भवन मानचित्र का स्वत: अनुमोदन निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-उ0ब0/जी0सी0ए0/2002-03/328, दिनांक 12.8.2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम के पत्र दिनांक 29.7.2002 के साथ औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्रों के सम्बन्ध में आवास विभाग द्वारा स्वत: अनुमोदन की व्यवस्था निम्न रूप से लागू की गयी है :-

(i) नगर के पुराने एवं निर्मित क्षेत्र में 100 वर्ग मी0 तक के भूखण्डों पर आवासीय भवनों के निर्माण हेतु।

(ii) विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की योजना तथा अभिकरणों द्वारा स्वीकृत ले आउट प्लान के अन्तर्गत 300 वर्ग मी0 तक के आवासीय भूखण्डों हेतु बशर्ते मानचित्र अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित हो।

(iii) 300 वर्ग मी0 से अधिक के एकल आवासीय भूखण्डों हेतु मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक है परन्तु 30 दिन में निस्तारित न होने पर स्वत: स्वीकृत माने जायेंगे।

(iv) व्यवसायिक, कार्यालय, ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य (औद्योगिक को छोड़कर) प्रकृति के भवन मानचित्रों पर मानचित्र निर्माण अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे परन्तु 90 दिन की अवधि में निस्तारित न होने पर स्वत: स्वीकृत माने जायेंगे। इस प्रकार औद्योगिक भवन मानचित्र पर स्वीकृत प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

2. उद्योग बन्धु द्वारा समस्त प्रकृति के भवनों हेतु स्वत: अनुमोदन की प्रक्रिया लागू किये जाने का प्रस्ताव है, जो उचित नहीं है। परन्तु आवास विभाग द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों/सहकारी औद्योगिक आस्थानों एवं यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकसित कालोनियों/टाउनशिप में आवासीय तथा व्यवसायिक भवनों को स्वत: अनुमोदन की व्यवस्था लागू किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

3. औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना के फलस्वरूप पर्यावरण एवं रिहायशी जीवन की गुणवत्ता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि उद्योगों की स्थापना के साथ जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ कूड़ा कचरा निस्तारण आदि

Scanned with OKEN Scanner

समस्यायें भी जुड़ी है। अतः समस्त प्रकृति एवं आकार के औद्योगिक मानचित्रों हेतु स्वतः अनुमोदन की प्रक्रिया लागू किया जाना निम्न कारणों से उचित नहीं होगा।

(क) आकार के अनुसार वर्गीकरण

कुटीर एंव गृह उद्योग

हल्के एवं सेवा उद्योग

मध्यम उद्योग

वृहद उद्योग/एक्सटेन्सिव उद्योग

(ख) प्रकति के अनुसार वर्गीकरण

प्रदूषण रहित उद्योग

प्रदूषण युक्त उद्योग

संकटमय एवं खतरनाक प्रकृति के उद्योग

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए आवास विभाग के निम्न सुझाव हैं :-

(अ) आवासीय, व्यवसायिक भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु आवास विभाग द्वारा की गयी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है।

(ब) औद्योगिक आस्थान के अन्तर्गत यदि "इण्डस्ट्रियल जोनिंग" की गई हो तो स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था प्रदूषण रहित कुटीर एवं गृह उद्योगों तथा हल्के एवं सेवा उद्योगों हेतु लागू किये जाने पर विचार किया जा सकता है, जबकि अन्य प्रकृति के औद्योगिक भवनों के मानचित्र परीक्षणोपरान्त ही स्वीकृत किए जायेंगे।

(स) औद्योगिक मानचित्रों के निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

अतः समस्त आकार एवं प्रकृति के औद्योगिक भवन मानचित्रों हेतु स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था लागू किया जाना उचित नहीं है।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम,

उप सचिव।

संख्या-5451/9-आ-1-29विविध/98 (आ.ब.)

प्रेषक,

जे0एस0मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनाँक : 28 नवम्बर, 2002

विषय : 'बारात घर'/ 'उत्सव भवन' के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

आप अवगत है कि 'बारात घर'/'उत्सव भवन' एक महत्वपूर्ण जन सुविधा है जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोहों के लिए किया जाता है। परन्तु आवासीय क्षेत्रों के नियोजन में इस जनसुविधा की लम्बे समय से उपेक्षा के कारण जनता को वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु बहुधा सड़कों अथवा पार्को का उपयोग करने पर विवश होना पड़ता है जिसके फलस्वरूप आस-पास के क्षेत्र में यातायात प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है तथा जन-साामान्य को अन्य असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है। 'बारात घर'/'उत्सव भवन' की स्थापना हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में प्राविधान न होने के कारण आवासीय क्षेत्रों में 'बारात घर' की अनुज्ञा प्रदान करने में विकास प्राधिकरणों को भी कठिनाई उत्पनन हो रही है।

2. अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा विचारोपरानत नए आवासीय क्षेत्रों तथा पूर्व विकसित कालोनियों में 'बारात घर'/'उत्सव भवन' के निर्माण की अनुज्ञा निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ दिए जाने का निर्णय लिया गया है :-

2.1 अनुमन्यता :

'बारात घर'/'उत्सव भवन' का निर्माण महायोजनान्तर्गत सामान्यत: सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं उपयोग में अनुमन्य होगा जबकि 'व्यवसायिक' उपयोग में न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क पर तथा निर्मित क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, ग्रामीण आबादी, लघु एवं मध्यम उद्योग भू-उपयोगों में विशेष परिस्थितियों में अनूमन्य होगा। इसके अतिरिक्त महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान में इस प्रयोजन हेतु चिन्हित/आरक्षित स्थलों पर भी अनुमन्य होगा। भवन का मानचित्र बारात घर/उत्सव भवन के प्रयोजनार्थ अभिकल्पित एवं स्वीकृत होना भी अनिवार्य है।

2.2 भूखण्ड का क्षेत्रफल		
(क) आवासीय क्षेत्र में	:	1500 वर्ग मीटर
(ख) अन्यत्र अनुमन्य क्षेत्रों में	:	2000 वर्ग मीटर
2.3 भूखण्ड का न्यूनतम फ्रन्टेज	:	24 मीटर
2.4 सड़क की न्यूनतम चौड़ाई	:	18 मीटर
2.5 अधिकतम भू-आच्छादन	:	30 प्रतिशत
2.6 अधिकतम तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.)	:	1.00
2.7 भवन की अधिकतम ऊँचाई	:	15 मीटर

Scanned with OKEN Scanner

2.8 **सैट बैक :** 'बारात घर'/'उत्सव भवन' पृथ्कीकृत (detached) भवन के रूप में होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम सैट-बैक निम्नानुसार होंगे :-

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	न्यूनतम सैट-बैक (मीटर में)			
	अग्र	पृष्ठ	साईड-1	साईड-2
■ 2000 तक	12	4.5	4.5	3
■ 2000 से अधिक	12	5	5	5

2.9 **पार्किंग :**

प्रत्येक 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल पर 1.25 कार पार्किंग स्थल जिसका क्षेत्रफल 13.75 वर्ग मीटर होगा, की व्यवस्था भूखण्ड के अन्दर करनी होगी। 'ड्राइव-वे' तथा वाहनों के मुड़ने हेतु अतिरिक्त स्थल का प्राविधान करना होगा।

2.10 **बेसमेन्ट :**

'बिल्डिंग इन्वेलप लाईन' (सैट-बैक लाईन के अन्तर्गत) के बराबर अथवा भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत दोनों में जो भी कम हो, पर बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा जिसे पार्किंग एवं सर्विसेज आदि के उपयोग में लाए जाने पर उसकी गणना एफ.ए.आर. में नही. की जाएगी।

2.11 **अनुज्ञा की प्रक्रिया:**

नई योजनाओं/अनुमोदित होने वाले ले-आउट प्लान्स में बारात घर/'उत्सव भवन' हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार पहले ही अपेक्षित संख्या में भूखण्डों का चिन्हीकरण किया जाएगा और बारात घर के निर्माण की अनुज्ञा केवल इस प्रयोजन हेतु चिन्हित/आरक्षित भूखण्डों पर ही दी जाएगी। विद्यमान विकसित कालोनियों/क्षेत्रों में अनुज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव उचित माध्यम से आमन्त्रित किए जाएंगे एवं उनके निस्तारण के उपरान्त मानचित्र स्वीकृति/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी तथा बारात घर/उत्सव भवन अनुमन्य किए जाने पर आवेदक से आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के आधा पर प्रभाव शुल्क (Impact Fees) भी लिया जाएगा।

3. कृपया उपर्युक्त मानकों के अंगीकरण का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पारित कराने के उपरान्त शासन के अनुमोदनाथ यथाशीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 545(1)/9-आ-1-29विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. आवास एवं नगर विकास मंत्री, उ.प्र. शासन के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन के अवलोकनार्थ।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, यू.पी.आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन।
6. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग-3

संख्या 1614/9-आ-3-2एल.यू.सी./99टी.सी.

लखनऊ: दिनांक 18 मार्च,2002

कार्यालय ज्ञाप

शासन द्वारा मथुरा महायोजना में वृन्दावन-छटीकरा मार्ग के मध्य से दोनों ओर 300 मीटर की गहराई तक तथा वृन्दावन-छटीकरा मार्ग के दक्षिण की ओर नगला बुर्जा होते हुए मथुरा-वृन्दावन मार्ग तक वर्तमान मार्ग के मध्य से दोनों ओर 250 मीटर गहराई तक 'कृषि' भू-उपयोग क्षेत्र को 'आश्रम मठ एवं धार्मिक स्थल' में इस प्रतिबंध के साथ परिवर्तित किया गया है कि उक्त क्षेत्र में केवल ऐसे निर्माण अनुमन्य होंगे जिनकी वास्तुकला मथुरा-वृन्दावन के सांस्कृतिक/धार्मिक स्वरूप के अनुकूल हो। अत: प्रश्नगत क्षेत्र में वास्तुकला नियन्त्रण के सम्बंध में मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को संस्तुति देने हेतु निम्नलिखित आर्कीटेक्ट की समिति गठित की जाती है:-

1.	श्री आशीष श्रीवास्तव, कन्जर्वेशन आर्कीटेक्ट एवं इन्टेक प्रतिनिधि,लखनऊ	संयाजक/सदस्य
2.	श्री सुनील चतुर्वेदी, आर्कीटेक्ट, डिजायनों ग्रुप, आगरा	सदस्य
3.	श्री एस.पी.अग्रवाल, आर्कीटेक्ट, आर्कीटेक्टस ग्रुप, आगरा	सदस्य

उपरोक्त समिति द्वारा वास्तुकला नियंत्रण के सम्बंध में निम्न व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:-

(i) समिति के सदस्य मथुर-वुन्दावन जाकर विकास प्राधिकरण में प्रश्नगत क्षेत्र से स्वीकृति हेतु प्राप्त मानचित्रों का आर्कीटेक्चुरल कन्ट्रोल के संबंध में परीक्षण कर विकास प्राधिकरण को संस्तुति प्रस्तुत करेंगें,

(ii) प्रश्नगत क्षेत्रों से भविष्य में विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्राप्त होने वाले मानचित्रों के परीक्षण के लिए समिति द्वारा मथुर-वृन्दावन के सांस्कृतिक/धार्मिक स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए आर्कीटेक्चुरल कन्ट्रोल गाइडलाईन्स तैयार की जायेगी जिन्हें प्राधिकरण बोर्ड में अंगीकृत करने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा,

(iii) समिति द्वारा विकास प्राधिकरण कार्यालय मे आगामी बैठक का आयोजन तभी किया जाएगा जब प्रश्नगत क्षेत्र से कम से कम 5 मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राधिकरण में प्राप्त हो जाएं। बैठक आयोजन के सम्बंध में प्राधिकरण द्वारा यथासमय समिति के सदस्यों को सूचित किया जाएगा,

(iv) समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता व मानदेय का भुगतान प्राधिकरण करेगा जिसकी प्रतिपूर्ति केस-टू-केस के आधार पर प्राधिकरण द्वारा आवेदकों से की जाएगी। समिति के सदस्यों को मानदेय की धनराशि के सम्बंध में विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या 1614(1)/9-आ-3-2एल.यू.सी./99 टी.सी. तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण।
2. समिति के समस्त सदस्य।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. डायरेक्टर जनरल, आई.सी.सी.आई. एण्ड आर्कीटेक्चुरल डिवीजन, एच.आई.जी.-44 सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-4777(1)/9-आ-3-2002-02 एल0यू0सी0/99
लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 2002

कार्यालय ज्ञाप

मथुरा महायोजना में वृन्दावन छटीकरा मार्ग के मध्य से दोनों ओर 300 मीटर की गहराई तक तथा वृन्दावन छटीकरा मार्ग के दक्षिण की ओर नगला बुर्जा होते हुए मथुरा वृन्दावन मार्ग तक वर्तमान मार्ग के मध्य से दोनों ओर 250 मीटर की गहराई तक ''कृषि'' भू-उपयोग क्षेत्र को ''आश्रम, मठ एवं धार्मिक स्थल'' में भू-उपयोग परिवर्तन शासन की अधिसूचना संख्या-1569/9-आ-3-2000-2 एल.यू.सी./99 दिनांक 22 मई, 2000 द्वारा किया गया था एवं प्रश्नगत क्षेत्र में होने वाले निर्माण के वास्तुकलात्मक नियंत्रण हेतु शासन के आदेश संख्या-1614/9-आ-3-2 एल.यू.सी./99 टी.सी. दिनांक 18 मई, 2002 द्वारा समिति के गठन के आदेश जारी किए गये थे।

2. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत क्षेत्र में होने वाले निर्माण के वास्तुकलात्मक नियंत्रण हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अध्यक्षता में समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है एवं तद्नुसार भू-उपयोग परिवर्तन के आदेश/अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2000 यथोचित संशोधन किए जाने की संशोधित अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 को जारी की गयी है।

3. उपरोक्त कार्यवाही के दृष्टिगत पूर्व में गठित की गयी समिति के गठन सम्बन्धित शासन के आदेश संख्या-1614/9-आ-3-2 एल.यू.सी./99 टी.सी. दिनांक 18 मई, 2002 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है एवं प्रश्नगत क्षेत्र में मथुरा-वृन्दावन के सांस्कृतिक/धार्मिक स्वरूप के अनुकूल होने वाले निर्माण के वास्तुकलात्मक नियंत्रण हेतु मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को संस्तुति देने हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। :-

1.	श्री वी.के गुप्ता मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।	अध्यक्ष
2.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, सहयुक्त नियोजक सम्भागीय नियोजन खण्ड आगरा।	सदस्य
3.	श्री आशीष कुमार आर्किटेक्ट, इन्टेक के प्रतिनिधि।	सदस्य

4. उपरोक्त समिति द्वारा वास्तुकलात्मक नियंत्रण के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

1. प्रश्नगत क्षेत्र से विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्राप्त होने वाले मानचित्रों के परीक्षण के लिए समिति द्वारा मथुरा-वृन्दावन के सांस्कृतिक/धार्मिक स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए स्थल निरीक्षण के उपरान्त आर्कीटेक्चरल कन्ट्रोल गाइडलाइन्स तैयार की जायेगी जिन्हें प्राधिकरण बोर्ड में अंगीकृत करने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
2. समिति प्रश्नगत क्षेत्र से स्वीकृति हेतु प्राप्त मानचित्रों का आर्कीटेक्चरल कन्ट्रोल के सम्बन्ध में परीक्षण कर विकास प्राधिकरण को संस्तुति प्रस्तुत करेगी। अध्यक्ष आवश्यकतानुसार समिति के किसी सदस्य द्वारा स्थल निरीक्षण करवायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

3. समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता व मानदेय का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति केस-टू-केस के आधार पर प्राधिकरण द्वारा आवेदकों से की जायेगी। समिति के सदस्यों को मानदेय की धनराशि के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

जे0एस0मिश्र
सचिव।

संख्या-4777(1)/9-आ-3-2002-2एल.यू.सी./99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, तथा उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
2. पूर्व समिति तथा वर्तमान गठित समिति के समस्त सदस्य।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश।
4. डायरेक्टर जनरल आई.सी.सी.आई, एण्ड आर्कीट्रेक्चुरल हेरिटेज डिवीजन, एच.आई.जी., 44 सेक्टर ई-अलीगंज लखनऊ।
5. अपर निदेशक नियोजन, आवास बन्धु, उ0प्र0।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग-3

संख्या-6316/9-आ-3-99-100 वि0/97

लखनऊ : दिनांक : 10 दिसम्बर, 1999

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम संख्या-1974 (उक्त प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन 1973) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन पूर्व अधिसूचना संख्या-3369/9-आ-3-97-100 वि0/97, दिनांक 24-1-98 के क्रम में श्री राज्यपाल सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विकास क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवन अथवा भूमि या भवन के वर्ग विनियमों या उपविधियों अथवा निर्देशों से निम्नलिखित शर्तों पर छूट प्रदान करते हैं :-

(1) ऐसे मामले जिनमें इस अधिसूचना से पूर्व में निर्माण किये जा चुके हैं और वे इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में उपरोक्त संदर्भित* अधिसूचना दिनांक 24.1.98 के वांछित अभिलेख एवं प्रमाण पत्र सहित निर्मित टावर/भवन का मानचित्र मय रू0-15000/-(पन्द्रह हजार) शुल्क के प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा। यदि इस अधिसूचना के 21 (इक्कीस) दिन के बाद प्रस्तुत करते हैं तो 25,000 (पच्चीस हजार) शुल्क के साथ जमा करना होगा।

(2). टावर के साथ निर्मित इक्यूमेंट तथा जेनरेटर कक्ष का कुल क्षेत्रफल 60 (साठ) वर्ग मीटर से अनधिक तथा भवन उपविधियों के अन्तर्गत हो।

(3) यह छूट सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस हेतु टावर निर्माण के सम्बन्ध में ही उपलब्ध होगी।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

सचिव।

संख्या-6316(1)/9-आ-3-99-109 वि0/97 तद्‌दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में (केवल हिन्दी पाठ) में दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 को विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशन एवं अधिसूचना की मुद्रित 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम

उप सचिव।

संख्या-6316(2)/9-आ-3-99 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. एक्सक्यूटिव डायरेक्टर, एस्कोटेल, मोबाइल, ए-36, मोहन कोआपरेटिव इण्डस्ट्रियल स्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली
3. डायरेक्टर जनरल टेलीफोन्स, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. मैनेजर एस्सार टेलीफोन, सी-48 ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट फेज-2 नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम

उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-3
संख्या-63/9-आ-3-2000-100 वि0/97
लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2000

अधिसूचना

1. उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-34, 1958) की धारा-5 (जे0) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विनियमित क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवनों के वर्ग को निम्नलिखित शर्तो के अधीन, अनुज्ञा सम्बन्धी आवश्यकताओं से छूट प्रदान करते हैं :-

(1) भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेल्यूलर-मोबाइल टेलीफोन सेवा आपरेटरों को इस सेवा हेतु आवश्यक अन्टीना टावरों, रेडियो, इक्विपमेंट कक्ष तथा जनरेटर कक्ष के निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व आर्किटेक्ट काउंसिल द्वारा पंजीकृत आर्कीटेक्ट द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित अन्टीना टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है। (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष (जिसका कुल क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर से अनधिक होगा) भवन निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत है।

2. अनाधिकृत भवनों में अन्टीना टावर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3. जहाँ अपेक्षित हो वहाँ टावर के निर्माण के पूर्व एयरपोर्ट एथारिटी आफ इण्डिया की अनापत्ति आवश्यक होगी।

4. प्रत्येक निर्माण से पूर्व उपरोक्त मानचित्र व प्रमाण-पत्र रू0 पाँच हजार की अनुज्ञा फीस सम्बन्धित नियत प्राधिकारी के समक्ष जमा की जायेगी।

2. सेल्युलर मोबाइल संचार सेवा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाओं के ही समान है। अतः इसके लिए आवश्यक व संलग्नक रेडियो इक्विपमेंट व जनरेटर कक्ष भी महायोजना में समस्त भू-उपयोगों में उसी प्रकार अनुमन्य किये जायेंगे जिस प्रकार से अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवायें अनुमन्य है।

3. श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस हेतु टावर की स्थापना में विभिन्न विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और यदि ऐसे निर्माण में कोई विधिक प्रश्न सन्निहित होता है तो उसके सम्बन्ध में तत्काल शासन को विवरण भेजते हुए आदेश प्राप्त किया जायेगा।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या :- 63(1)/9-आ-3-2000-100 वि0/97 तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में (केवल हिन्दी पाठ) में दिनांक 27 फरवरी, 2000 को विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशन एवं अधिसूचना की मुद्रित 50 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या :- 63(11)/9-आ-3-2000-100 वि0/97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश शासन/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र।
3. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र उत्तर प्रदेश।
4. श्री के0 विजय राव, इक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, स्कोटल मोबाइल-ए-36 मोडालको-आपरेटिव इन्डिस्ट्रियल एरि मथुरा रोड, नई दिल्ली।
5. मैनेजर ऊषा मोबाइल्स फोन ए-41 मोहन को-ओपरेटिव इन्डिस्ट्रियल मथुरा रोड, नई दिल्ली।
6. मैनेजर एस्सार मोबाइलल्स टेलीफोन सी-48 ओखला इन्डिस्ट्रियल इस्टेट फेज-2 नई दिल्ली।
7. अपर निदेश, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. डायरेक्टर जनरल, टेलीफोन, भारत सरकार नई दिल्ली।
9. डायरेक्टर, टेलीफोन्स, उत्तर प्रदेश सर्विसेज, लखनऊ।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम

उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-540/9-आ-3-2002-240काम्प/2001

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक : 8 फरवरी, 2002

विषय : सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ के विभिन्न विकास क्षेत्रों में टावर के निर्माण हेतु भूमि या भवन अथवा भूमि या भवनों के वर्ग की धारा-14/15 का तद्विषयक नियमों/विनियमों/उपविधियों निर्देशों में कतिपय शर्तों पर छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-6311/9-आ-3-99-100 विविध/97, दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 एवं तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण संख्या-6318/9-आ-3-1999, दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 एवं तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 में प्रदत्त छूट बेसिक टेलीफोन सर्विस में सम्बन्धित निर्माण में थी संदर्भित अधिसूचना व शासनादेश दिनांक 10.12.99 में वर्णित शर्तों के अधीन समस्त प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों में प्रदान की जाय।

उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या :- 540(1)/9-आ-3-2002-240काम्प/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
(अधिसूचना संख्या-6316/9-आ-3-99-100 विनिधि/97 दिनांक 10.12.99 की प्रति सहित)
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।
5. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
6. महानिदेशक, टेलीफोन, भारत सरकार नई दिल्ली।
7. रिलायंस इन्फोकाम लि0-8-9 भूतल सरन चैम्बर-11, 5 पार्क रोड, लखनऊ। 226001
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-537/9-आ-3-2002-240काम्प/2001

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनाँक : 8 फरवरी, 2002

विषय : सेलुलर मोबाइल सर्विसेज के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विकास क्षेत्रों में कतिपय शर्तों के अधीन टावर निर्माण हेतु धारा-14/15 व उसके अधीन बनाये गये नियम-विनियम में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3396/9-आ-3-97-100 वि0/1997 दिनांक 24 जनवरी, 1998 एवं विनियमित क्षेत्रों के लिए जारी समान अधिसूचना संख्या-65(11)/9-आ-3-2000-100 विविधि/97, दिनांक 27 फरवरी, 2000 का संदर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारासम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त शासनादेश दि. 24 जनवरी, 1998 एवं तत्सम्बन्धी विनियमित क्षेत्रों के लिए निर्गत अधिसूचना दिनांक 27 फरवरी, 2000 में प्रदत्त सुविधायें समान शर्तो के अधीन बेसिक टेलीफोन सर्विस से सम्बन्धित निर्माण में भी पूर्व वर्णित शर्तो के अधीन प्रभावी होंगी।

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 1998 एवं अधिसूचना दिनांक-27 फरवरी, 2000 को इस सीमा तक संशोधित मानी जायेंगी।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव।

संख्या :- 537(1)/9-आ-3-2002-तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
5. महानिदेशक, टेलीफोन्स भारत सरकार नई दिल्ली।
6. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
7. रिलायंस इन्फोकाम लि0-8-9 भूतल सरन चैम्बर, 11, 5 पार्क रोड, लखनऊ। 226001

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-539/9-आ-37-2002-240 काम्प/2001

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक : 8 फरवरी, 2002

विषय : नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-218/9-आ-3-987100 विविध/97 दिनांक-16 मार्च, 1988 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा सेलुलर मोबाइल संचार प्रणाली को एक इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा मानते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवा यथा सड़क, नाली, सीवर, विद्युत खम्भे, टावर, ट्रान्सफार्मर, टेलीफोन खम्भे/टावर आदि को किसी भी भू-उपयोग में बिना प्रतिबन्ध के लगाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त शासनादेश में की गयी व्यवस्था/प्रदत्त छूट को ''बेसिक टेलीफोन सर्विस'' के सम्बन्ध में भी निस्तारित करते हुए समस्त विकास प्राधिकरणों एवं विनियोजित क्षेत्रों की सीमा में समान शर्तों के अधीन लागू कर दी जायें। कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

उपर्युक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. नियंत्रक प्राधिकारी, समसत विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश (शासनादेश दिनांक 16.3.98 की प्रति संलग्न)
3. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
6. महानिदेशक, टेलीफोन्स, भारत सरकार नई दिल्ली।
7. रिलायंस इन्फोकाम लि0-8-9 भूतल सरन चैम्बर, 11, 5 पार्क रोड, लखनऊ। 226001
8. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2896/9-आ-3-2002-240 काम्प/2001

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ0प्र0।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक : 27 जुलाई, 2002

विषय : नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाइल फोन के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-6318/9-आ-3-1999, दिनांक-10.12.1999 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कतिपय विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों द्वारा उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-6318/9-आ-3-1999, दिनांक 10.12.1999 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-3
संख्या-3262/9-आ-3-2002-100 विविध/97
लखनऊ : दिनांक : 27 अगस्त, 2002

अधिसूचना

उ0प्र0 राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) 2975 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11, सन 1973) की धारा-53 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन श्री राज्यपाल सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-3369/9-आ-3-97-100 विविधि/97, दिनांक 24 जनवरी, 1998 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित शर्त सं0-2 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करते हैं:-

अधिसूचना का मूल प्राविधान	संशोधित प्राविधान
सेवा ऑपरेटर द्वारा निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व आर्किटेक्ट काउंसिल द्वारा पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा कि प्रस्तावित एन्टीना टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष जिसका कुल क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर से अनाधिक होगा, भवन निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत है।	सेवा ऑपरेटर द्वारा निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व आर्किटेक्ट काउंसिल द्वारा पंजीकृत आर्किटेक्ट एवं अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेगा कि प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष जिसका कुल क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर से अनाधिक होगा, भवन निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत है।

पूर्व में निर्गत अधिसूचना सं0-3369/9-आ-3-97-100 विविध/97 दिनांक-24 जनवरी, 1998 को इस सीमा तक संशोधित माना जाय।

भवदीय,
जे0एस0मिश्र,
सचिव।

संख्या-3262(1)/9-आ-3-2002-100 विविधि/97 तद्‌दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना, उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में केवल (हिंदी पाठ में) दिनांक 22 अगस्त, 2002 को विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशन एवं अधिसूचना की मुद्रित 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या-3262(2)/9-आ-3-2002-100 विविधि-97 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।
5. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु को सूचनार्थ।
6. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

6

अनाधिकृत निर्माण का शमन

संख्या 1171/नौ-आ-1-2002-120विविध/98(आ.ब.)

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक-22 मार्च, 2002

विषय : स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत क्रय-योग्य एफ.ए.आर. के शमन हेतु नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक क्रय-योग्य एफ.ए.आर. के निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1157/9-आ-3-1999-2 आ.नी./98 दिनांक 9 मार्च, 1999 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुसार विभिन्न भू-उपयोगों हेतु क्रय-योग्य एफ.ए.आर. 'निर्मित क्षेत्र' में बेसिक एफ.ए.आर. का अधिकतम 20 प्रतिशत तथा 'विकासशील/अविकसित क्षेत्र' में अधिकतम 33 प्रतिशत अनुमन्य है। कतिपय विकास प्राधिकरणों व उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट डेवलपमेन्ट काउन्सिल (UPREDCO) द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत प्रस्तुत कई प्रकरणों में कुल निर्मित तल क्षेत्रफल शमन हेतु निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण शमन की कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है। अतः उन्होंने यह सुझाव दिया है कि स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत यदि क्रय-योग्य एफ. ए. आर. का शमन अनुमन्य किया जाता है, तो इसके फलस्वरूप प्राधिकरण स्तर पर लम्बित ऐसे कई प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो सकेगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वैच्छिक शमन योजना चूँकि क्रय-योग्य एफ.ए.आर. के निर्धारण से पूर्व शासनादेश संख्या 4167/9-आ-1-1999-120 विविध/98 दिनांक 29.12.1998 द्वारा जारी की गई थी जिसके कारण उक्त योजनान्तर्गत क्रय-योग्य एफ.ए.आर. की कम्पाउण्डिंग के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है। अतः शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया हे कि भवन निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाओं यथा सैट-बैक, पार्किंग, संरचनात्मक सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, प्रकाश एवं संवातन, आदि के पूर्ण होने की दशा में स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत क्रय-योग्य एफ.ए.आर. का शमन निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किया जाए :-

(i) भवन में निर्मित कुल एफ.ए.आर. की अधिकतम सीमा बेसिक एफ.ए.आर.+क्रय-योग्य एफ.ए.आर.+बेसिक एवं क्रय-योग्य एफ.ए.आर. का 10 प्रतिशत के बराबर होगी। उक्त सीमा के अन्तर्गत रहते हुए बेसिक एफ.ए.आर. के ऊपर अधिकतम 0.60 एफ.ए.आर. स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत शमनीय होगा जबकि अवशेष तल क्षेत्रफल क्रय-योग्य एफ.ए.आर. के रूप में अनुमन्य होगा,

Scanned with OKEN Scanner

(ii) बेसिक एफ.ए.आर. के ऊपर निर्मित तल क्षेत्रफल में से 0.60 एफ.ए.आर. हेतु शमन शुल्क की गणना स्वैच्छिक शमन योजना के प्राविधानों के अनुसार की जाएगी, जबकि अवशेष एफ.ए.आर. का शमन विकास प्राधिकरण व आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय दर), उक्त दर न होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सामान्य आवासीय सर्किल रेट की 100 प्रतिशत दर पर किया जाएगा।

(iii) बेसिक एफ.ए.आर. तथा शमनीय एफ.ए.आर. सहित कुल निर्मित तल क्षेत्रफल हेतु भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। पार्किंग हेतु कम हुए क्षेत्रफल की कम्पाउंडिंग अनुमन्य नहीं होगी,

(iv) निर्मित भवन की विद्यमान ऊँचाई के दृष्टिगत उसमें भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार सैट बैक उपलब्ध होने चाहिए,

(v) भवन की संरचनात्मक सुरक्षा की दृष्टि से शमन मानचित्र स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

(vii) भवन की अधिकतम ऊँचाई प्रकाश एवं संवातन की अपेक्षाओं, पहुँच मार्ग की चौड़ाई तथा अन्य प्रतिबन्धों यथा संरक्षित स्मारक/हैरिटेज़ जोन से दूरी, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, महायोजना प्राविधानों व अन्य लागू प्रतिबन्धों से नियन्त्रित होगी।

3. उपरोक्त आदेश केवल उन्हीं प्रकरणों में लागू होंगे जिनमें स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए हों।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

प्रमुख सचिव।

संख्या :- 1171(1)/9-आ-1-2002-120विविध/98 (आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश रियल इस्टेट डेवलपमेन्ट काउन्सिल, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

टी.पी. पाठक

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2285/नौ-आ-1-97डी.ए./81(आ.ब.)

प्रेषक,

टी.पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

आवास अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक-11 जून, 2002

विषय : **स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत पूर्ण भू-उपयोग परिवर्तन के कार्नर के भूखण्डों में साइड सैट-बैक के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 339/एएबी-2/2002 दिनांक 4.5.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत पूर्ण भू-उपयोग परिवर्तन के ऐसे प्रकरण जिनमें भू-आच्छादन 60 प्रतिशत से अधिक है तथा मौके पर हुए निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त आच्छादित क्षेत्रफल का ध्वस्तीकरण किया जाना सम्भव नही है, ऐसे प्रकरण स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत पात्र नहीं हैं, अतः उनका शमन किया जाना विकास प्राधिकरण की बाध्यता नहीं है। वर्णित स्थिति में जो प्रकरण (भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों को शामिल करते हुए) स्वैचिछक शमन योजना में निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करते हैं, केवल उन्हीं का शमन किया जाना चाहिए और पात्रता के अन्तर्गत न आने वाले प्रकरणों को निरस्त किया जाना चाहिए।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे भूखण्ड/भवन जिनका भू-उपयोग स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत व्यवसायिक में परिवर्तित किया जाना विचाराधीन है, का भवन मानचित्र यदि विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है एवं जिनमें स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सैट-बैक्स का प्राविधान करते हुए निर्माण हो चुका है तथा भू-आच्छादन 60 प्रतिशत के अन्तर्गत है, को निम्न प्रतिबन्धों के साथ शमन किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है :-

(i) कार्नर के ऐसे भूखण्डों/भवनों में न्यूनतम फ्रन्ट सैट-बैक बाजार स्ट्रीट नियमों के अनुसार 4.5 मीटर छोड़ा जाना अनिवार्य होगा,

(ii) साइड रोड की ओर 4.5 मीटर का साइड सैट-बैक छोड़ा जाना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि पूर्व स्वीकृत मानचित्र के अनुसार रहेगा परन्तु विद्यमान सैट-बैक एवं बाजार स्ट्रीट नियमों के अनुसार वांछित सैट-बैक के अन्तर की भूमि (अतिरिक्त भू-आच्छादन) हेतु आवेदक द्वारा नियमानुसार शमन शुल्क देय होगा,

(iii) साइड सैट-बैक में साइड रोड की ओर 'प्रवेश' अथवा 'निकास' का प्राविधान अनुमन्य नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(iv) व्यवसायिक भवनो में आवासीय की तुलना में पार्किंग की आवश्यकता चूंकि अधिक होती है, भू आच्छादन 60 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में अतिरिक्त निर्माण का व्यवस्थीकरण [illegible] सेट बैक के अन्तर्गत ही किया जाना उचित होगा ताकि पार्किंग व्यवस्था हेतु आवश्यक [illegible] सके।

4. कृपया स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत विचाराधीन इस प्रकृति के प्रकरणों का निस्तारण उपरोक्तानुसार [illegible] करने का कष्ट करें।

भवदीय,
टी.पी. पाठक
विशेष सचिव।

संख्या : 2285(1)/9-आ-1-97 डी.ए./81(आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, उ.प्र. आवास बन्धु।

आज्ञा से,
टी.पी. पाठक
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-1
संख्या-2525/9-आ-1-29विविधि/98(आ.ब.)
लखनऊ: दिनांक: 22जून,2002

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या 4716/9-आ-1-29 विविध/98 दिनांक 21.10.2000 द्वारा जारी विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि,2000 लागू की गई है। नई भवन उपविधि में किए गए सरलीकरण/संशोधन तथा कतिपय नए प्राविधान शामिल किए जाने के फलस्वरूप विकास प्रधिकरणों की विद्यमान शमन उपविधि जो शासनादेश संख्या 242/9-आ-1-96-6 डी.ए./81 दिनांक 10.1.1997 द्वारा जारी की गई थी, में तदनुसार संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

2. शमन उपविधि में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने हेतु आवास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 583/9-आ-1-29-विविध/98 दिनांक 5.2.2001 द्वारा एक समिति का गठन किया गया था परन्तु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में विचाराधीन संशोधनों के कारण समिति द्वारा शमन उपविधि का प्रारूप नियत अवधि में तैयार नहीं किया जा सका। अत: उक्त कार्यालय ज्ञांप को अतिक्रमित करते हुए समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. श्री वी.के.गुप्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	अध्यक्ष
2. श्री सुवोध शंकर, मुख्य वास्तुविद, उ.प्र.आवास एवं विकास परिपद	सदस्य
3. आवास बन्धु की हाई पावर कमेटी में निजी क्षेत्र के नामित सदस्य	सदस्य
4. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
5. श्री विनोद धवन, निजी क्षेत्र के वास्तुविद्	सदस्य
6. श्री एन.आर.वर्मा. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु	संयोजक/सदस्य

3. उपर्युक्त समिति द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि,2000 के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान शमन उपविधि में अपेक्षित संशोधनां तथा शमन प्रक्रिया में शासन द्वारा समय-समय पर किए गए सरलीकरण को समायोजित करते हुए नई शमन उपविधि का प्रारूप 15 दिनं के अंदर शासन को प्रस्तुत किया जाएगा।

जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या 2525(1)/9-आ-1-29विविध/98तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित:-

1. समिति के समस्त सदस्य।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र.आवास एवं विकास परिपद।
3. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।
4. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-3478/नौ-आ-1-2000-97डी.ए./2002(आ.ब.)

प्रेषक,

जे. एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक-14 अगस्त, 2002

विषय : अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण हेतु सरल शमन योजना, 2002 लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास एवं निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 तथा महायोजना एवं भवन उपविधियों में निहित प्राविधानों के उल्लंघनस्वरूप अनधिकृत निर्माण में वृद्धि हुई है जिसका नियमितीकरण विकास प्राधिकरणों की सामान्य शमन उपविधि के अधीन सम्भव नहीं है। ऐसे निर्माण के अभियोजन एवं ध्वस्तीकरण में निहित मुकदमेबाजी के फलस्वरूप प्राधिकरणों के बहुमूल्य समय, धन एवं शक्ति का ह्रास हो रहा है तथा जनता को भी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में शासन के समक्ष कई प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें स्वैच्छिक शमन योजना, 1998 के अनुरूप एक सरलीकृत शमन योजना पुनः लागू किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में शमन उपविधि में सरलीकरण हेतु शासन द्वारा एक अन्तर्विभागीय तकनीकी समिति गठित की गई थी जिसकी संस्तुतियों के आधार पर अनधिकृत निर्माण के शमन हेतु सरल शमन योजना, 2002 तैयार की गई है। अतः शमन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41(1) सपठित धारा-32 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश निम्न निर्देश देते हैं :-

(i) सरल शमन योजना, 2002 दिनांक 21.8.2002 से समस्त विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में एक साथ लागू होगी,

(ii) योजनान्तर्गत आवेदन-पत्रों के आमन्त्रण की अधिकतम अवधि दो माह (दिनांक 21.8.2002 से 21.10.2002) होगी,

(iii) योजनान्तर्गत अनधिकृत निर्माणों का शमन सरल शमन योजना, 2002 से सम्बन्धित संलग्न पुस्तिका में निहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाईन्स) तथा समय-सारिणी एवं रणनीति के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा,

(iv) सरल शमन योजना, 2002 के लागू रहने की अवधि में विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 1996 के प्राविधान स्थगित रहेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

3. कृपया योजना की जानकारी जनता को देने हेतु इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए और योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे अनधिकृत निर्माणों के शमन हेतु प्रभावी अभियान चलाकर और कैम्प्स आयोजित कर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : सरल शमन योजना, 2002

भवदीय,
जे. एस. मिश्र
सचिव।

संख्या :- 3478(1)/9-आ-1-2000-97डी.ए./2002(आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को इस आशय से कि आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की संगत धारा के अधीन परिषद की योजनाओं में लागू करने का कष्ट करें।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, यूपीरेडको, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
7. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

सरल शमन योजना, 2002 की आवश्यकता एवं उद्देश्य

1. नगरीय क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण में वृद्धि, जो विकास प्राधिकरणों की सामान्य शमन उपविधि के अन्तर्गत शमनीय नहीं,

2. अनधिकृत निर्माणों में वृहद् निजी पूंजी निवेश निहित, अत: ध्वस्तीकरण व्यवहारिक नहीं,

3. शमन शुल्क से प्राप्त धनराशि का अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण/सम्वर्द्धन में उपयोग, जिसके फलस्वरूप रिहायशी पर्यावरण में सुधार एवं जीवन की गुणवत्ता में उत्थान,

4. अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के फलस्वरूप भवनों में वैल्यू एडिशन होने के कारण म्युनिसिपल टैक्स में वृद्धि, अत: अवस्थापना सेवाओं का बेहतर रख-रखाव,

5. राज्य आवास नीति में निर्धारित रणनीति के अनुरूप जनता के निजी प्रयासों से निर्मित हाऊसिंग स्टॉक का सुधार एवं संरक्षण,

6. अनधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के फलस्वरूप आवास की आपूर्ति में वृद्धि एवं निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन,

7. विकास प्राधिकरणों तथा अनधिकृत निर्माणकर्ताओं के मध्य चल रहे विवादों एवं मुकद्दमेबाजी का निपटान,

8. जनता को अनधिकृत निर्माण के शमन हेतु एक सीमित समय अवधि का अवसर देकर मानसिक परेशानी से मुक्ति।

Scanned with OKEN Scanner

सरल शमन योजना, 2002 की मुख्य विशेषताएं

सरलीकृत, पारदर्शी एवं सिटीजन फ्रेन्डली योजना,

1. योजनान्तर्गत दिनांक 31.7.2002 तक किए गए निर्माण शमन हेतु पात्र,
2. आवेदन पत्र जमा करने हेतु दिनांक 21.8.02 से 21.10.02 तक की अवधि,
3. आवेदन हेतु सरल प्रपत्र निर्धारित एवं शमन शुल्क का स्वमूल्यांकन आसान,
4. सार्वजनिक भूमि, विवादयुक्त भूमि, अवस्थापना सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि पर किया गया निर्माण शमन हेतु पात्र नहीं बल्कि दण्डनीय,
5. महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत किया गया निर्माण कतिपय शर्तो के अधीन शमनीय,
6. अनधिकृत कालोनियों में स्थित भूखण्डों/भवनों में किया गया निर्माण शमनीय नहीं,
7. 1000 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य अन्यथा ऐसे भवनों में किया गया निर्माण शमनीय नहीं,
8. पार्किंग हेतु स्वीकृत/आरक्षित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण शमनीय नहीं,
9. बहुमंजिले भवनों में संरचनात्मक सुरक्षा, भूकम्परोधी व्यवस्था व अग्निशमन सुरक्षा के प्राविधान सुनिश्चित होने की दशा में ही शमन पर विचार,
10. समस्त प्रकृति के निर्माणों हेतु 15% अतिरिक्त भू-आच्छादन शमनीय,
11. समस्त प्रकृति के निर्माणों हेतु 20 से 33% अतिरिक्त एफ.ए.आर. शमनीय,
12. आवासीय इकाईयों/फ्लैट्स के शमन हेतु एकमुश्त शुल्क निर्धारित,
13. शमन शुल्क का किस्तों में भुगतान की सुविधा, एकमुश्त भुगतान पर 5% छूट,
14. शमन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरान्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण दो माह में, भू-प्रयोग परिवर्तन निहित होने पर अधिकतम चार माह में,
15. आवेदकों की सुविधा हेतु क्षेत्रवार विशेष कैम्पस का आयोजन,
16. योजना के समापन (दिनांक 21.10.2002) के उपरान्त समस्त अनधिकृत निर्माणों को कम्प्यूटरीकृत सूची तैयार कर ऐसे निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध अभियोजन एवं निर्माण के ध्वस्तीकरण की समयबद्ध कार्यवाही,
17. दिनांक 31.7.2002 के उपरान्त अनधिकृत निर्माण के लिए उत्तरदायी अभियन्ताओं व अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के संवर्गवार चिन्हींकरण एवं उनके विरूद्ध समयबद्ध अनुशासनिक कार्यवाही,
18. योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु योजनावधि में प्रत्येक सोमवार को सचिव आवास द्वारा साप्ताहिक समीक्षा,
19. आवेदन-पत्रों के निस्तारण की चेकिंग हेतु आवास विभाग, आवास बन्धु तथा एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण में अधकारियों का नामांकन

20.

Scanned with OKEN Scanner

सरल शमन योजना, 2002

नगरीय क्षेत्रों का सुनियोजित विकास तथा मानवीय सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं रिहायशी पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त विकास एवं निर्माण कार्य महायोजना व भवन उपविधियों के अनुसार किए जाने अपेक्षित हैं तथा विकास अथवा निर्माण के पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-14 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। फिर भी यह देखा गया है कि कुछ निर्माणकर्ताओं द्वारा अधिनियम की उक्त धारा में निर्दिष्ट अनुज्ञा प्राप्त किए बिना अथवा मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त अनधिकृत निर्माण कर लिया जाता है।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विकास एवं निर्माण हेतु महायोजना व भवन उपविधियों में निर्धारित मानकों के उल्लंघनस्वरूप ऐसे अनधिकृत निर्माणों में वृद्धि हुई है जो सामान्य शमन उपविधि के अनुसार शमनीय नहीं हैं। ऐसे निर्माणों के शमन हेतु शासन के समक्ष कई प्रत्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं जिनमें स्वैच्छिक शमन योजना, 1998 के अनुरूप एक सरलीकृत शमन योजना पुनः लागू किए जाने का अनुरोध किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि अनधिकृत निर्माणों में निहित निजी पूंजी निवेश के दृष्टिगत ऐसे निर्माणों का ध्वस्तीकरण व्यवहारिक एवं वांछनीय प्रतीत नहीं होता है। अतः शमन उपविधि में सरलीकरण हेतु उ.प्र. शासन, आवास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2525/9-आ-1-29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 22 जून, 2002 के अधीन एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा विकास प्राधिकरण शमन उपविधि, 1996, स्वैच्छिक शमन योजना, 1998 तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के प्राविधानों के दृष्टिगत सरल शमन योजना, 2002 का प्रारूप तैयार किया गया जिसे शासन स्तर पर अन्तिम रूप दिया गया।

4. उपर्युक्त के क्रम में शासन द्वारा शमन सम्बन्धी पूर्व में जारी समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए अनधिकृत निर्माणों के शमन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-32 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन सरल शमन योजना, 2002 के रूप में एक सीमित समयावधि (दो माह) के लिए निम्नलिखित शमन उपविधि समस्त विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

4.1 सरल शमन योजना, 2002 के अन्तर्गत केवल दिनांक 31.7.2002 तक निर्मित भवनों के सम्बन्धों में आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे। परन्तु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 अथवा सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के गठन (जो भी बाद में घटित हो), के पूर्व हुए निर्माण इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे।

4.2 योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र जमा करने की अवधि दिनांक 21.8.2002 से 21.10.2002 तक (दो माह) होगी।

4.3 अनधिकृत निर्माण के शमन की अनुज्ञा देते समय उपाध्यक्ष अथवा एतद्‌र्थ अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निम्न अपेक्षाएं सुनिश्चित की जाएंगी :-

4.3.1 केन्द्र राज्य सरकार, विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकाय तथा अन्य अशासकीय एवं शासन के अधीन उपक्रमों की भूमि पर किया गया निर्माण शमनीय नहीं होगा,

4.3.2 महायोजना, जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तथा ले-आउट प्लान के अन्तर्गत वर्तमान एवं प्रस्तावित रेलवे लाइन, सड़क, पार्क, ग्रीन वर्ज्, अवस्थापना एवं जन सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि पर किया गया निर्माण शमनीय नहीं होगा, बल्कि दण्डनीय होगा,

4.3.3 अनधिकृत कालोनी जिसका विनियमितीकरण नहीं हुआ है, के अन्तर्गत स्थित भूखण्ड/भवन पर किया गया निर्माण शमनीय नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

4.3.4 1000 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य होगा, अन्यथा ऐसे भवनों में किया गया अनधिकृत निर्माण शमनीय नहीं होगा.

4.3.5 भवन में पार्किंग हेतु स्वीकृत/आरक्षित भूमि पर किया गया निर्माण शमनीय नहीं होगा, परन्तु पार्किंग क्षेत्र खाली करने/पुनर्स्थापित करने अथवा भूस्वामी द्वारा भूखण्ड के बहुमंजिली पार्किंग व्यवस्था करने पर ही ऐसा निर्माण शमनीय होगा (रेखाचित्र-1 व 2)। परन्तु सामूहिक पार्किंग हेतु चयनित वैकल्पिक स्थल शमनीय निर्माण के अधिकतम 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत होना चाहिए.

4.3.6 बहुमंजिले भवनों में संरचनात्मक सुरक्षा व अग्नि-शमन सुरक्षा के सम्बन्ध में क्रमशः स्ट्रक्चरल इंजीनियर व अग्निशमन अधिकारी का प्रमाण-पत्र तथा केवल एयरपोर्ट फनेल जोन (Funnel Zone) के अन्तर्गत स्थित होने की दशा में एयरपोर्ट अथारिटी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त शमन पर विचार किया जा सकेगा।

4.3.7 नगरों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वास्तुकलात्मक अभिकल्पन की धरोहर के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की प्रतिबन्धित सीमा के अन्तर्गत किया गया निर्माण शमनीय नहीं होगा।

4.3.8 विवादित भूमि पर किया गया निर्माण तथा विवादित प्रकरणों में किया गया निर्माण शमनीय नहीं होगा।

4.3.9 महायोजना अथवा जोनल प्लान अथवा स्वीकृत ले-आउट प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत किया गया निर्माण अधिनियम के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत होने की दशा में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शमनीय होगा :-

(i) किसी भी विद्यमान भू-उपयोग जोन में प्रदूषणकारण, संकटमय अथवा खतरनाक प्रकृति के उपयोगों हेतु भू-उपयोग परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा.

(ii) व्यवसायिक, कार्यालय तथा औद्योगिक भवनों हेतु 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर भू-उपयोग परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा.

(iii) भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत होने के उपरान्त सैट-बैक, भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. तथा भवन की अधिकतम ऊँचाई मूल उपयोग हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगी.

(iv) आंशिक भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क केवल आच्छादित क्षेत्रफल/निर्मित तल क्षेत्रफल पर ही देय नहीं होगा, बल्कि उस भूखण्ड हेतु अनुमन्य भू-आच्छादन एवं भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में वांछित भूमि पर (रेखाचित्र-3 में दिए गए फार्मूला के आधार पर) देय होगा.

(v) यदि किसी भवन में विभिन्न तलों पर अलग-अलग प्रकृति का उपयोग हो, तो भूतल पर भले ही कुछ भी उपयोग हो, परिवर्तन शुल्क उच्चतम भू-उपयोग के लिए भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर देय होगा जैसाकि रेखाचित्र-4 में दर्शाया गया है.

(vi) परिवर्तित भू-उपयोग हेतु अनुमन्य भू-आच्छादन यदि मूल भू-उपयोग के अनुमन्य भू-आच्छादन से कम है, तो अतिरिक्त भू-आच्छादन के लिए निर्धारित दर पर शमन शुल्क देय होगा, जैसाकि रेखाचित्र-5 में दर्शाया गया है.

(vii) भू-उपयोग परिवर्तन के कारण यदि पार्किंग व्यवस्था अपेक्षित हो तो मानकों के अनुसार उसका प्राविधान सुनिश्चित करना होगा.

Scanned with OKEN Scanner

5. अनधिकृत निर्माण निम्नलिखित सीमा तक शमनीय होगा :-

5.1 एकल भवनों में फ्रन्ट सेट बैक के अन्तर्गत भवन की निरन्तरता में सैट-बैक की चौड़ाई के अधिकतम एक तिहाई भाग पर किया गया निर्माण शमनीय होगा (रेखाचित्र-6).

5.2 समस्त प्रकृति के निर्माणों हेतु अनुमन्य भू-आच्छादन के अतिरिक्त भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 15 प्रतिशत अतिरिक्त भू-आच्छादन शमनीय होगा (रेखाचित्र-7 एवं 8).

5.3 समस्त प्रकृति के निर्माणों के लिए वर्तमान में अनुमन्य बेसिक एफ.ए.आर. का "निर्मित क्षेत्र" में अधिकतम 20 प्रतिशत तथा निर्मित क्षेत्र के बाहर अधिकतम 33 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. इस प्रतिबन्ध के साथ शमनीय होगा कि कुल एफ.ए.आर. (शमनीय सहित) 2.5 के अन्तर्गत रहेगा (रेखाचित्र-9 एवं 10)। बहुमंजिला भवनों (चार मंजिल से अधिक) हेतु 2.0 से अधिक परन्तु अधिकतम 2.5 एफ.ए.आर. इस शर्त सहित शमनीय होगा कि सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर हो।

6. अनधिकृत निर्माण के शमन हेतु दरें निम्न अनुसूची के अनुसार होंगी :-

क्र. सं.	भू-उपयोग/ निर्माण की प्रकृति	शमन शुल्क की दरें (रूपए प्रति वर्ग मीटर)		
		मानचित्र स्वीकृत (अनुमन्य से अतिरिक्त एफ.ए.आर./यूनिट्स हेतु)	मानचित्र स्वीकृत नहीं	
			निर्माण नियमानुसार (अनुमन्य एफ.ए.आर./ यूनिट्स के अन्तर्गत)	नियमानुसार नहीं (अनुमन्य से अतिरिक्त निर्माण पर)
1.	**आवासीय**			
	❖ भू-आच्छादन हेतु	भूमि मूल्य X 0.50		भूमि मूल्य X 1.00
	❖ एफ. ए. आर. हेतु	भूमि मूल्य X 0.25	15 प्रति वर्ग मीटर	भूमि मूल्य X 0.50
	❖ यूनिट्स हेतु	20,000 प्रति यूनिट	2000 प्रति यूनिट	40,000 प्रति यूनिट
2.	**व्यवसायिक**			
	❖ भू-आच्छादन हेतु	भूमि मूल्य X 1.00		भूमि मूल्य X 2.00
	❖ एफ. ए. आर. हेतु	भूमि मूल्य X 0.50	30 प्रति वर्ग मीटर	भूमि मूल्य X 1.00
3.	**कार्यालय**			
	❖ भू-आच्छादन हेतु	भूमि मूल्य X 0.75		भूमि मूल्य X 1.50
	❖ एफ. ए. आर. हेतु	भूमि मूल्य X 0.35	25 प्रति वर्ग मीटर	भूमि मूल्य X 0.70
4.	**औद्योगिक**			
	❖ भू-आच्छादन हेतु	भूमि मूल्य X 0.50		भूमि मूल्य X 1.00
	❖ एफ. ए. आर. हेतु	भूमि मूल्य X 0.25	15 प्रति वर्ग मीटर	भूमि मूल्य X 0.50
5.	**सामुदायिक सुविधाएं**			
	❖ भू-आच्छादन हेतु	भूमि मूल्य X 0.25		भूमि मूल्य X 0.50
	❖ एफ. ए. आर. हेतु	भूमि मूल्य X 0.10	10 प्रति वर्ग मीटर	भूमि मूल्य X 0.20

नोट :

(i) अनुसूची के कॉलम-4 में दी गई दरें कुल निर्मित तल क्षेत्रफल/इकाइयों पर देय होंगी, परन्तु कॉलम-5 में उल्लिखित प्रकृति के निर्माणों में अनुमन्य तल क्षेत्रफल/इकाइयों हेतु कॉलम-4 की दरों पर और अतिरिक्त निर्माण हेतु कॉलम-5 की दरों पर शमन शुल्क देय होगा,

Scanned with OKEN Scanner

(ii) एकल आवास तथा ग्रुप हाउसिंग भवनों में शमन योग्य अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर अतिरिक्त इकाईयां निर्धारित शमन शुल्क की दर पर शमनीय होंगी.

(iii) एफ.ए.आर. के साथ यदि यूनिट्स का भी उल्लंघन है, तो दोनों हेतु शमन शुल्क देय होगा।

7. **शमन हेतु आवेदन पत्र के प्रस्तुतीकरण एवं निस्तारण की निम्न प्रक्रिया होगी :-**

7.1 आवेदक द्वारा शमन शुल्क की स्वमूल्यांकित धनराशि सहित निर्धारित प्रपत्र पर लाइसेन्सयुक्त वास्तुविद/अभियंता/मानचित्रकार के माध्यम से उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को दिनांक 21.10.2002 के पूर्व/तक आवदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज संलग्न न होने की दशा में आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.2 शमन शुल्क की 50 प्रतिशत धनराशि आवेदन पत्र के साथ तथा अवशेष धनराशि दो माह में समान मासिक किस्तों में बिना ब्याज के जमा की जाएगी। परन्तु समस्त धनराशि एकमुश्त जमा करने पर विकास प्राधिकरण द्वारा आगणित शमन शुल्क की कुल धनराशि पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

7.3 शमन शुल्क की अवशेष धनराशि का भुगतान यदि अन्तिम किस्त जमा करने की तिथि के 15 दिन के अन्दर नहीं किया जाता है, तो आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

7.4 आवेदन-पत्र के साथ स्वमूल्यांकन की धनराशि के अतिरिक्त भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर निम्न प्रोसेसिंग शुल्क भी जमा किया जाएगा :-

क्र.सं.	भवन का प्रकार	प्रोसेसिंग शुल्क
(i)	आवासीय भवन	रु. 01 प्रति वर्ग मीटर
(ii)	व्यवसायिक भवन	रु. 02 प्रति वर्ग मीटर
(iii)	कार्यालय भवन	रु. 1.50 प्रति वर्ग मीटर
(iv)	औद्योगिक भवन	रु. 0.75 प्रति वर्ग मीटर
(V)	सामुदायिक सुविधाएं	रु. 0.50 प्रति वर्ग मीटर

7.5 विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र की एक प्रति पर मुहर लगाकर आवेदक को प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। जब तक उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश नहीं दिए जाएं तब तक मानचित्र में प्रदर्शित भवन अथवा उसका कोई भाग ध्वस्त नहीं किया जाएगा। परन्तु वह भाग जिसके शमन के लिए निर्धारित धनराशि जमा नहीं की गई है अथवा अशमनीय भाग को विधि के अनुसार ध्वस्त किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

7.6 आवेदक द्वारा स्वमूल्यांकित आगणन में यदि स्थल निरीक्षणोपरान्त विकास प्राधिकरण द्वारा यह पाया जाता है कि अनधिकृत निर्माण का कोई भाग घोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे छिपाए गए भाग पर सामान्य शमन शुल्क की दोगुनी धनराशि पर शमन किया जाएगा।

7.7 अनधिकृत निर्माण के शमन से प्राप्त होने वाली शमन शुल्क की धनराशि विकास प्राधिकरण के पृथक अवस्थापना फण्ड में जमा की जाएगी, जिसका उपयोग अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण/सम्वर्द्धन में किया जाएगा।

7.8 शमन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र योजनान्तर्गत पात्र न होने की स्थिति में उसकी सूचना उपाध्यक्ष अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सकारण और स्पष्ट आदेश के माध्यम से तत्काल आवेदक को दी जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा शमन योजना के अन्तर्गत प्राप्त समस्त आवेदनों का निस्तारण शमन शुल्क की अवशेष धनराशि, निर्धारित फीस तथा विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क जमा कराने के उपरान्त प्रभावी अभियान चलाकर और कैम्पस लगाकर दो माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदनों पत्रों के समयबद्ध निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

7.10 ले आउट प्लान में अपेक्षित भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही संगत शासनादेशों के अधीन प्राधिकरण स्तर पर सम्पादित की जाएगी, जबकि महायोजना/जोनल प्लान में अपेक्षित भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियानुसार पूर्ण की जाएगी।

7.11 ले-आउट प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों का निस्तारण अधिकतम तीन माह में तथा महायोजना/जोनल प्लान में अपेक्षित भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों का निस्तारण अधिकतम चार माह में सुनिश्चित किया जाएगा।

7.12 मानचित्र में दर्शाये गये अशमनीय भाग का ध्वस्तीकरण शमन मानचित्र की स्वीकृति के उपरान्त 15 दिन के अन्दर पक्ष को स्वयं करना होगा, यदि निर्धारित अवधि में ध्वस्तीकरण नहीं किया जाता है, तो विकास प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा जिस पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय आवेदक को वहन करना होगा।

7.13 प्रत्येक विकास प्राधिकरण द्वारा शमन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या एवं शमन शुल्क की धनराशि की दैनिक सूचना आवास बन्धु को प्रतिदिन ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। साथ ही समस्त आवेदन पत्रों की सूची एवं उनके निस्तारण की साप्ताहिक सूचना भी प्रत्येक शनिवार को अवास बन्धु को उपलब्ध कराई जाएगी जिसका अनुश्रवण प्रत्येक सोमवार को सचिव, आवास द्वारा किया जाएगा।

7.14 आवेदन-पत्रों के निस्तारण की प्रगति प्राधिकरण कार्यालय में जाकर चेकिंग करने हेतु आवास विभाग, आवास बन्धु से अधिकारियों को नामित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण में भी अधिकारियों को चेकिंग हेतु भेजा जाएगा।

8. समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष जनता की जानकारी हेतु इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे और योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे अनधिकृत निर्माणों, जहां स्थल पर निर्माण हो चुका है तथा भूमि का स्वामित्व स्पष्ट है को नोटिस जारी करेंगे और निर्धारित शमन शुल्क एवं अन्य फीस/शुल्क का भुगतान प्राप्त होने पर अनधिकृत निर्माण के शमन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

9. यदि किसी भवन स्वामी द्वारा इस योजना की अवधि में अनधिकृत निर्माण के शमन हेतु आवेदन नहीं किया जाता है तथा यह पाया जाता है कि दिनांक 31.7.2002 के उपरान्त भी अनधिकृत निम्राण किया गया है/किया जा रहा है, तो ऐसे अनधिकृत निर्माणों को चिन्हित कर भूखण्ड/भवन संख्या, भवन स्वामी का नाम व पता, भूखण्ड का क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल तथा अनधिकृत निर्माण, आदि के विवरण सहित कम्प्यूटीकृत सूची तैयार की जाएगी। उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे निर्माणों के अभियोजन/सीलबन्द करने/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान, ले-आउट प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के उल्लंघनस्वरूप किए गए अनधिकृत निर्माणों के विरूद्ध भी शत-प्रतिशत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

10. दिनांक 31.7.2002 के उपरान्त हुए अनधिकृत निर्माण के लिए उत्तरदायी अभियंताओं एवं अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों का सवंर्गवार चिन्हीकरण कर उपाध्यक्ष द्वारा उनके विरूद्ध समयबद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी और उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

11. सरल शमन योजना, 2002 के लागू रहने की अवधि में विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 1998 के प्राविधान स्थगित रहेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

टिप्पणी :

(i) भूमि का मूल्य विकास प्राधिकरण की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर पर आंकलित किया जाएगा, प्राधिकरण की दर न होने पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि के वर्तमान सामान्य आवासीय सर्किल रेट पर किया जाएगा।

(ii) निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क शासनादेश संख्या 3712/9-आ-3-2000 26 एल.यू. सी./91 दिनांक 21.8.2001 में निर्धारित नीति के अनुसार देय होगा।

(iii) यदि किसी प्रकरण में अनधिकृत निर्माण एक से अधिक प्रकार के अन्तर्गत आता है, तो शमन शुल्क प्रत्येक प्रकार के अनधिकृत निर्माण के लिए देय शुल्क को जोड़कर लिया जाएगा (रेखाचित्र-11)

(iv) यदि भवन मानचित्र स्वीकृत है, तो शमन शुल्क के अतिरिक्त मानचित्र शुल्क, मलवा शुल्क तथा अन्य निर्धारित शुल्क केवल शमनीय भाग पर देय होंगे। परन्तु मानचित्र स्वीकृत न होने की दशा में मानचित्र शुल्क एवं अन्य सभी निर्धारित शुल्क सम्पूर्ण निर्मित तल क्षेत्रफल पर देय होंगे।

(v) कार्नर के भूखण्डों/भवनों में सामने का (फ्रन्ट) सैट-बैक भूखण्ड की चौड़ाई की ओर माना जाएगा (रेखाचित्र-12)

(vi) शासकीय अभिकरणों/उपक्रमों द्वारा आवंटित भूमि प्रस्तर-4.3.1 के प्राविधानों से आच्छादित नहीं होगी।

(vii) रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में भवन स्वामी से इस आशय का शपथ-पत्र लिया जाएगा कि उसके द्वारा शमन मानचित्र की स्वीकृति के पश्चात् दो माह के अन्दर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर ली जाएगी। भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र निर्गत किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

सरल शमन योजना, 2002 के अधीन शमन हेतु आवेदन-पत्र

(जो लागू हो, वही भरा जाए)

1. आवेदक का नाम
2. भूखण्ड/भवन/फ्लैट संख्या
3. क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
4. स्थिति (पूरा पता)
5. भू-उपयोग/भवन का प्रकार — एकल आवास | ग्रुप हाउसिंग | व्यवसायिक | कार्यालय | औद्योगिक | सामुदायिक सुविधा
6. मानचित्र प्राधिकरण में जमा करने की तिथि
7. मानचित्र स्वीकृत अथवा नहीं — हाँ | स्वत: अनुमोदित | नहीं
8. यदि स्वीकृत है, तो — परमिट संख्या | दिनांक
9. संलग्न दस्तावेजों का विवरण :-
   (क) भवन मानचित्र की अमोनिया प्रिन्ट पर चार प्रतियाँ
   (ख) भूमि/भवन/फ्लैट स्वामित्व प्रमाण-पत्र
   (ग) भवन के दो फोटोग्राफ (फ्रंट एलीवेशन व एक अन्य साइड से लिया गया)
   (घ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से सम्बन्धित शपथ-पत्र
10. शमन शुल्क जमा करने सम्बन्धी विवरण (रसीद की प्रति संलग्न की जाए) :-
   (क) डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक/चालान संख्या
   (ख) दिनांक
   (ग) धनराशि (रूपए)
   (घ) जारी करने वाले बैंक का नाम
11. भवन में किए गए विचलन/अनधिकृत निर्माण का विवरण तथा शमन शुल्क की गणना :-

क्र. सं.	विचलन का प्रकार	अनुमन्य/स्वीकृत (व.मी./संख्या)	कुल निर्मित (व.मी./संख्या)	अतिरिक्त (व.मी./संख्या) (4-3)	शमन की दर (रु. प्रति वर्ग मीटर/फ्लैट	शमन शुल्क (रु.) (5X6)
1	2	2	3	4	5	6
1.	भू-आच्छादन					
2.	तल क्षेत्रफल (एफ.ए.आर)					
3.	इकाईयाँ/फ्लेट्स					
4.	शमन शुल्क का योग					

12. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ दिनांक ....को लिया गया है जो मेरे एवं तकनीकी अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा फोटोग्राफ के पीछे हस्ताक्षरित है तथा ....विकास प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। शमन मानचित्र मौके पर दिनांक 31.7.2002 के पूर्व/तक हुए निर्माण की मापों के अनुरूप है, भू-आच्छादन एवं एफ.ए.आर. शमन हेतु निर्धारित अधिकतम सीमाओं के अन्तर्गत है तथा भवन में प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था संतोषजनक है। मानचित्र में दर्शाए गए अशमनीय भाग को मैं आवेदक निर्धारित अवधि स्वयं ध्वस्त करेगा अन्यथा प्राधिकरण को ध्वस्तीकरण का पूर्ण अधिकार होगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि शमन शुल्क की गणना शासनादेश संख्या 3478/9-आ-1-2000-97डी.ए./2002(आ.ब.) दिनांक 14.8.2002 द्वारा जारी सरल शमन योजना, 2002 में निर्धारित दरों के अनुरूप की गई है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर..............................

आवेदक का नाम ....

पता (दूरभाष एवं ई-मेल सहित)..............

....

....

....

वास्तुविद्/अभियंता/मानचित्रकार के हस्ताक्षर..................

नाम एवं पता ....

दूरभाष ....ई-मेल..................

Scanned with OKEN Scanner

वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था (एक ही भूखण्ड/भवन में)

रेखाचित्र–1

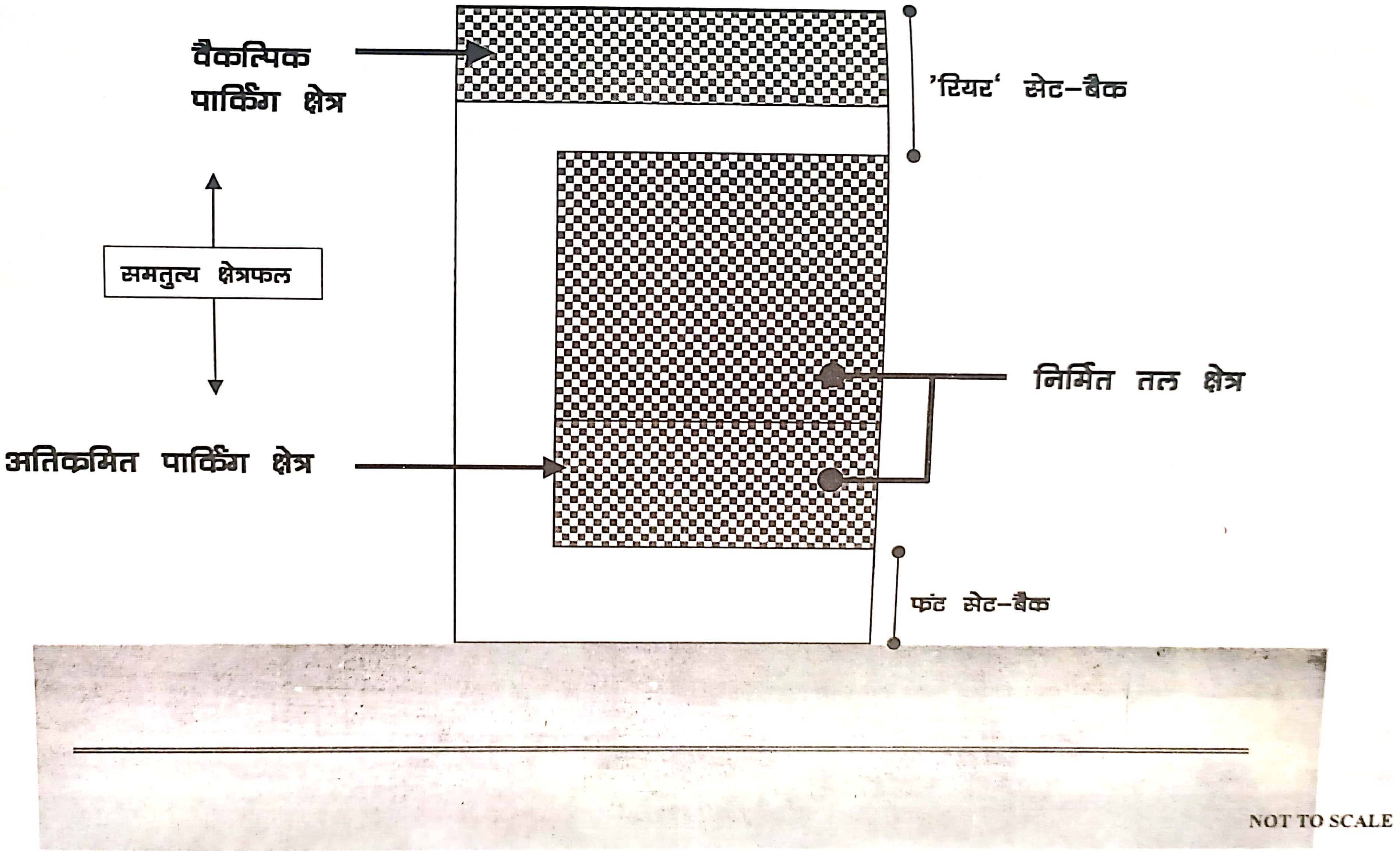

वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था (सामूहिक पार्किंग)

रेखाचित्र–2

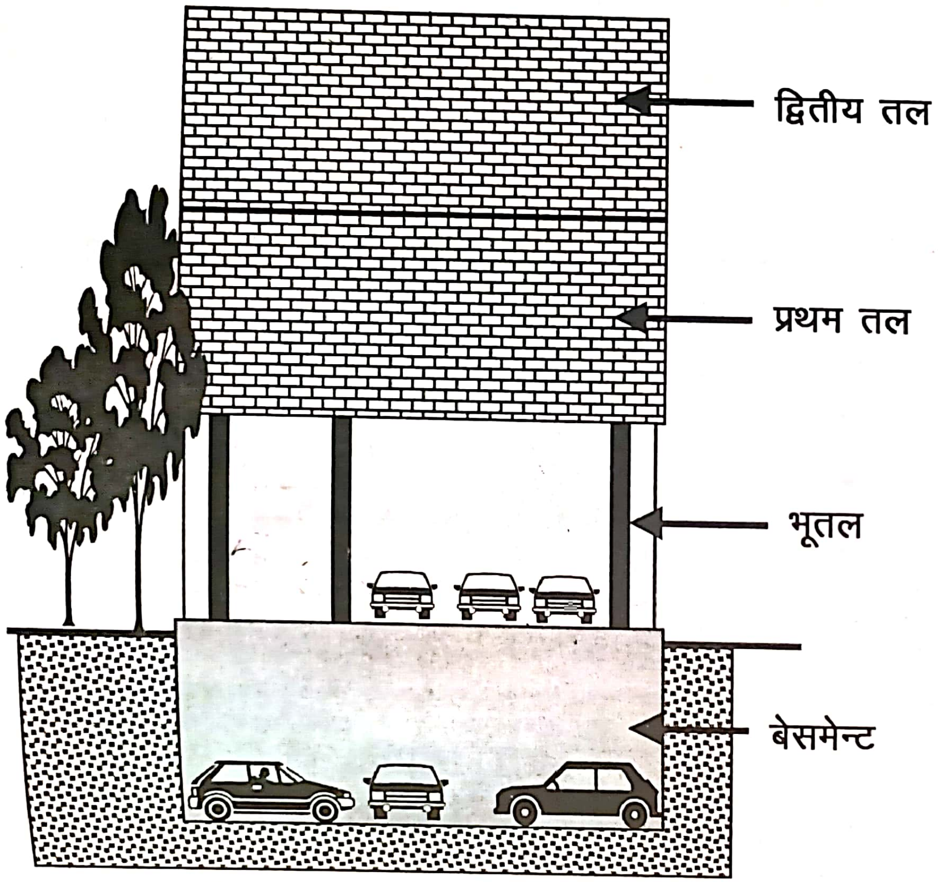

बहुखण्डीय भवन में वैकल्पिक पार्किंग

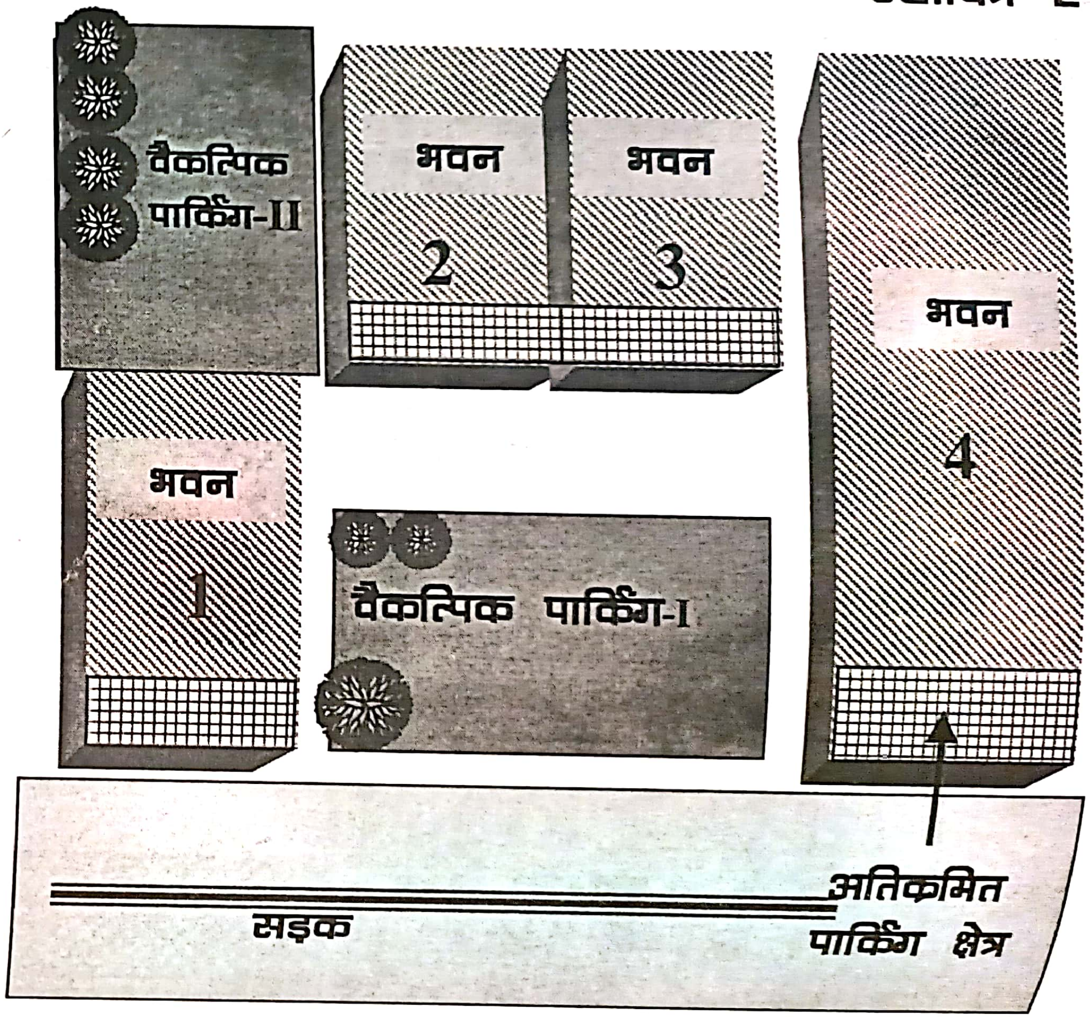

नोट:–

एक से अधिक भू–स्वामियों द्वारा समतुल्य पार्किंग क्षेत्र का प्राविधान किये जाने पर अतिक्रमित पार्किंग क्षेत्र शमनीय

NOT TO SCALE

आंशिक भू–उपयोग परिवर्तन का शमन

रेखाचित्र–3

भूमि का क्षेत्रफल जिस पर परिवर्तन शुल्क देय होगा = $\frac{\text{भूखण्ड का क्षेत्रफल}}{\text{परिवर्तित भू–उपयोग हेतु अनुमन्य भू–आच्छादन}}$ X परिवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षे.त्रफल

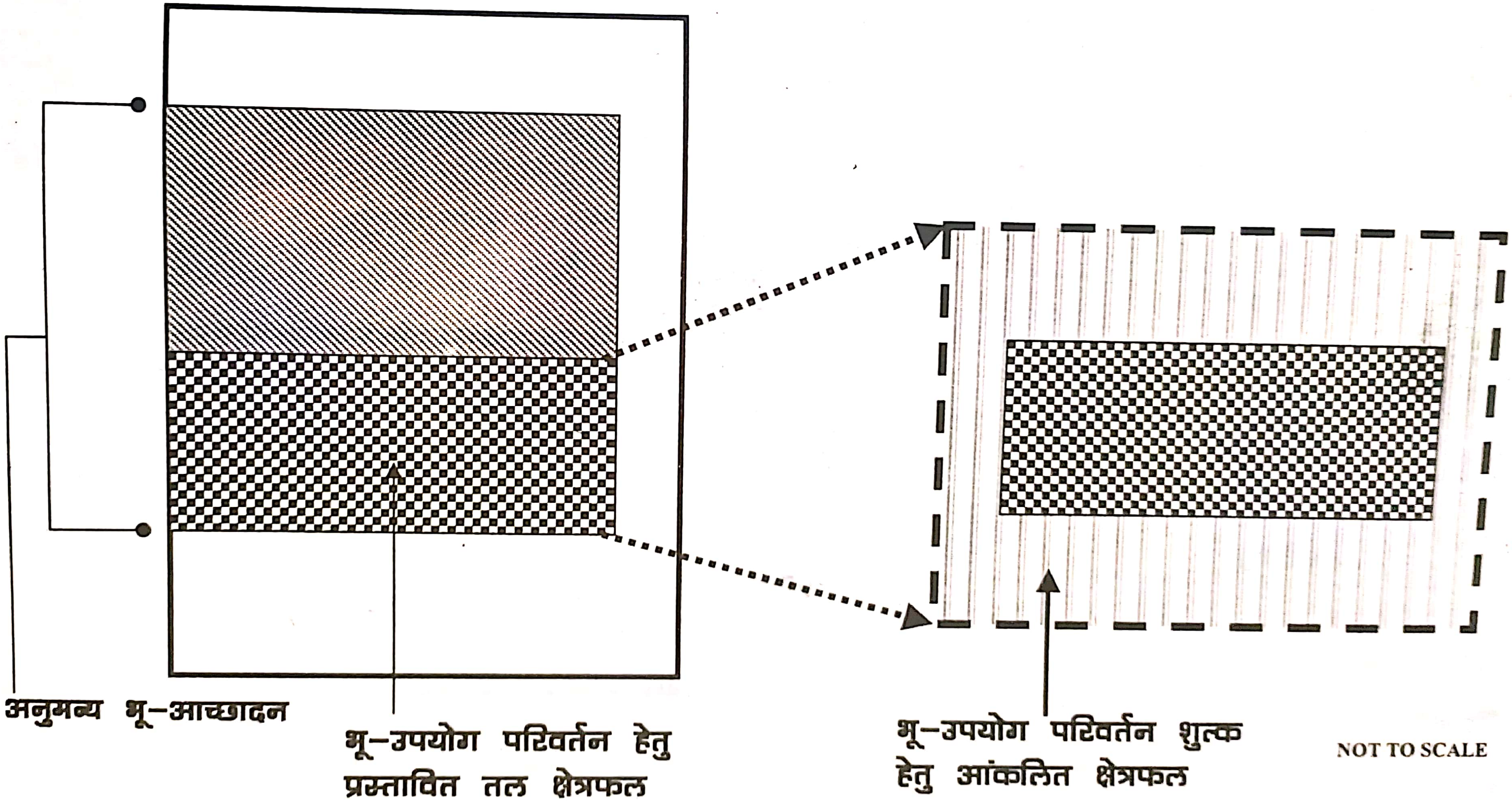

पूर्ण भू–उपयोग परिवर्तन का शमन

रेखाचित्र–4

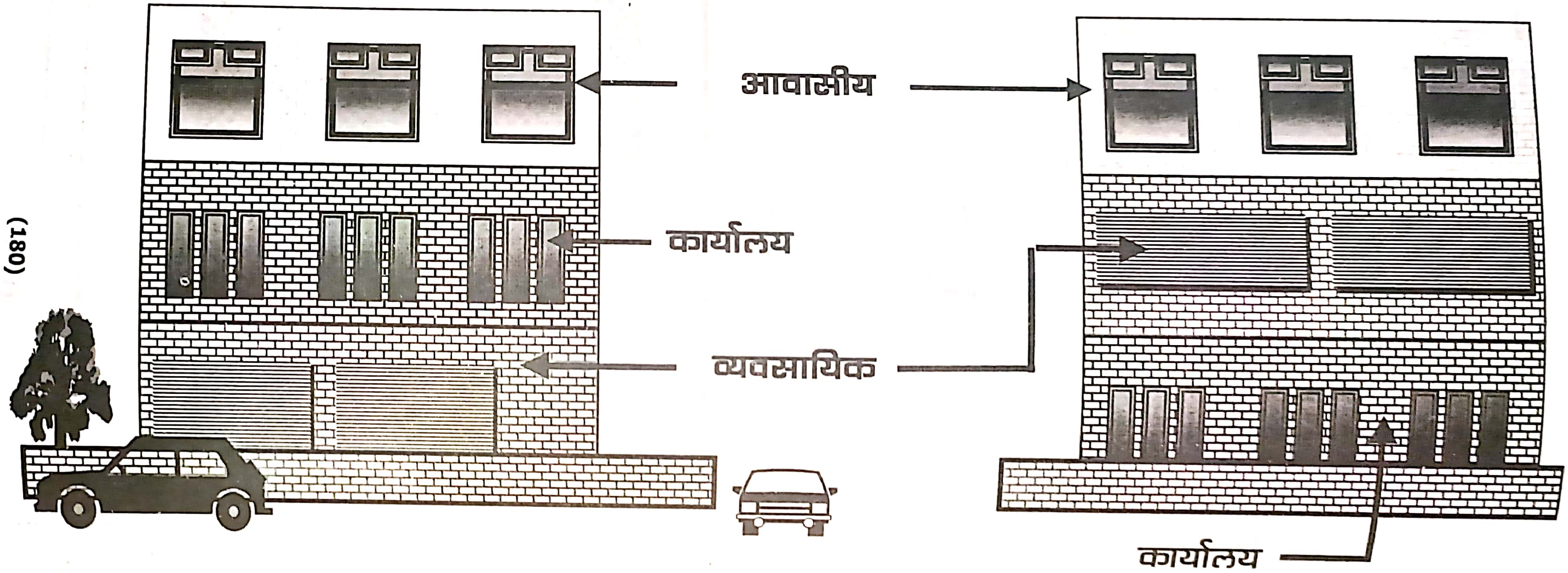

नोट:–

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क उच्चतम उपयोग हेतु लिया जायेगा चाहे एक भवन में वह उपयोग किसी भी तल पर हो

NOT TO SCALE

मूल भू-अच्छादन एवं परिवर्तित भू-आच्छादन के अन्तर हेतु शमन शुल्क की गणना

रेखाचित्र-5

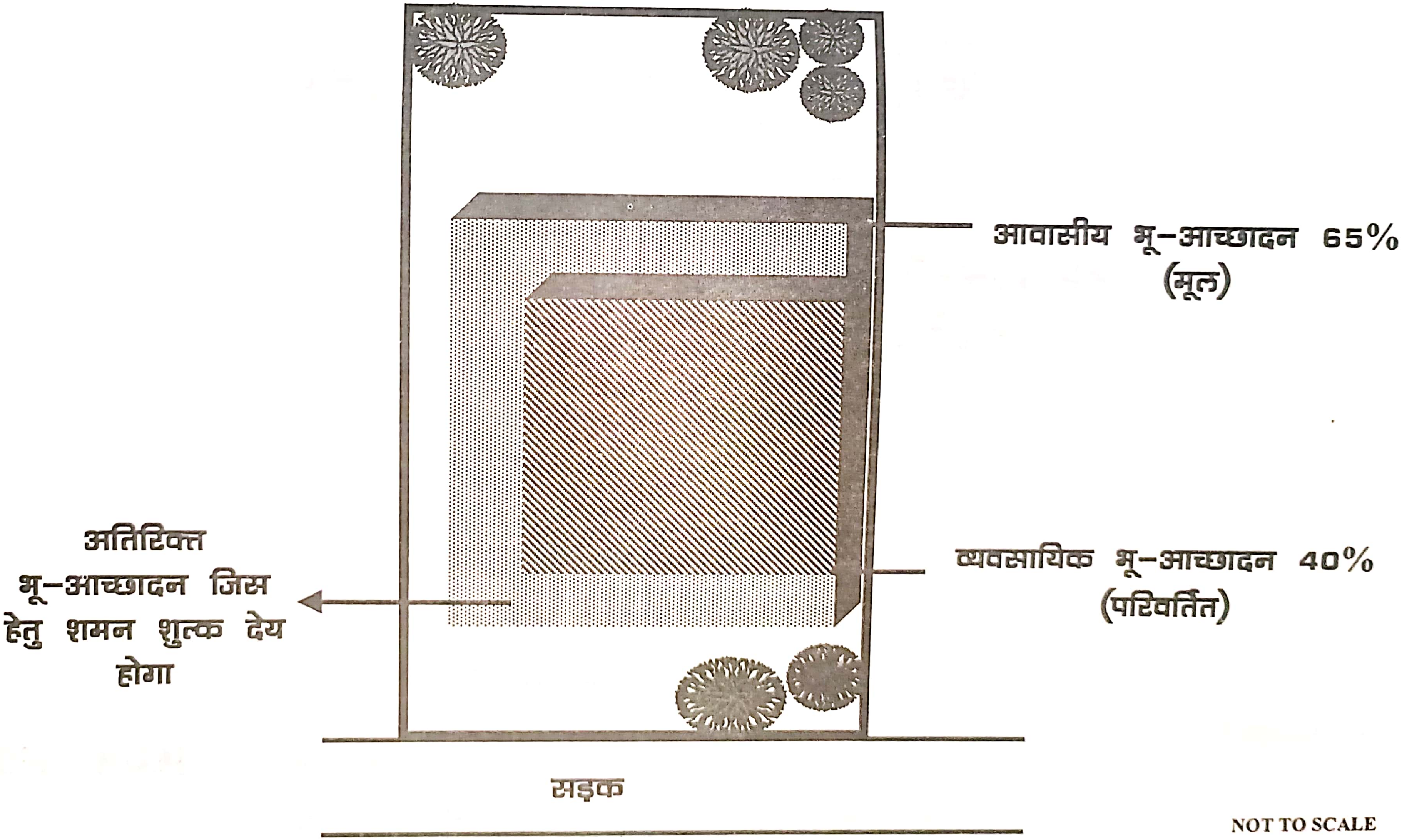

NOT TO SCALE

एकल भवन (फ्रन्ट सैट बैक के अन्तर्गत शमनीय भाग)

रेखाचित्र–6

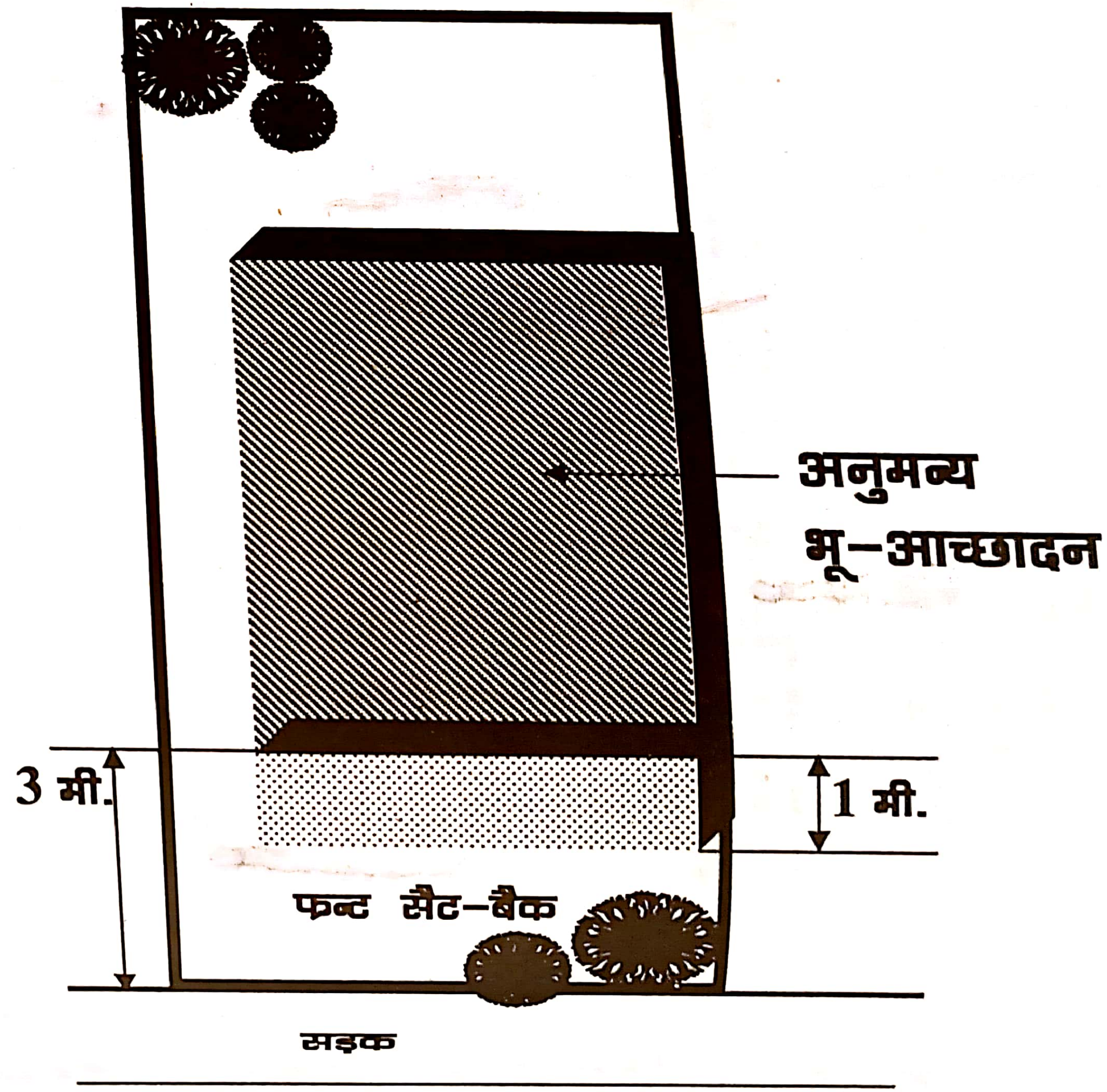

NOT TO SCALE

Scanned with OKEN Scanner

एकल भवन (शमनीय अतिरिक्त भू-अच्छादन) — रेखाचित्र-7

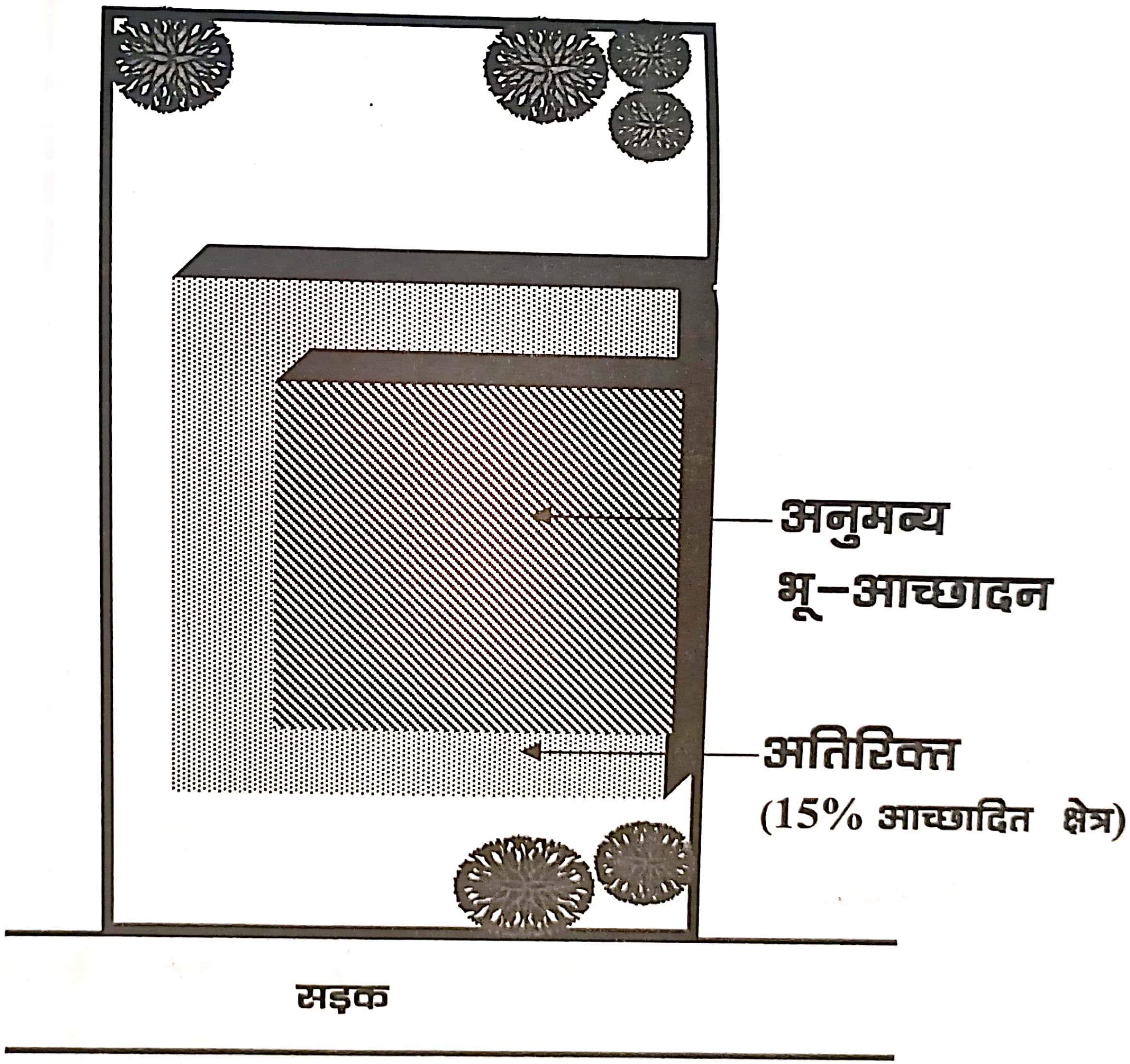

NOT TO SCALE

रेखाचित्र–8

ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिले भवन (शमनीय अतिरिक्त भू–अच्छादन)

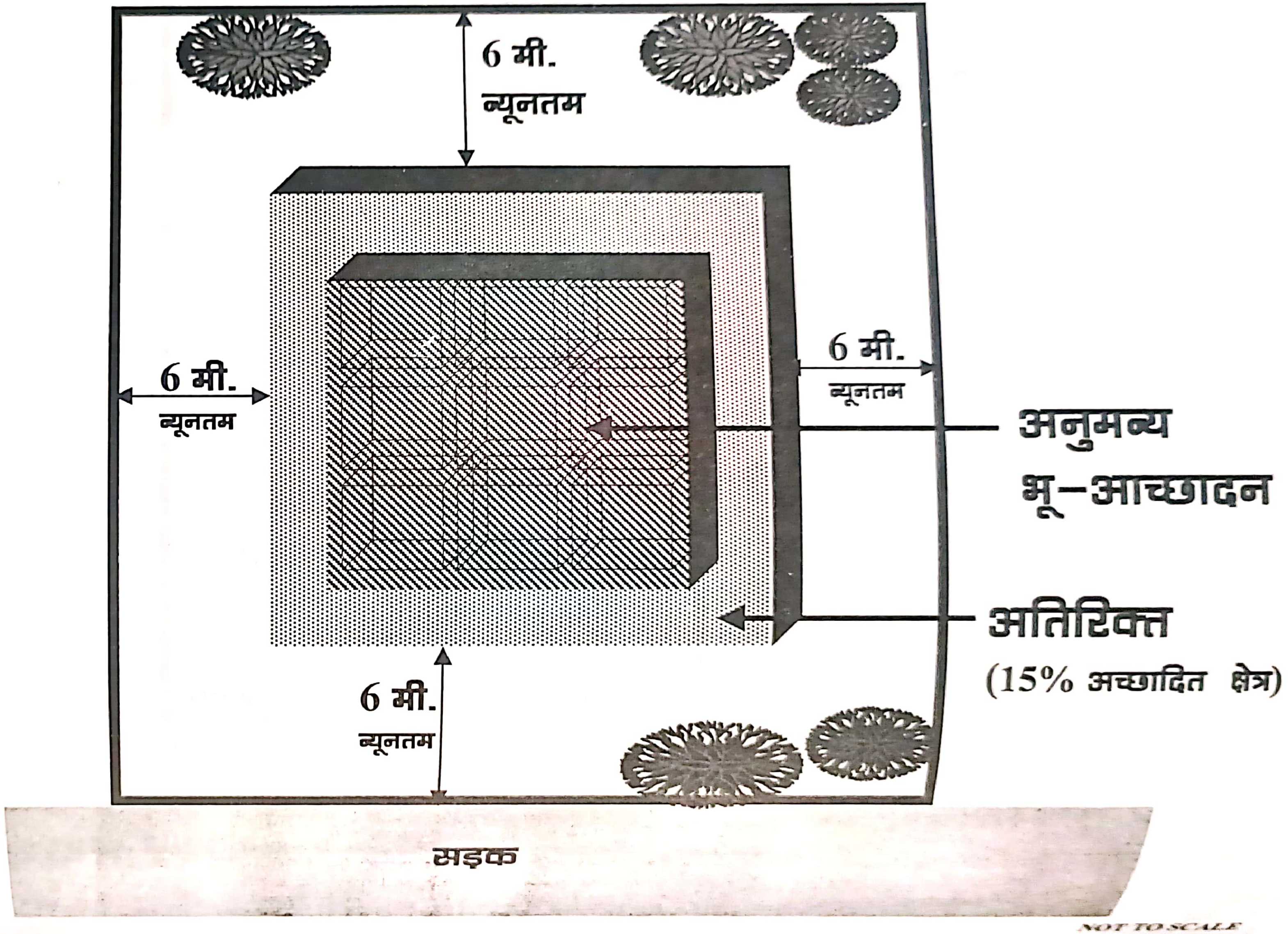

NOT TO SCALE

एफ.ए.आर. का शमन (निर्मित क्षेत्र में)

रेखाचित्र–9

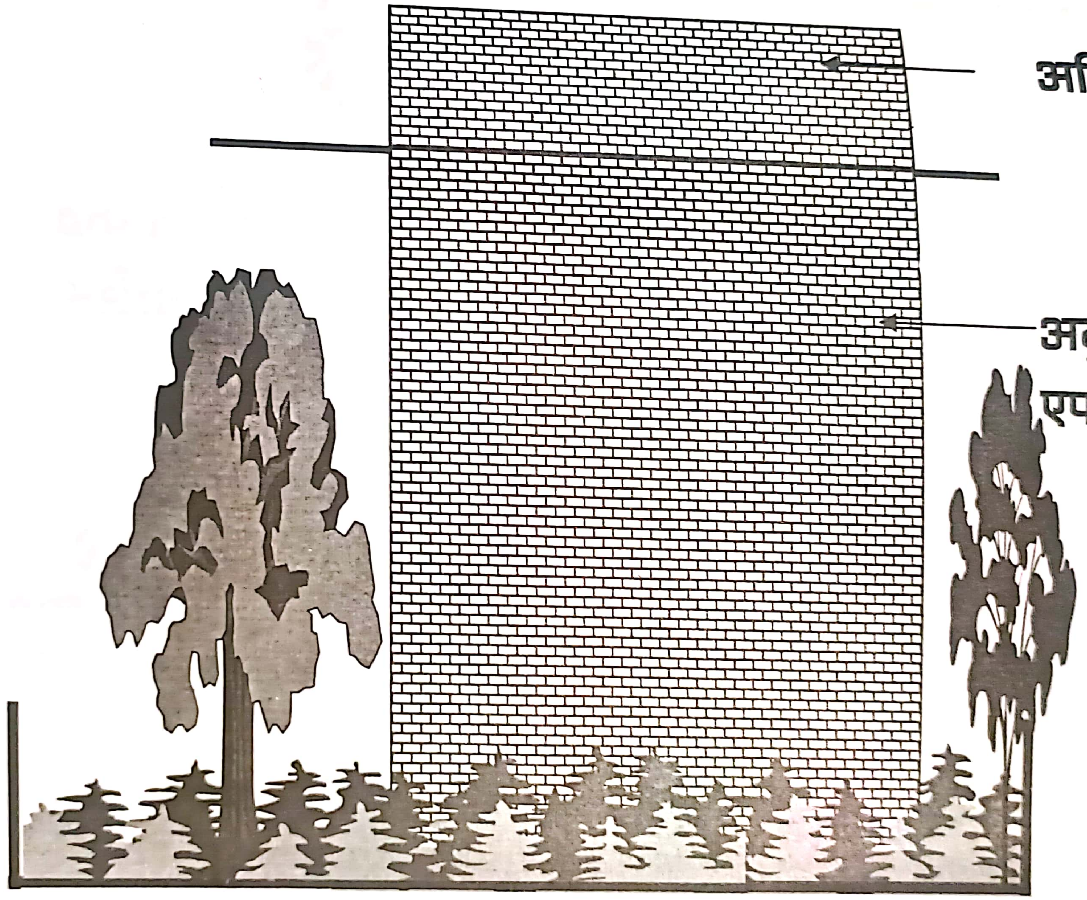

NOT TO SCALE

सरल शमन योजना, 2002

एफ.ए.आर. का शमन (निर्मित क्षेत्र के बाहर)

रेखाचित्र–10

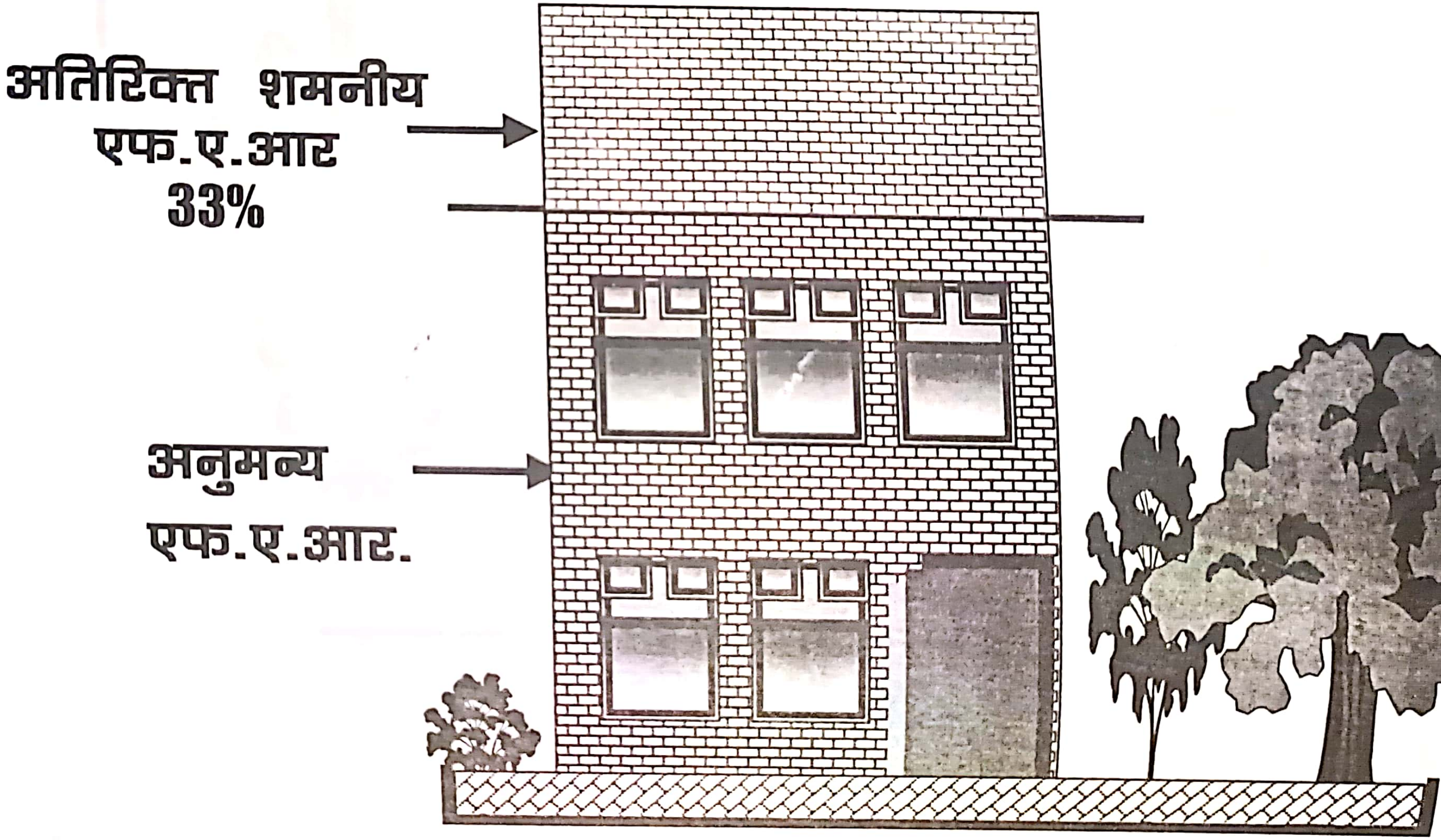

NOT TO SCALE

Scanned with OKEN Scanner

एक से अधिक प्रकार का अनधिकृत निर्माण

रेखाचित्र–11

NOT TO SCALE

कार्नर के भूखण्ड में भवन का फ्रन्ट सेट बैक

रेखाचित्र–12

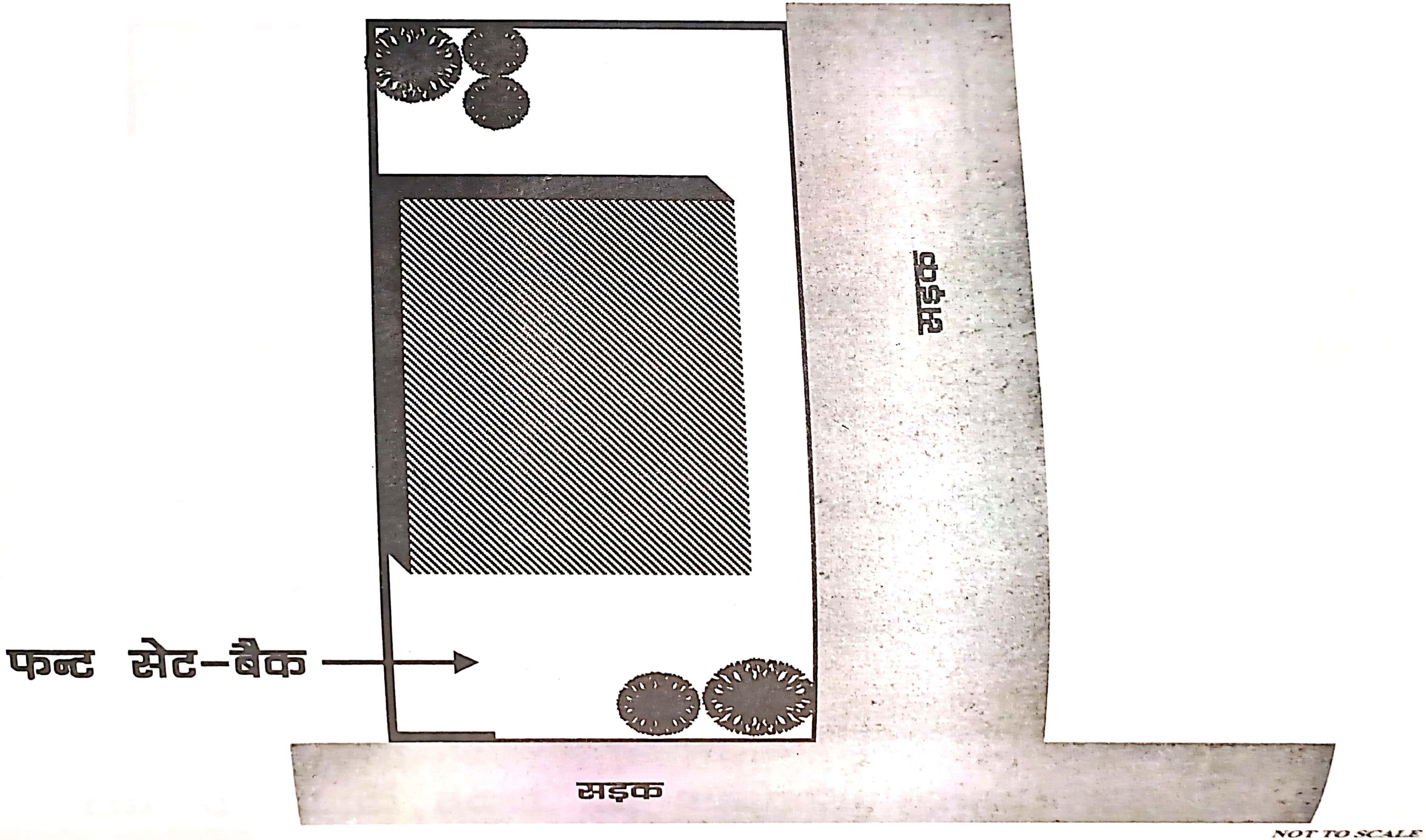

संख्या-3679/नौ-आ-1-2000-97डी.ए./2002(आ.ब.)

प्रेषक,

जे. एस. मिश्र

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त उपाध्यक्ष

विकास प्राधिकरण,

उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग-1

लखनऊः दिनाँक-21 अगस्त, 2002

विषय : **सरल शमन योजना, 2002 के कतिपय प्राविधानों में संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सरल शमन योजना, 2002 से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3478/9-आ-1/2000-97 डी.ए./2002 (आ.ब.) दिनांक 14 अगस्त, 2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त योजना पर दिनांक 16.8.2002 को आवास बन्धु में आयोजित कार्यशाला में हुए विचार-विमर्श के समय विकास प्राधिकरणों से कतिपय महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनका समावेश सरल शमन योजना, 2002 में किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरल शमन योजना, 2002 में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित परिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

2.1 1000 वर्ग मीटर अथवा अधिक क्षेत्रफल के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान सुनिश्चित करने हेतु सरल शमन योजना-2002 की टिप्पणी के क्रमांक-(vii) के रूप में निम्न प्राविधान जोड़ा जाए :-

"रेन वाटर हार्वेस्टिंग के समबन्ध में भवन स्वामी से इस आशय का शपथ-पत्र लिया जाएगा कि उसके द्वारा शमन मानचित्र की स्वीकृति के पश्चात् दो माह के अन्दर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर ली जाएगी। भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र निर्गत किया जाएगा।"

2.2 शमन योजना के प्रस्तर-5.3 के अन्त में निम्न प्राविधान जोड़ा जाए :-

"बहुमंजिले भवनों (चार मंजिले से अधिक) हेतु 2.0 से अधिक एफ.ए.आर. परन्तु अधिकतम 2.5 इस शर्त सहित शमनीय होगा कि सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर हो।"

2.3 शमन योजना के प्रस्तर-6 की तालिका में **"मानचित्र जमा, परन्तु स्वीकृत नहीं"** को **"मानचित्र स्वीकृत नहीं"** से प्रतिस्थापित किया जाए।

2.4 सरल शमन योजना के प्रस्तर-4.3.5 के अन्त में निम्न प्राविधान जोड़ा जाए :-

Scanned with OKEN Scanner

''परन्तु सामूहिक पार्किंग हेतु चयनित वैकल्पिक स्थल शमनीय निर्माण के अधिकतम 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत होना चाहिए।''

2.5 सरल शमन योजना, 2002 के अन्तर्गत पार्किंग क्षेत्र चूंकि शमनीय नहीं रखा गया है, अतः शमन योजना की पुस्तिका के ***प्रस्तर-6 की तालिका के नोट (V) तथा आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र के क्रमांक 11 की तालिका के क्रम संख्या-4 जो पार्किंग क्षेत्र के शमन से सम्बन्धित है, को डिलीट किया जाए।***

3. कृपया योजना को लाँच करने से पूर्व शमन योजना की पुस्तिका में उपर्युक्त परिष्कारों का समावेश सुनिश्चित करते हुए आपके प्राधिकरण द्वारा मुद्रित शमन पुस्तिका की 5 प्रतियाँ आवास बन्धु को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे. एस. मिश्र

सचिव।

संख्या :- 3670(1)/9-आ-1-2002-97डी.ए./2002(आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. अध्यक्ष, यूपीरेडको, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
7. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

संलग्नक : सरल शमन योजना, 2002

आज्ञा से

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 4982/नौ-आ-1-2000-97डी.ए./2002(आ.ब.)

प्रेषक,

जे. एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनाँक-31 अक्टूबर, 2002

विषय : सरल शमन योजना, 2002 के अन्तर्गत शमन शुल्क की दरों के पुनरीक्षण एवं योजना की अवधि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3478/9-आ-1-2000-97डीए/2002 (आ.ब.) दिनांक 14.8.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुसार अनाधिकृत निर्माण के शमन हेतु भूमि मूल्य का आंकलन विकास प्राधिकरण की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर तथा विकास प्राधिकरण की दर न होने पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि के वर्तमान सामान्य आवासीय सर्किल रेट पर किए जाने की व्यवस्था है। कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि दिनांक 01.4.2002 से सर्किल रेट पुनरीक्षित हो जाने के फलस्वरूप कई स्थानों पर भूमि का मूल्य, बाजार मूल्य से भी अधिक हो गया है जिसके कारण शमन शुल्क की धनराशि अत्यधिक हो रही है, अत: अधिकांश लोग इस योजना में रूचि नहीं ले रहे हैं। इस बिन्दु पर विकास प्राधिकरणों के कार्य-कलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 25.10.2002 में विचार-विमर्श हुआ जिसमें समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा सहमति व्यक्त की गई कि शमन शुल्क की गणना हेतु वर्तमान सर्किल रेट के स्थान पर पुनरीक्षण के पूर्व प्रचलित सर्किल रेट को आधार बनाया जाना चाहिए।

2. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शमन शुल्क की गणना हेतु भूमि का मूल्य विकास प्राधिकरण की दिनांक 01.01.2002 प्रचलित वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर पर आंकलित किया जाएगा, विकास प्राधिकरण की दरें न होने पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि के दिनांक 01.01.2002 को प्रचलित सामान्य आवासीय सर्किल रेट पर किया जाएगा। मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है भूमि मूल्य की दरों में पुनरीक्षण के दृष्टिगत आवेदकों को समुचित अवसर प्रदान करने हेतु योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.11.2002 तक बढ़ाई जाती है।

3. कृपया उपरोक्त की जानकारी जनता को देने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जे. एस. मिश्र
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या :- 4982(1)/9-आ-1-2002-97डी.ए./2002(आ.ब.) तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा. राज्य आवास मन्त्री के अवलोकनार्थ
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष, यूपी रेडको, लखनऊ।
7. अध्यक्ष, आर्कीटेक्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
8. अपर निदेशक, नियोजन, उ.प्र. आवास बन्धु।

आज्ञा से
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

7

शुल्क / फीस निर्धारण

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-भा0स0-473/9-आ-3-26-एल.यू.सं./91

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनाँक : 4 फरवरी, 2002

आवास अनुभाग-3

विषय : महायोजनान्तर्गत विद्यमान भू-उपयोगों हेतु सर्किल रेट निर्धारित न होने की स्थिति में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क के निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3712/9-आ-3-26-एल.यू.सी./91 दिनांक 21.8.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में यह व्यवस्था है कि परिवर्तन शुल्क भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार लिया जायेगा। विदित है कि जिलाधिकारी द्वारा सामान्यतः कृषि, आवासीय तथा व्यवसायिक भू-उपयोगों हेतु सर्किल रेट निर्धारित किए जाते हैं जबकि महायोजना में इससे भिन्न कई भू-उपयोग यथा सामुदायिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, औद्योगिक तथा कार्यालय, आदि प्रस्तावित होते हैं। इन भू-उपयोगों हेतु सर्किल रेट निर्धारित न होने के कारण कई बार शासन/विकास प्राधिकरण के समक्ष यह निर्णय लेने में कठिनाई होती है कि परिवर्तन शुल्क की गणना किस सर्किल रेट के आधार पर की जाए। अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन भू-उपयोगों के लिए जिलाधिकारी द्वारा सर्किल रेट निर्धारित नहीं है, में परिवर्तन शुल्क हेतु किस दर को आधार माना जाए, के लिए नीति निर्धारित की जाए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिमान्यतः (Preferentially) समस्त भू-उपयोगों हेतु जिलाधिकारी द्वारा ही सर्किल रेट निर्धारित किए जाने चाहिए। परन्तु महायोजनान्तर्गत विद्यमान ऐसे भू-उपयो जिनके लिए जिलाधिकारी द्वारा सर्किल रेट निर्धारित नहीं है, का निर्धारण निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3712/9-आ-3-2000-26 एल.यू.सी./91 दिनांक 21.8.2001 में विभिन्न भू-उपयोगों के परस्पर कोटिक्रम तथा परिवर्तन शुल्क की गणना हेतु दिए गए सर्किल रेट के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित

Scanned with OKEN Scanner

किया जा सकता है। उक्त शासनादेश में विभिन्न भू-उपयोगों का परस्पर कोटिक्रम (निम्न से उच्च क्रम में) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

(1) कृषि, (2) सामुदायिक सुविधाएं (3) औद्योगिक, (4) आवासीय, (5) कार्यालय, (6) व्यवसायिक।

उपरोक्त कोटिक्रम के अतिरिक्त प्रश्नगत शासनादेश में एक भू-उपयोग से दूसरे भू-उपयोग में परिवर्तन की भूमि के सर्किल रेट का भी प्रतिशत निर्धारित किया गया है जिसके आधार पर परिवर्तन शुल्क की गणना की जाती है। इस कोटिक्रम के अन्तर्गत ऐसे भू-उपयोग जिनके लिए सर्किल रेट उपलब्ध नहीं है यथा सामुदायिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन, औद्योगिक तथा कार्यालय, आदि का निर्धारण निम्न फार्मूला के अनुसार किया जाए :

- सार्वजनिक सुविधा = 0.75 x कृषि सर्किल रेट+0.25 x आवासीय सर्किल रेट
- यातायात एवं परिवहन = 0.5 x कृषि सर्किल रेट+0.5 x आवासीय सर्किल रेट
- औद्योगिक = 0.25 x कृषि सर्किल रेट+0.75 x आवासीय सर्किल रेट
- कार्यालय = 0.5 x आवासीय रेट+0.5 x आवासीय सर्किल रेट

उपरोक्त फार्मूला ज्यॉमेट्री के सिद्धान्त पर आधारित है जिसे रेखाचित्र-1 में स्पष्ट किया गया है तथा उसके अनुसार विभिन्न भू-उपयोगों हेत सर्किल रेट के निर्धारण से सम्बन्धित उदाहरण संलग्नक-1 में दिए गये है। इसी प्रकार महायोजना में विद्यमान अन्य भू-उपयोग जिनके लिए जिलाधिकारी द्वारा सर्किल रेट निर्धारित नही है, का भी निर्धारण इस पद्धति के माध्यम से किया जा सकता है।

3. कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार (दो पृष्ठ)।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या 473 (1)/9-आ-3-26-एल.यू.सी./91 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. आवास मंत्री/राज्य आवास मंत्री जी, उ.प्र. शासन।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।
4. आवास भिागा के समस्त अधिकारी।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

महायोजनान्तर्गत विद्यमान भू–उपयोग जिनके लिए सर्किल रेट निर्धारित नहीं है, में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना हेतु सर्किल रेट का निर्धारण

(शासनादेश संख्या /9-आ-3-26-एल.यू.सी./91, दिनांक 02.2002)

महायोजनान्तर्गत विद्यमान ऐसे भू-उपयोग जिनके लिए जिलाधिकारी द्वारा सर्किल रेट निर्धारित नही है, का निर्धारण निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3712/9-आ-3-2000-26 एल.यू.सी./91 दिनांक 21.8.2001 में विभिन्न भू-उपयोगों के परस्पर कोटिक्रम तथा परिवर्तन शुल्क की गणना हेतु दिए गए सर्किल रेट के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। उक्त शासनादेश में विभिन्न भू-उपयोगों का परस्पर कोटिक्रम (निम्न से उच्च क्रम में) निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-
(1) कृषि, (2) सामुदायिक सुविधाएं (3) औद्योगिक, (4) आवासीय, (5) कार्यालय, (6) व्यवसायिक।

उपरोक्त कोटिक्रम के अतिरिक्त प्रश्नगत शासनादेश में एक भू-उपयोग से दूसरे भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु भूमि के सर्किल रेट का भी प्रतिशत निर्धारित किया गया है जिसके आधार पर परिवर्तन शुल्क की गणना की जाती है। इस कोटिक्रम के अन्तर्गत ऐसे भू-उपयोग यथा सामुदायिक सुविधाएं यातायात एवं परिवहन, औद्योगिक तथा कार्यालय, आदि जिनके लिए सर्किल रेट उपलब्ध नहीं है, का निर्धारण संलग्न रेखाचित्र-1 में दी गई पद्धति के माध्यम मे किया जा सकता है।

रेखाचित्र-1 में विभिन्न भू-उपयोगों को निम्न से उच्च क्रम में X-Axis पर रखा गया है जबकि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट (रू. प्रति वर्ग मीटर) को Y-Axis पर रखा गया है। उदाहरणस्वरूप, महोजनान्तर्गत किसी क्षेत्र में कृषि, आवासीय तथा व्यवसायिक उपयोगों के सर्किल रेट क्रमशः रू0 200/-रू0 550/- तथा रू0 1200/- प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है जो रेखाचित्र-1 में Perpendiculars क्रमशः 1, 5, तथा 7 द्वारा दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार X-Axis पर बिन्दु 2, 3, 4 तथा 6 पर Perpendicular draw करने पर क्रमशः सामुदायिक सुविधाएं, यातायात एव परिवहन, औद्योगिक तथा कार्यालय उपयोगों हेतु सर्किल रेट निर्धारित किया जा सकता है, जो वर्तमान प्रसंग में क्रमशः रू0 287.50, रू0 375.00 रू0 462.50 तथा रू0 875.00 होगा।

उपरोक्त पद्धति में के कारण यह सम्भावना है कि सर्किल रेट का निर्धारण शत-प्रतिशत सही न हो। इसके निराकरण हेतु विभिन्न उपयोगों के अनुसार निम्न फार्मूला प्रस्तावित है, जो ज्यॉमेट्री के सिद्धान्त पर आधारित है :-

- सार्वजनिक सुविधा = 0.75 x कृषि सर्किल रेट+0.25 x आवासीय सर्किल रेट
  अर्थात् 0.75x200+0.25x550=रू0 287.50
- यातायात एवं परिवहन = 0.5 x कृषि सर्किल रेट+0.5 x आवासीय सर्किल रेट
  अर्थात् 0.5x200+0.5x550=रू0 375.00
- औद्योगिक = 0.25 x कृषि सर्किल रेट+0.75 x आवासीय सर्किल रेट
  अर्थात् 0.25x200+0.75x550=रू0 462.50
- कार्यालय = 0.5 x आवासीय रेट+0.5 x आवासीय सर्किल रेट
  अर्थात् 0.5x550+0.5x1200=रू0 875.00

इसी प्रकार उपरोक्त भू-उपयोगों से भिन्न महायोजना में विद्यमान ऐसे भू-उपयोग जिनके लिए जिलाधिकारी द्वारा सर्किल रेट निर्धारित नहीं है, का भी निर्धारण इस पद्धति के माध्यम से किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

रेखाचित्र–1

ग्राफिक पद्धति द्वारा सर्किल रेट का निर्धारण

उपलब्ध सर्किल रेट (रुपये प्रति वर्गमीटर)

कृषि	:	200
आवासीय	:	550
व्यवसायिक	:	1200

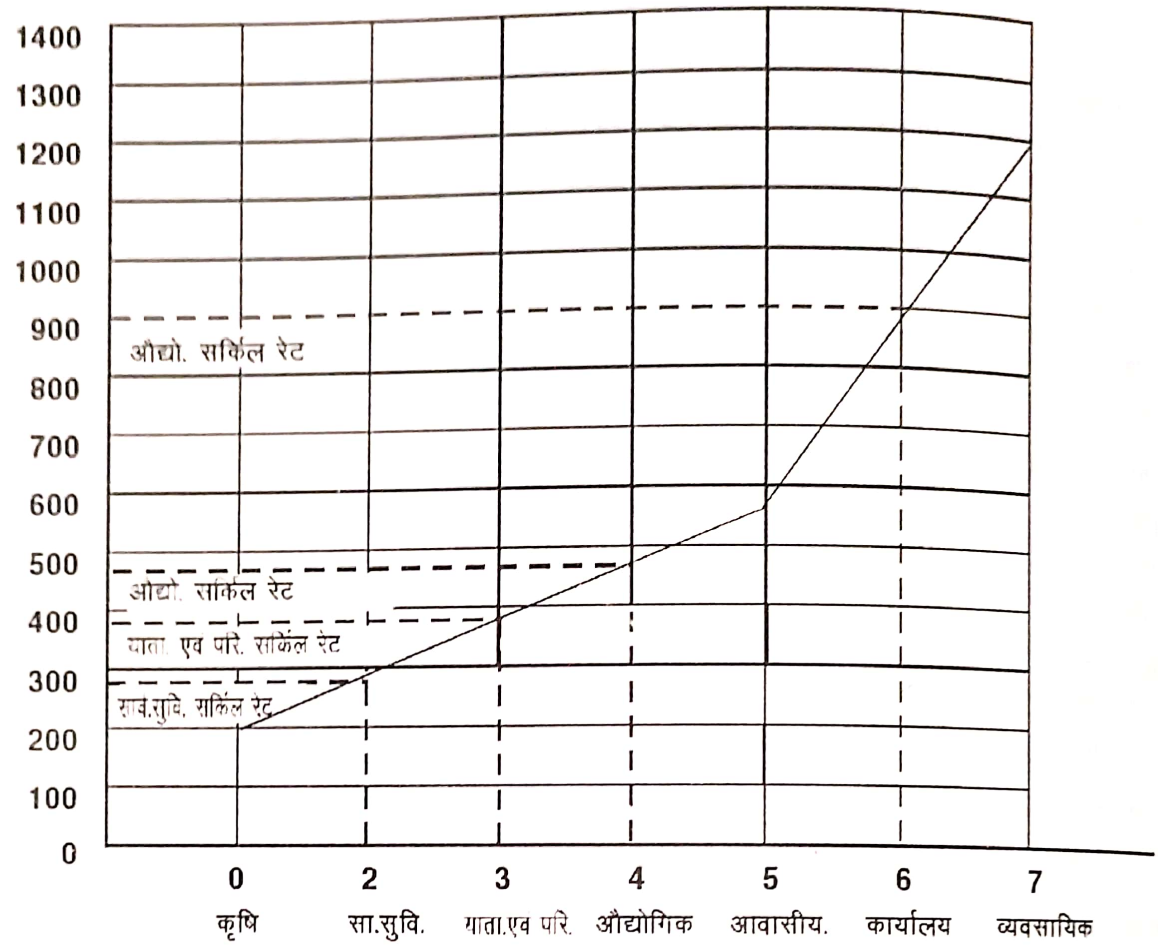

भू–उपयोग (निम्न से उच्च क्रम में)

फार्मूला :

सार्व. सुवि.सर्किल रेट	$= A+\left(\frac{A-R}{4}\right) X1$	=	0.75XA+0.25XR
याता. एवं परि. सर्किल रेट	$= A+\left(\frac{A-R}{4}\right) X2$	=	0.5XA+0.5XR
औद्यो.सर्किल रेट	$= A+\left(\frac{A-R}{4}\right) X3$	=	0.25XA+0.75XR
कार्या सर्किल रेट	$= A+\left(\frac{R-C}{2}\right) X1$	=	0.5XR+0.5X C

Whereas :

A = कृषि सर्किल रेट

R = आवासीय सर्किल रेट

C = व्यवसायिक सर्किल रेट

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-538/व-आ-3-2002-240काम्प/2001

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-8 फरवरी, 2002

विषय : स्कूल/शिक्षण संस्थाओं से भूखण्ड के क्षेत्रफल के बजाय निर्मित क्षेत्र के आधार पर विकास शुल्क लिए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4108/9-आ-3-2001-26 एल.यू.सी./99 दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के प्रकरणों में मानचित्र स्वीकृति के समय भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के बजाय उसी भाग के लिए विकास शुल्क लिए जाने के निदेश दिए गये थे, जिस पर निर्माण प्रस्तावित है अथवा जिस भू-भाग का एफ.ए.आर. वह उपयोग करे, जो भी अधिक हो।

इस सम्बंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनाँक 26 दिसम्बर, 2001 में प्रदत्त छूट बेसिक टेलीफोन सर्विसेज जिसे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा में अनुमन्य किया गया है, से सम्बंधित निर्माण पर भी कर दी जाये। कृपया शासन के उपरोक्त निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

शासनादेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनाँक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
3. आवास विभाग केन्द्र के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
4. रिलायन्स इन्फोकाम लि0 7-8 भूतल, सरन चैम्बर, -11,5, लखनऊ। 226001

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1656/9-आ-3-2002-145टी0वी0पी0/65

प्रेषक,

संजीव कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक-24 जून, 2002

विषय : मानचित्र बनाये जाने की फीस की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-928/9-आ-3-92-145 टी0वी0पी0 65 दिनांक 8 मई, 1992 (प्रति संलग्न) में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ले-आउट तथा ब्लाक प्लान हेतु मानचित्र बनाये जाने की फीस दरों को 01 जून, 2002 से पुनरीक्षित किए जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। मानचित्र बनाये जाने की फीस की पुनरीक्षित दरें निम्न प्रकार होंगी :-

रीजनल प्लान तथा मास्टर प्लान के अनुरूप ले-आउट तथा ब्लाक प्लान तैयार करना।	पुनरीक्षित फीस की दरें
(क) 25 एकड़ तक (10 हैक्टेयर)	रू0-750/- प्रति हैक्टेयर तथा न्यूनतम रू0-5000/-
(ख) 25 एकड़ से अधिक किन्तु 100 एकड़ तक (10 हैक्टेयर से अधिक किन्तु 40 हैक्टेयर तक)	रू0-625/- प्रति हैक्टेयर
(ग) 101 एकड़ से 500 एकड़ तक (41 हैक्टेयर से 200 हैक्टेयर तक)	रू0-500/- प्रति हैक्टेयर
(घ) 500 एकड़ से अधिक (201 हैक्टेयर से अधिक)	रू0-330/- प्रति हैक्टेयर
(च) लेवलिंग के अतिरिक्त कार्य हेतु	भौतिक सर्वेक्षण मूल्य का 15 प्रतिशत अतिरिक्त

2. शासनादेश संख्या-928/9-आ-3-92-145 टी0वी0पी0/65 दिनांक 08 मई, 1992 उपरोक्तानुसार यथासंशोधित रूप में पढ़ा जाए।

3. अनुरोध है कि प्रश्नगत पुनरीक्षित दरों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या :- संख्या-1656(1)/9-आ-3-2002-145टी.वी.पी/65, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या :- 1656(2)/9-आ-3-2002-145टी.वी.पी/65, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2533/9-आ-2-2002

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण।
3. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

आवास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक-03 सितम्बर, 2002

विषय : विभिन्न समाचार पत्रों में आवास विकास परिषद, विभिन्न विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों की दरों का निर्धारण किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1395(1)/9-आ-2-2002, दिनांक-30-7-2002 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. समाचार पत्रों में आवास विकास परिषद, विभिन्न विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन डी.ए.वी.पी. की दरों अथवा सूचना विभाग के द्वारा तय की गई दरों से न्यूनतम के आधार पर किए जाने संबंधी उपर्युक्त शासनादेश दिनांक-30-7-2002 के अनुक्रम में आवास विकास परिषद, कानपुर, बरेली, गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों से संदर्भ प्राप्त हुयें है कि अति महत्व एवं आकस्मिक प्रकृति के प्रकरणों में समाचार पत्रों द्वारा उपरोक्त दर पर प्राथमिकता पर विज्ञापन प्रकाशित करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है।

3. आवास विकास परिषद एवं विभिन्न प्राधिकरणों के द्वारा किए गए अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर इस विषय में पुन: सम्यक रूप से विचार किए जाने के उपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य रूप से आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों से निर्गत होने वाले विज्ञापनों पर उपरोक्त व्यवस्था लागू रहेगी। परन्तु आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के व्यवसायिक हितों की दृष्टि से अथवा शासन के किसी निर्देश अथवा योजना के कार्यान्वयन हेतु अल्प अवधि में प्रचार-प्रसार की आवश्यकता होने या अन्य किसी स्थानीय आकस्मिक प्राथमिकता के दृष्टिगत व्यवसायिक दर पर विज्ञापन निर्गत करने हेतु आवास आयुक्त अथवा उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के स्वयं के विवेक को सीमित

Scanned with OKEN Scanner

करने की शासन की कोई मंशा नहीं है। वरन् मुख्य अभिप्राय यह है कि अत्यंत आवश्यक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही व्यवसायिक दर पर विज्ञापन दिया जाए अन्यथा नहीं, ताकि परिषद एवं प्राधिकरणों के कार्यसंचालन में मितव्ययिता हो सके।

4. उपरोक्त के आलोक में दिनांक-30.7.2002 का शासनादेश संशोधित माना जायेगा। कृपया तदनुसार अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास, प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-19 अक्टूबर, 2002

विषय : सार्वजनिक संस्थाओं के भवन मानचित्रों की स्वीकृति में शुल्कों में रियायत दिये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1305/9-आ-3-98-275 काम्प/97, दिनांक 21.5.98 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 21.5.98 के अन्तर्गत भवन मानचित्र स्वीकृति के संबंध में लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों में छूट प्रदान किये जाने का आवेदन किया जा रहा है, जबकि ऐसी संस्था में बिना लाभ-हानि के सेवारत संस्थाओं की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है।

2- अत: उक्त शासनादेश संख्या-1305/9-आ-3-98-275 काम्प/97, दिनांक 21.5.98 में आंशिक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि भवन मानचित्र स्वीकृत करते समय लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों में छूट प्रदान किये जाने की सुविधा केवल उन्हीं चेरिटेबुल संस्थाओं को अनुमन्य होगी जो विधवा, निराश्रित महिलाओं हेतु संरक्षण गृहों, कुष्ठ रोग पीड़ित, मूक बधिर, वृद्ध भिखारियों, असहाय एवं अपाहिज व्यक्तियों के लिए चिकित्सालयों, अनाथालयों, शैक्षिक संस्थाओं इत्यादि का संचालन करती हो। वस्तुत: ऐसी दातव्य (चैरिटेबल) व अध्यात्मिक/धार्मिक, सामाजिक, संस्थाओं जो बिना किसी लाभ-हानि के सेवारत है एवं जिनका किसी प्रकार से भी व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा है, मात्र ऐसी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण मानचित्रों पर परमिट शुल्क/विकास शुल्क/सुदृढ़ीकरण शुल्क की आगणित धनराशि का 35 प्रतिशत जमा कराकर मानचित्र पर स्वीकृति दी जाएगी।

Scanned with OKEN Scanner

उक्त छूट उन्हीं चैरिटेबल संस्थाओं को अनुमन्य होगी जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत छूट प्रदान की गयी हो तथा मानचित्र स्वीकृति के समय भी यह छूट उपलब्ध हो। पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 21 मई, 1998 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या : 3399(1)/9-आ-3-2002-275काम्प/97 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. उ0प्र0 आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-4416/9-आ-3-98-33...

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-08 नवम्...

विषय : भवन निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्रों पर ली जाने वाली अम्बार फीस की दरों के निर्धा... सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा-2 (टट) के अनुसार ... शुल्क का तात्पर्य ऐसी फीस से है जो किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय पर जो प्राधिकरण की भूमि पर ... सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण सामग्री रखने के लिए धारा-15 के अधीन उद्ग्रहीत ... उक्त अधिनियम की धारा-15(2)(क) में यह भी व्यवस्था है कि प्राधिकरण विकास शुल्क, नामान्तरण प्रभार, ... फीस और जल फीस को ऐसी रीति से और ऐसी दर पर जो विहित की जाए, उद्ग्रहीत करने का हकदार ... परन्तु किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसे प्राधिकरण द्वारा विकसित नहीं किया जा रहा है या विकसित नहीं ... गया है, उद्ग्रहीत अम्बार फीस की धनराशि स्थानीय प्राधिकारी, जिसकी स्थानीय सीमा में ऐसा क्षेत्र स्थित ... अन्तरित कर दी जाएगी। उक्त प्राविधानों के अनुपालन में शासन द्वारा अम्बार शुल्क की दरों के निर्धारण के ... में निम्न शासनादेश जारी किए गए हैं :-

(i) शासनादेश संख्या 175/9-आ-3-98-33काम्प/98 दिनांक 5.2.1998

(ii) शासनादेश संख्या 548/9-आ-3-98-33काम्प/98 दिनांक 7.3.1998

(iv) शासनादेश संख्या 3138/9-आ-3-98-33काम्प/98 दिनांक 13.10.1998

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि निजी क्षेत्र में विकसित किसी कालोनी अथवा ... का विकास पूर्ण होकर जब तक उसे रख-रखाव हेतु स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित नहीं कर दिया जाता, ... सड़कों एवं अन्य सेवाओं का रख-रखाव निजी विकासकर्ता/निर्माता द्वारा स्वयं किया जाता है। अतः अधि... निहित प्राविधानों के अनुसार ऐसे प्रकरणों में अम्बार शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में शास... सम्यक् विचारोपरान्त यह औचित्यपूर्ण पाया गया कि अम्बार फीस चूँकि भवन निर्माण सामग्री अम्बार किए ... हुई क्षति के कारण सार्वजनिक स्थल या मार्ग के पुनरोद्धार पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ली जाती है ... ऐसी कालोनियाँ अथवा टाउनशिप, जिनका विकास एवं निर्माण अथवा रख-रखाव निजी विकासकर्ताओं द्वारा कि... रहा है, में तब तक अम्बार फीस नहीं ली जानी चाहिए जब तक ऐसी कालोनी अथवा टाउनशिप का हस्... स्थानीय निकाय को न कर दिया जाए।

3. अतएव, अम्बार फीस की दरों के निर्धारण हेतु उपरिलिखित शासनादेशों में निहित प्राविधानों को सम... करते हुए राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-41(1) के अधी... व्यवस्था लागू किए जाने के निदेश देते है :-

Scanned with OKEN Scanner

(1) समस्त प्रकृति के भवन मानचित्रों (चाहे वह एक तल के भवन के लिए हो अथवा बहुखण्डी भवन के लिए) की स्वीकृति के समय प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल पर रू. 11/- प्रति वर्ग मीटर की दर से अम्बार फीस वसूल की जाएगी,

(2) 2000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के लिए यदि कोई निर्माणकर्ता/ विकासकर्ता यह शपथ-पत्र देता है कि वह अपनी भवन निर्माण सामग्री अथवा भूमि विकास से सम्बन्धित सामग्री निजी भूखण्ड (निजी भूखण्ड से तात्पर्य ऐसे भूखण्ड से है जिसके विषय में उसके पक्ष में बैनामा अथवा पट्टा हो या उसका उत्तराधिकारी हो) पर ही रखेगा तो ऐसे प्रकरण में निर्माणकर्ता/विकासकर्ता से निम्न शर्तो के साथ अण्डरटेकिंग देने पर अम्बार शुल्क में छूट दी जा सकेगी :-

(अ) निर्माणकर्ता/विकासकर्ता द्वारा सार्वजनिक स्थल, मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग सामग्री अम्बार करने की दशा में, वह सम्बन्धित अभिकरण द्वारा मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (अर्द्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि) सम्बन्धित अभिकरण की निधि में मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर एकमुश्त जमा करेगा,

(ब) उक्त (अ) में वर्णित माँग पत्र सम्यक अनुपालन न होने की स्थिति में सम्पूर्ण देयकों की वसूली राजस्व के बकाए की भांति ही चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूल की जाएगी,

(स) ऐसे अप्राधिकृत, अम्बारण उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26-क के अन्तर्गत सार्वजनिक भूमि/मार्ग पर अतिक्रमण होने के कारण संज्ञेय अपराध होंगे और दोषियों के विरूद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) निजी क्षेत्र में अथवा लाइसेन्स के आधार पर विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा आवंटित भूमि पर विकसित कालोनी अथवा टाउनशिप के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों हेतु निर्माणकर्ता द्वारा अम्बार फीस तभी देय होगी जब ऐसी कालोनी अथवा टाउनशिप सम्बन्धित स्थानीय निकाय को रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित कर दिया जाए।

(4) यह शासनादेश उन मानचित्रों पर भी लागू होगा जो स्वीकृति के उपरान्त अभी निर्गत नहीं किए गए हैं।

(5) अम्बार फीस की दर को विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा घोषित "कॉस्ट इन्डेक्स" के आधार पर आवश्यकतानुसार अद्यावधिक किया जाएगा।

4. उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या :- (1)/9-आ-3-98-33काम्प/98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी आवास संघ।
5. अध्यक्ष, यूपीरेडको।
6. अध्यक्ष, उ.प्र. आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
7. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-28 नवम्बर, 2002

विषय : भवन निर्माण मानचित्र पर लिए जाने वाले अम्बार फीस की दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-175/9-आ-3-98-33काम्प/98दिनांक 05.02.98 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-548/9-आ-3-98-33 काम्प/ 98 दिनांक 07 मार्च, 98 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा उक्त शासनादेशों में निहित व्यवस्था के संदर्भ में कुछ जिज्ञासायें/स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05.2.98 एवं दिनांक 07.3.98 के संदर्भ में उठाये गये बिन्दुओं पर स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है :-

(1) भवन निर्माण मानचित्र पर लिए जाने वाले अम्बार शुल्क उस एजेन्सी को हस्तांतरित की जाए, जिसका मार्ग/स्थल उस अम्बार से प्रभावित हो रहा हो एवं उस मार्ग/स्थल का रख-रखाव उसी एजेन्सी द्वारा किया जाता रहा हो।

(2) उक्त शासनादेश में भवन निर्माण मानचित्र हेतु अम्बार शुल्क के निर्धारण के सम्बंध में यह स्पष्ट किया जाना है कि यह व्यवस्था सभी प्रकार के भवनों पर समान रूप से लागू है।

उपर्युक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए एवं तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या :- 2120/9-आ-3-2002-33काम्प/98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उनके पत्र संख्या-डी.जी.एम. /2002/Proj/पी०एल०जी०/टी०एफ०सी०/338 दिनांक 25.5.2002 के संदर्भ में।
3. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाइल।
4. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण को उनके पत्र संख्या-316/वि०प्रा०/प्र०अभि० (भवन) 2001-2002 दिनांक 04 जनवरी, 2002 के संदर्भ में।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-4605/9-आ-5-93-545डीए/91

प्रेषक,

सत्य प्रकाश शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनाँक-4 सितम्बर, 1993

विषय : सरकारी कर्मचारियों पर अनिर्माण शुल्क आरोपित न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-3485/37-2-एचबी (271)/85, दिनांक 7.8.1985 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा सरकारी कर्मचारियों को आवंटित भूखण्डों पर निर्धारित समय के अन्दर भवन का निर्माण न कराये जाने पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकारी कर्मचारियों पर अनिर्माण शुल्क आरोपित न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि उक्त शासनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा का लाभ सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा दोनों श्रेणियों यथा सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उक्त शासनादेश की तिथि अर्थात 7.8.1985 से अनुमन्य होगी।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में आरोपित अनिर्माण शुल्क जमा कराया जा चुका है वह इससे प्रभावी न होंगे।

भवदीय,
सत्य प्रकाश शर्मा
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

साऊं राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक-7 अगस्त, 1985

विषय : ब्रिगेडियर श्री दयाल मोहन गुप्ता, आवंटी भूखण्ड सं0 6, मोहन पुरी मेरठ को उक्त प्लाट पर भवन न बनाये जाने हेतु परिषद को देय अनिर्माण शुल्क न लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 6047/सं0प्र0-3 दिनांक 11-7-85 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों को अन्य आवंटियों की तुलना में भवन निर्माण का संसाधन जुटाना कतिपय कारणों से कठिन होता है। सरकारी कर्मचारियों के आय के साधन सीमित होते हैं जिसमें उन्हें न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भी भार उठाना पड़ता है। खर्चे की मदों पर काफी कुछ व्यय हो जाने के बाद सरकारी कर्मचारी के पास भवन निर्माण के लिए अपेक्षित वित्तीय संसाधन सुलभ करा पाना कठिन होता है। सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु जो अग्रिम व्यवस्था रखी गई है, सीमित संसाधनों के कारण, उससे सभी की मांग की पूर्ति सम्भव नहीं हो पाती। भवन निर्माण के लिए सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को अपेक्षित अवकाश की भी उपलब्धता संदिग्ध रहती है।

2. सरकारी कर्मचारियों द्वारा उन्हें आवंटित किए गए भू-खण्डों पर निर्धारित समय के अन्दर भवन का निर्माण न किए जाने के प्रकरणों पर आरोपित किए जाने वाले अनिर्माण शुल्क के प्रश्न पर शासन ने गम्भीरतापूर्वक विचार किया और यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तर-I में उल्लिखित कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के मामलों में निर्धारित समय के अन्दर भवन का निर्माण न हो पाने की दशा में अनिर्माण शुल्क को आरोपित करना न्यायोचित नहीं है। ऐसे प्रकरणों में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अत: यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे जिन मामलों में सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों द्वारा शपथ पत्र पर अपनी कठिनाइयों का उल्लेख किया जाता है उन पर अनिर्माण शुल्क आरोपित न किया जाए।

3. कृपया तदनुसार ब्रिगेडियर-डी.एम. गुप्ता तथा अन्य ऐसे लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश आज की तिथि से ही प्रभावी माने जायेंगे और जिन मामलों में अनिर्माण शुल्क आरोपित कर जमा कराया जा चुका है वह इससे प्रभावी न होंगे।

भवदीय,
साऊँ राम
संयुक्त सचिव।

संख्या :- 3485(1)/37-2-3एचबी (271)/85

प्रतिलिपि

1. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरणों को तदनुसार कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

आज्ञा से,
साऊँ राम
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

8

विकास / निर्माण योजनाएं

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-1
संख्या-2293/9-आ-1-ब्लू-प्रिन्ट/2002/आ.ब.
लखनऊ : दिनांक 11 जून, 2002

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न नगरों की अवस्थापना सुविधाओं के नियोजन, विकास तथा रख-रखाव के 'ब्लू-प्रिन्ट' तैयार करवाकर उनका कार्यान्वयन, समीक्षा तथा सम्बन्धित विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य एवं शासन की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था तथा उसकी सहायता के लिए नगर स्तर पर कार्यालय ज्ञाप संख्या 1662/9-आ-1-2000 दिनांक 10.4.2000 के द्वारा मंडल मुख्यालय नगरों के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में तथा अन्य नगरों के लिए जिलाधिकारी/विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दोनों में (जो भी वरिष्ठ हो) की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी।

उक्त व्यवस्था पर सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निदेश देते हैं कि मंडल मुख्यालय नगरों के लिए नगर स्तरीय समिति के अध्यक्ष मंडलायुक्त तथा अन्य नगरों के लिए जिलाधिकारी/प्राधिकरण के उपाध्यक्ष (दोनों में जो भी वरिष्ठ हों) समिति के अध्यक्ष होंगे, परन्तु यदि किसी नगर के विकास प्राधिकरण में शासन द्वारा अलग से पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त है तो वही उक्त समिति के अध्यक्ष होंगे।

अत: कार्यालय ज्ञाप संख्या 1662/9-आ-1-2000 दिनांक 10.4.2000 को तात्कालिक प्रभाव से उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

आज्ञा से
जे0एस0 मिश्र
सचिव।

संख्या :- संख्या-(1)/9-आ-1-ब्लू-प्रिन्ट/2002/आ.ब. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग।
3. सम्बन्धित मंडलायुक्त/अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समिति के समस्त सदस्यगण।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।
9. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-3997/नौ-आ-1-ब्लू प्रिन्ट-मंत्री जी/2001(आ.ब.)

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनाँक-05 सितम्बर, 2002

विषय : मा0 मंत्री, आवास एवं नगर विकास विभाग द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के ब्लू-प्रिन्ट 2002-03 के कार्यों की प्रगति समीक्षा का कार्यक्रम।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या: 6064/9-आ-1-ब्लू-प्रिन्ट/2002/आ.ब. दिनांक 8.8.2002 के क्रम में अवगत कराना है कि माननीय मंत्री, आवास एवं नगर विकास, तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, शीघ्र ही आपके नगर का दौरा करेंगे (इस सम्बन्ध में दौरे की निर्धारित तिथि तथा समय की सूचना आपको अलग से सूचित की जायेगी)। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी द्वारा नगर की अवस्थापना सुविधाओं के ब्लू-प्रिन्ट वर्ष 2002-03 के ब्लू-प्रिन्ट के ऐसे कार्य जिनका वित्तीय पोषण सुनिश्चित है, का शिलान्यास तथा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यो का निरीक्षण एवं प्रगति समीक्षा की जायेगी।

उक्त अवसर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन तैयार कर प्रकाशित कराने का दायित्व शासन द्वारा आवास बन्धु को सौंपा गया है। अत: विज्ञापन तैयार करने हेतु अनुरोध है कि कृपया निम्न सूचनाएं आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को अपने नगर के माननीय मंत्री जी के दौरे से विलम्बतम दो दिन पूर्व फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार के आप के नगर से सम्बन्धित मा0 मंत्रीगण की सूची।
2. वर्ष 2001-02 के ब्लू-प्रिन्ट में शामिल किये गये महत्वपूर्ण कार्यों की सूची (बड़ी परियोजनाओं के नाम एवं उनकी अनुमानित लागत)।
3. ऐसे कार्यो की सूची (नाम व उनकी अनुमानित लागत) जिनका शिलान्यास तथा लोकार्पण मा. मंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है।
4. गत तीन वर्ष में समस्त विभागों द्वारा पूर्ण करायी गयीं महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सूची (बड़ी परियोजनाओं के मात्र नाम तथा उनकी लागत)
5. आपके नगर हेतु निर्धारित तिथि को मा. मंत्री जी के मिनट दर मिनट कार्यक्रम का विवरण।
6. नगर में कराये जा रहे/कराये गए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के फोटोग्राफ व उनका संक्षिप्त विवरण।

कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2333/9-आ-1-आई.डी.एस.एम.टी./2002(आ.ब.)

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनाँक-17 जून, 2002

विषय : आई.डी.एस.एम.टी. योजना के क्रियान्वयन हेतु समीक्षा व्यवस्था विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई.डी.एस.एम.टी. योजना के क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठकों का आयोजन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाए :-

(i) आई.डी.एस.एम.टी. योजना की समीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष में 6 बैठकें (क्रमश: माह अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसम्बर तथा फरवरी) में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएं । समीक्षा बैठक में केवल अधिशासी अधिकारियों व सहयुक्त/सहायक नगर नियोजकों को ही बुलाया जाए। अपरिहार्य कारणोंवश यदि उनके द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया जाता है, तो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से पूर्व में अनुमति प्राप्त करेंगे। उक्त बैठक माह के द्वितीय बृहस्पतिवार को आयोजित की जाएगी एवं राजकीय अवकाश होने की दशा में अगले कार्य-दिवस में बैठक आयोजित की जाए।

(ii) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा उक्त बैठक अपनी अध्यक्षता में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्यालय, लखनऊ पर आयोजित की जाएगी।

(iii) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक शासन स्तर से सम्बन्धित मुद्दे, प्रकरण एवं समस्याओं को चिन्हित कर, बैठक के उपरान्त तीन दिन के अन्दर शासन के संज्ञान एवं निराकरण हेतु विशेष सचिव, आवास अनुभाग-3 के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(iv) जहाँ पर किसी भी अधिकारी, विशेषकर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अवर अभियंता अथवा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारी को एक से अधिक इकाई का कार्यभार सौंपा गया है तो ऐसे अधिकारियों को प्रत्येक इकाई/स्थानीय निकाय के लिए सप्ताह में न्यूनतम एक दिन निर्धारित करने के उपरान्त सम्बन्धित इकाईयों/नगरपालिका परिषद/ नगर पंचायत को अवगत करा दिया जाए। किसी इकाई का प्रभार अन्य इकाई के अधिशाषी अधिकारी, अवर अभियंता या नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों को दिया गया है तो ऐसी स्थिति में जो तिथि निर्धारित की जाएगी वह तीनों अधिकारियों के लिए एक ही होगी।

Scanned with OKEN Scanner

(v) आई.डी.एस.टी. की जितनी भी इकाइयाँ कार्यरत है उन सभी इकाईयों के लिए तत्काल सहयुक्त नियोजक/सहायक नियोजक की तैनाती/सम्बद्धता की व्यवस्था मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सुनिश्चित करेंगे। यदि इकाईयों की संख्या से अधिकारियों की संख्या कम है तो ऐसी दशा में ऐसी इकाईयों का प्रभार निकटस्थ खण्ड/इकाई में तैनात सहयुक्त नियोजक/सहायक नियोजक को प्रभार सौंपने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

2. कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या : 2333(1)/9-आ-1-आई.डी.एस.एम.टी./2002आ.ब. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल में अभिलेख हेतु।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2772/9-आ-1-21 आई.डी.एस.एम.टी./2002

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
   नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति,
   (संगठित विकास योजना के नगरों से सम्बंधित जनपद),
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त अधिशासी अधिकारी,**
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
   (संगठित विकास योजना के नगरों से सम्बंधित नगर),
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक-04 सितम्बर, 2002

विषय : संगठित विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा संगठित विकास योजनांतर्गत चयनित नगरों की स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण/अनुदान स्वीकृत किया गया है। उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं। शासन स्तर पर दिनांक 13 जून 02 को संगठित विकास योजना के अंतर्गत चयनित नगरों की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की एक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई थी, जिसमें संबंधित नगरों की नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/संबंधित विकास प्राधिकरणों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे। प्रगति समीक्षा के समय उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया कि कुछ नगरों की संगठित विकास योजना के कार्यों को जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा कराये जाने का निण्रय जिला स्तर पर लिया गया है तथा कुछ नगरों में योजना के कार्य हेतु धनराशि को जल निगम अथवा अन्य संस्था को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संगठित विकास योजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित संशोधित गाइड लाइन्स-1995 के बिन्दु 2 के प्रस्तर (ई) में निम्नवत व्यवस्था दी गयी है :-

"Promoting resource-generating schemes for the urban local bodies to improve their overall financial position and ability to undertake long-term infrastructure development programmes on their own as well as to repay the borrowed capital and user in necessary municiapl reforms."

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के स्वामित्व में उपलब्ध निर्विवादित भूमि पर ही संगठित विकास योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी जानी चाहिए जिनका क्रियान्वयन भी स्थानीय निकाय स्तर से किया जाना चाहिए। प्राय: देखने में आया है कि कुछ योजनायें जो विकास प्राधिकरण द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय

Scanned with OKEN Scanner

की भूमि पर तैयार की गयी थीं, उनका क्रियान्वयन स्वयं विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया। ऐसे विकास प्राधिकरणों द्वारा भारत सरकार की निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार लाभकारी, लागत वापसी एवं अलाभकारी योजनाओं के 40:30:30 के अनुपात में धनराशि व्यय न करके मनमाने ढंग से अलाभकारी योजनाओं पर व्यय कर दी गयी है जिससे योजना का स्वरूप ही बदल गया फलस्वरूप उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पायी है। जो योजनायें क्रियान्वित की गयी हैं, वे अधूरी पड़ी हुई हैं तथा उनका कब्जा भी संबंधित स्थानीय निकायों को नहीं मिल सका है। यदि विकास प्राधिकरण अथवा अन्य एजेंसी द्वारा इन योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तो इस प्रकार की समस्यायें वर्तमान में चल रही परियोजनाओं में भी आयेंगी तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रेषित कर अगली किश्तें प्राप्त करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायेगी।

2. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि संगठित विकास योजना की समस्त परियोजनायें जो नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि पर तैयार की गयी हैं, उनका क्रियान्वयन मात्र संबंधित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा ही किया जायेगा। इस प्रकार की परियोजनाओं का क्रियान्वयन विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/जिला नगरीय विकास अभिकरण/जल निगम अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा भविष्य में नहीं किया जायेगा। यदि योजना प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि पर प्रस्तावित है व भारत सरकार द्वारा तदनुसार स्वीकृत है, तो उस पर प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वयन में आपत्ति नहीं है।

3. विषयगत प्रकरण में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी नगर में संगठित विकास योजनांतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय निकायों के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था से कराये जाने के संबंध में कोई निर्णय लिये गये हैं अथवा धनराशि किसी अन्य संस्था/अभिकरण को हस्तान्तरित की गयी है तो जिला स्तर पर लिये गये उक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से निरस्त माने जाये। मामले में हस्तान्तरित धनराशि नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा संचालित योजना के रिवाल्विंग फण्ड में तत्काल जमा करा दी जायें।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र

सचिव।

संख्या :- 2772(1)/9-आ-1-02, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

9

वित्तीय प्रबन्धन

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
संख्या-बी-1-019/दस-2002-91/2001
लखनऊ : दिनांक 14 जनवरी, 2002

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में स्थापित निगमों, उपक्रमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की स्वायत्तशासी संस्थाओं, निधियों संस्थानों द्वारा सरप्लस फण्ड्स के विनियोजन के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग आदेश निर्गत किये गये हैं तथा इन शासनादेशों में आपस में एकरूपता भी नहीं है। अतः लोक धन (पब्लिक फण्ड्स) की सुरक्षा एवं सदुपयोग के साथ-साथ सरप्लस फण्ड्स के विनियोजन के सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों में निवारणार्थ शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सरप्लस फण्ड्स के विनियोजन के संबंध में तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है :-

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त केवल सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में आदेश जारी करने के लिए अधिकृत होंगे और यह आदेश सहकारी संस्थाओं के धन अथवा निजी पूंजी जमा के सम्बन्ध में हो।

(2) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से ही भविष्य में आदेश जारी किये जाये जो सार्वजनिक उद्यमों की स्वयं की धनराशि के निवेश से संबंधित हों।

(3) वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश उन सभी संस्थाओं पर बाध्यकारी होंगे जहाँ पर राज्य सरकार से प्राप्त अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के समक्ष प्राप्त धनराशियों के निवेश की व्यवस्था हो तथा अन्य विभागों के आदेश यदि इसके विरोधात्मक हों तो वे इस सीमा तक प्रभावी नहीं होंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा उनकी सब्सिडियरी बैंकों एवं उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, लखनऊ सं भिन्न यदि किसी अन्य बैंक में सरप्लस फण्ड्स का विनियोजन किया जाता है, तो न केवल सरप्लस फण्ड्स के विनियोजन के समय वरन् विनियोजन की सम्पूर्ण अवधि में निरन्तर प्रक्रिया के रूप में यह सुनिश्चित किया जाए कि सम्बन्धित बैंक, बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट की धारा-11 का प्रतिपालन करता हो, गत तीन वर्षो में प्रतिवष्र लाभ अर्जित किया हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधुनान्त निर्धारित पूंजी मानक (Capital Adequacy Norms Investment Grade) को भी पूरा करता हो। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता के लिए सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,
ए.पी. वर्मा
मुख्य सचिव।

संख्या :- बी-1-019(1)/दस-2002-91/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

आज्ञा से
डॉ. बी. एम. जोशी
सचिव, वित्त।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

टी.पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

आवास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक-26 फरवरी, 2002

विषय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय व्ययक पर अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-63के (ग) एवं (घ) की शक्तियों का उपयोग करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय व्ययक पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर सहर्ष अनुमोदन प्रदान करते हैं :-

(i) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता विषयक शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-10/दस-सं0वि0नि0-1/2000, दिनांक-9.1.2001 तथा पत्रांक सी. ए.-331/दस-2001 स0वि0 नि0-1/2000, दिनांक-2.6.2001 (प्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(ii) निर्माण कार्य, भू-अर्जन, प्रतिकर विकास कार्य तथा अनुरक्षण कार्य आदि समस्त प्रकार के कार्यों पर जो गत वित्तीय वर्ष लक्ष्य रखा गया उसकी प्रगति से शासन को अवगत कराया जाय तथा यदि इसमें कोई कठिनाई हो तो निराकरण करते हुए गत वर्ष के लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति करते हुए इस वित्तीय वर्ष (2001-2002) में लक्ष्य को, प्राप्त करने में कठिनाई हो तो इसके निस्तारण में कृत कार्यवाही से भी अवगत कराया जाए।

(iii) परिषद द्वारा विभिन्न योजनाओं में भविष्य में व्यय हेतु जो पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किए जायें उनका विधिवत् परीक्षण शासन द्वारा भी कराया जाए।

(iv) भूमि अध्याप्ति एवं स्ववित्त पोषित योजना, डिपाजिट कार्य/अलोकप्रिय संपत्तियों का निस्तारण, दुर्बल आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के भवनों तथा आश्रयहीन भवनों के संबंध में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनका त्रैमासिक अनुश्रवण कर प्रगति से शासन को अवगत कराया जाए तथा इसमें उत्पन्न कठिनाईयों का निस्तारण प्रभावी ढंग से किया जाए ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समय में सम्भव हो सके।

(v) परिषद की नयी योजनाओं के आगणनों पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाए तथा यदि ऐसी योजनाओं में पुनरीक्षित आंगणन की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य सहित शासन के अनुमोदनार्थ पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत कर उस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

(vi) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की मदों में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक ही व्यय सुनिश्चित किया जाए।

(vii) यदि किसी मद में धनराशि कम पड़ रही हो और कहीं से बचत से उसे पूर्ण किया जाना हो तो पूर्ण औचित्य/कारण के साथ शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर पुर्नविनियोग सुनिश्चित किया जाए।

(viii) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए परिषद स्तर पर यदि राज्य कार्मिकों से अधिक कोई सुविधा परिषद कर्मियों को दी गयी है तो पुनः उसकी समीक्षा की जाए एवं निरस्त किया जाए।

(ix) परिषद अधिनियम की धारा-63 के (च) के अनुसार अनुपूरक बजट के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(x) आगामी वित्तीय वर्ष 2001-2002 का आय व्ययक प्रत्येक दशा में जनवरी/फरवरी, 2002 तक शासन को परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाए।

कृपया तदनुसार उक्त आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
टी. पी. पाठक
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ।

आज्ञा से,
टी.पी. पाठक
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-1
संख्या-2292/9-आ-1इन्फ्रास्ट्रक्चर/2002/आ.ब.
लखनऊ : दिनांक 11 जून, 2002

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति योगदान सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या : 152/9-आ-1-1998 दिनांक 15.1.1998 के अधीन सृजित इन्फ्रास्ट्रक्चर खाते की धनराशि को व्यय करने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष मण्डलायुक्तों को बनाया गया था। उपरोक्त व्यवस्था पर सम्यक विचारोपरान्त महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निर्देश देते हैं कि समिति के अध्यक्ष मण्डलायुक्त होंगे परन्तु यदि किसी प्राधिकरण में अलग से शासन द्वारा पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त है तो वह अध्यक्ष ही इनफ्रास्ट्रक्चर समिति के अध्यक्ष होंगे।

अत: कार्यालय ज्ञाप संख्या 152/9-आ-1-1998 दिनांक 15.1.1998 को तात्कालिक प्रभाव से उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या :- 2292(1)/9-आ-1-इन्फ्रास्ट्रक्चर/2002/आ.ब. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्वन्धित मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. सम्वन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. सम्वन्धित अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
8. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।
9. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।

आज्ञा से
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–2695/नौ–आ–1–'एस्क्रो एकाउन्ट/2002 (आ.ब.)

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद/कानपुर/लखनऊ,
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ: दिनाँक–2 जुलाई, 2002

विषय : प्राधिकरणों द्वारा 'एस्क्रो एकाउन्ट' खोलने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि विकास प्राधिकरणों के वित्तीय प्रबन्धन को और अधिक प्रभावी बनाने तथा शासकीय एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण का समयानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी विकास प्राधिकरण से दिनांक 31.05.2002 तक अपने 'एस्क्रो एकाउण्ट' खुलवाने की अपेक्षा की गयी थी।

दिनांक 06.06.2002 की मासिक समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में यह प्रस्ताव दिया गया था कि विकास प्राधिकरणों द्वारा 'एस्क्रो एकाउण्ट' खोलने के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी अधिक उपयुक्त होंगी। एक व्यवस्था ऐसे प्राधिकरण के लिए होनी चाहिए, जिनके द्वारा ऋण भुगतान में कोई डिफाल्ट नहीं किया गया है तथा दूसरी व्यवस्था ऐसे प्राधिकरणों के लिए होनी चाहिए जिनके द्वारा ऋण भुगतान में डिफाल्ट किया गया है।

इस सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु सचिव आवास के निर्देशानुसार एक समिति गठित की गयी है, जिसमें आपके प्राधिकरण के वित्त नियन्त्रक को सदस्य नामित किया गया है। इस समिति की बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2002 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आवास बन्धु के सभाकक्ष में आयोजित की गयी है। आपसे अनुरोध है कि अपने विकास प्राधिकरण के वित्त नियन्त्रक को पूर्ण विवरण सहित इस बैठक में भाग लेने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या : 2695(1)/9–आ–1–'एस्क्रो एकाउन्ट'/2002 (आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव आवास, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ।
2. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
टी.पी. पाठक
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-4390/नौ-आ-1-आयकर/2002

प्रेषक,

जे. एस. मिश्र
सचिव आवास
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
104 महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊः दिनाँक-24 सितम्बर, 2002

विषय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों के आयकर दाताओं की श्रेणी में आने से सम्बन्धित।

महोदय,

आयकर अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण जो कि अब तक आयकर दाताओं की श्रेणी में नहीं थे अप्रैल, 2002 से आयकर दाताओं की श्रेणी में आ गये है। उक्त स्थिति में अब इन अभिकरणों के वित्तीय नियोजन तथा प्रबन्धन में जरा सी भी असावधानी भारी टैक्स देयता का कारण बन सकती है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इन अभिकरणों के वित्तीय प्रबन्धन एवं संयोजन हेतु गाइड-लाइन्स बनाई गई है जिसकी प्रति संलग्न क़रते हुए मुझे आपको यह निर्देशित करने की अपेक्षा की गई है कि आप अपने अभिकरण के वित्तीय प्रबन्धन तथा संयोजन को इन गाइड लाइन्स के अनुसार संशोधित कराने का कष्ट करें।

इसी सम्बन्ध में मुझे यह भी निर्देशित करने की अपेक्षा की गयी है कि :-

1. भविष्य में इस संदर्भ में आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।
2. आयकर विभाग द्वारा उक्त विषय में समय-समय पर जारी समस्त निर्देश उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में लागू लेखा नियमों तथा प्राधिकरणों हेतु लागू प्राधिकरण वित्त एवं लेखा मैनुअल 2002 का अंग माने जायेंगे।
3 प्राधिकरण, वित्त एवं लेखा मैनुअल-2002 के सुसंगत अंश संलग्न गाइड लाइन्स में उल्लिखित प्राविधानों की सीमा तक तदानुसार संशोधित माने जाएंगे।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित किया जाएं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,
जे. एस. मिश्र
सचिव।

संख्या : 4390/9-आ-1-आयकर/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, म0प्र0।
2. अधिशापी निदेशक, आवास बन्धु।
3. आवास विभाग उ.प्र. शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

RECOMMENDATIONS OF TAXATION COMMITTEE

A Taxation Committee was constituted vide G.O. No. 6050/9-Aa-1-Income Tax/2002 dated 29-04-2002 by Government of Uttar Pradesh to examine all relevant issues arising as a consequent of omission of Section 10(20A) of Income Tax Act 1961 where by all the Development Authorities and Houseing Boards have come with in the ambit of Income Tax Act w.e.f. F.Y.2002-03 relevant to Asstt. year 2003-2004 and also to convey its recommendations to Government of Uttar Pradesh through Executive Director Awas Bandhu Lucknow.

The members of committee were :

1. Sh. Srishnakar Tripathi, F.C., U.P. Awas Evam Vikas Parishad
2. Sh. K.B. Saxena, Cost Accountant.
3. Sh. S.K. Bhargava, Chartered Accountant.
4. Sh. D. Ganguly, Chartered Accountant
5. Sh. Rajeev Agarwal, Chartered Accountant
6. Sh P.C. Mehrotra, Advisor Awas Bandhu (Secretary Coordinator)

The Committee held its meetings between 19.6-02 to 31-08-02 at several occasions in the office of Awas Bandhu Lucknow.

The points/issues addressed by the aforesaid G.O. were duly discussed. After discussions the Committee is privileged to make the following recommendations for the kind consideration of Government of Uttar Pradesh and due compliance there of.

1. **Status of the Development Authorities /Houseing Board viz-a-viz Rate of Income Tax.**

   The Development Authorities/Housing Board have the status of local authorities therefore they shall be charged to tax at the following rates (relevant for the a.y. 2002-03 and 2003-04)

Asstt. year	Rate of IT	Surcharge
2002-03 (Current Tax)	30%	2%
2003-04 (Advance Tax)	30%	5%

2. **Permanent Account Number**

   All Development Authorities/ Houseing Boards should immediately apply for allotment of Permanent Account No. on Form No. 49 A if not applied till date and also make efforts to obtain the same at the earliest.

3. **Tax Deduction No. (TAN)**

   All Development Authorities /Housing Board should apply immediately for Tax deduction No. (TAN) for various types of TDS if not yet obtained. The prescribed Form is 49 B.

4. **Payment of Advance Tax (Section 207 to Section 211)**

   Development Authorities / Housing Boards who may have taxable income during the financial year 2002-03 should comply with provisions of payment of advance tax (section 207 to section 211);

Due dates for Payment	In case of Development Authorities /Housing Boards
On or before 15th Sep.	Not less than 30% of Advance Tax
On or before 15th Dec.	Not less than 60% of Advance Tax Less amount, if any, paid in the Earlier installment.
On or before 15th March.	Whole amount of Advance Tax Less amount (s), if any, paid in the earliest Installment (s)

Scanned with OKEN Scanner

5. **Tax Deduction at Source**

Strict compliance of various Tax Deduction at Source provisions as laid down in the I.T. Act shall be made as per the details given vide **Annexure 'A'**. It is categorically mentioned here that the value of Taxable perks in the case of eligible salaried persons should be determined for deduction of Tax at source. Such perks would entail housing facility, Car facility, Telephone facility at house, domestic servant facility, subsidized housing/conveyance, loans, children education allowance etc. The modalities for determination of value of perks are given vide **Annexure 'B'**.

6. **Non Deduction Tax Certificate**

Non deduction Tax certificate from the I.T. Department particulary in case of TDS from FDR/Other deposits kept by Development Authorities/Housing Boards with various banks/financial institutions after the withdrawal of exemption u/s 10 (20A) of I.T. Act w.e.f. 31-03-2002 should be procured on priority basis.

Development Authorities/ Housing Boards which are running in losses or are likely to incur the loss in the current financial year should apply for obtaining certificate of Non deduction of Tax on interest from the I.T. Department. The Development Authorities / Housing Boards are advised to prepare their Previous Financial Statement for the satisfaction of the I.T. Authorities.

7. **Provisions for Depreciation on Fixed Assets.**

The provision for depreciation on fixed assets may be made as per the rates provided in the Income Tax rules relevant to each assessment year.

8. **Compliance of Section 43 B and 40 A of Income Tax Act.**

Strict compliance of provisions of 43B and 40 A of I.T. Act shall be made to avoid disallowance of expenditure/ imposition of penalty, particualrly in the following areas;

Section 43 B

(a) Allownace of interest on term loans payable to banks and financial institutions will be made only on actual payment basis till the due date of filling of I.T. Return for that Asssessment Year.

(b) Allowance of Leave Salary expence /Gratuity will be made on actual payment to employees or to any trust if created for the purpose.

(c) Allowance of Provident fund expenses will be made on the actual payment to the trust if any provided for that purpose or to the PF department upto due date.

(d) Payment of Govt. dues or Taxes will be allowed on actual payment basis.

Section 40 A

(e) Payment for expenses exceeding Rs. 20,000 at any time will be allowed only if they are made by Account payee Cheque/Draft. Even the adjustment of Advances to employees shold be checked for the same.

9. **Treatment of Land acquired meant for Development and Sale in Books of Account**

As per the provisions of Section 2 (14) of IT Act, the fixed Assets (Land meant for development and sale) of Development Authorities/Housing Board falls under the definition of Capital Assets. Further, as per the provisions of Section 45 (2) of IT Act, Capital Gain would arise on transfer by way of conversion of Capital Asset into Stock-in-trade within meaning of Section 2(47) of he Act but the same would be taxed in the year of sale of such stock.

The finance & Accounts Manual of the Development Authorities provides that the Land purchased even for the purposes of development and sale would initially be shown under the heade fixed Assets. It shall be transfeered to Current.

Assets only when it is decided to develop and sell the same to te public. It is apprehended that this method attract Capital Gain. It is therefore recommended that any land purchased for the purpose of development and sale by way of plotting and/or construction of houses/flats shall be shown directly as Current.

Assets in the books of accounts as the object of Development Authorities / Housing Board is trading in land and houses/flats, to avoid any Capital gain tax liability as a matter of abundance precaution. The Finance & Accounts

Scanned with OKEN Scanner

Mannual may be amended to this extent.

10. **Tax Audit by a Chartered Accountant as per the Provisions of Section 44 AB of IT Act 1961**

All Development Authorities / Housing Board shall also get their Accounts audited (Tax Audit) by a Chartered Accountant as per the provisions of Section 44 AB of IT Act 1961. The audit report is required to be furnished by the specified date of filling IT Return e.g. In case of Financial year ending 31-03-2002 relevant to A.Y. 2002-03 the specified date of failing of IT Return shall be 31-10-2002 hence the audit report u/s 44 AB is required to be filed by 31-10-2002.

11. **Benefit of Section 801B (10) of Income Tax Act for undertaking for Development and Building Housing Projects.**

The benefit of section 801 B (10) which applies to undertakings for developing and building housing projects income under the Income Tax Act should be availed off.

The section is summarized below :-

(a) The deduction under this section is available to all types of assesses. In case of Development Authorities /Housing Boards it will apply to their on going specified Development and Housing Project.

(b) Assessee is engaged in developing and building housing projects approved earlier by the local authority and commenced or commences developing or construction of the housing projects on or after 1-10-1998 and completes the same before 31-03-2003.

(c) The housing project is of the size of a plot of land which has a minimum area of one acre i.e. 43560 square feet.

(d) The single residential unit has a maximum build up area of 1500 square feet (relevant under the present context).

(e) The procedural conditions contain in points F,H,I,J,K & L of the section 801 A of Income Tax Act shall be duly adhered to.

(f) The deduction shall be 100% of the profit derived from the business of Housing projects.

Immediate exercise for identification of eligible housing project(s) should be undertaken at Development Authorities/ Housing Boards level and separate books of Accounts and Records should be maintained for identification of such projects in order to work out the profits derived from such projects and exemptions may be availed of.

12. **Accounting Standards u/s 145 (2) of Income Tax Act and Accounting Standards made mandatory by Institute of Chartered Accountants of India.**

Development Authorities /Housing Boards should ensure that the Accounting Standards u/s 145 (2) of I.t. Act are duly complied with. These are;

1. Disclosure of Accounting Policy

2. Disclosure of Prior period and extra ordinary items and changes in Accounting Policies

Besides, the Accounting Standards as made mandatory by ICAI applicable to Development Authorities /Housing Boards should also be taken care of while preparing the Accounts for Fianacial year 2001-02 onwards particularly:

- Valuation of Inventory (AS2),
- Accounting and Treatment of Government grants (AS12),
- Revenue Recognition (AS 9),
- Recognition of revennue in case of Contract Work (AS7)
- Accounting for retirement benefits of employees (AS15),

13. **Preparation of Balance Sheet and Profit and Loss Account and Provision For all Known Liabilities and Assets**

Preparation of Balance Sheet and Profit and Loss Account for the y.e. 31-03-2002 should be done with utmost care so that all the known liabilities and assets till that date have been duly provided for and all the incomes and expenditures have been taken in to account. Provided futher if any liability /assets comes to light in subsequent

Scanned with OKEN Scanner

year (s) it shall be accounted for in that year.

14. **Accounting Policies for the Valuation of closing Stock and Unsold Properties**

Accounting Policies on the issues such as valuation of closing stocks including Stocks of Stores and unsolc prepeties, determination of income from ongoing projects should be such at the time of finalisation of accounts for the year 2001-02 so that benefits of continuity / consistency in policies are derived in the ensuing financia year. Provided further the valuation of properties shall be made as per **Annexure 'C'** enclosed and Closing Stock other than property shall be at cost or market price which ever is lower.

15. **Liability on a/c of Pensionary Contribution / CPF**

As the Pension Scheme for the Employees of Development Authorities / Housing Board is still under process, n provision for liability could be accurately determined and provided for at present. Therefore any liability on thi count shall be contingent in nature. Hence a suitable note is required to be incorporated in the Final Accounts b each Development Authorities/Housing Boards. The specimen of not may be as under. " Amount for the Pensionar Contirbution/ CPF has not been provided for as per the existing rules. Liablity under this head amounts t Rs.........."

16. **Temporary Advances to Employees and Others**

It is recommended that temporary advances for at least last 10 years shall be scrutinized to ensure that a assets and Stores purchased against by adjustment of temporary advances has been duly capitalised ar adjusted accordingly and entered into a Fixed Assets Register.

17. **Benefit of Brought Forward Losses/Depreciation**

Section 10 (20A) of IT Act has been withdrawn w.e.f. 01-04-2002 therefore all Development Authorities/ Housir Board have come under the ambit of IT Act from the F/Y 2002-03 relevant to the A/Y 2003-04. Consequently, ar income arising during the F/Y 2002-03 would be taxable at the hands of Development Authorities /Housir Board. However, the IT Act is silent whether the Development Authorities/Housing Board whould be entitled the benefit of brougth forward losses/depreciation and set off in the subsequent years (s).

This matter may be taken up with the competent authority insisting upon them that the brought forward losse depreciation of earlier year (s) are allowed to be set off from the A/Y 2003-04 as per the provisions of IT A Section 70 to 80.

18. **Survey, Identification and Valuation of Fixed Assets/Current Assets**

The exercise of survey, identification and valuation of all the Fixed Assets/ Current Assets should be under tak to ensure that the same are duly accounted for in the books of accounts. If any item of Fixed Assets/Curre Assets is found unrecorded it should be appropritely valued and accounted for in the books of accounts of t current year.

19. **Penalitis/Prosecution in Income Tax Act**

The Income Tax provides various Penalities/Prosecution on failure to make due compliances of the Provisions Income Tax Act. These Penalities and Prosecutions are given vide Annexure D. It should be ensured that st compliances of the Provisions of Income Tax Act as are applicable to Development Authorities and Housi Boards are made so that the Penalties and Prosecutions are not imposed.

Though the Committee has taken all due care to ensure that all the point/ issues which came up in discussic had been suitably addressed, however the changes in the Income Tax Act, Issuance of Circulars and Notificatic from time to time and multifarious activities undertaken by Development Authoties /Housing Boards may ha impact on the recomeendations so made and the same may be dealt be as and when they arise.

(Krishnakar Tripathi)	(K.B. Saxena)	(S.K. Bhargava)
(D.Ganguly)	(Rajeev Agarwal)	(P.C. Mehrotra)

Scanned with OKEN Scanner

			(6)	(7)	(8)	(9)
		days such	Form no.16 and 12BA By 30.04.2003 (see note3)	In Form no.24 on or before May 31, 2003	Yes. Application in Form No. 13. Certificate issued in Form No. 15AA	No
		7th of xt month ote 4)	Form 16A within one month from the end of the month during which tax has been deducted (see Note 5)	In Form No. 25; on or before June 30, 2003	Yes, Application in Form no. 13; Certificate, issued in Form No. 15AA	Yes By person other than Company or firm in Firm No 15 H (see Note 6)
		Within 7 days of such deduction	-do-	In Form No. 26; on or before April 30, 2003	Yes, Application in Form No. 13; Certificate issued in Form No. 15	Yes, by an individual in Form No. 15G (see Note 6)
	of or is (see	By the 7the of the next month (see Note 4)	-do-	In Form No. 26A; on or before June 30, 2003	Yes. Application in Form No. 13; Certificate issued Form No. 15AA	Yes By person other than Company or firm in Form No. 15H (see Note 6)
		-do-	-do-	In Form No. 26C; on or before June 30, 2003	Yes. Application in Form No. 13C; Form of issue of Certificate not prescribed	No
	-	-do-	-do-	In Form No. 26I; on or before June 30, 2003	Yes, Application in Form No. 13; Certificate issued Form No. 15AA	No.
	-do-	-do-	-do-	In Form No. 26J; on or before June 30, 2003	Yes, Application in Form No. 13; Certificate issued Form No. 15AA	No
s. a	-do-	-do-	-do-	In Form No. 26K; on or before June 30, 2003	Yes, Application in Form No. 13E; Form of issue of Certificate not prescribed	No
minimum	-do-	-do-	-do-	Annual Return in Form No. 27; to be filed within 14 days from the end of quarter (see Note 8)	Yes, Application in Form No.; Certificate in Form No 15AA	No

Scanned with OKEN Scanner

CIRCULAR dated 06-05-2002
(For Private Circulation only)

TAX DEDUCTION AT SOURCE (TDS)
As applicable for Financial Year 2002-2003

Name of Department	Person Responsible to deduct Tax	When subject to TDS/Exemption limit	Time of deduction of TDS	Time for deposit of TDS	Certificate of TDS (see Note 10)	Annual Return of TDS (along with copies of receipted Challans and copies of TDS Certificates issued) Section-197 (see Note-1)	ITO's Certificates for deduction at lower rate or non-deduction (see Note-2)	If Payees declaration for non-deduction admissible (valid for the specified previous year) (Section 197A)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Salary Section 192	All Assessees	Estimated Salary income exceeds Rs.50,000	At the time of payment	Within 7 days of such payments	Form no.16 and 12BA By 30.04.2003 (see note3)	In Form no.24 on or before May 31, 2003	Yes. Application in Form No. 13. Certificate issued in Form No. 15AA	No
Interest on securities Section 193	All Assessees	Exempt Categories listed. Monetary limits laid down in certain categories for exemption. Otherwise no minimum	At the time of Payment or credit whichever is earlier (see Note 4)	By the 7th of the next month (see Note 4)	Form 16A within one month from the end of the month during which tax has been deducted (see Note 5)	In Form No. 25; on or before June 30, 2003	Yes. Application in Form no. 13; Certificate. issued in Form No. 15AA	Yes. By person other than Company or firm in Firm No. 15 H (see Note 6)
Devidends Section 194	Domestic Company	All cases irrespective of amount; except in case of an individual where it exceeds Rs. 1,000 in a financial year (see Note 9)	At the time of payment or distribution	Within 7 days of such deduction	-do-	In Form No. 26; on or before April 30, 2003	Yes, Application in Form No. 13; Certificate issued in Form No. 15	Yes, by an individual in Form No. 15G (see Note 6)
Interest Other Than interest on Securities (Section 194A)	All Assessee except Individual and HUF (see Note 7)	Barring exceptions listed; Otherwise exceeding Rs. 5,000 in all cases	At the time of Payment or credit whichever is earlier (see Note 4)	By the 7the of the next month (see Note 4)	-do-	In Form No. 26A; on or before June 30, 2003	Yes. Application in Form No 13; Certificate issued Form No. 15AA	Yes. By person other than Company or firm in Form No. 15H (see Note 6)
Payment to Contractor Subcontractor (Section 194C	-do-	Exceeds Rs. 20,000 per contract value/ consideration (see Note 11)	-do-	-do-	-do-	In Form No. 26C; on or before June 30, 2003	Yes. Application in Form No. 13C; Form of issue of Certificate not prescribed	No
Commission or Brokerage (Section 194H)	-do-	Exceeds Rs. 2,500 in a financial year	-do-	-do-	-do-	In Form No. 26I; on or before June 30, 2003	Yes, Application in Form No. 13; Certificate issued Form No. 15AA	No.
Rent (Section 194I)	-do-	Exceeds Rs. 1,20,000 in a financial year	-do-	-do-	-do-	In Form No. 26J; on or before June 30, 2003	Yes, Application in Form No. 13; Certificate issued Form No. 15AA	No
Fees For Professional or Technical Services (Section 194J)	-do-	Exceeds Rs. 20,000 in a financial year	-do-	-do-	-do-	In Form No. 26K; on or before June 30, 2003	Yes, Application in Form No. 13E; Form of issue of Certificate not prescribed	No
Payment to Non-Resident (Section 195)	All Assessees	Taxable minimum	-do-	-do-	-do-	Annual Return in Form No. 27; to be filed within 14 days from the end of quarter (see Note 8)	Yes, Application in Form No.; Certificate in Form No 15AA	No

Scanned with OKEN Scanner

RATERS FOR TDS

(Financial year 2002-2003)

1. Salary to an employee: Regular rates

Upto Rs. 50,000	Nil
Rs. 50,000-60,000	10% of the amount by which the total income exceeds Rs. 50,000
Rs. 60,000-1,50,000	Rs. 1000 plus 20% of the amount by which the total income exceeds Rs. 60,000
Above Rs. 1,50,000	Rs. 19,000 plus 30% of the amount by which the total income exceeds Rs. 1,50,000

Surcharge: 5% of Income Tax payable. Surcharge is calculated after allowing rebates u/s 88,88B, & 88C but before allowing relief u/s 89(1).

2. Status of Payee

	Nature of Payment	Resident other than a Company	Domestic Company	Non Resident other than a Company (See Note 1 & 2)	Non Resident Company (See Note 2)
		%	%	%	%
i)	Interest on Debentures or Security	10.50	21	31.50	42
ii)	Dividend	10.50	10.50	10.50	10.50
iii)	a) Interest other than interest on security	10.50	21		
	b) Interest on:				
	- Money borrowed or debt incurred in foreign currency	--	--	21	21
	- Otherwise	--	--	31-50	42
iv)	Payment to:				
	- Contractor	2.10	2.10	31.50	42
	- Sub-contractor	1.05	1.05	31.50	42
	- Advertising Contractor	1.05	1.05	31.50	42
v)	Rent				
	- To an Individual or an HUF	15.75	--	15.75	--
	- To Others	21	21	21	21
vi)	Fees for Professional or Technical Services	5.25	2.25	31.50	31.5/2@ (see Note 3 & 4)
vii)	Commission or Brokerage	10.50 (5.25 w.e.f. 01.06.2002	10.50 (5.25 w.e.f. 01-06-2002	31.50	42

Notes:

1. Tax is to be deducted at the rate specified above, or at regular rate if such income had been the total income, whichever is higher.

2. Tax is to be deducted at source under section 195 at the above rate, or at the rate specified in DTAA entered into by the Central Government u/s 90, whichever is lower.

3. Where Agreement is made between 01-04-76 to 31-05-97 : 31-.50 (30%+Surcharge)

   Where Agreement is made on or after 01-06-97 : 21.00 (20%+Surcharge)

4. With respect ot agreement entered into on or after 01-06-2002, tax paid by Indian concern on royalty or fees for technical services paid under an agreement will be included in computing the total income of the person on whose behalf the tax is paid [section 10 (6A)].

Scanned with OKEN Scanner

Notes:

1. The Annual Returns can also be filed on a computer media accompanied with Form No. 27A (Rule 37B).
2. Certificates issued u/s 197 (1) in Form 15AA (valid for the assessment year as specified) will be applicable only in respect of credit or payments, as the case may be, subject to TDS. Made on or after the date of such certificate. Therefore, no certificate issued after the amounts subject to TDS stand credited or paid, whichever is earlier will be taken cognizance of.
3. To also furnish statement giving correct and complete particulars of perquisites or profits in lieu of salary and the value thereof in Form 12BA. Form 16 is not to be issued in case tax at source is not deductible/deducted by virtue of claims of exemptions and deductions.
4. Where the amount is credited on the last day of accounting year (31.03.2003). the tax amount thereon is to be deposited within 31.05.2003. Certificate of TDS in such case is to be issued by 7th June, 2003; this separate certificate will be in addition to the TDS certificate (s) issued under Note 5. Where interest/income is credited to any account, whether called interest account, suspense account or by any other name in the books of account of the person liable to pay such income. Such crediting shall be deemed to be credit of such income to the account of the payee.
5. The person responsible for deducting tax may (on request of Payee) issue one consolidated certificate for tax deducted during the whole of the financial year by 30.04.2003.
6. 6.1 One copy of Form 15G/15H to be delivered by the Payer to CIT on or before 7th of the following month in which declaration is furnished. Where payments are to be made to the same person more than once in a year. The declaration may be furnished before the first payment in a year become due.

6.2 W.e.f. 01-06-2002, furnishing of such declaration by the individual to the payer will not be allowed, if the aggregate of the amounts of such income credited, paid or likely to be credited or paid during the previous year in which such income is to be included exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax (i.e. Rs. 50,000).

7. W.e.f. 01.06.2002 individuals and/or HUF who are covered under Section 44AB (a) and (b) i.e. whose gross turnover/receipts exceed Rs. 40,00,000 (assessee carrying on business)/Rs. 10,00,000 (assessee carrying on profession) as the case may be, during the financial year immediately preceding the financial year in which the income is to be credited or paid, are also required to deduct tax at source. However, for Section 194C, it will be applicable only in case of sub-contractor.
8. May also enclose copy of bank advice/statement for foreign remittance with proof of foreign currency conversion rate, and copy of NOC, if any. Where amount is credited to the account of the Payee on the last day of the accounting year (31.03.2003), the return in Form No. 27 may be sent within 14th June, 2003. The CBDT has clarified that in all cases of deduction of tax at source, the payer is under legal obligation to furnish a certificate in Form 16A for the tax deducted at source to the payee within the prescribed time, even if tax is borne by the payer.
9. No tax shall be deductible in case of a shareholder, being are individual, where the dividend is paid by account payee cheque, and the aggregate amounts of dividend during the financial year does not exceed Rs. 1000.
10. Section 139 (9) has been amended with effect from June 01, 2002 to provide that where the return is not accompanied by proof of the tax, if any, claimed to have been deducted at source (i.e., Form No. 16 or 16A), the return of income shall not be regarded as defective if such certificate was not furnished (in Form No. 16 or 16A) under section 203 to the person furnishing his return of income and such person produces the certificate within a period of 2 years specified under section 155 (14), i.e., within 2 years from end of the assessment year in which the income is assessable.
11. ITAT-Mumbai Branch in the matter of ITO vs. Manav Greys Exim Pvt. Ltd. held that for the purposes of Section 194C, total payments to each party during the financial year should be taken into consideration for determining whether the assessee was liable to deduct tax at source, particularly where there are regular dealings with the persons; as the regularity of work would be an implied contract.

Scanned with OKEN Scanner

TAXABILILTY OF PERQUISITES AT A GLANCE

	It is taxable if the employee is a		Section	Rule
	Specified employee	Non-specified employee		
Rent-free/concessional accommodation	Yes	Yes	17 (2) (i)/(ii)	3(1)
Car/Conveyance				
- If car/conveyance is owned by employee and bills are paid by employer	Yes	Yes	17(2) (iv)	3(2)
- Otherwise	Yes	No	17(2) (iii)	3(2)
Domestic Servant (watchman, Gardner, sweeper, personal attendent)				
- If domestic servant is engaged by employee and salary is paid by employer	Yes	Yes	17(2) (iv)	3(3)
- Otherwise	Yes	No	17(2) (iii)	3(3)
Supply of gas, electricity or water for household consumption.				
- If connection is the name of employee and bills are paid by employer	Yes	Yes	17(2) (iv)	3(4)
- Otherwise	Yes	No	17(2) (iii)	3(4)
Education facility				
- If bills are issued in the name of employee but paid by employer	Yes	Yes	17(2) (iv)	3(5)
- Otherwise	Yes	No	17(2) (iii)	3(5)
Transport facility allowed by transport undertakings	Yes	No	17(2) (iii)	3(6)
Interest-free or concessional loans	Yes	Yes	17(2) (vi)	3(7)(i)
Holiday home facility	Yes	Yes	17(2) (vi)	3(7)(ii)
Free meals during working hours	Yes	Yes	17(2) (vi)	3(7)(iii)
Gifts on ceremonial occasions or otherwise	Yes	Yes	17(2) (vi)	3(7)(iv)
Credit card facility (including add-on-card)	Yes	Yes	17(2) (vi)	3(7)(v)
Club facility	Yes	Yes	17(2) (vi)	3(7)(vi)
Use of employer's Computer/laptop	No	No	17(2) (iii)	3(7)(vii)
Use of employer's other movable assets	Yes	Yes	17(2) (vi)	3(7)(vii)
Transfer of employer's movable assets	Yes	Yes	17(2) (vi)	3(7)(viii)
Telephone (including mobile phone)	No	No		
Medical facility				
-If bills are issued in the name of employee but paid by employer	Yes	Yes	17(2) (vi)	
-Otherwise	Yes	No	17(2) (iii)	
Leave travel concession	No	No	10(5)	
Stock Option	No	No	17(2) (iii) Proviso	
Any other perquisite				
- If bills are issued in the name of employee but paid by employer	Yes	Yes	17(2) (vi)	3(8)
- Otherwise	Yes	No	17(2) (iii)	3(8)

PERQUISITS WHICH ARE TAXABLE ONLY IN THE HAND OF SPECIFIED EMPLOYEES

1. A director-employee. It covers an employee who is a director in the employer-company. It is immaterial whether the employee is a full-time director or a part director.
2. An employee who has substantial interest in the employer-company- It covers employee who is a beneficial owner of equity shares in the employer-company carrying 20 percent or more voting power.
3. Employee drawing in excess of Rs. 50,000/=. It covers an employee [not covered by (1) and (2) above], whose income chargeable under the head "Salaries" (exclusive of the value of all benefits or amenities not provided by way of monetary payments) exceeds Rs. 50,000/=. For computing this limit all non-monetary payments, salary exempt under the provision of section 10, and amount deductible under section 16 (i.e. standard deduction, deduction on account of entertainment allowance and professional tax), are to be excluded.
   The aforesaid limit of Rs. 50,000/= will apply in relation to aggregate salary due to, or received by employee from one or more employers.

Scanned with OKEN Scanner

VALUATION OF PERQUISITES

1. **VALUATION OF RENT FREE UNFURNISHED ACCOMODATION:**

Employees of a Local Authority are covered under the category of Private Sector or Other employees. The valuation of the perquisite in their hands will be as follows:

City	Where the accommodation is owned by the employer	Where the accommodation is taken on lease or rent by the employer
Having population exceeding 4 lakh as per 1991 census	10 percent of salary in respect of the period during which the accommodation is occupied by the employee.	Amount of lease rent paid or payable or 10 percent of salary whichever is lower.
Any other city	7.5 percent of salary in respect of the period during which the accommodation is occupied by the employee.	Same as above.

Salary for the purpose of valuation of perquisite in respect of rent free accommodation includes:

a. Basis salary
b. Dearness allowance/pay, if terms of employment so provide
c. Bonus
d. Commission
e. Fees
f. All other taxable allowances, and
g. Any monetary payment (by whatever name called)

For this purpose salary does not include the following:

i. Dearness allowance/pay, if not taken into account while calculating retirement benefits, like provident fund, gratuity etc., or if terms of employment does not so provide;
ii. Employers contribution to provident fund account of an employee;
iii. All allowances which are exempt from tax
iv. Value of perquisites.

2. **VALUATION OF RENT FREE FURNISHED ACCOMMODATION:**

To the valuation of unfurnished accommodation as arrived at above add:

a. 10 percent (per annum) of the original cost of furniture, if furniture is owned by the employer,
b. actual hire charges payable (whether paid or payable), if furniture is hired by the employer.

3. **VALUATION OF PERQUISITES IN RESPECT OF MOTOR CAR:**

Situation	Valuation of the perquisite from April, 2001
WHEN CAR IS OWNED OR HIRED BY EMPLOYER:	
Where maintenance and running expenses are met or reimbursed by the employer.	
a. If the car is wholly used for official purposes	No value added if the following conditions are satisfied:
	a. The employer has maintained complete details of journey undertaken for official purpose which may include date of journey, destination, mileage, and amount of expenditure incurred thereon.
	b. The employee gives a certificate that the expenditure was incurred wholly and exclusively for the performance of his official duties and
	c. The supervising authority of the employee, wherever applicable, gives a certificate to the effect that the expenditure was incurred wholly and exclusively for the performance of official duties.
b. If the car is wholly used for private purposes of the employee or any member of his household	Actual amount of expenditure incurred by the employer on the running and maintenance of motor car during the relevant previous year including remuneration, if any, paid by the employer to the driver as increased by the amount representing normal wear and tear of the motor car (i.e. 10% per annum of cost of the car to the employer)
c. If the car is partly used for official and partly for private purpose of the employee or any member of his household.	Rs. 1,200.00 per month where the cubic capacity of the engine does not exceed 1.6 liters or Rs. 1.600.00 per month if such capacity exceeds 1.6 liters; if driver is provided Rs. 600.00 per month will be added.

Scanned with OKEN Scanner

Note: other scenarios have not been detailed as all the Development authorities follow the above system of providing cars to their employees.

4. **VALUATION OF PERQUISITES IN RESPECT OF GAS, ELECTRICITY OR WATER SUPPLY PROVIDED FREE OF COST:**

The value of the benefit to the employee resulting from the supply of the aforesaid benefits for his household consumption shall be determined as the sum equal to the amount paid on that account by the employer to the agency supplying the facility.

5. **VALUATION OF PERQUISITES IN RESPECT FREE DOMESTIC SERVANTS:**

The actual cost incurred by the employer in this regard.

ANNEXURE-C

VALUATION OF PROPERTY

(Only for Balance Sheet and Income Tax purposes)

1. Valuation of Raw Land:

If no development work has been carried out, the valuation of land shall be done as under:

I. Acquisition cost, as per award declared by SLAO/ADM(L.A.)

II. Overhead charges.

III. Interest on Loan, as paid to the loaning agency.

If the land has been taken by mutual negotiation, the total amount as paid shall be treated as value of land, but the amount as per above SI. (II) and (III) shall be added. Apart from this, if any increased amount of compensation has been paid/to be paid by judgement of any court, the same shall also be added to the value of the land.

1. Valuation of Development Land:

The valuation of developed land shall be done as per pricing formula given in 'Finance and Accounts Manual' under the chapter 'Costing and Pricing Procedure'.

2. Valuation of Vacant Property (Built up):

The following methods are suggested:

S.No.	Particulars	Methods of Valuation	
I	Condition of Property good and infrastructure available	(a)	Latest Sale Price
		(b)	Interest of Loan, as actually paid.
II	Condition of Property not good or incomplete property	(a)	Valuation of existing construction at current UPPWD schedule of rates:
		(b)	Interest on loan as actually paid
		(c)	Original land cost
III	More houses incomplete (to be sold on 'As is where is Basis')	(a)	Valuation of existing construction at current UPPWD schedule of rates.
		(b)	Interest on loan as actually paid
		(c)	Original land cost as per initial registration

Thus the minimum value of above type of property shall be arrived at which may be kept as minimum reserve price and the property should be auctioned. But the above price should not be less than the present rate of land.

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-D

Sl. No	Penalty Section	Default under Section	Nature of Default	Minimum Penalty	Maximum Penalty	No penalty for reasonable cause
1.	158BFA (2)	158BC	Failure to submit the return/or delay in filing such return	100% of tax so leviable in respect of the undisclosed income determined under sec. 158 BC (c)	300% of the tax leviable in respect of the undisclosed income determined u/s 158BC (c)	Yes
2.	158BFA (2)	158BC	Failure to disclose full income of the block period in the return	100% of the tax leviable on excess of the assessed undisclosed income over the returned undisclosed income	300% of the tax leviable on excess of the assessed undisclosed income over the returned undisclosed income	No
3.	221(1)	140A (3)	Failure to pay the whole or any part of self assessment tax or interest or both in accordance with the provisions of section 140A (1)	Such amount as assessing Officer may impose for default or continuing default	Amount of tax and in arrears	Yes
4.	221 (1)	220	Failure in making the payment of tax, interest or any demand within the prescribed time-limit (Penalty is imposable even though the tax has been paid before the levy of such penalty is made)	Such amount as Assessing Officer may impose for default or continuing default	Amount of demand in arrears.	Yes
5.	271 (1) (b)	142 (1) 143 (2), 142 (2A)	Failure to comply with a notice under section 142 (1) or 143 (2) or failure to comply with a direction regarding getting of accounts audited under section 142 (2A)	Rs. 1,000 for each such default (Fixed at Rs. 10,000 w.e.f. 1.6.2001)	Rs. 25,000 for each such default	Yes
	271 (1) (c)		Concealing particulars of income or furnishing inaccurate particulars of such income	100% of the amount of tax sought to be evaded	300% of the amount of tax sought to be evaded.	No
7.	271 (4)		Where profits of the registered firm have been distributed otherwise than in accordance with the partnership deed on the basis of which the firm is registered and as a result of which any partner has returned his income below his real income	Such amount as income-tax authority may direct on the partner.	150% (of tax on assessed income of the partner less tax on returned income of the partner.	Yes
8.	271 A	44AA	Failure to keep, maintain or retain books of account, documents, etc. as required under Section 44AA and rules thereunder	Rs. 2,000 (Fixed at Rs. 25,000 w.e.f. 1.6.2001)	Rs. 1,00,000	Yes
9.	271 AA w.e.f. A.Y. 2002-03	92D	Failure to keep and maintain any such information and document as required under section 92D (1) & (2)	2% of the value of each international transaction	Same as minimum	Yes
10.	271B	44AB	Failure to get accounts audited or to furnish a report of such audit as required u/s 44AB	½% of total sales, turnover or gross receipts, as the case may be.	Rs. 1,00,000	Yes
11.	271BA (w.e.f. A.Y. 2002-03)	92E	Failure to furnish report from an accountant as required under section 92E	Fixed at Rs. 1,00,000		Yes

Scanned with OKEN Scanner

12.	271C	Chapter XVIIB, i.e. provisions of TDS	(a) Failure to deduct the whole or any part of tax as required under Chapter XVIIB. (b) Failure to pay the whole or any part of the tax as required u/s 115-O or 194B (Second Proviso)	Amount equal to tax which has not been deducted. Amount equal to tax which has not been paid	Same as minimum -do-	Yes Yes
13.	271D	269SS	Any loan or deposit taken or accepted in contravention of section 269SS	Amount equal to the loan or deposit taken or accepted.	-do-	Yes
14.	271E	269 T	Any deposit which is repaid in contravention of section 269T	Amount equal to the deposit which is re-paid	-do-	Yes
15.	271F	139(1)	Failure to furnish a return of income as required by section 139(1) before *the end of the relevant assessment year*	Rs. 1,000 w.e.f. assessment year 1999-2000 (Raised to Rs. 5,000 w.e.f. 1.6.2001)	-do-	Yes
		First proviso to 139(1)	Failure to furnish a return of income as required by the first proviso to section 139(1) on or before the due date (As per Finance Act, 2002, w.e.f. 1.6.2002, instead of the words "due date" it will be "end of the relevant assessment year")	Rs. 500 (Raised to Rs. 5,000 w.e.f. 1.6.2001)	-do-	Yes
16.	271G (w.e.f. A.Y. 2002-03)	92D(3)	Failure to furnish information or document as required u/s 92D (3)	2% of the value of the international transaction for each such failure	Same as minimum	Yes
17.	272A(1) (a) & (b)		Failure to state the truth of any matter touching the subject of assessment or to answer any question or to sign any statement demanded by the income tax authority.	Rs. 500 for each such failure or default (Fixed at Rs. 10,000 for each such default, w.e.f. 1.6.2001)	Rs. 10,000 for each such failure or default	No
18.	272A(1) (c)	131(1)	Failure to comply with the summons issued u/s 131(1) as to attend or to produce books or documents at a certain place and time.	Rs. 500 for each such failure or default (Fixed at Rs. 10,000 for each such default w.e.f. 1.6.2001)	Rs. 10,000 for each such failure or default	Yes
19.	272A(1) (d) (Omitted and substituted by new section 272B w.e.f. 1.6.2002)	139A	Failure to apply for allotment of permanent account number u/s 139A or to quote such number in challan, correspondence, returns, etc.	Rs. 500 for each such failure or default (Fixed at Rs. 10,000 for each such default, w.e.f. 1.6.2001)	Rs. 10,000 for each such failure or default	Yes
20.	272A(2)	94(6)	Failure to comply with a notice issued u/s 94(6) regarding furnishing of information of securities, etc.	Rs. 100 for every day during which each such failure continues.	Rs. 100 for every day during which each such failure continues.	Yes
		176(3)	Failure to give notice of discontinuance of business or profession u/s 176(3)	-do-	-do-	
		133, 206 206C, 285B	Failure to furnish in due time any of the returns, statements or particulars mentioned in section 133, 206, 206C or 285B	-do-	For default u/s 206 & 206C penalty cannot exceed the amount of tax deductible or collectible, as the case may be.	

Scanned with OKEN Scanner

		134	Failure to allow inspection of any register of the company as per Section 134 to allow copies of such register	-do-	Same as minimum	
		139(4A)	No filing of return of income u/s 139(4A) i.e. return of trust, etc. or delay in filing of the said return of income (or u/s	-do-	Same as minimum	
		139(4C)	139(4C) i.e. return of certain funds and institutions covered under various clauses of section 10)			
		197A	Failure to deliver or cause to be delivered in die time a copy of the declaration mentioned in section 197A	-do-	Cannot exceed tax deductible/collectible	
		203,206C	Failure to furnish a certificate of TDS/collection at source u/s 203 or u/s 206C	-do-	-do-	
		226(2)	Failure to deduct and pay tax as required by section 226(2)			
		192(2C) w.e.f. A.Y. 2002-03	Failure to furnish a statement as required under section 192(2C)	-do-	-do-	
21.	272AA	133B	Failure to comply with the provisions of Section 133B regarding the powers of collecting certain information from the place of business or profession.	Such amount as the income-tax authority may direct.	Rs. 1,000	Yes
22.	272B	139A	Failure to apply for or quote PAN or quote PAN which is false	Fixed at Rs. 10,000		Yes
23.	272BB	203A	Where a person has failed to get tax deduction account number or to quote such number in challans, certificates, returns, etc.	Such amount as the Assessing Officer may order (Fixed at Rs. 10,000 w.e.f. **1.6.2001)**	Rs.5,000	Yes
24.	272BBB	206A	Failure to comply with provisions of section 206A relating to obtaining and quoting TCAN	Fixed at Rs. 10,000		Yes

Judicial decision

A penalty was imposed under section 271B on the pretext that provisions of section 44AB had not been complied with as the report was based on unaudited accounts. The Court held that the assessee cannot be blamed since the statutory audit was completed

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
अधिशाषी निदेशक,
आवास बन्धु, उ.प्र.

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास बन्धु, लखनऊ: दिनाँक- 8 अक्टूबर, 2(

विषय : प्राधिकरणों के लिए वित्त प्रबन्धन परामर्शदाता के किया कलापों में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषय में शासनादेश संख्या 102क/आ.ब./नि.स./आडिट/2000-2001 दिनांक : 4.5.2000 अनुपालन में आवास बन्धु द्वारा सभी प्राधिकरणों के मैनेजमेंट आडिट हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का चयन कर उ कार्य क्षेत्र एवं व्यवस्था जिसके अन्तर्गत उन्हें कार्य करना है निर्धारित की गई थी जिसके अनुसार चार्टर्ड एकाउन्टे को प्रत्येक माह मैनेजमेंट आडिट रिपोर्ट की एक प्रति प्रमुख सचिव, आवास को, एक प्रति आवास बन्धु को त एक प्रति अध्यक्ष विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना था ।

उक्त व्यवस्था पर कतिपय प्राधिकरणों से कुछ कठिनाईयां एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर विचारोपरा कार्यप्रणाली में निम्न संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, प्रत्येक माह की मैनेजमेंट आडिट रिपोर्ट अपने सुझाव सहित अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे जिसकी एक प्रति वे अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु के माध्यम से शासन को तथा एक प्रति सम्बन्धित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को उपलब्ध करायेंगे ।
2. उक्त रिपोर्ट पर आगामी बोर्ड बैठक में एक प्रस्तुतीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा। अतैव उपाध्यक्ष द्वारा अनुरोध किये जाने पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा यह प्रजेन्टेशन उपाध्यक्ष के समक्ष भी पहले कर दिया जाए ताकि समुचित चर्चा सुनिश्चित हो। उपाध्यक्ष इस रिपोर्ट पर एक्शन टेकेन रिपोर्ट भी बोर्ड में प्रस्तुत करेंगे ।

अतः उपरोक्त विषय में पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया को उक्त सीमा तक संशोधित करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने प्राधिकरण हेतु नामित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को उक्त संशोधन की जानकारी देने का कष्ट करें ।

भवदीय
संजय भूसरेड्डी
अधिशाषी निदेशक।

प्रतिलिपि : सूची में अंकित समस्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

भवदीय
संजय भूसरेड्डी
अधिशाषी निदेशक।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-6069/आ.ब.-2/विकास-प्रबन्धन परामर्शदाता/2001प्रे

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
अधिशासी निदेशक,
आवास बन्धु, उ.प्र.

सेवा में,

1. **अध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास बन्धु,

लखनऊ: दिनाँक- 8 अक्टूबर, 2001

विषय : **मैनेजमेन्ट आडिटर्स द्वारा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरण तथा आवास बन्धु को भेजी जाने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट।**

महोदय,

प्रदेश के प्राधिकरणों/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की वित्तीय व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण तथा उनमें सुधार लाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आवास बन्धु द्वारा इन दोनों अभिकरणों में मैनेजमेन्ट आडिटर्स की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में लागू व्यवस्था के अनुसार मैनेजमेन्ट ऑडिटर आवास बन्धु द्वारा निर्धारित अभिलेखों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा आवास आयुक्त को उपलब्ध कराते है जिसकी प्रति आवास बन्धु को प्रेषित की जाती है।

1. प्रत्येक त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ उसकी "इक्जीक्यूटिव समरी" भी लगाई जाए।
2. शासन द्वारा इस वर्ष लागू किये गए प्राधिकरण वित्त एवं लेखा मैनुअल 2002 को प्राधिकरण में किये जाने की अद्यतन स्थिति तथा इसके लिये प्राधिकरण में किये जा रहे प्रयासों का उल्लेख त्रैमासिक रिपोर्ट में किया जाए।

कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित मैनेजमेंट आडिटर को तदनुसार अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
अधिशाषी निदेशक।

<u>पत्र संख्या</u> **:** 6069(1)/आ.ब.-3/समन्वय-मैनेजमेंट आडिट/2002

प्रतिलिपि :- सम्बन्धित मैनेजमेंट आडिटर को अनुपालनार्थ प्रेषित।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
अधिशाषी निदेशक।

Scanned with OKEN Scanner

10

सिस्टम सुधार

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-680/9-आ-2(आ0ब0)बोर्ड बैठक/2001

प्रेषक,

संजय भुसरेड्डी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

आवास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 01 मार्च, 2001

विषय: बोर्ड बैठक आयोजित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड बैठकों को आयोजित किये जाने के संबंध में पूर्व में समय-समय पर शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों पर सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में जारी सभी निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-92(2) के अधीन निम्नलिखित दिशा निर्देश देते है:-

1. बोर्ड बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार अवश्य आयोजित की जाय।
2. विधान मण्डल की बैठकों के दिन एवं सत्र के दौरान बोर्ड की तिथि निर्धारित न की जाय।
3. बोर्ड बैठक, बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही की जाय। परन्तु अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों में अध्यक्ष अथवा शासन की अनुमति से आवास आयुक्त द्वारा बोर्ड की अध्यक्षता की जा सकती है।
4. परिषद के सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की तिथि, समय व स्थान की सूचना कार्य सूची सहित बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व जारी की जाये।
5. कार्यसूची में अनुपूरक सामग्री सहित अधिकतम 50 मद ही रखे जायें अपरिहार्य कारणों से यदि अधिक मंद बोर्ड के समक्ष लाये जाने हो तो पुन: बैठक की जा सकती है।
6. अनुपूरक कार्यसूची में मदों की संख्या मूल कार्यसूची की संख्या से किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए।
7. बोर्ड के सभी सदस्यों सहित शासन को कम से कम 10 कार्य दिवस पूर्व एजेण्डा नोट उपलब्ध करा दिया जाना अनिवार्य है जिससे कि उसके समुचित परीक्षणोंपरान्त शासन से नामित अधिकारी बैठक में भाग ले सकें।
8. कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने वाला प्रस्ताव आवास आयुक्त, के अनुमोदन से अथवा अध्यक्ष एवं शासन के निर्देश पर ही सम्मिलित होगा। तथा प्रत्येक प्रस्ताव पर उससे संबंधित प्रभारी अधिकारी एवं परिषद के सचिव के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा।
9. बैठक में कोई ऐसा निर्णय पारित न किया जाय जो स्टैण्डिंग शासनादेशों के विरूद्व हो। बोर्ड केवल शासन से पुर्नविचार अथवा आवश्यक छूट हेतु अनुरोध/संस्तुति कर सकती है।समय-समय पर शासन से जारी शासनादेशों एवं निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना आवास आयुक्त का व्यक्तिगत दायित्व होगा।
10. बोर्ड बैठक में केवल अधिकृत सदस्य ही भाग ले सकेगें, तथा प्रतिनिधि के रूप में अन्य किसी को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु अधिनियम की व्यवस्थानुसार पदेन सदस्यों के प्रतिनिध बैठक में भाग ले सकेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

11. बोर्ड बैठक में यथा आवश्यक किसी विशेषज्ञ अथवा किसी अन्य उपयोगी व्यक्ति की उपस्थिति के संबंध में अध्यक्ष अथवा शासन के द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। परन्तु उनको मताधिकार नही होगा।

12. बोर्ड बैठक में सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई संख्या को सामान्य कोरम माना जायेगा प्रतिबंध यह रहेगा कि उसमें शासन का प्रतिनिध अवश्य सम्मिलित हो। बैठक में यह प्रयास किया जाय कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से हो परन्तु ऐसा न होने पर निर्णय बहुमत से लिया जायेगा। बराबर संख्या में मत होन की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा तथा बैठक के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

13. प्रत्येक बोर्ड बैठक के अंत में आवास आयुक्त द्वारा बोर्ड की ओर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन किया गया है तथा शासनादेशों के विपरीत कोई कार्य अथवा नियमित भर्ती एवं पद सृजन नहीं किया गया है।

14. बोर्ड बैठक के दौरान सदस्यों की उपस्थित तथा प्रारम्भ से अंत तक बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही का रिकार्ड परिषद के सचिव द्वारा रखा जायेगा तथा कार्यवृत्त अधिकतम एक सप्ताह के भीतर अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत, तुरन्त निर्गत कर बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रेषित की जायेगी। यदि कार्यवृत्त में अंकित निर्णय के संबंध में किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति होती है तो वह लिखित रूप से परिषद के सचिव को कार्यवृत्त निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अंदर निर्णय के क्रियान्वयन को रोकने हेतु सूचित करेंगें। जिसको संज्ञान में लेते हुए परिषद के सचिव अगली बैठक में उसे पुन: प्रस्तुत करेगें तथा ऐसे निर्णयों का क्रियान्वयन अगली बैठक में निर्णय हो जाने तक स्थगित रखा जायेगा।

15. बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किसी विषय पर, स्वत: निर्णय लेकर क्रियान्वयन करने हेतु, गठित किसी समिति/अध्यक्ष/आवास आयुक्त अथवा किसी सदस्य को अधिकृत नहीं किया जायेगा। बल्कि उसकी संस्तुतियों को अंतिम निर्णय हेतु पुन: बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

16. यथा सम्भव परिचालन द्वारा किसी विषय पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया न अपनाई जाये परन्तु किसी महत्वपूर्ण प्रकरण पर अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो प्रस्ताव बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित करके उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाय तथा पुष्टि आगामी बैठक में अवश्य कराई जाये।

17. प्रत्येक बोर्ड बैठक में निम्न बिन्दुओं पर आवास आयुक्त के द्वारा सूचना अवश्य प्रस्तुत की जाय।
   (क) परिषद की आय बढ़ाने तथा व्यय घटाने की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरण।
   (ख) परिषद सम्पत्ति को अधिकतम मूल्य पर निस्तारित करने के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का विवरण।
   (ग) परिषद की कितनी भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण है तथा उसे हटाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण।
   (घ) महत्वपूर्ण शासनादेशों के अनुपालन की स्थिति।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या:680(1)/9-आ-2(आ0ब0)बोर्ड बैठक/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास विभाग।
3. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-1106/9-आ-1(आ0ब0)बोर्ड बैठक/2001

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 01 मार्च,2001

विषय: **बोर्ड बैठक आयोजित किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड बैठकों को आयोजित किये जाने के सम्बंध में पूर्व में समय-समय पर शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों पर सम्यक विचारोपरांत पूर्व में जारी सभी निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-41(1) के अधीन निम्नलिखित दिशा निर्देश देतें है।:-

1. बोर्ड बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार अवश्य आयोजित की जाय।
2. विधान मण्डल की बैठकों के दिन एवं सत्र के दौरान बोर्ड की तिथि निर्धारित न की जाय।
3. बोर्ड बैठक, बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही की जाय। परन्तु अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों में अध्यक्ष अथवा शासन की अनुमति से उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड की अध्यक्षता की जा सकती है।
4. प्राधिकरण के सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की तिथि, समय व स्थान की सूचना कार्य सूची सहित बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व जारी की जाये।
5. कार्यसूची में अनुपूरक सामग्री सहित अधिकतम 50 मद ही रखे जाये, अपरिहार्य कारणों से यदि अधिक मद बोर्ड के समक्ष लाये जाने हो तो पुन: बैठक की जा सकती है।
6. अनुपूरक कार्यसूची में मदों की संख्या मूल कार्यसूची की संख्या से किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. बोर्ड के सभी सदस्यों सहित शासन को कम से कम 10 कार्य दिवस पूर्व एजेण्डा नोट उपलब्ध करा दिया जाना अनिवार्य है जिससे कि उसके समुचित परीक्षणोपरांत शासन से नामित अधिकारी बैठक में भाग ले सकें।
8. कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्ताव उपाध्यक्ष के अनुमोदन से अथवा अध्यक्ष एवं शासनके निर्देश पर ही सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक प्रस्ताव पर उससे सम्बंधित प्रभारी अधिकारी एवं प्राधिकरण के सचिव के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है।
9. बोर्ड में कार्मिक से सम्बंधित प्रस्ताव जैसे नवीन पद सृजन, नियुक्ति एवं पदोन्नति आदि पर लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाये।
10. बैठक में कोई भी ऐसा निर्णय पारित न किया जाय जो स्टैण्डिंग शासनादेश के विरूद्ध हों। बोर्ड केवल शासन से पुर्नविचार अथवा आवश्यक छूट हेतु अनुरोध/संस्तुति कर सकती है। समय-समय पर शासन से जारी शासनादेशों एवं निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना उपाध्यक्ष का व्यक्तिगत दायित्व होगा।
11. बोर्ड में केवल अधिकृत सदस्य ही भाग ले सकेंगे, तथा प्रतिनिधियों के रूप में अन्य किसी को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु अधिनियम की व्यवस्थानुसार पदेन सदस्यों के प्रतिनिधि बैठक में भाग ले सकेंगे।
12. बोर्ड बैठक में यथा आवश्यक किसी विशेषज्ञ अथवा किसी अन्य उपयोगी व्यक्ति की उपस्थिति के संबंध में

Scanned with OKEN Scanner

अध्यक्ष अथवा शासन के द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। परन्तु उनको मताधिकार नहीं होगा।

13. बोर्ड बैठक में सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई संख्या को सामान्य कोरम माना जायेगा प्रतिबंध यह रहेगा कि उसमें शासन का प्रतिनिध अवश्य सम्मिलित हो। बैठक में यह प्रयास किया जाय कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से हों परन्तु ऐसा न होने पर निर्णय बहूमत से लिया जायेगा। बाराबर संख्या में मत होने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा तथा बैठक के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

14. प्रत्येक बोर्ड बैठक के अंत में उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड की ओर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन किया गया है तथा शासनादेशों के विपरीत कोई कार्य अथवा नियमित भर्ती एवं पद सृजन नहीं किया गया है।

15. बोर्ड बैठक के दौरान सदस्यों की उपस्थित तथा प्रारम्भ से अंत तक बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही का रिकार्ड प्राधिकरण के सचिव द्वारा रखा जायेगा तथा कार्यवृत्त अधिकतम एक सप्ताह के भीतर अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत. तुरन्त निर्गत कर बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रेषित की जायेगी। यदि कार्यवृत्त में अंकित निर्णय के संबंध में किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति होती है तो वह लिखित रूप से प्राधिकरण के सचिव को कार्यवृत्त निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अंदर निर्णय के कियान्वयन को रोकने हेतु सूचित करेगें। जिसको संज्ञान में लेते हुए प्राधिकरण के सचिव अगली बैठक में उसे पुनः प्रस्तुत करेगें तथा ऐसे निर्णयों का कियान्वयन अगली बैठक में निर्णय हो जाने तक स्थगित रखा जायेगा।

16. बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किसी विषय पर, स्वतः निर्णय लेकर कियान्वयन करने हेतु,गठित किसी समिति/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष आयुक्त अथवा किसी सदस्य को अधिकृत नहीं किया जायेगा। बल्कि उसकी संस्तुतियों को अंतिम निर्णय हेतु पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

17. यथा सम्भव परिचालन द्वारा किसी विषय पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया न अपनाई जाये परन्तु किसी महत्वपूर्ण प्रकरण पर अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो प्रस्ताव बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित करके उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाय तथा पुष्टि आगामी बैठक में अवश्य कराई जाये।

18. प्रत्येक बोर्ड बैठक में निम्न बिन्दुओं पर उपाध्यक्ष के द्वारा सूचना अवश्य प्रस्तुत की जाय।

(क) प्राधिकरण की आय बढ़ाने तथा व्यय घटाने की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरण ।

(ख) प्राधिकरण सम्पत्ति को अधिकतम मूल्य पर निस्तारित करने के सम्बंध में किए गये प्रयासों का विवरण ।

(ग) प्राधिकरण की कितनी भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण है तथा उसे हटाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण।

(घ) महत्वपूर्ण शासनादेशों के अनुपालन की स्थिति।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

संख्या:1106(1)/9-आ-1(आ0ब0.)बोर्ड बैठक/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी,आवास विभाग।
3. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1107/9-आ-1-(आ0ब0)बोर्ड बैठक/2001

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 01 मार्च,2001

विषयः बोर्ड बैठक आयोजित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड बैठकों को आयोजित किये जाने के सम्बंध में पूर्व में समय-समय पर शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों पर सम्यक विचारोपरांत पूर्व में जारी सभी निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम-1986 की धारा-40(1) के अधीन निम्नलिखित दिशा निर्देश देते हैं:-

1. बोर्ड बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार अवश्य आयोजित की जाय।
2. विधान मण्डल की बैठकों के दिन एवं सत्र के दौरान बोर्ड की तिथि निर्धारित न की जाय।
3. बोर्ड बैठक बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाय।
4. प्राधिकरण के सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की तिथि, समय व स्थान की सूचना कार्य सूची सहित बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व जारी की जाये।
5. कार्यसूची में अनुपूरक सामग्री सहित अधिकतम 50 मद ही रखे जाये। अपरिहार्य कारणों से यदि अधिक मद बोर्ड के समक्ष लाये जाने हों तो पुनः बैठक की जा सकती है।
6. अनुपूरक कार्यसूची में मदों की संख्या मूल कार्यसूची की संख्या से किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. बोर्ड के सभी सदस्यों सहित शासन को कम से कम 10 कार्य दिवस पूर्व एजेण्डा नोट उपलब्ध करा दिया जाना अनिवार्य है जिससे कि उसके समुचित परीक्षणोपरांत शासन से नामित अधिकारी बैठक में भाग ले सकें।
8. कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने वाला प्रत्येक प्रस्ताव अध्यक्ष के अनुमोदन से अथवा शासन के निर्देश पर ही सम्मिलित होगा तथा प्रत्येक प्रस्ताव पर उससे सम्बंधित प्रभारी अधिकारी एवं प्राधिकरण के सचिव के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा।
9. बोर्ड में कार्मिक से सम्बंधित प्रस्ताव जैसे नवीन पद सृजन, नियुक्ति एवं पदोन्नति आदि पर लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाये।
10. बैठक में कोई भी ऐसा निर्णय पारित न किया जाय जो स्टैण्डिंग शासनादेश के विरूद्ध हों। बोर्ड केवल शासन से पुर्नविचार अथवा आवश्यक छूट हेतु अनुरोध/संस्तुति कर सकता है। समय-समय पर शासन से जारी शासनादेशों एवं निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना अध्यक्ष का व्यक्तिगत दायित्व होगा।
11. बोर्ड में केवल अधिकृत सदस्य ही भाग ले सकेगें, तथा प्रतिनिधियों के रूप में अन्य किसी को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परन्तु अधिनियम की व्यवस्थानुसार पदेन सदस्यों के प्रतिनिधि बैठक में भाग ले सकेगें।
12. बोर्ड बैठक में यथा आवश्यक किसी विशेषज्ञ अथवा किसी अन्य उपयोगी व्यक्ति की उपस्थिति के संबंध में अध्यक्ष अथवा शासन के द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। परन्तु उनको मताधिकार नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

13. बोर्ड बैठक में सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई संख्या को सामान्य कोरम माना जायेगा प्रतिबंध यह रहेगा कि उसमें शासन का प्रतिनिधि अवश्य सम्मिलित हो। बैठक में यह प्रयास किया जाय कि सभी निर्णय सर्वसम्मति से हों परन्तु ऐसा न होने पर निर्णय बहुमत से लिया जायेगा। बाराबर संख्या में मत होने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा तथा बैठक के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

14. प्रत्येक बोर्ड बैठक के अंत में अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की ओर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन किया गया है तथा शासनादेशों के विपरीत कोई कार्य अथवा नियमित भर्ती एवं पद सृजन नहीं किया गया है।

15. बोर्ड बैठक के दौरान सदस्यों की उपस्थित तथा प्रारम्भ से अंत तक बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही का रिकार्ड प्राधिकरण के सचिव द्वारा रखा जायेगा तथा कार्यवृत्त अधिकतम एक सप्ताह के भीतर अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत, तुरन्त निर्गत कर बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रेषित की जायेगी। यदि कार्यवृत्त में अंकित निर्णय के संबंध में किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति होती है तो वह लिखित रूप से प्राधिकरण के सचिव को कार्यवृत्त निर्गत होने की तिथि से 7 दिन के अंदर निर्णय के कियान्वयन को रोकने हेतु सूचित करेगें। जिसको संज्ञान में लेते हुए प्राधिकरण के सचिव अगली बैठक में उसे पुन: प्रस्तुत करेगें तथा ऐसे निर्णयों का कियान्वयन अगली बैठक में निर्णय हो जाने तक स्थगित रखा जायेगा।

16. बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किसी विषय पर, स्वत: निर्णय कियान्वयन करने हेतु, गठित किसी समिति/अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को अधिकृत नहीं किया जायेगा। बल्कि उसकी संस्तुतियों को अंतिम निर्णय हेतु पुन: बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

17. यथा सम्भव परिचालन द्वारा किसी विषय पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया न अपनाई जाये परन्तु किसी महत्वपूर्ण प्रकरण पर अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक हो तो प्रस्ताव बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित करके उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाय तथा पुष्टि आगामी बैठक में अवश्य कराई जाये।

18 प्रत्येक बोर्ड बैठक में निम्न बिन्दुओं पर अध्यक्ष के द्वारा सूचना अवश्य प्रस्तुत की जाय।

(क) प्राधिकरण की आय बढ़ाने तथा व्यय घटाने की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरण ।

(ख) प्राधिकरण सम्पत्ति को अधिकतम मूल्य पर निस्तारित करने के सम्बंध में किए गये प्रयासों का विवरण ।

(ग) प्राधिकरण की कितनी भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण है तथा उसे हटाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण।

(घ) महत्वपूर्ण शासनादेशों के अनुपालन की स्थिति।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या:1107(1)/9-आ-1(आ0ब0.)बोर्ड बैठक/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी,आवास विभाग।
3. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-1
संख्या-2090/9-आ-1-2002/वि0/02
लखनऊ,दिनांक 01 जून, 2002

कार्यालय ज्ञाप

आवास विभाग के विभिन्न कार्यों में गति एवं गुणवत्ता बनाये रखने,क्षेत्रीय कार्यों के समन्वय, भविष्य की दिशाओं एवं नयी योजनाओं के बारे में चिन्तन एवं विचार-विमर्श तथा लक्ष्य एवं कार्य-योजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन की निरन्तरता के लिये एक टी0एम0जी0 (टाप मैनेजमेन्ट ग्रुप) का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1.	सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2.	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
3.	उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण।	सदस्य
4.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
5.	अधिशाषी निदेशक आवास बन्धु।	सदस्य
6.	समस्त विशेष सचिव आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य

इसकी बैठकें प्रत्येक सप्ताह सोमवार 10.30 बजे सचिव, आवास के कक्ष में हुआ करेगी।

जे0एस0 मिश्र
सचिव।

प्रतिलिपि उपरोक्त अधिकारियों को इस आशय के साथ, कि कृपया समस्त सूचनाओं के साथ प्रत्येक सप्ताह उक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

टी0 पी0 पाठक
विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner

संख्या- 890/9-2/2002
लखनऊ: दिनांक 11जुलाई,2002

सचिव, आवास विभाग।
सचिव, नगर विकास विभाग

नगरीय सेक्टर में विकास कार्यो की रणनीति बनाने हेतु आवास विभाग, नगर विकास विभाग एवं नगरीय रोजगार विभागों हेतु Action Group for Urban Strategy (AGUST) अंतर्गत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय बृहस्पतिवार को पूर्वान्ह 10.30 से 11.30 बजे हथोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की जायेगी।

2. बैठक का कोई भी निर्धारित एजेन्डा नहीं होगा और अर्बन सेक्टर के किसी भी सामयिक विषय पर चर्चा की जा सकेगी।

3. इस बैठक का समन्वय नगर विकास अनुभाग-2 द्वारा श्री रमाशंकर साहू, विशेष सचिव की देख-रेख में किया जायेगा।

कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

10.07.2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2. अधिशासी निदेशक,आवास बन्धु।
3. निदेशक, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ
5. रमाशंकर साहू, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग।

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव
नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं
गरीबी उन्मूलन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2033/9-आ-3-2002-28एन0एन0/2

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-26 जून, 2002

विषय : नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के पुर्नगठन के सम्बन्ध में पत्र संख्या-474/व0नि0-2/सं0नि0यो0/इकाई स्था0/2001-2002 दिनांक 5.2002 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर एवं नियोजन विभाग उ0प्र0 मे संगठित विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के छोटे-नगरों/कस्बों में कार्यरत 05 केन्द्रीय इकाइयों, 17 स्थानीय इकाइयों एवं 02 नगर नियोजन इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं योग्यता का यथोचित उपयोग करने एवं सम्बन्धित-जनपद के जिलाधिकारी को नियोजित विकास के संदर्भ में तकनीकी परामर्श देने हेतु उक्त इकाइयों को छोटे-छोटे नगरों/कस्बों से सम्बन्धित मण्डल/जनपद के मुख्यालयों पर स्थानान्तरित करने के निम्नवत उल्लिखित प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया गया :-

क्रम सं0	इकाई कार्यालय का वर्तमान तैनाती स्थान (जनपद सहित)	इकाई कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण हेतु तैनाती का स्थान (जनपद सहित)	मण्डल का नाम
	केन्द्रीय इकाई		
1.	केन्द्रीय इकाई अकबरपुर (अम्बेडकर नगर)	गोण्डा	देवीपाट
2.	केन्द्रीय इकाई फर्रूखाबाद, सम्बद्ध-कानपुर	चित्रकूट	चित्रकूटधाम
3.	केन्द्रीय इकाई खलीलाबाद, जनपद सन्तकबीर नगर	बस्ती	बस्ती
4.	केन्द्रीय इकाई ननौता, जनपद सहारनपुर, मुख्यालय जलालाबाद।	सहारनपुर	सहारनपुर
5.	केन्द्रीय इकाई फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद	मिर्जापुर	विन्ध्याचल

Scanned with OKEN Scanner

	नगर नियोजन इकाई		
1.	नगर नियोजन इकाई, हापुड़ जनपद गाजियाबाद, सम्बद्ध एन0सी0आर0सेल	गाजियाबाद	मेरठ
2.	नगर नियोजन इकाई सिंगरौली, सम्बद्ध वाराणसी खण्ड	मऊनाथ भंजन	आजमगढ़
	स्थानीय इकाई		
1.	स्थानीय इकाई पनिया कलां, जनपद खीरी	लखीमपुर खीरी	लखनऊ
2.	स्थानीय इकाई बिल्सी (बदायूं)	बदायूँ	बरेली
3.	स्थानीय इकाई चित्रकूट (चित्रकूट)	हमीरपुर	चित्रकूट
4.	स्थानीय इकाई बड़हलगंज (गोरखपुर)	महाराजगंज	गोरखपुर
5.	स्थानीय इककाई मलिहाबाद (लखनऊ)	उन्नाव	लखनऊ
6.	स्थानीय इकाई फफूँद (औरैया)	औरैया	कानपुर
7.	स्थानीय इकाई टुण्डला (फिरोजाबाद)	मथुरा	आगरा
8.	स्थानीय इकाई मनकापुर (गोण्डा)	बाराबंकी	फैजाबाद
9.	स्थानीय इकाई बासी (सिद्धार्थनगर)	सिद्धार्थनगर	बस्ती
10.	स्थानीय इकाई जलेसर (एटा)	एटा	आगरा
11.	स्थानीय इकाई पिलखुआ (गाजियाबाद)	बागपत	मेरठ
12.	स्थानीय इकाई बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)	मुजफ्फरनगर	सहारनपुर
13.	स्थानीय इकाई उतरौला (बलरामपुर)	बलरामपुर	देवीपाटन
14.	स्थानीय इकाई गोला (खीरी)	चन्दौली	वाराणसी
15.	स्थानीय इकाई रामपुर (रामपुर)	रामपुर	मुरादाबाद
16.	स्थानीय इकाई टाण्डा (रामपुर)	जालौन	झाँसी
17.	स्थानीय इकाई कुण्डा (सम्बद्ध इलाहाबाद)	प्रतापगढ़	इलाहाबाद

2. उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल 05 केन्द्रीय इकाइयों 17 स्थानीय इकाइयों एवं 02 नगर नियोजन इकाईयों को प्रस्तावित मण्डल/जनपद के मुख्यालयों पर स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. उपरोक्त स्वीकृति के दृष्टिगण आप अपने स्तर से सभी सम्बन्धित को सूचित करते हुए यथोचित आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत करा दें।

आज्ञा से,
जे0एस0मिश्र
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग-3

संख्या-4657/9-आ-3-2002

लखनऊ : दिनांक : 23 नवम्बर, 2002

कार्यालय-ज्ञाप

नगर एंव नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के सुदृढ़ीकरण हेतु आवास बन्धु द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश के सहयोग से तैयार की गयी कार्य-योजना का चरणबद्ध एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु शासन स्तर तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के स्तर पर क्रमशः निम्न समितियों का गठन किया जाता है:-

1. **शासन स्तर पर गठित समिति:**

(i)	विशेष सचिव, अधिशाषी निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	विशेष सचिव, आवास अनुभाग-3	सदस्य
(iii)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य संयोजक
(iv)	उप सचिव, आवास	सदस्य
(v)	अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु	सदस्य

2. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अध्यक्षता में गठित समिति:**

(i)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
(ii)	वरिष्ठ नियोजक (प्रथम), नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	सदस्य संयोजक
(iii)	अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु	सदस्य
(iv)	सम्भागीय नियोजन खण्ड से एक सहयुक्त नियोजक	सदस्य
(v)	सहायक निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु	सदस्य

शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य-योजना के अन्तर्गत शामिल कार्य-बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु उच्चस्तरीय निर्णय कराने से सम्बन्धित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी जबकि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निम्न कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाएगा :-

(i) सुदृढ़ीकरण कार्य-योजना के कार्य-बिन्दुओं का वरीयताक्रम (फेजिंग) निर्धारित करना,

(ii) फेजिंग के अनुसार सम्बन्धित कार्य-बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना,

(iii) शासन स्तर पर होने वाले निर्णयों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करना,

(iv) शासन स्तर पर गठित समिति को नीतिगत निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करना।

उपर्युक्त दोनों समितियां आपसी विचार-विमर्श एवं समन्वय द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य-योजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत प्रस्ताव एक माह के अन्दर शासन को प्रस्तुत करेंगी।

भवदीय,

जे.एस. मिश्र

सचिव।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :</u>

1. दोनों समितियों के समस्त सदस्य।
2. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी

विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-20MS/9-आ-2-2002

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

आवास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनाँक-26 जून, 2002

विषय : प्रदेश के बाहर विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए किए जाने वाले दौरों के संबंध में विभागीय सचिव को सूचित किया जाना एवं दौरे के उपरान्त संबंधित शासकीय प्रकरणों के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय कार्यों के निस्तारण हेतु प्रदेश के बाहर होने वाली विभिन्न बैठकों में भाग लेने से पूर्व दूरभाष पर विभागीय सचिव को बैठक में भाग लेने की अपरिहार्यता के विषय में सूचित करते हुए यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि उक्त बैठक किस विषय से संबंधित है तथा इसमें परिषद/प्राधिकरण तथा राज्य सरकार के क्या दृष्टिकोण होंगे। ऐसा करने से यथापेक्षित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा सकेगा।

2. इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर होने वाली बैठकों में भाग लेने के उपरांत बैठकों में लिए गए निर्णयों एवं निष्कर्षों के विषय में एक संक्षिप्त टिप्पणी भी शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि उक्त के विषय में शासन स्तर से समुचित समन्वय स्थापित कर संबंधित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः महत्तम प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-MS20 (1)/9-आ-2-2002, तद्दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।
3. मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या-MS20 (1)/9-आ-2-2002, तद्दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विशेष सचिव, आवास विभाग।
2. समस्त उपसचिव/अनुसचिव, आवास विभाग।
3. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-1
संख्या-2597/9-आ-1-2002-70 विविध/96
लखनऊ : दिनांक: 1 जुलाई, 2002

कार्यालय-ज्ञाप

पूर्व में पारित एतद्विषयक समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से विकास प्राधिकरणों के नोडल अधिकारी के रूप में निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। नोडल अधिकारी इन विकास प्राधिकरणों की बैठक में भाग लेंगे तथा वहाँ की समस्याओं का शासन स्तर पर अनुश्रवण करेंगे:-

क्र. सं.	प्राधिकरण	नोडल अधिकारी	क्र. सं0	प्राधिकरण	नोडल अधिकारी
1.	गाजियाबाद	श्री संजय भूसरेड्डी	15	फैजाबाद	श्री संजीव कुमार
2.	कानपुर	श्री संजय भूसरेड्डी	16	फिरोजाबाद	श्री ए.के.एस. राठौर
3.	लखनऊ	श्री संजय भूसरेड्डी	17	हापुड-पिलकुखुआ	श्री संजीव कुमार
4.	आगरा	श्री संजय भूसरेड्डी	18	झांसी	श्री संजय भूसरेड्डी
5.	इलाहाबाद	श्री एस.के.एस.राठौर	19	मुजफरनगर	श्री एस.के.एस.राठौर
6.	मेरठ	श्री संजीव कुमार	20	रायबरेली	श्री संजीव कुमार
7.	मुरादाबाद	श्री एस.के.एस.राठौर	21	सहारनपुर	श्री एन.आर.वर्मा
8.	अलीगढ़	श्री एस.के.एस.राठौर	22	उन्नाव	श्री संजीव कुमार
9.	बरेली	श्री संजय भूसरेड्डी	23	मिर्जापुर	श्री एन.आर.वर्मा
10.	गोरखपुर	श्री संजीव कुमार	24	चित्रकूट	श्री एन.आर.वर्मा
11.	मथुरा-वृन्दावन	श्री एन.आर.वर्मा	25	कपिलवस्तु	श्री संजीव कुमार
12.	वाराणसी	श्री संजीव कुमार	26	शक्तिनगर	श्री एस.के.राठौर
13.	बाँदा	श्री एन.आर.वर्मा	27	गढ़मुक्तेश्वर	श्री एन.आर.वर्मा
14.	बुलन्दशहर	श्री संजीव कुमार			

जे.एस.मिश्र
सचिव

संख्या 2597(1)/9-आ-1-2000-70विविध/96तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, सचिव आवास।
2. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु।
3. आवास विभाग के समस्त अधिकारी।
4. आवास विभाग के समस्त अधिकारी।

आज्ञा से
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner

11

कार्मिक प्रबन्धन

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या-4

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन.पी. 890
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 4 जनवरी, 2003
पौष 14, 1924 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-1

संख्या 13/10/2002-का-1-2003

लखनऊ 4 जनवरी, 2003

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-1

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (रोजगार अवकाश) नियमावली, 2003

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1)-यह नियमावली "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (रोजगार अवकाश) नियमावली, 2003" कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी और 31 मार्च, 2008 तक लागू रहेगी।

अध्यारोही प्रभाव,

2- यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गई प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें

3-जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

(क) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है ;

(ख) "रोजगार अवकाश" का तात्पर्य ऐसे अवकाश से है जो सरकारी विभाग, अर्द्ध सरकारी विभाग, किसी निगम, परिषद् किसी सार्वजनिक उपक्रम या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारी के स्वामित्ताधीन या

Scanned with OKEN Scanner

नियंत्रणाधीन किसी निकाय से भिन्न किसी संगठन में किसी प्रकार के निजी व्यापार या कारोबार या रोजगार आदि करने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किसी सरकारी सेवक को स्वीकृत किया जाय:

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है

(घ) "सरकारी सेवक" का तात्पर्य अखिल भारतीय सेवा से भिन्न उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे सरकारी सेवक से है जो-

(1) मौलिक रूप से नियुक्त नियमित सरकारी सेवक हो, और

(2) तदर्थ, दैनिक वेतन, नियत वेतन या संविदा आधार पर नियुक्त न किया गया हो।

(ङ) "सरकारी सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों के संबंध में लोक सेवाओं और पदों से है :

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

4- जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, यह नियमावली ऐसे स्थायी सरकारी सेवकों पर लागू होगी, जिन्होंने सेवा में जिसका वह हो, स्थायीकरण किये जाने के पश्चात् कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो अखिल भारतीय सेवाओं से भिन्न उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के किसी सरकारी विभाग में किसी पद पर नियुक्त हो, किन्तु यह नियमावली सरकारी सेवकों की निम्नलिखित विभागों की ऐसी श्रेणियों पर, जैसा कोष्ठक में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित है, लागू नहीं होगी :-

(क) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (चिकित्सा कर्मचारी, पैरा-मेडिकल कर्मचारी और तकनीकी कर्मचारी)।

(ख) चिकित्सा शिक्षा विभाग (अध्यापन कर्मचारी, चिकित्सा कर्मचारी, पैरा-मेडिकल कर्मचारी और तकनीकी कर्मचारी)।

(ग) तकनीकी शिक्षा विभाग (अध्यापन कर्मचारी, पुस्तकालय कर्मचारी और प्रयोगशाला कर्मचारी)।

(घ) उच्च शिक्षा विभाग, (अध्यापन कर्मचारी, पुस्तकालय कर्मचारी, खेल कर्मचारी एवं प्रयोगशाला कर्मचारी)।

(ङ) बेसिक तथा माध्यममिक शिक्षा विभाग (अध्यापन कर्मचारी और पुस्तकालय कर्मचारी)।

(च) गृह (पुलिस) विभाग (अलिपिकीय, वर्गीय, श्रेणी)।

(छ) परिवीक्षाधीन सरकारी सेवक।

(ज) ऐसे सरकारी, सवेकर जो निलम्बित हो या जिनके विरुद्ध अभियोजन या विभागीय कार्यवाही लम्बित हो।

5-(1) सरकारी सेवकों को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि और अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि का रोजगार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसे सरकारी सेवकों को किसी भी दशा में तीन वर्ष पूरा करने के पूर्व रोजगार अवकाश से सरकारी सेवा में कार्य पर वापस आने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

(2) समूह "क" और समूह "ख" के पदों के सरकारी सेवकों की दशा में राज्य सरकार और समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों के ससरकारी सेवकों की दशा में विभागाध्यक्ष रोजगार अवकाश स्वीकृत/अस्वीकृत करने के लिए सशक्त होंगे।

(3) रोजगार अवकाश के दौरान सरकारी सेवक भारत या विदेश में कोई अन्य सेवा या स्व-रोजगार करने को स्वतंत्र होगा। रोजगार अवकाश पूरा होने पर और सरकारी सेवा में अपने पद पर पुन: कार्यभार ग्रहण करने पर उसके द्वारा रोजगार अवकाश अवधि में किये गये कार्य और रोजगार का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(4) रोजगार अवकाश चाहने वाला सरकारी सेवक राज्य सरकार के अन्य विभाग या राज्य सरकार के स्वामित्त में, नियंत्रित या सहायता प्राप्त किसी निगम, मण्डल कम्पनी या स्वायत्तशासी संस्था, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय बोर्ड, स्थानीय निकाय, समिति आदि में नियुक्ति के लिये पात्र न होगा। ऊपर उल्लिखित कार्यालयों और संख्याओं में परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करने के लिए पात्र न होगा।

(5) रोजगार अवकाश के दौरान संबंधित सरकारी सेवक अपने मूल वेतन की धनराशि और उस पर भत्तो (मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता एवं मकान किराया भत्ता आदि) जो उसे ऐसे अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व अनुमन्य था, के प्रवास प्रतिशत धनराशि पाने का हकदार होगा। सामान्य भविष्य निधि सामूहिक बीमा योजना, मकान किराया और आय कर आदि की कटौती संबंधित सरकारी सेवक के वेतन से नियमानुसार की जायेगी। रोजगार अवकाश की अवधि में किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने की दशा में यदि नियमानुसार परिवार कल्याण योजना या सामूहिक बीमा योजना से संबंधित प्रवृत्त नियमों के अधीन उपबन्धित लाभ पाने का हकदार होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(6) सरकारी सेवक को अपने रोजगार अवकाश की अवधि में पूर्व आवंटित सरकारी व्यावासिक आवास बनाये रखने की अनुज्ञा दी जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए उससे प्रथम तीन माह के लिए मानक किराया और उसके पश्चात् प्रचलित बाजार दर पर किराये का भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी।

(7) सरकारी सेवक, रोजगार अवकाश की अवधि में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र न होगा।

(8) रोजगार अवकाश की अवधि के दौरान किसी अन्य प्रकार के अवकाश की अनुमन्यता न होगी और ऐसी अवधि किसी अन्य प्रकार के अवकाश की पात्रता के लिए भी संगणित नहीं की जायेगी।

(9) रोजगार अवकाश की अवधि, वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के प्रयोजनार्थ संगणित नहीं की जायेगी।

(10) रोजगार अवकाश के दौरान संबंधित सरकारी सेवक की ज्येष्ठता प्रभावित न होगी किन्तु वह पदोन्नति का हकदार न होगा। यदि उससे कनिष्ठ, व्यक्ति को पदोन्नत किया जा चुका है तो उसके रोजगार अवकाश से वापस लौटने पर उसको काल्पनिक पदोन्नति देने पर विचार किया जा सकता है।

(11) रोजगार अवकाश की अवधि को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा की संगणना के प्रयोजनार्थ नही गिना जायेगा।

(12) ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने एक निश्चित अवधि के लिए अपनी सेवायें प्राप्त करने के लिए सरकार के साथ कोई बन्ध-पत्र निष्पादित किया है, तो किसी नियत अवधि के समापन के पूर्व के रोजगार अवकाश के लिए पात्र न होंगे।

(13) सरकारी सेवकों को उनके रोजगार अवकाश पर जाने के पूर्व स्वीकृत भवन निर्माण या वाहन क्रय इत्यादि के प्रयोजनार्थ ऋणों की वसूली रोजगार अवकाश की अवधि के दौरान नियमानुसार जारी रहेगी।

(14) सरकारी सेवक के किसी प्रकार के निजी व्यवसाय या कारोबार में संलग्न होने के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आवरण नियामवली 1956 के उपबन्ध रोजगार अवकाश की अवधि के दौरान शिथिल बने रहेंगे। उक्त नियमावली के अन्य उपबन्ध प्रवृत्त रहेंगे।

(15) रोजगार अवकाश पर जाने के पूर्व सरकारी सेवक द्वारा धारित पद रिक्त रखा जायेगा और किसी भी रीति में उसे भरा नहीं जायेगा। किसी सरकारी सेवक को रोजगार अवकाश स्वीकृत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी रोजगार अवकाश की अवधि के दौरान उसका वेतन आहरित करने के लिए सक्षम होगा।

(16) कोई सरकारी सेवक जो रोजगार अवकाश पर है समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक त्याग-पत्र नियमावली, 2000 के उपबन्धों के अनुसरण में रोजगार अवकाश की अवधि के दौरान किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकता है। कोई सरकारी सेवक जो रोजगार अवकाश पर है और जिसने पेंशन के प्रयोजनार्थ अर्हकारी सेवा की अपेक्षित समयावधि पूर्ण कर ली है रोजगार अवकाश की अवधि के दौरान किसी भी समय सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है जिसे कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सम्बन्धी सरकार के स्थायी आदेशों के अनुसार विचार किया जायेगा।

(17) यदि पाँच वर्षो की अवधि के पश्चात् कोई सरकारी सेवक सरकारी काम में वापस नहीं लौटता है तो-

(क) यदि उसने पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की अपेक्षित समयावधि पूर्ण कर ली है तो यह समझा जायेगा कि उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है।

(ख) यदि उसके द्वारा पेंशन हेतु अर्द्धकारी सेवा के अपेक्षित समयावधि पूर्ण नही की गई है तो यह समझा जायेगा कि उसने सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है।

आज्ञा से,
राजेन्द्र भौनवाल
प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/10/2002-ka-1-2003, dated January 4, 2003.

No. 13/10/2002-Ka-1-2003

Dated Lucknow, January 4, 2003

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules.

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS (EMPLOYMENT LEAVE) RULES, 2003

Short title & commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants (Employment Leave) Rules, 2003.

(2) They shall come into force at once and shall remain in force till March 31, 2008.

Overriding effect

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contraray contained in any other rules or orders.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) 'Constitution' means the Constitution of India;

(b) 'Employment Leave' means such leave which is sanctioned by the conpetent authority to a Government servant for undertaking any kind of private trade or business or employement etc. in an organisation other than the Government Departments, Semi-Government Depart ments, a Corporation, a Board, a Public Undertaking or a Body owned or controlled by the State Government of Uttar Pradesh;

(c) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(d) 'Government' Servant' means a Government servant of the State Governemnt of Uttar Pradesh other tdhan a Government servant belonging to the All India Service and who—

(i) is a regular Government servant appointed in a substantive capacity; and

(ii) is not appoined on adhoc, daily wages, fixed wages or contract basis;

(e) 'Government service' means the public services and posts in connectionwith the affairs of the state of Uttar Pradesh;

(f) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh.

Application

4. Unless otherwise provided, these rules shall be applicable to such permanent Government servant who has completed at least five years of service after having been confirmend in the service he belongs to and who is appoined on a post in a Government department of the State Government of Uttar Pradesh other than the post belonging to an All India Service, but these rules shall not be apoplicable to such category of Government servants of the following departments as are mentioned in the brackets against each of them :-

(a) Medical, Health and Family Welfare Department (Medical Staff, Para-Medical and Technical staff).

(b) Medical Education Department (Teaching Staff, Medical Staff, Para-Medical Staff and Technical Staff).

(c) Technical Education Department (Teaching Staff, Library Staff and Labo ratory Staff).

(d) Higher Education Department (Teaching Staff, Library Staff, Sports Staff and Laboratory Staff).

(e) Basic and Secondary Education Department (Teaching Staff and Library Staff).

(f) Home (Police) Department (Non-Ministerial Category).

(g) Government servants placed under probation.

(h) Such Government servants who are under suspension or against whom prosecution or discriplinary proceedings are pending.

Scanned with OKEN Scanner

5. (1) Government servants may be sanctioned Employment Leave for a minimum period of three years and a maximum period of five years. Such Government servants shall, in no case, be allowed to return to duty in the Government service from the Employement leave before the complection of three years.

(2) State Governement in case of Government servants belonging to Group 'A' and Group 'B' posts and the Head of the Department in case of Government servants belonging to Group 'C' and Group 'D' posts will be empowered to sanction/disallow the Employement Leave.

(3) During Employement Leave, the Government servant shall be at liberty to under take any other service or self-employment in India or abroad. On the Completion of Employement Leave and on re-assuming the charge of his post in the Governement service, he shall be required to submit a brief description of his work and employment undertaken by him during the period of Employment Leave.

Conditions of Employement leave

(4) The Government servant seeking Employment Leave shall, during such leave, not be eligible for appointment in another department of the State Government or in a Corporation, Mandal, Company or an autonomous institution, Local Authority, Local Board, Local Body, Society etc. owned, controlled or aided by the State Goverment, He shall also be ineligible to work as Consultant in the above mentioned offices and institutions.

(5) During Employment Leave the concerned Goverment servant shall be entitiled to get fify percent of the amount of his basic pay and the allowances thereon (Dearness Allowance, City Compensatory Allowance and House Rent Allowance etc.) which was admissible to him immediately before his proceeding on such leave. Deduction of General Provident Fund, Group Insurance Scheme, House Rent and Income Tax etc. shall, as per rules, be made from the salary of the concerned Governement servant. In the case of death of a Governemnt servant during the period of Employment Leave he shall be entitled to the benefits provided under the rules imforce regarding the Family Welfare Scheme or the Group Insurance Scheme as per rules.

(6) The Goverment servant may be allowed to retain his pre-allotted official residential accomodation during the period of Employment Leave. For this purpose, he shall be required to pay the standard rent for the first three months and thereafter the rent at the prevailing market rate shall be paid by him.

(7) The Government servant shall not be eligible to avail the facility of medical reim bursement during the period of Employement Leave.

(8) No other kind of leave shall be admissible during the period of Employment Leave and such period shall also not be counted for the eligibility of any other kind of leave.

(9) The period of Employment Leave shall not be counted for the purpose of granting of annual increment.

(10) During the period of Employment leave, the seniority of the concerned Government servant shall remain unaffected but he shall not be entitled for promotion. In case the persons junior to him have been promoted, the granting of notional promo tion to him may be considered on his reversion from Employment Leave.

(11) The period of Employement Leave shall not be counted for the purpose of computation of qualifying service for pension.

(12) such Government servants who have executed a Bond with the Governement for rendering their services for a fixed period shall not be eligible for Employment Leave before the completion of such stipulated period.

(13) The recovery of loans for the purposes of House Building or purchasing a vehicle etc. sanctioned to Governement servants prior to their proceeding on Employment Leave shall be continued as per rules during the period of Employment Leave.

Scanned with OKEN Scanner

(14) The provisions of the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956, as amended from time to time, regarding the engagement of a Government servant in any kind of private trade or business shall stand relaxed during the period of Employment Leave. Other provisions of the aforesaid rules shall remain in force.

(15) The post held by a Government servant prior to his proceeding on Employment Leave shall be kept vacant and shall not be filled in any manner. The authority empowered to sanction Employment Leave to a Government servant shall be competent to draw his salary during the period of Employment Leave.

(16) A Goverment servant who is on Employment Leave may resign from the Government service at any time during the period of Employment Leave in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Governement servants Resignation Rules, 2000, as amended from time to time. A Governement servant who is on Employment Leave and who has completed the required length of qualifying·service for the purpose of pension may seek voluntary retirement from Government service at any time during the period to Employment Leave which shall be considered in accordance with the standing orders of the Governement regarding voluntary retirement.

(17) If after the period of five years, a Government servant does not return to duty in the Government service—

(a) It shall be deemed that he has sought voluntary retirement if he has completed the required lenght of qualifying service for pension.

(b) It shall be deemed that he has resigned from Goverment service if has hase not completed the required lenght of qualifying service for pension.

By order,

RAJENDRA BHONWAL

Pramukh Sachiv.

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-5
संख्या-245/9-आ-5-2002-4विविध/2002
लखनऊ: दिनांक: 04फरवरी,2002

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर-प्रदेश के कुछ महानगरों की महायोजना एवं यातायात/परिवहन योजनाओं का समयबद्ध तरीके से संशोधित/रिवाइज की जानी है। महायोजना-संशोधन हेतु चयनित नगर निम्नवत है :-

1. आगरा
2. अलीगढ़
3. फतेहपुर सीकरी
4. मुरादाबाद
5. मुज्जफरनगर
6. सहारनपुर

2. उपरोक्त नगरों के अतिरिक्त यातायात एवं परिवहन योजना किये जाने हेतु प्रथम चरण में निम्नलिखित नगरों का चयन किया गया है:-

1. गाजियाबाद 2. मेरठ

3. नगर एवं ग्रामनियोजन विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश में विद्यमान स्टाफ की अल्पता को देखते हुये इस काम के सम्पादन हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात श्री भारत भूषण, मुख्य नगर नियोजक को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ यह दायित्व भी सौंपा जाता है कि वे फिलहाल गाजियाबाद जाकर निजी क्षेत्र के माध्यम से महायोजना एवं यातायात/परिवहन योजनायें भी तैयार करायेंगें। इस क्रम में श्री भारत भूषण को निम्न कार्य करने होंगे :-

(1) टर्म्स आफ रिफरेंस तैयार करना।
(2) टेण्डर डाकुमेंट तैयार करना व सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर इन्हें अंतिम करना।
(3) आफर्स आमंत्रित करते हुये संस्था का चयन कर संविदा/अनुबन्ध करना।
(4) संविदा के उपरांत कार्य की नियमित देख-रेख व प्रगति की मानिटरिंग करना व सक्षम स्तर पर प्रगति से अवगत कराना।

प्रश्नगत कार्य हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा एक पृथक प्रकोष्ठ वर्तमान स्टाफ/ संशाधनों से पुर्नगठित कर उपलब्ध कराया जायेगा।

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-245(1)/9-आ-5-2001-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, 7 बंदरियाबाग, लखनऊ, उ0प्र0।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-299/नौ-आ-5-2002-177ई/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
   समस्त मण्डल,
   उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-5 लखनऊः दिनाँक-8 मार्च, 2002

विषय : उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अंकित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-8428/11-4-1986 दिनांक 22-12-1986 तथा शासनादेश संख्या-4341/11-5-91-2सी0आर0/91, दिनांक 4-9-1991 द्वारा प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अंकित करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। सम्यकविचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अब उ0प्र0 के विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां संलग्नानुसार निर्धारित की गयी व्यवस्था के अनुसार अंकित की जायें। इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-8424/11-4-1986 दिनांक 22-12-1986 दिनांक 22-12-1986 तथा शासनादेश संख्या-4341/11-5-91-2 सी0आर0/91 दिनांक 04-9-1991 द्वारा निर्धारित व्यवस्थाएं तात्कालिक प्रभाव से संशोधित समझी जायें।

कृपया इस आदेश की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करने संबंधी व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या–299/नौ–आ–5–2002–177 ई/99, दिनांक 08 मार्च, 2002 का संलग्नक

(क) अभियंत्रण संवर्ग

क्रमांक	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1.	मुख्य अभियंता	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष/आयुक्त	सचिव/प्रमुख सचिव आवास विभाग उ०प्र० शासन।	जिन अभियंताओं की प्रतिवेदक अधिकारी के खाने में एक से अधिक प्रतिवेदक अधिकारी अंकित है उसमें प्रथमतः पहला अधिकारी ही प्रतिवेदक अधिकारी होगा और प्रथम अधिकारी के तैनात नही होने पर ही द्वितीय/तृतीय अधिकारी प्रतिवेदक अधिकारी होगा। अर्थात् प्रथम अधिकारी के तैनात रहते हुए अन्य अंकित अधिकारी को प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में गन्तव्य अंकित करने का अधिकारी नहीं होगा। यही प्रक्रिया द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदक अधिकारी के संबंध में भी लागू होगी तथा इसका किसी भी दशा में अतिलंघन नहीं किया जायेगा।
2.	अधीक्षण अभियंता	मुख्य अभियंता/सचिव	उपाध्यक्ष	सचिव/प्रमुख सचिव, आवास विभाग उ०प्र० शासन।	
3.	अधिशासी अभिंयता	अधीक्षण अभि०/ मुख्य अभि०/सचिव।	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष/आयुक्त	
4.	सहायक अभियंता	अधिशासी अभि०/ अधीक्षण अभियंता मुख्य अभियंता/सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष/आयुक्त	
5.	अवर अभियंता (तथा रू० 850–1720 से निम्न वेतनमान के समस्त संवर्गों के अधिकारी)	सहायक अभियंता	अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता (यथास्थिति)	उपाध्यक्ष	

Scanned with OKEN Scanner

(ख) प्रशासनिक संवर्ग

क्रमांक	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1.	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष / आयुक्त	सचिव / प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उ०प्र०शासन।	मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।	प्रशासनिक संवर्ग के अन्य ऐसे अधिकारी जिनका वेतनमान अनुसचिव व उपसचिव के वेतनमान के समान हैं, के वही प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी होंगे जो कि उपर्युक्त अनुसचिव एवं उपसचिव के पदनाम के प्रतिवेदक समीक्षक एवं स्वीकर्ता, प्राधिकार अभिनिर्धारित है।
2.	(क) सचिव (पी.सी.एस.सेवा)	उपाध्यक्ष	सचिव / प्रमुख सचिव, आवास विभाग उ०प्र० शासन।	सचिव / प्रमुख, सचिव नियुक्ति विभाग उ०प्र० शासन।	
	(ख) सचिव / अपर सचिव (प्राधि०केन्द्री०सेवा)	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष / आयुक्त	सचिव / प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उ०प्र० शासन	
3.	(क) संयुक्त सचिव (पी.सी.एस.सेवा)	उपाध्यक्ष	सचिव / प्रमुख सचिव आवास विभाग, उ०प्र० शासन।	सचिव / प्रमुख सचिव नियुक्ति उ०प्र० शासन।	
	(ख) संयुक्त सचिव (प्राधिकरण सेवा)	सचिव	उपाध्यक्ष	विशेष सचिव / सचिव आवास विभाग, उ०प्र० शासन।	
4.	उपसचिव (प्राधिकरण सेवा)	सचिव	उपाध्यक्ष	संयुक्त सचिव / विशेष सचिव, आवास विभाग, उ०प्र० शासन।	
5.	अनुसचिव (प्राधिकरण सेवा)	सचिव	उपाध्यक्ष	तदैव	

(ग) लेखा संवर्ग

क्रमांक	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1.	लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष / आयुक्त	मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन। आवास विभाग, उ०प्र० शासन।	जिन कर्मियों के प्रतिवेदक अधिकारी के खाने में एक से अधिक प्रतिवेदक अधिकारी अंकित हैं उसमें प्रथगत पहला अधिकारी ही प्रतिवेदक अधिकारी होगा और प्रथम अधिकारी के तैनात नहीं होने पर ही द्वितीय अधिकारी, प्रतिवेदक अधिकारी होगा अर्थात् प्रथम अधिकारी के तैनात रहते हुए अन्य अंकित अधिकारी को प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में मन्तव्य अंकित करने का अधिकार नहीं होगा यहीं प्रक्रिया द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदक अधिकारी के संबंध में लागू होगी तथा इसका किसी भी दशा में अतिलंघन नहीं किया जायेगा।
2.	मुख्य लेखाधिकारी (क) राज्य वित्त। सेवा (ख) प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा	उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष	सचिव / प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उ०प्र० शासन। अध्यक्ष / आयुक्त	सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन। सचिव / प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उ०प्र० शासन।	
3.	लेखाधिकारी	मुख्य लेखाधिकारी	सचिव	उपाध्यक्ष	
4.	सहायक लेखाधिकारी	मुख्य लेखाधिकारी	सचिव	उपाध्यक्ष	
5.	लेखाकार	सहायक लेखाधिकारी / लेखाधिकारी / मुख्य लेखाधिकारी।		उपाध्यक्ष	

Scanned with OKEN Scanner

(घ) नगर नियोजक संवर्ग

क्रमांक	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1.	मुख्य नगर नियोजक	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष / आयुक्त,	सचिव / प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उ०प्र० शासन।	जिन कर्मियों के प्रतिवेदक अधिकारी के खाने में एक से अधिक प्रतिवेदक अधिकारी अंकित है उसमें प्रथमतः पहला अधिकारी ही प्रतिवेदक अधिकारी होगा और प्रथम अधिकारी के तैनात नहीं होने पर ही द्वितीय अधिकारी और द्वितीय अधिकारी के तैनात न होने पर ही तृतीय अधिकारी, प्रतिवेदक अधिकारी होगा। अर्थात प्रथम अधिकारी के तैनात रहते हुए अन्य अंकित अधिकारी को प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में मन्तव्य अंकित करने का अधिकार नहीं होगा। यही प्रक्रिया द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदक अधिकारी के संबंध में लागू होगी तथा इसका किसी भी दशा में उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
2.	नगर नियोजक	मुख्य नगर नियोजक / सचिव	उपाध्यक्ष,	अध्यक्ष / आयुक्त	
3.	सहायक नगर नियोजक	मुख्य नगर नियोजक / सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष / आयुक्त	
4.	वास्तुविद / सांख्यिकी सहा०	नगर नियोजक / सहायक नगर नियोजक / मुख्य नगर नियोजक	--	उपाध्यक्ष	

Scanned with OKEN Scanner

(च) राजस्व संवर्ग

क्रमांक	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1.	सम्पत्ति अधिकारी	सचिव	उपाध्यक्ष	विशेष सचिव / सचिव आवास विभाग।	जिन कार्मियों के प्रतिवेदक अधिकारी के खाने में एक से अधिक प्रतिवेदक अधिकारी अंकित है उसमें प्रथमतः पहला अधिकारी ही प्रतिवेदक अधिकारी होगा और प्रथम अधिकारी के तैनात नहीं होने पर ही द्वितीय अधिकारी एवं द्वितीय अधिकारी के तैनात न होने पर ही तृतीय अधिकारी, प्रतिवेदक अधिकारी होगा अर्थात् प्रथम अधिकारी के तैनात रहते हुए अन्य अंकित अधिकारी को प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में मन्तव्य अंकित करने का अधिकार नहीं होगा यही प्रक्रिया द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदक अधिकारी के संबंध में लागू होगी तथा इसका किसी भी दशा में अतिलंघन नही किया जायेगा।
2.	वरिष्ठ कर एवं राजस्व अधीक्षक	सचिव	उपाध्यक्ष	विशेष सचिव / सचिव, आवास विभाग, उ०प्र० शासन।	
3.	सहायक सम्पत्ति अधीक्षक	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष / आयुक्त	
4.	वरिष्ठ कर एवं राजस्व निरीक्षक	सम्पत्ति अधिकारी / सहायक सम्पत्ति अधिकारी / सचिव	—	उपाध्यक्ष	
5.	कर एवं राजस्व निरीक्षक	सम्पत्ति अधिकारी / सहायक सम्पत्ति अधिकारी / सचिव	—	उपाध्यक्ष	

(छ) उदयान संवर्ग

क्रमांक	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1.	उदयान अधिकारी / सहा० उदयान अधिकारी	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष	
2.	उदयान अधीक्षक	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष	

Scanned with OKEN Scanner

(ज) लिपिकीय सवंर्ग

क्रमांक	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
1.	कार्यालय अधिक्षक	संयुक्त सचिव / सचिव	—	उपाध्यक्ष	जिन कर्मियों के प्रतिवेदक अधिकारी के खाने में एक से अधिक प्रतिवेदक अधिकारी अंकित हैं उसमें प्रथमतः पहला अधिकारी ही प्रतिवेदक अधिकारी होगा और प्रथम अधिकारी के तैनात नहीं होने पर ही द्वितीय अधिकारी एवं द्वितीय अधिकारी के तैनात न होने पर ही तृतीय अधिकारी, प्रतिवेदक अधिकारी होगा अर्थात् प्रथम अधिकारी के तैनात रहते हुए अन्य अंकित अधिकारी को प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में मन्तव्य अंकित करने का अधिकार नहीं होगा। यही प्रक्रिया द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदक अधिकारी के संबंध में लागू होगी तथा इसका किसी भी दशा में अतिलघंन नहीं किया जायेगा।
2.	विधि सहायक	संयुक्त सचिव / सचिव	—	उपाध्यक्ष	

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-6
संख्या:399(अधि)/9-आ-6-2002
लखनऊ:दिनांक: 18 जून,2002

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से आवास विभाग में कार्यरत अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी किए गय कार्य सम्बंधी आवंटन आदेशों में संशोधन करते हुए कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है:-

क्रम सं0	अधिकारी का नाम एवं पद नाम	आवंटित कार्य
1.	श्री संजय भूसरेड्डी, विशेष सचिव	आवास अनुभाग-1,2 व 3 का समस्त कार्य, अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु तथा आवास विभाग के नोडल अधिकारी।
2.	श्री संजीव कुमार, विशेष सचिव	आवास अनुभाग -4,5 व 6 का समस्त कार्य तथा नजूल के कार्यो के लिए राज्य स्तरीय प्रभारी।
3.	श्री जावेद एहतेशाम, उपसचिव	आवास अनुभाग -3 व 4 के समस्त कार्य।
4.	श्री अमिताभ त्रिपाठी, अनुसचिव	आवास अनुभाग-1 व 2 के समस्त कार्य।
5.	श्री शहजादे लाल, अनुसचिव	आवास अनुभाग-5 व 6 के समस्त कार्य।

2. उपसचिव श्री जावेद एहतेशाम आवास अनुभाग-3 का कार्य विशेष सचिव श्री संजय भुसरेड्डी के निर्देशाधीन तथा आवास अनुभाग-4 का कार्य विशेष सचिव श्री संजीव कुमार के निर्देशाधीन निष्पादित करेंगे। सिटीजन चार्टर, विनियमीकरण, कर्मिक प्रशिक्षण एवं नीति निर्धारण प्रकोष्ठ से सम्बंधित नीतिमत कार्यो की पत्रावलियाँ विशेष सचिव श्री संजय भूसरेड्डी के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।

3. अनुसचिव श्री अमिताभ त्रिपाठी, आवास अनुभाग-1 व 2 का कार्य विशेष सचिव श्री संजय भूसरेड्डी के निर्देशाधीन तथा श्री शहजादे लाल, अनुसचिव आवास अनुभाग-5 व 6 कार्य विशेष सचिव श्री संजीव कुमार के निर्देशाधीन सम्पादित करेगें।

4. अधोहस्ताक्षरी के शासकीय कार्य हेतु मुख्यालय से बाहर रहने अथवा अवकाश पर रहने की दशा में अथवा विभाग को कोई कार्य विशिष्ट रूप से सौंपे जाने की स्थिति में भी श्री संजय भूसरेड्डी, विशेष सचिव, आवास द्वारा सचिव के आकस्मिक, नैतिक व विशिष्ट कार्यो का निर्वहन किया जाएगा। विभाग के सभी अधिकारीगण तदनुसार उन्हें अपन सहयोग प्रदान करेगें।

जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या: 399(1)(अधि)/9-आ-6-2002 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. निजी सचिव, मा.आवास मंत्री
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर,मुख्य सचिव।
3. अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु।
4. समस्त सम्बंधित अधिकारीगण,आवास विभाग।
5. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
शहजादे लाल
अनुसचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-1294/9-आ-5-2002-5-स्था0/2002

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनाँक-26 जून, 2002

विषय : आवास विभाग के केन्द्रीयित सेवा के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति वर्ष-2002

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या:-1/3/96-का-4/2002, दिनांक 12 जून, 2002 के परिपेक्ष्य में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानानतरण के संबंध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नवत स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती है :-

1- सामान्य कोई स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा किन्तु प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवा निवृत्ति, आदि स्थितियों में एवं प्रशासनिक दृष्टि से यथा आवश्यक स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

2- उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त आवास विभाग की आवश्यकताओं एवं जनहित के दृष्टिगत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण भी किये जा सकेंगे, परन्तु स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कुल संख्या की 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(1) वेतनमान रू0 8000-13,500 से उच्च वेतनमान पा रहे ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें एक ही स्थान पर 5 वर्ष या उससे अधिक हो गया हो।

(2) वेतनमान रू0 8000-13,500 के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें एक ही स्थान पर 6 वर्ष या उससे अधिक हो गया हो।

(3) वेतनमान रू0 8000-13,500 से कम वेतनमान पा रहे ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें एक ही स्थान पर 7 वर्ष या उससे अधिक हो गया हो।

(4) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो तो उन्हें यथा सम्भव एक स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(5) कोई प्रतिकूल तथ्य न होने पर दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले समूह-ग के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

1. स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों के कार्यमुक्त करने की तिथि के बारे में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिये कि वह आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर ले और संबंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना, अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए संबंधित कार्मिक को कार्य मुक्त नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

2. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

3. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

4. स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश :-

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानानतरण रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये. यदि कोई सरकारी सेवक, ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 27 का उल्लघंन मानते हुये उसके विरूद्ध "उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999" के संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के संबंध में भी विचार किया जायेगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर उस अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतना नहीं किया जायेगा।

5. जनहित में शासन द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में कभी भी स्थानान्तरण करने के आदेश दिये जा सकेंगे।

भवदीय,
जे0एस0 मिश्र,
सचिव।

संख्या :- 1294 (1)/9-आ-5-2000-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलायुक्त/अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. समस्त जिला मैजिस्ट्रेट, उ0प्र0।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी आवास संघ लि0, उ0प्र0

आज्ञा से,
ए0 के0 एस0 राठौर
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

12

विविध

Scanned with OKEN Scanner

संख्या : ए-1-1173/दस-2001-10(55)/2000

प्रेषक,

वी0 के0 शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक-27 अप्रैल, 2001

विषय : टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के परिशिष्ट -XVIII में दिये गये "भण्डार क्रय नियमों" तथा परिशिष्ट-XIX में शासन की ओर से "संविदा" अथवा "अनुवंध" किये जाने हेतु अपनाये जाने वाले सामान्य सिद्धान्तों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय कार्यों के सम्पादन में पारदर्शिता लाये जाने की शासन की नीति के अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए :-

(क) टेण्डर सूचना का प्रकाशन तथा टेण्डर डाकूमेंट्स का उपलब्ध कराया जाना-

टेण्डर प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने की दृष्टि से आई0टी0 एवं इलैक्ट्रानिक अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या : 1794/70-आई0टी0-2000, दिनांक : 08 नवम्बर, 2000 के बिन्दु संख्या: 17 के अनुसार शासन के विभागों द्वारा जारी टेण्डरों की सूचना तथा टेण्डर फार्म की प्रति www.up info.org की साइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) टेण्डरों को फाइनल किया जाना-

(1) निर्माण कार्यों के कान्ट्रेक्ट तथा सामग्री की खरीद आदि के सम्बन्ध में क्रय अनुबन्ध किये जाने हेतु प्राप्त टेण्डरों के निविदादाताओं से बातचीत (निगोशियेशन) सामान्यत: न की जाए। यदि निगोशियेशन द्वारा निविदा प्रकरण में संविदा निष्पादित किया जाना अनिवार्य हो तो सभी निविदादाताओं (जो अर्हता क्षेत्र में आते हैं) से बातचीत (निगोशियेशन) की जाये।

(2) जिन मामलों में "टेक्निकल बिड" तथा "फाइनेन्शियल बिड"-दी जानी होती है, उनमें "टेक्निकल बिड" के मूल्यांकन के निष्पक्ष मापदण्ड (आब्जेक्टिव क्राइटेरियन) होने चाहिए। इस सम्बन्ध में विभागों द्वारा मात्रात्मक मूल्यांकन (Quantitaive evaluation) हेतु मानक मापदण्ड निर्धारित किये जायें। मानक मापदण्डों का उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेंण्ट में भी किया जायें। टेक्निकल बिड के मूल्यांकन में किसी ऐसे बिन्दु या मापदण्ड पर विचार नहीं किया जायेगा जिसका उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेन्ट में न किया गया हो।

(3) टेक्निकल बिड/प्री क्वालीफिकेशन बिड की कण्डीशंस अथवा बिड्स के मूल्यांकन के मापदण्ड शिथिल नहीं किये जायें। इनमें कोई परिवर्तन भी अनुमन्य नहीं होगा, इस आशय का उल्लेख टेण्डर नोटिस

Scanned with OKEN Scanner

(एन0आई0टी0) में ही कर दिया जाये।

(4) टेक्निकल बिड/प्री क्वालीफिकेशन बिड्स में किसी टेण्डरदाता द्वारा शर्तों की पूर्ति न होने अथवा आब्जेक्टिव मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम मानक तक न पाये जाने की दशा में फाइनेंसियल बिड्स पर विचार न किया जाये। टेक्निकल बिड/प्री क्वालीफिकेशन बिड के विषय में अन्तिम निर्णय हुये बगैर फाइनेंसियल बिड को किसी भी दशा में खोला नहीं जायेगा।

(5) सामग्री/भण्डार के क्रय के सम्बन्ध में तथा निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त टेण्डर के मूल्यांकन की व्यवस्था प्री क्वालीफिकेशन/टेक्निकल बिड के माध्यम से करते हुए न्यूनतम टेण्डर की दर को स्वीकार करते समय टेण्डर समिति/स्वीकर्ता अधिकारी पूर्व अनुभव तथा प्रचलित बाजार मूल्यों को भी यथा सम्भव ध्यान में रखेंगे।

(6) प्राप्त निविदाओं को ''फाइनल'' करने में नियमों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में अनुमन्य सीमा से अधिक ''विचलन'' कदापि न किया जाए। पूर्व के किसी अवसर पर प्राप्त टेण्डर के आधार पर पुन: नये कार्यों के लिए आदेश अथवा चालू कार्यों के लिए ''रिपीट आर्डर'' नहीं दिये जायें। इस सम्बन्ध में स्वीकृत कार्यों को यथा संभव टुकड़ों में न बांटा जाये। यदि ऐसा किया जाये तो उसका कारण उल्लिखित किया जाये।

2. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तर-1 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही में सम्बन्धित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस शासनादेश के द्वारा सम्बन्धित नियमों, एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, अपितु टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है।

भवदीय
वी0 के0 शर्मा
सचिव, वित्त।

संख्या : ए-1-1173(1)/दस-2001-10(55)/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
आर0 के0 वर्मा
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2065/9-आ-1-02-59बैठक/98

प्रेषक,

जे0एस0मिश्र,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक-27 मई, 2002

विषय : सभावित बाढ़/जल भराव से सुरक्षा हेतु पूर्व तैयारियों एवं तत्सम्बन्धी कार्य योजना।

महोदय,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की आवासीय योजनाओं में अतिवृष्टि आदि से जल भराव की समस्य के निदान हेतु पूर्व में ही आवश्यक तैयारी के लिए तत्काल निम्न कार्यवाही की जाय :-

(1) आवास विकास परिषद एवं समस्त विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में बाढ़/जल भराव के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए, तथा सचिव/संयुक्त सचिव/अधिशासी अभियंता स्तर के एक उपयुक्त अधिकारी को इसका प्रभार अधिकारी बनाया जाए। नियंत्रण कक्ष तथा प्रभारी अधिकारी के कार्यालय/आवास के दूरभाष संख्या का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। इसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध करा दी जाए।

(2) जल निकासी हेतु अवरोधों को दूर किया जाए। परिषद/प्राधिकरणों द्वारा यह भलीभांति सुनिश्चित करा लिया जाए कि उनकी ऐसी योजनाओं में जो नगर निगम/नगर पालिकाओं को हस्तांतरित नहीं हुई है, नाले नालियों की त्वरित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाए और जहाँ अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण/कब्जा आदि से जल निकासी में अवरोध उत्पन्न हो गया है उन अवरोधों को अविलम्ब हटा दिया जाए। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय प्रशासन/पुलिस प्रशासन का सहयोग भी प्राप्त किया जाए और यथा अपेक्षित सहयोग न मिलने पर इसके शासन के संज्ञान में अविलम्ब लाया जाए।

(3) निचले क्षेत्रों में जल भराव की समस्या से निपटने हेतु पानी की पम्पिंग हेतु पम्पिंग संयत्रों को तत्काल क्रियाशील कर दिया जाए।

(4) निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए :-

(अ) जल भराव के स्थलों का चिन्हांकन।

(ब) यहाँ की पानी की निकासी के लिए पम्पों को स्थापित कर दिया जाना एवं इनकी सर्विसिंग/ओवरहाल पूरा कर लिया जाना।

(स) इन पर कार्मिकों की शिफ्टवार नियुक्ति कर लिया जाना।

Scanned with OKEN Scanner

(द) जल भराव के स्थलों के नालों/सपवेलों आदि की सफाई तथा विसंक्रमण के लिए कीटनाशकों का तत्काल छिड़काव तथा आगे के लिए उचित मात्रा में कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

(य) जल भराव के स्त्रोतों को बन्द करने के लिए संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में बोरियां, बालू पहले ही एकत्रित कर लिया जाना।

(र) प्रभावित क्षेत्रों में पहले से संक्रामक रोगों के बचाव के लिए रोग निरोधक टीकों आदि की व्यवस्था।

5. उक्त समस्त बिन्दुओं पर परिषद/प्राधिकरणों द्वारा प्रत्येक दशा में 20 जून 2002 तक कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाए। प्राधिकरण स्तर पर सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव की देखरेख में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के नेतृत्व में अधिकारियों की निरीक्षण समिति गठित की जाए, ताकि वे इसका भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट दे सकें। इसी प्रकार आवास विकास परिषद के मामलों में सचिव/संयुक्त आवास आयुक्त की देखरेख में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के नेतृत्व में भी निरीक्षण समिति गठित की जाए।

6. शासन द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों का अनुपालन एक निश्चित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाए एवं कृत कार्यवाही की पाक्षिक रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाए। इसमें किसी प्रकार. किसी स्तर पर की गयी शिथिलता क्षम्य न होगी एवं इसे सुनिश्चित करने के लिए आवास विकास परिषद एवं प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में उत्तरदायित्व के स्तर लिखित रूप से निर्धारित किए जाए एवं पाक्षिक समीक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रकरण को महत्तम गम्भीरता प्रदान की जाए।

भवदीय,
जे0एस0मिश्र
सचिव।

संख्या : 2065 (1)9-आ-1-02-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी।
5. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
टी0पी0पाठक
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-2309/9-आ-3-2002-23वि0/99

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण।
उत्तर प्रदेश।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
उत्तर प्रदेश।

3. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

4. **अध्यक्ष/नियंत्रक प्राधिकारी**
समस्त विनियमित क्षेत्र
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक-25 जून, 2002

विषय : उ0प्र0 में "आपरेशन ग्रीन" को सफल बनाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3175/9-आ-3-2001-23 विविधि/99 दिनांक 18 जुलाई, 2001 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 में **"आपरेशन ग्रीन"** को सफल बनाने हेतु प्रदेश में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने, वातावरण को दूषित होने से बचाने, मृदा व जल संरक्षण सुनिश्चित करने तथा वृक्षों एवं वनों से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 तथा राज्य वन नीति 1998 के अनुसार प्रदेश के 1/3 भाग को वनाच्छादित करने का संकल्प प्रदेश सरकार ने लिया है। इस नीति का पालन करते हुए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश में बड़े पैमाने पर हरित अभियान चलाया जा रहा है।

2. उक्त शासनादेश को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए **"आपरेशन ग्रीन"** अभियान के अन्तर्गत सघन अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि "आपरेशन ग्रीन" को सफल बनाया जा सके।

भवदीय,
जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या व दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन उ0प्र0 शासन को उनके पत्र दिनांक 10 जून, 2002 के सम्बंध में
2. मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
संजीव कुमार
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-1741/9-आ-2-पर्यावरण सुधार-वृक्षारोपण/2002(आ.ब.-2)

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनाँक-02 जुलाई, 2002

विषय : पर्यावरण सुधार एवं वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 06 जून, 2002 को सम्पन्न हुयी समीक्षा बैठक में सचिव आवास ने अपेक्षा की थी कि आवास एवं विकास परिषद् तथा सभी विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनी योजनाओं में तथा शहर के अन्य सार्वजनिक खुले स्थानों में वृहद् रूप से वृक्षारोपण किया जाए।

इस सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि गत वर्ष भी **"आपरेशन ग्रीन"** के अन्तर्गत आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों के लिए **5.18** लाख वृक्ष लगाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसके सापेक्ष **4.44 लाख** वृक्ष लगाए गए थे। गत वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए भी **5.00 लाख** वृक्ष लगाए जाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनकी अभिकरणवार फांट इस पत्र के साथ संलग्न हैं।

आपसे अनुरोध है कि कृपया स्वयं अपने स्तर पर विशेष रूचि लेकर अपने अभिकरण के लिए निर्धारित किए गए वृक्षारोपण के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि **तीन माह** (जुलाई, 2002 से सितम्बर, 2002 तक) की अवधि में सुनिश्चित कराएं तथा इस कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट पूर्व में निर्धारित प्रपत्र **(एम.पी.आर.-21)** पर प्रत्येक माह मासिक रिपोर्ट के साथ भेजने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

संख्या : 1741(1)/9-आ-2-पर्यावरण सुधार-वृक्षारोपण/2002 (आ.ब.-2) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव आवास, उ.प्र. शासन के अवलोकनार्थ।
2. अधिशापी निदेशक, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner

वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुधार

श्रेणी व क्रम संख्या	नाम विकास प्राधिकरण/ आ वि परिषद	वर्ष 2001-02 लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धियाँ (संख्या)	वर्ष 2002-03 के प्रस्तावित लक्ष्य (संख्या)
1	2	3	4	5
ए0एस0-1	गाजि़याबाद	55000	66000	60000
ए0एस0-2	आवास विकास परिषद	165000	121242	150000
ए0एस0-3	कानपुर	35000	35019	35000
ए0एस0-4	लखनऊ	30000	27000	35000
ए-1	आगरा	50000	50000	50000
ए-2	इलाहाबाद	15000	15062	15000
ए-3	मेरठ	25000	27500	25000
ए-4	मुरादाबाद	20000	15200	25000
बी-1	अलीगढ़	10000	10500	10000
बी-2	बरेली	15000	1500	10000
बी-4	गोरखपुर	15000	15500	15000
बी-6	मथुरा-वृन्दावन	15000	9550	10000
बी-7	वाराणसी	10000	10000	10000
सी-1 सी-2	बाँदा बुलन्दशहर	5000 5000	5000 5000	5000 5000
सी-3	फैजाबाद	10000	2000	5000
सी-4	फिरोजाबाद	5000	0	3000
सी-5	हापुड़-पिलखुवा	5000	5000	5000
सी-6	झाँसी	5000	3000	5000
सी-7	मुजफ्फरनगर	5000	0	3000
सी-8	रायबरेली	3000	3000	4000
सी-9	सहारनपुर	10000	12300	10000
सी-10	उन्नाव	5000	5047	5000
	योग	518000	444420	500000

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-1735/9-आ-2-प्राथमिकता बिन्दु/2002(आ.ब. 2)

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक**
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
बन्दरिया बाग, लखनऊ।

आवास अनुभाग-2

लखनऊः दिनाँक-02 जुलाई, 2002

विषय : आवास विभाग के तीन प्राथमिकता बिन्दु।

महोदय,

कार्यालय मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, के पत्र संख्या : जी/309/सी.एम.-II/02 दिनांक 17.06.2002 में दिए गए निर्देशों के क्रम में आवास विभाग द्वारा वर्ष 2002-03 के लिए निम्न तीन कार्यक्रमों की प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हैं।

1. अनावंटित सम्पत्तियों का निस्तारण : विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद द्वारा निर्मित/विकसित 28,851 सम्पत्तियां दिनांक 01 अप्रैल, 2002 को अनावंटित थीं, इनमें से वित्तीय वर्ष 2002-03 में 14,500 सम्पत्तियों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. विकसित योजनाओं का हस्तान्तरण : विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद की 82 विकसित योजनाओं की सेवाएं रख-रखाव हेतु सम्बन्धित स्थानीय निकायों को अभी हस्तान्तरित नहीं की जा सकी हैं, इनमें से वित्तीय वर्ष 2002-03 में 41 विकसित योजनाओं की सेवाओं के हस्तान्तरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. महायोजनाओं का पुनरीक्षण : प्रदेश के 41 नगरों की महायोजनाओं का पुनरीक्षण किया जाना है, इनमें से वित्तीय वर्ष 2002-03 में न्यूनतम 10 नगरों की महायोजनाओं के पुनरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त प्राथमिकताओं की फांट इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने अभिकरण से सम्बन्धित प्राथमिकताओं के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित कराएं तथा इन प्राथमिकताओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 03 तारीख को मण्डल स्तर पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में संलग्न प्रारूप पर अपने साथ अवश्य लाएं, ताकि संकलित रिपोर्ट मुख्य मंत्री कार्यालय को बैठक के उपरान्त तत्काल प्रेषित की जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

वर्ष 2002-03 में आवास विभाग की तीन प्राथमिकताओं के लिए निर्धारित लक्ष्य

श्रेणी व क्रम संख्या	अभिकरण का नाम	प्राथमिकता -1		प्राथमिकता -2		प्राथमिकता -3
		अनावंटित सम्पत्तियों का आवंटन		विकसित योजनाओं की सेवाओं का हस्तान्तरण		41 नगरों में से न्यूनतम 10 नगर जिनकी महायोजनाएं वर्ष 2002-03 में पुनरीक्षित की जानी है। (मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग)
		1.4.2002 को अनावन्तित सम्पत्तियां (संख्या)	वर्ष 02-03 में आवन्टन के न्यूनतम लक्ष्य (संख्या)	हस्तान्तरण हेतु चिन्हित योजनाएं (संख्या)	वर्ष 02-03 में हस्तान्तरण हेतु न्यूनतम लक्ष्य (संख्या)	
1	2	3	4	5	6	7
ए0एस-1	गाजियाबाद	404	200	07	03	1. लखनऊ
ए0एस-2	आ. वि. परिषद	12404	6000	42	21	2. कानपुर
ए0एस-3	कानपुर	1259	650	04	02	3. आगरा-फतेहपुर
ए0एस-4	लखनऊ	4481	2500	04	02	सीकरी
	योग (श्रेणी-ए0एस0)	**18548**	**9350**	**57**	**28**	4. मेरठ
ए-1	आगरा	286	150	01	01	5. अलीगढ़
ए-2	इलाहाबाद	3022	1500	02	01	6. झाँसी
ए-3	मेरठ	2832	1400	02	01	7. सहारनपुर
ए-4	मुरादाबाद	582	300	05	02	8. मथुरा-वृन्दावन
	योग (श्रेणी-ए)	**6722**	**3350**	**10**	**05**	9. शाहजहाँपुर
बी-1	अलीगढ़	236	125	0	0	10. बिजनौर
बी-2	बरेली	9	5	06	03	
बी-3	गोरखपुर	463	250	04	02	
बी-4	मथुरा-वृन्दावन	423	225	0	0	
बी-5	वाराणसी	79	40	02	01	
	योग (श्रेणी-बी)	**1210**	**645**	**12**	**06**	
सी-1	बाँदा	0	--	0	0	
सी-2	बुलन्दशहर	1657	830	0	0	
सी-3	फैजाबाद	259	130	01	01	
सी-4	फिरोजाबाद	0	--	0	0	
सी-5	हापुड़-पिलखुआ	0	--	0	0	
सी-6	झाँसी	189	95	02	01	
सी-7	मुजफ्फरनगर	79	40	0	0	
सी-8	रायबरेली	109	55	0	0	
सी-9	सहारनपुर	0	0	0	0	
सी-10	उन्नाव	78	5	0	0	
	योग (श्रेणी-सी)	2371	1155	03	02	
	महायोग	28851	14500	82	41	

Scanned with OKEN Scanner

आवास विभाग की तीन प्राथमिकताओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट

अभिकरण का नाम : .... माह : ....

क्र. सं.	प्राथमिकताओं का विवरण	वर्ष 2002-03 के लक्ष्य (संख्या)	गत माह तक की उपलब्धियां (संख्या)	माह की उपलब्धि (संख्या)	माह तक क्यूमूलेटिव उपलब्धि (संख्या) (4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	अनावंटित सम्पत्तियों का निस्तारण				
2.	विकसित योजनाओं का हस्तान्तरण				
3.	महायोजनाओं का पुनरीक्षण	10			

नोट : उपरोक्त मासिक रिपोर्ट सभी सम्बन्धित अधिकारी प्रत्येक माह की तीन तारीख को मंडल स्तर पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में अपने साथ अवश्य लायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-1549/43-2-2002-14/2(16)/02

प्रेषक,

डी0एस0 बग्गा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनाँक-15 जुलाई, 2002

विषय : नई पत्रावलियाँ खोलने का निर्णय अधिकारी स्तर पर लिया जाना।

महोदय,

प्रशासन में ऐसी व्यवस्था किये जाने की नितान्त आवश्यकता है, जिससे शासन की कार्यदक्षता में वृद्धि हो तथा विलम्ब कम से कम हो। प्रायः यह देखने में आया है कि विभागों में छुटपुट संदर्भो को पत्रावली के रूप में परिणित कर दिया जाता है। कभी कभी मूल पत्रावली के स्थान पर नई पत्रावली विभिन्न कारणों से अस्थायी पत्रावली (टी0सी) के रूप में खोल दी जाती है तथा उनको मूल पत्रावली में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नई पत्रावली खोलते समय यह नहीं देखा जाता है कि क्या उस सम्बन्ध में पूर्व पत्रावली बनी हुई है। फलतः एक नई पत्रावली का जन्म हो जाता है। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार यह निर्णय सहायक के स्तर पर लिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में पत्रावलियों की संख्या भ्रामक हो जाती है। व्यवहारिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह व्यवस्था कदापि उचित नहीं की जा सकती।

2. इस परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक मामले में सुचारु रूप से कार्यवाही अनुभाग में खोली गयी पुरानी सम्बन्धित पत्रावलियों में ही की जानी चाहिए एवं नई पत्रावली को खोलने का निर्णय कम से कम उपसचिव/अनु सचिव स्तरीय अधिकारी के स्तर पर होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पत्रावलियों की अकारण संख्या न बढ़े।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
डी0एस0 बग्गा
मुख्य सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ज्ञाप
आवास अनुभाग-1
संख्या 3915/9-आ-1-2002
दिनांक : सितम्बर 02, 2002

कार्यालय ज्ञाप

बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर प्रांगण में सामान्य जन की सुविधा एवं इस स्मारक के रख-रखाव की दृष्टि से प्रवेश एवं टिकट विषयक व्यवस्था निम्नवत् रूप में तत्काल प्रभाव से लागू होगी:-

1. यह स्मारक मंगलवार से शनिवार तक प्रातः 10.00 बजे से सायँ 06.00 बजे तक भ्रमणार्थियों के प्रवेश हेतु खुला रहेगा। परंतु टिकट केवल सायँ 05.00 बजे तक ही निर्गत किये जायेंगे तथा सायँ 05.00 बजे के पश्चात स्मारक परिसर में प्रवेश वर्जित होगा।
2. रविवार को यह स्मारक प्रातः 10.00 बजे से सायँ 08.00 बजे तक जनता के भ्रमण हेतु खुला रहेगा परंतु टिकट केवल सायँ 07.00 बजे तक ही निर्गत किये जायेंगे। सायँ 07.00 बजे के पश्चात स्मारक परिसर में प्रवेश वर्जित होगा।
3. प्रत्येक सोमवार को यह स्मारक रख-रखाव हेतु बंद रखा जायेगा।
4. बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस दिनाँक 14 अप्रैल को स्मारक में प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रवेश निःशुल्क रहेगा।
5. 05 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे का रू0 03.00 तथा 12 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लिये रू0 05.00 का टिकट होगा।
6. उपरोक्त समस्त सूचना का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा।

भवदीय
जे0एस0मिश्र
सचिव।

संख्या : 3915/9-आ-1-तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन के अवलोकनार्थ।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को अवलोकनार्थ/सूचनार्थ।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को उक्त आदेश के क्रम में अनुपालनार्थ।
4. अधिशासी निदेश, आवास बन्धु, को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण हेतु।
5. गार्ड फाइल में रखे जाने हेतु।

आज्ञा से,
जे0एस0मिश्र
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या : 1501/10-5-2002-21(जी-1)/95

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

उद्योग अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक : 05 अक्टूबर, 2002

विषय : उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ते के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरांक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0-2293 एल/18-7-93-25 (जी-1)/93, दिनांक 27 नवम्बर, 1993 एवं शासनादेश सं0-313/18-7-95 (जी-1)/95, दिनांक 28 फरवरी, 1995 को आंशिक रूप से संशोधित/अतिक्रमित करते हुये उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं राजकीय वाहन चालकों को ग्रीष्म कालीन एवं शीतकालीन वर्दी एवं वर्दी धुलाई भत्ता नियमानुसार दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

ग्रीष्म कालीन वर्दी (पुरुष)

दो बुशर्ट तथा दो पैन्ट टेरीकाट सिली हुई, प्रत्येक 04 वर्ष में एक बाद।

शीतकालीन वर्दी (पुरुष)

एक ऊनी कोट सिला हुआ प्रत्येक 05 वर्ष में तथा एक ऊनी पैन्ट सिली हुई प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार।

ग्रीष्म कालीन वर्दी (महिला)

दो साड़ी टेरीकाट, 03 पेटीकोट, 03 ब्लाउज, प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार।

शीतकालीन वर्दी (महिला)

एक ऊनी जर्सी सिली हुई, प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार।

उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देय धुलाई भत्ता

रू0 12.00 प्रतिमाह के स्थान पर 20.00 प्रतिमाह देय है।

राजकीय वाहन चालकों को देय धुलाई भत्ता

रू0 20.00 प्रतिमाह के स्थान पर रू0 30.00 प्रतिमाह देय है। सचिवालय से चार चतुर्थ श्रेणी के किन-किन कर्मचारियों को वर्दी अनुमन्य होगी उसका विवरण निम्नानुसार है:-

मौलिक रूप से नियुक्त एवं 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये समस्त स्थायी जमादार, अर्दली, दफ्तरी,

Scanned with OKEN Scanner

पत्रवाहक, कार्यालय चपरासी, राजपत्रित से सम्बद्ध चपरासी तथा राजकीय वाहन चालक।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस श्रेणी के कार्मिकों को कम्बल एवं साफा की पूर्व अनुमन्यता को बनाये रखना उपयुक्त नहीं पाया गया। विभागाध्यक्ष एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के साथ सम्बद्ध चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को तथा जनपद/मण्डल स्तर पर कार्यात्मक आधार पर परीक्षण कर केवल चिन्हित कार्मिकों को ही साफा उपलब्ध कराया जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-6-832/2002, दिनांक 03 सितम्बर, 2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4. उक्त आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू माने जायेंगे।

भवदीय,

भूपेन्द्र सिंह

सचिव।

संख्या-1501(1)/18-5-2002-21(जी-1)/85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
5. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (I, II, III) उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. वित्त आयोग (अनुभाग-1/2) तीन-तीन प्रतियों में)
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-I
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजनाथ

अनुसचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-718/9आ-6-(अधि0)/2002

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्र
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश ।
2. **अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।
3. **निदेशक,**
नगर भूमि सीमारोपण
उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. **आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
5. **अधिशाषी निदेशक,**
आवास बन्धु,
जनपथ मार्केट, लखनऊ।
6. **मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक,**
7, बन्दरिया बाग, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 लखनऊ: दिनाँक-12 नवम्बर, 2002

विषय : आवास विभाग का नाम परिवर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिवालय प्रशासन (अधि) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्रांक यू0ओ0-366/बीस-ई-1-2002 दिनांक 23 अक्टूबर, 2002 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त आवास विभाग का नाम परिवर्तित कर **''आवास एवं शहरी नियोजन विभाग''** रखा गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त परिवर्तित नाम से ही संबोधित पत्राचार आदि किया जाए और विभाग के समस्त अभिलेखों आदि में तदनुसार उपयोग किया जाए।

कृपया उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय
जे0 एस0 मिश्र
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1

संख्या-यू0ओ0-366/बीस-ई-1-2002

दिनांक : सितम्बर 23, अक्टूबर, 2002

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से आवास विभाग का नाम परिवर्तित कर ''आवास एवं शहरी नियोजन विभाग'' किया जाता है।

डी0एस0 बग्गा,
सचिव।

संख्या : यूओ0 366(1)/बीस-ई-1-2002, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0
4. उ0प्र0 के समस्त मा0 मंत्री/राज्यमंत्रिगण के निजी सचिव।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
6. उ0प्र0 शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
7. सचिव, विधान सभा/परिषद् उ0प्र0।
8. समस्त विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 इलाहाबाद।
11. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0 401 अन्बादीप भवन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित इस अभ्युक्ति के साथ कि कृपया तद्नुसार भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।
13. संयुक्त निदेशक, प्रकाशन उ0प्र0 सचिवालय को इस आशय से कि इसको एक हजार प्रतियां मुद्रित कराकर उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,
आर0 के0 जायसवाल
उपसचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–5275/9–आ–1–2002–समीक्षा बैठक/407 (आ0ब0)

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।

3. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

4. **प्रबन्ध निदेशक,**
उ.प्र. सहकारी आवास संघ लि.,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–1

लखनऊः दिनाँक–23 नवम्बर, 2003

विषय : विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के कार्य–कलापों से सम्बन्धित सूचनाओं का सत्यापन एवं मिलान।

महोदय,

विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद् के विभिन्न कार्य-कलापों की शासन स्तर पर मासिक समीक्षा हेतु सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर मासिक प्रगति रिपोर्ट (एम.पी.आर) शासन को भेजी जाती है, जिसके आधार पर आवास बन्धु द्वारा सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण करके, सचिव, आवास की अध्यक्षता में सम्पन्न होने वाली मासिक समीक्षा बैठकों के लिए समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार की जाती है।

आवास बन्धु द्वारा संकलित सूचनाओं में किसी प्रकार की विसंगति न रहने पाए। इसके लिए यह समाचीन पाया गया कि आवास बन्धु स्तर पर संकलित सूचनाओं का सत्यापन एवं मिलान सम्बन्धित सभी अभिकरणों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार (सितम्बर एवं मार्च) आवश्यक कर लिया जाए।

उपरोक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सभी अभिकरण माह सितम्बर, 2002 तक संकलित सूचनाओं का सत्यापन एवं मिलान 10 दिसम्बर, 2002 तक अवश्य कर लें। मार्च 2003 एवं अगले वित्तीय वर्षो से छमाही सत्यापन एवं मिलान का कार्य क्रमशः 10 अक्टूबर तथा 10 अप्रैल तक पूर्ण कराकर माह अक्टूबर तथा अप्रैल में प्रेषित की जाने वाली एम.पी.आर. की सूचनाएं क्रमशः माह सितम्बर तथा मार्च तक की सत्यापित सूचनाओं के आधार पर ही शासन को प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

भवदीय
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।

संख्या : 5275(1)/9–आ–1–2002–समीक्षा बैठक/407(आ.ब.) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
2. समस्त विशेष सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
4. आवास बन्धु के समस्त अधिकारी।

भवदीय,
संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner

आवास बन्धु (आवास विभाग), उत्तर प्रदेश शासन
प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ – 226001 द्वारा प्रकाशित
दूरभाष : (0522) 2262941, 222702, फैक्स : (0522) 2212098
ई–मेल : abandhu@sancharnet.in
वेब साईट : http://upgov.nic.in/housing
एवं उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 द्वारा मुद्रित

जुलाई 2003 मूल्य : ...... रुपये मुद्रण संख्या 2000

Rs. 165